

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)



(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 31 मई, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

कालम	पवित्र	के स्थान पर	पढ़िए
॥॥.॥॥. कुम्भा. 4, 1, ॥॥॥॥	1	पृष्ठ	कालम
46	26	कवर	कवर
52	5	श्री एम. अरुणाचलम्	श्री एम. अरुणाचलम्
169	नीचे से 4	आत्मसमर्पण	आत्मसमर्पण
178	8	मैथी डोलौजी	मैथी डोलौजी
178	28	निजि	निजि
183	नीचे से 23 और 10	श्री सैयद शहा बुद्धीन	श्री सैयद शहा बुद्धीन

विषय-सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 39, बुधवार, 31 मई, 1995/10 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय	पृष्ठ
साइप्रस के राष्ट्रीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न संख्या: 781-783	2-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या: 784-800	19-38
अतारांकित प्रश्न संख्या: 7961-8109	38-138
कावेरी जल न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट को लागू करने के संबंध में	139-157
सभा पटल पर रखे गये पत्र	157-160
राज्य सभा से सदेश	160
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	161
तैत्तालीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
याचिका समिति	161
बीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	161
उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	161
आठवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	161
छब्बीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत	
वित्त संबंधी स्थायी समिति	161
पन्द्रहवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	161
चौदहवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
कार्य मंत्रणा समिति	162
इक्यावनवां प्रतिवेदन - स्वीकृत	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	162-164
(एक) उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता डा० कार्तिकेश्वर पात्र	162
(दो) बिहार में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए और अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता श्री सूर्य नारायण यादव	162
(तीन) महाराष्ट्र में, नासिक में राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान की एक शाखा खोलने की आवश्यकता डा० वसंत पवार	162
(चार) उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गंगा नदी के भू-कटाव को रोकने के लिए गंगा नदी के साथ-साथ तटबंध के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता श्री मंगलराम प्रेमी	163
(पांच) असम में करीमगंज में बेहतर डाक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता श्री द्वारका नाथ दास	163
(छः) केरल में अलेप्पी में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता श्री थाइल जॉन अंजलोज	164
(सात) बिहार के जमुई जिले में करमटिया क्षेत्र में अधिक स्वर्ण अयस्क प्राप्त करने की लिए गहरी खुदाई करने की आवश्यकता श्री ब्रह्मानन्द मंडल	164
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक	165-212
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री दाऊ दयाल जोशी	165
श्री ए० चार्ल्स	168
श्री रूप चन्द पाल	170
श्री छेदी पासवान	174
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी	176
श्री बी० अकबर पाशा	178
श्री लोकनाथ चौधरी	179
श्री सूरज मंडल	181
श्री सैयद शहाबुद्दीन	183
श्रीमती डी० के० तारादेवी सिन्ध्या	185
श्री सी० श्रीनिवासन	187
श्री चेतन पी०एस० चौहान	188
श्री एस० बी० सिदनाल	190
श्री राम प्रसाद सिंह	192
श्री जी० एम० सी० बालयोगी	193
श्री चित्त बसु	195
श्री मोहन रावले	197

विषय	पृष्ठ
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	198
कुमारी फ़िडा तोपनो	199
श्री गिरधारी लाल भार्गव	201
श्री राम कृपाल यादव	202
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	203
श्री जगदीश टाईटलर	204
खंड 2 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	211
संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक	212—228
(अनुच्छेद 16 में संशोधन) — पुरःस्थापित	
श्री सीताराम केसरी	212
श्री चन्द्रजीत यादव	212
प्रो० रासा सिंह रावत	216
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	216
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	217
डा० जी० एल० कनौजिया	218
श्री बसुदेव आचार्य	219
श्री चित्त बसु	219
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	220
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	220
श्री श्रीकान्त जेना	221
श्री मुकुल वासनिक	222
श्री सैयद शहाबुद्दीन	223
श्री विद्याचरण शुक्ल	225
श्री अनिल बसु	228

लोक सभा

बुधवार, 31 मई, 1995/10 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

साइप्रस के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, माननीय श्री एलेक्सिस गालानोस, साइप्रस की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, और श्रीमती एलेक्सान्द्रा गालानोस जो कि हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत के भ्रमण पर हैं, का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

वे 30 मई, 1995 को प्रातः दिल्ली पहुँचे थे। श्री गालानोस इस समय विशेष कक्ष में उपस्थित हैं। हम उनके भारत में सुखद और लाभदायक प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके द्वारा साइप्रस के माननीय राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, सरकार और साइप्रस के मित्रवत लोगों को अपनी शुभकामनाएँ भेजते हैं।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर समस्या है। मेटूर बाँध में एकत्रित पानी काफी कम है जो कि चिन्ता का विषय है। दो दशकों में 27 दौर की वार्ता के पश्चात भी कोई परिणाम नहीं निकला है। यह एक गम्भीर मामला है। प्रश्न काल नहीं लिया जा सकता है।

11.05 म०पू०

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूँगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, यह तमिलनाडु के छह करोड़ व्यक्तियों के लिये चिन्ता का विषय है। यह एक गम्भीर मामला है।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनको दे दीजिये मैं देख लूँगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : जल संसाधन मंत्री को उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे देख लेने दीजिये।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मैं अपने स्थान पर नहीं जा रहा हूँ। आप मुझे निकाल दीजिये या कुछ भी करिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निकाल नहीं सकता हूँ।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय यह तमिलनाडु के छह करोड़ लोगों के लिये स्थायी समस्या है। इससे सिंचाई और पेयजल की समस्या भी उत्पन्न

हो गई है। यह कुप्पुस्वामी की समस्या नहीं है। यह तमिलनाडु के लोगों की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर जाइये। मैं आपकी चिन्ता और परेशानी को समझता हूँ। मुझे देखने दीजिये। मैं मंत्री जी को आने के लिये कहूँगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मामले पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूँगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, पिछले दो दशकों में 27 दौर की वार्ता के बावजूद भी अब तक लाभकारी परिणाम नहीं निकले हैं। पिछले तीन वर्ष में अन्तरिम अधिनिर्णय भी लागू नहीं हो पाया है। जल संसाधन मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे सदन में हैं। मैं उनके मामले को देखने और प्रश्नकाल के पश्चात उत्तर देने के लिये कहूँगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, मैं आपकी काफी इज्जत करता हूँ। कृपया मंत्री जी को आने के लिये कहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूँगा। मैं उनको प्रश्नकाल के तत्काल बाद आने के लिये कहूँगा और उनसे मामले की जाँच करने के लिये भी कहूँगा। तभी मैं उनको उचित तरीके से उत्तर देने के लिये कहूँगा। अब आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, धन्यवाद।

श्री पी० जी० नारायणन : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार को पानी छोड़ना है।.....(व्यवधान)

11.07 म०पू०

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर वापस चले गये।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुस्वामी, धन्यवाद।

11.07 ½ म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पोलियो नियंत्रण

+

*781. श्री एन० डेनिस :

श्री सुधीर गिरि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्द्रीय सरकार से 2000 ई. तक पोलियो का उन्मूलन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां तो उक्त अनुदेशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान प्रत्येक राज्य में पोलियो से कितनी मौतों का पता चला;

(घ) किन-किन राज्यों को पोलियो-मुक्त घोषित किया गया है;

(ड) क्या सरकार ने इस संदर्भ में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने की योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (छ० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं । तथापि मई, 1988 में हुई विश्व स्वास्थ्य असेम्बली के अधिवेशन में पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य को अंगीकार किया गया था । व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम जो 1985-86 में आरम्भ किया गया था, के आरम्भ से ही कवरेज स्तरों में काफी वृद्धि हुई है । 1992 में आरम्भ किया गया शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन/टीका और पोलियो उन्मूलन के अतिरिक्त कवरेज तथा टीकाकरण कवरेज में उच्च स्तर प्राप्त करने में पर्याप्त सफलता मिली ।

(ग) राज्यवार स्थिति अनुबंध में दी गई है ।

(घ) अभी कोई राज्य पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया है ।

(ड) और (च) नवम्बर, 1995 और जनवरी 1996 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाए जाने की योजना है ।

अनुबंध

1993 और 1994 के दौरान पोलियो के कारण हुई मौतों की सूचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993		1994	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1435	33	1669	6
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	18	0	+	+
बिहार	+	+	+	+
गोवा	2	0	2	0
गुजरात	443	48	665	82
हरियाणा	61	1	118	2
हिमाचल प्रदेश	0	0	6	1
जम्मू व कश्मीर	94	0	67	0
कर्नाटक	167	0	171	1
केरल	71	3	19	1
मध्य प्रदेश	452	4	190	12
मणिपुर	112	8	163	11
मेघालय	7	0	11	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	10	0	47	0
उड़ीसा	197	4	86	2
पंजाब	44	0	99	1

1	2	3	4	5
राजस्थान	1120	5	913	15
सिक्किम	0	0	+	+
तमिलनाडु	231	8	149	2
त्रिपुरा	8	0	0	0
उत्तर प्रदेश	926	7	333	12
पश्चिम बंगाल	1092	7	+	+
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0

श्री एन० डेनिस : अध्यक्ष महोदय, विश्व में भारत में पोलियो से शिकार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है यानि कि कुल पोलियो से शिकार लोगों के लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति भारत में हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 144 देशों को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों को तेज करने के लिये, ताकि वर्ष 2,000 तक विश्व को पोलियो मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, अधिक धन आवंटित करेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार ने त्रिकिस्ता अधिकारियों के कार्य, ताकि बच्चों को सही टीके लगे, का निरीक्षण करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

डॉ० सी० सिल्वेरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार पोलियो की गम्भीर समस्या से अवगत है और सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2000 तक पोलियो का उन्मूलन कर दिया जाए, और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कई कदम उठाए गए हैं । सभा को जानकर खुशी होगी कि 1981 में पोलियो के दर्ज रोगियों की संख्या 38,090 थी और जो 1993 में घटकर 7,576 हो गई । इससे मालूम होता है कि देश में दर्ज पोलियो के रोगियों की संख्या में कमी आई है ।

महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है, सरकार इस वर्ष के अन्त में या अगले वर्ष के आरम्भ में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने जा रही है और इसके लिये माननीय प्रधान मंत्री जी की सलाह और स्वीकृति माँगी गई थी और वह मिल गई है ।

श्री एन० डेनिस : महोदय, इक्के-दुक्के पोलियो ग्रस्त इलाके हैं जहाँ पर पोलियो के टीके नहीं लगाये गए हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इन क्षेत्रों में पोलियो के टीके लगाने के लिये क्या कदम उठाए हैं और ग्रामीणों तथा इक्के-दुक्के क्षेत्रों में टीकाकरण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य सूत्रों द्वारा जन-जागृति पैदा करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

डॉ० सी० सिल्वेरा : सरकार ने पूरे देश में इसको फैलाने के लिये व्यापक कदम उठाए हैं और वर्तमान में तीन वर्ष से कम उम्र के 93 प्रतिशत बच्चों को टीके लगाये जा चुके हैं ।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, दिये गए उत्तर से मालूम चलता है कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है । मेरे विचार में अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, टीकों की कमी और मुख्यतः स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर खामियों पूरे देश में पोलियो रोग के कारण हो रही मौतों में वृद्धि के मुख्य कारण हैं ।

इसलिये, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार देश में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने और पोलियो का मुकाबला करने के उद्देश्य से राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता को बढ़ायेगी और क्या सरकार एक समन्वय समिति गठित करेगी जिसके सदस्य केन्द्र सरकार के

अलावा राज्य सरकार से भी होंगे ताकि पोलियो के उन्मूलन हेतु समय-समय पर पोलियो और अन्य प्राणघातक बीमारियों का पुनरीक्षण किया जा सके ? यह मेरे प्रश्न (क) का ही एक भाग है ।

दूसरे, हाल ही में पश्चिम बंगाल में पोलियो रोग के कारण हुई मौतों का मामला प्रकाश में आया है। मेरे प्रश्न के भाग (ख) में मैंने यह जानना चाहा है । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इन मौतों के कारणों का पता लगाने के लिये कोई विशेषज्ञों का दल वहीं भेजा है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं तथा सरकार ने वर्ष 2,000 तक देश से पोलियो को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

डा० सी० सिल्वेरा : पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है । राज्य सरकारों और उनके तन्त्र इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आवंटित धनराशि का प्रयोग करते हैं । इसलिये, पोलियो के टीकों की कोई कमी नहीं है । राज्य सरकारों सिर्फ कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं ।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल में पोलियो के टीकों के कारण हुई मृत्यु का मामला है, यह सच नहीं है क्योंकि इतिहास में पोलियो के टीकों के कारण कभी मौतें नहीं हुई हैं। केन्द्र से विशेषज्ञों का दल भेजा गया था और जाँच पड़ताल की गई। जाँच के परिणाम अभी आने बाकी हैं ।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, क्या सरकार द्वारा पोलियो से मृत्यु के कारणों का सामयिक मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के सदस्यों को सम्मिलित करके एक समन्वय समिति गठित की जाएगी ।

डा० सी० सिल्वेरा : केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग से लगातार सम्पर्क बनाये हुए है । अतः इस समय ऐसी समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को ऐसी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है जहाँ पोलियो टीकाकरण के बाद भी, अप्रभावी टीकाकरण के कारण पोलियो के मामले सामने आए हैं । ऐसे मामलों की क्या प्रतिशतता है और इसके क्या कारण हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

डा० सी० सिल्वेरा : महोदय, पोलियो वैक्सीन को एक निश्चित ताप के अन्तर्गत रखना होता है और इस ताप को बनाए रखने के लिए एक शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) की व्यवस्था की जाती है ।

इस कोल्ड चेन की व्यवस्था पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर उपकेन्द्रों तक की गई है और यदि इसे लोगों द्वारा ठीक तरह बनाए रखा जाए तो वैक्सीन की क्षमता समाप्त नहीं होगी । कोल्ड चेन सिस्टम का एक निश्चित ताप बनाये रखना होता है ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसी कितने प्रतिशत घटनाओं को स्वीकार किया है, क्योंकि पोलियो टीकाकरण के बाद भी यह अप्रभावी रहता है तो इसका कोई उपयोग नहीं है । मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की प्रतिशतता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है ।

डा० सी० सिल्वेरा : इस तरह की सूचना प्राप्त करना वास्तव में बहुत की कठिन है क्योंकि हम यह नहीं जानते कि कोई विशेष वैक्सीन प्रभावशाली है अथवा नहीं । इस क्षण यह जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं इसे बाद में बता सकता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री माणिक राव होडस्या गावीत : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें हर राज्यवार जो सूची दी है उसमें महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख नहीं है । इसमें मेरा कहना यह है कि क्या पोलियो के रोगी महाराष्ट्र में नहीं हैं और अगर हैं तो कितने हैं, यह मंत्रीजी बताने की कृपा करें ।

[अनुवाद]

डा० सी० सिल्वेरा : इस बारे में सूचना सूची में दी हुई है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री माणिक राव होडस्या गावीत : इसमें महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिजांग : सूची में दी गई सूचनाओं को देखने के बाद मैं यह पाया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है ।

	1993		1994	
	के मामले	मृत्यु	के मामले	मृत्यु
असम	18	शून्य	शून्य	शून्य
मणिपुर	शून्य	"	"	"
मेघालय	7	"	11	"
मिज़ोरम	शून्य	"	शून्य	"
नागालैण्ड	10	"	47	"

इससे यह प्रतीत होता है कि इसे समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है ।

मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वोत्तर राज्य बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार के विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर पिछड़ेपन तथा बहुतायत लोगों के अशिक्षित होने के कारण अक्सर मृत्यु होती रहती है ।

क्या मैं यह जान सकता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्यों में पोलियो से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए इसे वहाँ लागू करने के लिए कौन-कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

डा० सी० सिल्वेरा : पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर कोई मृत्यु न होने के तथ्य से यह पता चलता है कि इस कार्यक्रम को वहाँ पर पूरी तरह से लागू किया गया है । किन्तु यह सूचनाएँ राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर हैं । जैसा कि मैं जानता हूँ कि इस सम्बन्ध में पूर्वोत्तर राज्यों की ओर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पूरे देश में लागू किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, पोलियो रोग भारत में एक समस्या है । आज इसका गांवों में, विशेष तौर से भारत के गांवों में प्रचार, प्रसार नहीं है । जहाँ प्रचार, प्रसार है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रायः बचाएँ उपलब्ध नहीं हैं और जहाँ पर दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर फ्रिज आदि नहीं हैं जिसमें कि इनको ठंडे में सुरक्षित रखा जा सके, जब कि इस वैक्सिन को ठंडे में रखना अतिआवश्यक है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप गांवों में पोलियो के प्रचार-प्रसार के लिए कोई समुचित व्यवस्था निकट भविष्य में करने जा रहे

हैं ? क्या इस कार्यक्रम को 2000 ई. तक सफल रूप में चलाने के लिए आपके पास कोई योजना है ?

दूसरी बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े दिए हैं कि 1993 में 926 लोग पोलियो से प्रभावित हुए तथा 7 मौतें हुई हैं और 1994 में 333 लोग पोलियो से प्रभावित हुए तथा 12 मौतें हुई हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन आंकड़ों की आपने समीक्षा की है । मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं और वास्तविकता यह है कि मौतें इससे ज्यादा हुई हैं और इससे ज्यादा लोग पोलियो रोग से प्रभावित हुए हैं ।

[अनुवाद]

डा० सी० सिल्वेरा : योजना के अनुसार सभी राज्यों में “कोल्ड वेन सिस्टम” की व्यवस्था की जाती है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है कि “कोल्ड वेन सिस्टम” का सही उपयोग करें क्योंकि राज्य सरकार ही इसे लागू करने वाला प्राधिकरण होता है । इसका कार्यक्रम राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है ।

दूसरा प्रश्न.....

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि आंकड़े सही नहीं हैं ।

डा० सी० सिल्वेरा : आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं और इसके अलावा कोई साधन नहीं है जिससे कि केन्द्र उनको चुनौती दे सके ।

श्री सैयद शहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जानकारी में आए मामलों में से लगभग दो तिहाई मामले केवल पाँच राज्यों से संबंधित हैं, ये हैं आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इसके अलावा जैसा कि राज्य सरकारों ने बताया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पोलियो की घटनाओं में काफी असमानताएं हैं विशेषकर यदि आप इसे जनसंख्या के आधार पर लेते हैं, अर्थात् एक मिलियन जनसंख्या पर कितने मामले हैं तो हमें पता चलेगा कि स्पष्टतः बहुत ही अधिक असमानता है । मैं इसका कोई कारण नहीं समझता । अतः मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते हैं । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि राज्य सरकारों की रिपोर्टों में मामलों की बताई गई संख्या पर आधारित रहने के बजाय सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार एक स्वतंत्र चिकित्सा प्राधिकारी को ही सर्वेक्षण करने के लिए आदेश देना चाहिए ताकि चयनित क्षेत्रीय आधार पर राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों की जांच हो सके । यदि वह इन आंकड़ों की जैसाकि मैंने बताया है जांच-पड़ताल करते हैं, विभिन्न राज्यों अथवा इसी स्तर की सुविधाओं वाले अन्य देशों से उनकी तुलना करते हैं, तो अनेक विषमताएं मिलेंगी यह सब अविश्वसनीय भी हो सकता है । अतः उनकी यह रिपोर्ट कि 93 प्रतिशत बच्चों का प्रतिरक्षण किया गया है, स्वीकार्य नहीं है । लोगों को इस पर विश्वास नहीं है । मैं उन लोगों, चिकित्सकों को जानता हूँ जिन्होंने स्वयं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को संचालित किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि पैटेन्ट सीरम की अनुलब्धता के कारण उन्होंने पानी का ही टीका लगाया है उन्होंने स्वयं कहा है की हम क्या कर सकते हैं ? हमें यही मिलता है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जनता का विश्वास जीतने के लिए और इन आंकड़ों की जांच करने के लिए और समुचित कार्यक्रमों को अपनाने हेतु क्या वह किसी निष्पक्ष चिकित्सा अधिकारी से सर्वेक्षण करवायेंगे ।

डा० सी० सिल्वेरा : इस समय पोलियो केसीन मुँह से दिया जाता है और अभी इसके लिए इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है । यह तथ्य कि देश में विभिन्न भागों में पोलियो केसेज हैं, उसकी वास्तविकता यह है कि हमने तीन वर्ष से कम उम्र के 93 प्रतिशत बच्चों को इसमें कवर कर लिया है हम इसे एक राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि पूरा देश

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वह जानना चाहते हैं कि क्या आप पोलियो मृत्यु की संख्या के बारे में सही आंकड़ें एकत्र करने के लिए कदम उठाएंगे ।

डा० सी० सिल्वेरा : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हमें राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर विश्वास करना पड़ता है ।

श्री सैयद शहबुद्दीन : मैंने कहा कि वे

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपत्ति है । उनका कहना है कि राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट, आंकड़े आपको मिले हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं । क्या आप सही सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ करेंगे ?

डा० सी० सिल्वेरा : अभी तक अविश्वसनीयता के बारे में मेरे समक्ष कोई सूचना नहीं लाई गई है । मैं समझता हूँ कि उनको सूचना भेजनी पड़ेगी ।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे गर्भावस्था से ही पोलियो रोग से पीड़ित होते हैं । जिसके कारण वे पोलियो रोग से ग्रस्त पैदा होते हैं । मैंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भी लिखा था कि भारी संख्या में इस प्रकार के बच्चे पैदा हो रहे हैं । क्या इस संबंध में मान्यवर मंत्री जी जांच करवाएंगे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई पत्र लिखा गया है । अगर वह पत्र आपको मिले तो कृपया उसे देख लीजिएगा ।

डा० बसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों तथा रोटरी इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे मालूम है कि पोलियो की दवा उपलब्ध कराने और भारत में इसका उत्पादन करने के लिए केन्द्रीय सरकार और रोटरी इंटरनेशनल का एक संयुक्त उद्यम है । अतः मैं पोलियो के टीके का आयात करने के बजाए मुँह से दी जाने वाली पोलियो की दवा को बहुतायत में उपलब्ध कराने के लिए उस संयुक्त निर्माता उद्यम की स्थिति जानना चाहूँगा ।

डा० सी० सिल्वेरा : पोलियो की दवा की अधिकांश मात्रा का आयात किया जाता है और उसे भारत में, एक मुम्बई और दूसरी दिल्ली स्थित दो कंपनियों द्वारा सम्भरित किया जाता है । वे पोलियो की दवा को पर्याप्त मात्रा अर्थात् इस समय जितनी मात्रा की आवश्यकता है, उसका उत्पादन कर रही हैं । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर विचार किया जा सकता है । यह एक अच्छा सुझाव है ।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप यह कहते हैं कि यह एक अच्छा सुझाव है तो यह आश्वासन बन जाता है ।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक्स में विदेशी पूँजी निवेश

*782. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पूर्ण स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को आमंत्रित किया है और उस पर अनिवार्य रूप से निर्यात करने की

शर्त भी नहीं लगाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम उपभोग के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और टी० वी० मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ावा न देने हेतु कोई अनुरोध भेजा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र से संबंधित विद्यमान नितियों की समीक्षा करने का है;

(ड.) यदि हाँ, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) औद्योगिक नीति पर दिनांक 24 जुलाई, 1991 को सदन के पटल पर रखा गया वक्तव्य विदेशी पूँजीनिवेश का स्वागत करता है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है तथा इससे प्रौद्योगिकी के अंतरण, विपणन विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकें शुरू करने तथा निर्यात संवर्धन की नई संभावनाओं के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे । विदेशी साम्यापूँजी का पूँजीनिवेश इस नीति में दिए गए सिद्धांतों पर निर्भर करेगा तथा इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी । तदनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में मामलों को अनुमोदित किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी “सोनी” को अपने देश में 100 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश की न्यूनतम अनिवार्य शर्त में भारी छूट देकर उसे केवल 16 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश की अनुमति दी है । सोनी कंपनी से भारत सरकार ने निर्यात के संबंध में कोई कमिटेमेंट क्यों नहीं किया है ? क्या अब सरकार सोनी कंपनी से निर्यात की वचनबद्धता के संबंध में नए सिरे से कोई बातचीत शुरू करने का विचार रखती है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मेरे पास उस मामले का विशेष ब्यौरा नहीं है । मैं उद्योग मंत्रालय से वह ब्यौरा प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दूंगा । यह कार्य मैं करूँगा । मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी मामले में कोई निर्यात प्रतिबद्धता नहीं है, स्वेच्छा से लाभांश का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी गई है । प्रत्येक मामले में न्यूनतम संतुलित लाभांश आवश्यक है अर्थात् अगर आप निश्चित अवधि में लाभांश का भुगतान नहीं कर सकते तो या तो उसे व्यापार में वापिस लगाना पड़ेगा या फिर इस देश में उत्पादित वस्तुओं के रूप में लाभांश लेना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रंगीन टेलीविजन और संघटक उद्योग जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपये विनियोजित हैं, का देश में अपना अलग ही महत्व है । इसने देश में रोजगार पैदा किया है, सरकार के राजस्व में वृद्धि की है तथा भारतीयों की इंजीनियरिंग दक्षता को भी काफी हद तक विकसित किया है । इन सबके बावजूद सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में तो काफी उदारतापूर्ण रुख अपना रही है तथा उनकी प्रत्येक अच्छी-बुरी शर्तों को मानकर अपने देश में फलने-फूलने के पूरे अवसर दे रही है, जबकि अपने देश के इन उद्योगों के प्रति सरकार का रवैया कठोर है ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले स्पर्धा में टिक पाने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें कोई विशेष सुविधाएं तथा रियायतें देने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वह कौन-कौन सी हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सर्वप्रथम, स्वदेशी उद्योग को कुछ लाभ अवश्य मिलने चाहिये और उन्हें कुछ लाभ प्राप्त भी हैं । वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में उन्हें कुछ फायदे हैं । सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन उपायों के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त हैं । मैं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भाग, निर्यात संवर्धन परिषद, श्रम शक्ति का प्रशिक्षण इत्यादि के विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा । यह एक बात है ।

दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में और विशेष रूप से सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, जो विकास करने में हम सफल हुए हैं, जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, वह प्रतिवर्ष लगभग 30 प्रतिशत है, जो संभवतः भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र की विकास दरों में सबसे ऊँची है । ऐसा व्यापक रूप से विदेशी भागीदारी के कारण संभव हुआ है । मेरे माननीय मित्र देखें कि व्यवहार्यतः देश में स्थानीय रूप से बने प्रत्येक टीवी में विदेशी भागीदारी है; चाहे वह तोशिबा की हो अथवा शार्प की । यह स्थिति का एक पहलू है ।

हम विदेशी प्रौद्योगिकी चाहते हैं । लेकिन विदेशी प्रौद्योगिकी इस देश के हित में होनी चाहिये । राष्ट्रीय हित का विशेष तौर पर क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में दी गई है जिस पर सभा में चर्चा की गई थी और जिसकी रूपरेखा मैंने स्वयं लिखित उत्तर में दी थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के पश्चात् नए आर्थिक सुधारों की नीति शुरू की गई थी, इस अवधि के दौरान विदेशी इक्विटी सहभागिता से निमार्ण के इस क्षेत्र में कितने नए एकक स्थापित किये गये हैं । कोई भी प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है । प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के बहुत से तरीके होते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप को आवश्यक रूप से विदेशी इक्विटी सहभागिता करनी पड़ेगी । मैं जानना चाहता हूँ कि नई आर्थिक नीति को लागू करने के बाद से कितनी नई कंपनियों को विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी गई है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । इनकी संख्या और भी बढ़ेगी । यह सैंकड़ों तक पहुँच सकती है । मुझे इसकी निश्चित जानकारी नहीं है । मैं यह सभी जानकारी—कंपनियों की संख्या, कंपनियों का ब्यौरा—एकत्र करूँगा और इसे माननीय सदस्य को दूँगा ।

हालांकि, मैं यह कहना चाहूँगा कि मूल रूप से ऐसे क्षेत्र जो हमारे देश के औद्योगिक आधार को बनाते हैं जैसे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर—यह ऐसे क्षेत्र हैं, जहां संयुक्त उद्यम स्थापित हो चुके हैं ।

[हिन्दी]

श्री पैरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नई उद्योग नीति अपनाई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग चालू करने की भी नीति है। जब इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उत्पादन शुरू होगा तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को भी प्रशिक्षण देकर उसमें लगायेगी जिससे उनको भी रोजगार मिल सके? यदि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा तो उन्हें रोजगार से वंचित होना पड़ेगा और केवल सम्पन्न लोग ही इसका लाभ उठा पायेंगे, तो क्या सरकार ग्रामीण लोगों को भी प्रशिक्षण देकर इस उद्योग में लगायेगी जिससे उन्हें रोजगार का मौका मिले?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जैसा कि हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी विकास केवल उच्च वर्ग के थोड़े से लोगों के लिए ही नहीं है। इसका लाभ पूरे देश को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, जिनकी इस उच्च प्रौद्योगिकी विकास में अक्सर उपेक्षा होती है, को मिलना चाहिये। विशेष रूप से विद्यार्थियों, नवयुवकों, महिलाओं और अन्य लोगों को अगर वे नये युग में जीना चाहते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकी से परिचित होना चाहिये। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उपकरण के लिए सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास के अन्तर्गत केवल एक योजना जिसका अनुमोदन किया गया है वह इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में है। संसद सदस्य अपनी एक करोड़ रुपये की योजना के तहत अब अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा लोगों, महिलाओं तथा अन्य लोगों के फायदे के लिए इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में उपकरण और अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान कर सकते हैं।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा करना पड़ेगा तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह पहले से ही योजना का भाग है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह सही तौर पर गलत बात कह रहे हैं। मैं उस पर बाद में बोलूंगा।

इस प्रकार का जो वे वक्तव्य देते हैं, हम उनसे परिचित हैं। हमारा संकट यह था कि हम निर्यात की तुलना में आयात अधिक कर रहे थे। यह बात वर्ष 1990-91 की थी। अतः संपूर्ण आर्थिक नीति विदेशी व्यापार के अंतर को कम करने पर आधारित थी और उन सब बातों को भुलाकर अब हम यह कह रहे हैं कि विदेशी पूंजी, उस संकट को, जहां से नई आर्थिक नीति उदित हुई थी, को दूर करने के लिए नहीं बल्कि भारतीय आर्थिक विकास का एक आवश्यक अंग है। मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वह समझते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का जवाब वित्त मंत्री दे सकते हैं, आपने इसे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के मंत्री से क्यों पूछा ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनसे मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि उन्होंने टेलीविजन का उल्लेख किया। टेलीविजन क्षेत्र में हुआ यह है कि पहले हमारी कंपनियों के साथ विदेशी भागीदारी की गई है। अब उनका स्थान भारत स्थित विदेशी कंपनियों, जैसे पैनासोनिक, सामसुंग इत्यादि की सहायक शाखाओं ने ले लिया है। अब क्या यह हमारे लिए फायदेमंद है? वे सीधे तौर पर यहाँ अपनी सहायक शाखाएँ स्थापित कर रही हैं।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है। प्रौद्योगिकी के इस आयात ने हमें अपने सॉफ्टवेयर का निर्यात करने में कहां तक मदद की है? इलेक्ट्रॉनिकी में सॉफ्टवेयर, ब्रेन वेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही हमारी स्थिति बेहतर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि विश्व में हमारी स्थिति अतुलनीय है। मुझे इन सबकी थोड़ी

बहुत जानकारी है। अतः, इस आयात से हमारे निर्यातों को किस सीमा तक मदद मिली है? यहां तक कि उसके बिना भी हमें सफलता मिल जाती।

और अंत में, सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। इसमें अंतर है। महोदय, वह आपके लिए भी है क्योंकि आप भी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ऐसा ही मैंने कहा है कि अगर यह योजना है, तो यह एक अच्छी योजना है और अगर ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : दिशानिर्देश की समस्या है जबतक कि किसी चीज पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता—अजित पांजा ने सम्भवतः आपको लिखा है—हम धनराशि आवंटित नहीं कर सकते। सम्पत्ति के दस्तावेज सरकार के नाम होने चाहिए, तभी हम उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं। यह विद्यालयों, महाविद्यालयों और सभी मामलों में ठीक है।..... (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अब हम एक समय में एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दो प्रश्न हैं। एक 'साफ्टवेयर' के बारे में है और दूसरा संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में है।

जहाँ तक 'साफ्टवेयर' का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूँ। मैं यह पहले भी कह चुका हूँ। 'साफ्टवेयर' की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 38.68 प्रतिशत है। इस उद्योग का निर्यात 46.6 प्रतिशत की दर से भी बढ़ा है। इसलिये 'साफ्टवेयर' की वृद्धि दर लगभग 38 प्रतिशत रही है जबकि इसके निर्यात में 46.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके निर्यात में कितनी विदेशी पूंजी शामिल है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं आपको ब्योरा दे सकता हूँ। इसमें राजसहायता का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं आपको ब्योरा दे सकता हूँ।

जहाँ तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का सम्बंध है मेरे पास 'इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स अन्डर मैम्बरस आफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम' शीर्षक नाम की पुस्तिका है। वह यहां है और आवश्यकता इस बात की है कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने वह प्रश्न नहीं पूछा है। आप दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस योजना के अंतर्गत उपकरण सरकारी संस्थानों को दिये जा सकते हैं अथवा उन संस्थानों को दिये जा सकते हैं जिनको सरकारी अनुदान मिल रहा है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय नहीं। वह पूरी तरह गलत हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब इसकी पूरी तरह व्याख्या अध्यक्ष करेंगे। मैं इसकी उचित तरीके से व्याख्या करूंगा। हमको सभा में इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जहाँ तक नियंत्रित कम्पनियों का मामला है भारतीय कम्पनियों को चाहिये जैसा उन्होंने पहले किया था, कि वह अपने भागीदारों को लाएं। सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करती है।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : महोदय, मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर पूर्ण नहीं हैं। प्रश्न के भाग (क) और (ख) में पूछा गया है कि क्या सरकार ने देश में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बिना किसी निर्यात की प्रतिबद्धता और सी प्रतिशत भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है और यदि

हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसमें भारत में उद्यम स्थापित करने के लिये आ रही कम्पनियों का ब्यौरा पूछा गया है।

उत्तर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक ही वाक्य कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत सरकार ने कई प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। हमको यह कैसे पता चलेगा कि कितने प्रस्ताव आये हैं? प्रश्न में पूछा गया था कि सौ प्रतिशत भागीदारी है अथवा आंशिक भागीदारी है? यह कौन-कौन सी कम्पनियाँ हैं? यह किन चीजों का उत्पादन करने जा रही हैं?

अतः महोदय, मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ।

दूसरे, जो कम्पनियाँ भारत में आ रही हैं मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या वे 'हाडवेयर' प्रौद्योगिकी भी ला रही हैं क्योंकि ऐसा किया जा रहा है कि ये भारत में 'हाडवेयर' उपकरण अथवा साफ्टवेयर पुर्जे ला कर संयोजन कार्य करती हैं, जो कि पहले से ही हो रहा है। जैसा कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने 'साफ्टवेयर' के बारे में कहा है कि देश में प्रचुर मात्रा में विशेषज्ञता और निपुणता उपलब्ध है। प्रश्न यह है कि क्या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के नाम पर ये कम्पनियाँ-निर्यात हेतु सस्ते श्रम और विशेषज्ञता को प्रयोग कर रही हैं। इसलिये, यह जरूरी है कि हमें इस संबंध में स्पष्ट जानकारी हो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, अगर मेरा उत्तर स्पष्ट नहीं है तो मैं अपने आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रश्न यह था कि क्या भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया है?

महोदय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम आमंत्रित नहीं करते हैं। आमंत्रण का सवाल ही नहीं है। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक नीति कथन में हरेक को चाहे वह देशी या विदेशी पूँजीनिवेशक हो उसमें वर्णित शर्तों के अध्यधीन भारत में आने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

इसलिये, आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। शर्तों का ब्यौरा उसमें दिया गया है।

दूसरे प्रश्न के संबंध में कि क्या वे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर रहे हैं अथवा लगभग संयोजित की गई वस्तुएं बना रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी इस देश में उत्पादन यूनिट होनी चाहिये। यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि इस क्षेत्र की वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र की वृद्धि दर से अगर सबसे ज्यादा नहीं तो भी उँची वृद्धि दरों में से है इसका प्रमुख कारण विदेशी सहयोग और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण है।

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड

+

*783. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री प्रमयेश मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड का गैर-सरकारीकरण करने का है और इस बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र से निविदाएं प्राप्त हुई हैं अथवा इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में गैर-सरकारीकरण के प्रयासों के विरोध में प्रकाशित समाचारों की ओर गया है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र का यह उपक्रम 1960 से कार्य कर रहा है और

1990 तक इसे लाभ हो रहा था तथा अपनी देनदारियों से कहीं अधिक इस कम्पनी का शुद्ध मोल है और करोड़ों रुपये के इसके पास क्रयदेश हैं;

(ङ) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अभी अपने निर्णय की घोषणा नहीं की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने प्रचालन एजेन्सी से कहा है कि वह इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए निजी पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित करे। सरकार ने, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड को संयुक्त उद्यम में बदलने/निजी क्षेत्र द्वारा इसका अधिग्रहण किए जाने की, सिद्धांत रूप में सहमति से बी आई एफ आर को अवगत करा दिया है। प्रचालन एजेंसी स्वयं को प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) कंपनी ने अपने प्रचालन वर्ष 1968 में आरंभ किए और 1990-91 तक लाभ कमाया। यथा 31.3.1994 को कंपनी का निबल मूल्य (-) 15.57 करोड़ रुपये था। यथा 1.4.1995 को, कंपनी के पास 98 करोड़ रुपये मूल्य के आर्डर थे।

(ङ) और (च) बी. आई. एफ. आर. का अंतिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कम्पनी के देश में तीन संयंत्र हैं, अर्थात् एक राजस्थान में कोटा में, दूसरा केरल में पालघाट में और तीसरा राजस्थान में जयपुर में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सामरिक महत्व के क्षेत्र की कम्पनी है। इस कम्पनी का प्रधान कार्य परमाणु उर्जा केन्द्रों, भारी पानी संयंत्रों इत्यादि को यंत्र और उपकरणों की आपूर्ति करना है। यह वस्तुएँ विदेशी आपूर्ति कर्ताओं से आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। इसलिये, यह कम्पनी हमारे देश के इन उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

मेरे विचार में सरकार को इस कम्पनी को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को आसानी से सौंपने से पूर्व तथा निजी पार्टियों को अधिग्रहण के लिये सौंपने से पूर्व अच्छी तरह सोचना चाहिये। यह कोई साधारण कम्पनी नहीं है। यह हमारे देश में अपनी तरह की एक ही कम्पनी है। यह सही है कि यद्यपि इस कम्पनी का संचित घाटा 32 करोड़ रुपये है, लेकिन इसके बाकजुद भी कम्पनी की आदेश पुस्तिका के अनुसार कम्पनी के पास 140 करोड़ रुपये के क्रयदेश हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि कम्पनी की रुग्णता-अथवा घाटे का कारण यदि आप कहना चाहें यह है कि वर्ष 1990 में सरकार ने इसको बहुत महंगा पूँजीगत निवेश करने के लिये कहा था। यह 20 से 22 प्रतिशत की उँची ब्याज दर पर किया गया पूँजीगत निवेश ही अब कम्पनी की वित्तीय स्थिति को खराब कर रहा है। यह कम्पनी अकुशलता, उत्पादित माल की खराब गुणवत्ता और अन्य किसी कारण की वजह से रुग्ण नहीं हुई है। कम्पनी की वित्तीय समस्या का कारण पूँजीगत निवेश है जो कि सरकार के कहने पर ही किया गया था।

महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या विदेशी कम्पनियों को इस कम्पनी की स्थिति सुधारने के लिये आमंत्रित करने से पूर्व सरकार लगभग 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त 'इक्विटी' निवेश करने के लिये तैयार है क्योंकि अगर उँचे पूँजीगत निवेश हेतु लिये गए कुछ ऋणों को माफ कर दिया जाता है तो यह धनराशि पर्याप्त होगी। अगर सरकार सीधे निवेश नहीं करना चाहती है तो

यह धनराशि कम्पनी की परिसम्पत्तियाँ, भूमि और इमारतों को बेचकर प्राप्त की जा सकती है ।

इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में क्या सरकार किसी एक विशिष्ट वर्ष या दो वर्षों के तुलन-पत्र के आधार पर अगर घाटा पाया जाता है तो तत्काल कम्पनी को रुग्ण घोषित कर देती है अथवा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप देती है ? और क्या वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के चहुँमुखी विकास हेतु ऐसी कम्पनी के सामरिक महत्व का भी ध्यान रखती है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन बातों पर विचार किया जाता है या नहीं और क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी ? अथवा क्या वह अपने वर्तमान निर्णय को ही जारी रखेगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता आई. एल. के बारे में है, उससे मैं अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़ती हूँ । इनका पहला प्रश्न आर्डर्स के बारे में था । माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न आई० एल० स्ट्रेटजिक सैक्टर के इन्स्ट्रूमेंट को बनाती है, उसके बारे में था ।

माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में कहना चाहती हूँ कि आज मैं इस बात से सहमत हूँ कि 1990 तक आई० एल० का कोई कंपीटिशन नहीं था और एक प्रकार से बाजार में इसकी मोनोपोली थी । लेकिन 80 के दशक में कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इण्डस्ट्री के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इलेक्ट्रो मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल की दिशा में मूलभूत परिवर्तन होने के कारण इस कम्पनी पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगा । माननीय सदस्य ने जो कहा, मैंने उत्तर में भी यह कहा है और मैं इनके मत से अलग नहीं हूँ कि आर्डर्स 98 करोड़ के थे । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कडे कंपीटिशन के कारण कम्पनी के द्वारा मार्जिनल कास्ट पर आपूर्ति आदेश प्राप्त किया जाता था और नो प्रोफिट पर उसको सप्लाय भी किया गया । कुछ आपूर्ति ऐसी भी की गयी जिनमें बिलकुल ही घाटा सहन करना पड़ा । माननीय सदस्य तो सभी बातों को जानते हैं कि गत वर्ष 112 करोड़ रुपए का टर्न ओवर था और इसके बाद भी 28 करोड़ का घाटा हुआ ।

जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा कि 28 करोड़ रुपये का घाटा था, गत वर्ष 112 करोड़ रुपये का आर्डर्स दिया गया था, आर्डर के अगेन्स्ट सप्लाय भी हुई मगर फिर भी 28 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । वह घाटा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी तकनीक में परिवर्तन आये—प्रीद्योगिकी में तीव्र गति से परिवर्तन आये । पिछले 3-4 वर्षों में तीव्र गति से तकनीक में भी परिवर्तन आये । मैकेनिकल क्षेत्र में जो कामगार काम कर रहे थे, उन कामगारों को मैकेनिकल ट्रेनिंग दी गयी थी, इलेक्ट्रॉनिकल या कम्प्यूटर की ट्रेनिंग नहीं दी गयी थी, इसलिए हमें मैनपावर को रैशनेलाइज करने की जरूरत थी । फिर भी, उन कामगारों को हमने प्रभावित नहीं किया ।

जैसा माननीय सदस्य ने स्ट्रेटजिक सैक्टर की बात कही, स्ट्रेटजिक सैक्टर के लिये, मैं कहना चाहती हूँ कि सिस्टम सप्लाय टू दिस आई. एल. के., उसका जो स्ट्रेटजिक परिया है, वह बहुत छोटा अमाउंट था—क्रय आदेश के बहुत छोटे से भाग की आपूर्ति—बहुत लो मार्जिन है, जैसे 112 करोड़ रुपये का आर्डर था तो उसमें 1.25 करोड़ रुपये के करीब वह बनता था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत अहम प्रश्न पूछा है कि स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री है, इसे सरकार नो प्रोफिट नो लॉस बेसिस पर चलाने की कोशिश करेगी या स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री मानकर चलायेगी ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय हम ध्यान जरूर रखेंगे । हमारा पहला और मुख्य उद्देश्य यह है कि कम्पनी को चलाना है, मजदूरों को बैठाना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री है, ऐसा उन्होंने बोला है ।

श्रीमती कृष्णा साही : वही मैं भी बोला है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसे तो मानते हैं (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : वह बहुत स्माल और मार्जिनल पोर्शन उस आर्डर का है, 112 करोड़ रुपये के आर्डर का, बहुत थोड़ा काम हम लोग करते हैं (व्यवधान) मैं तो कहा है कि सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । सरकार सारे मुद्दों पर अभी विचार कर रही है ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनेक बार सभा में यह कहने का अवसर मिला है तथा यह बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ कंपनियों को जान बूझकर रुग्ण बनाने की नीति अपना रखी है । यह एक ऐसा मामला है । 1990 तक इस कम्पनी में किसी प्रकार के घाटे का कोई सवाल कभी पैदा ही नहीं हुआ । यह पहले ही उच्च-तकनीक वाली कम्पनी है । लेकिन, तथाकथित उदारीकरण सिद्धान्त के बाद—जिसका कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा प्रचार किया जाता है—मंत्री जी का कहना है कि यह एक एकाधिकारिक कम्पनी है, जिसे प्रतिस्पर्धा के कारण घाटा हो रहा है । यह एक ऐसी कम्पनी थी, जोकि सामरिक क्षेत्र में थी और यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन एवं भारी जल संयंत्रों के क्षेत्र आदि में बहुत अच्छा कार्य कर रही थी । सरकार ने किसी अन्य कम्पनी—मुझे उस कंपनी के ब्यौरे विदित नहीं हैं—को शायद किसी बात को ध्यान में रखते हुए पिकचर में आने की अनुमति दी है तथा मंत्री महोदय का यह कहना है कि उस कम्पनी के इस क्षेत्र में प्रवेश हो जाने के कारण यह इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, उतना बेहतर कार्य नहीं कर पाई जितना की पहले कर रही थी । एक कम्पनी जोकि बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, उसे समाप्त करने का यह एक तरीका है ।

अतः, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सामरिक महत्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के प्रति अपने सम्पूर्ण रविये पर पुनः विचार करेगी तथा इस ओर ध्यान देगी कि इस कम्पनी को किसी प्राइवेट पार्टी को न बेचा जाये अथवा इसे बंद न होने दिया जाये । प्रश्न यह नहीं है कि इसके बंद होने के कारण कितने कामगार बेकार हो जायेंगे । बात यह नहीं है । बात यह है कि इस कम्पनी का हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है । इस कम्पनी के प्रति सरकार का रवैया कि यह कम्पनी रुग्ण है अथवा नहीं, क्या इस कम्पनी को बंद किया जाना चाहिए अथवा पुनर्गठित किया जाना चाहिये अथवा नहीं, ये सारी बातें प्रारम्भ से अंत तक अव्यवस्थित रही हैं ।

क्या सरकार इस बारे में नए सिरे से विचार करेगी तथा इस कम्पनी को बचाने की कोशिश करेगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : इस कम्पनी के बारे में विस्तृत वर्णन हमने एक कन्सलटेसी फर्म से कराया था, 1993-94 में बहुत डीप स्टडी उन्होंने की कि कैसे हम इस कम्पनी को लाभ में चलायें और किस तरह इसमें परिवर्तन लायें । तो सभी की उन की भी यही अनुशंसा हुई कि इसका मैन कारण है,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, हमें प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए । यह एक सामरिक महत्व का उद्योग है, जिसकी राष्ट्र को जरूरत है । क्या

हम इसे जारी रखेंगे अथवा इस कम्पनी के लाभ एवं हानि अथवा तुलना पत्र के आधार पर कोई निर्णय करेंगे ? प्रमुख प्रश्न यही है ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साहू : नहीं सर, हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है । जहाँ हमारे राष्ट्रीय-हित का प्रश्न उठेगा वहाँ हम केवल लाभ और हानि के ही दृष्टिकोण से उसे नहीं देखेंगे ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे एक तरह के अप्रत्यक्ष आश्वासन के रूप में ले लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने यही कहा था कि उन्होंने अंतिम निर्णय नहीं लिया है ।

श्रीमती कृष्णा साहू : हाँ, मैंने यही कहा था । सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है ।

श्री प्रमयेश मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं । मैं इस बारे में आपके समक्ष बी० आई० एफ० आर० की भूमिका रखना चाहता हूँ । बी० आई० एफ० आर० की भूमिका रुग्ण उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्यक्रम-पत्र तैयार करना है । लेकिन यह एक पेचिदा मुद्दा है कि इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड जैसी विख्यात कम्पनी जोकि हमारे देश की एक अग्रणी कम्पनी है, जोकि 1990 तक लाभ कमाने वाली कम्पनी थी—अब उसे 32 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । उनका मामला 1992 में बी० आई० एफ० आर० को सौंपा गया था । लेकिन बी० आई० एफ० आर० ने इस कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कार्यक्रम-पत्र तैयार नहीं किया । लेकिन उन्होंने इस कम्पनी के निजीकरण की सिफारिश की थी । उन्होंने इस कम्पनी को निजी क्षेत्र को बेच देने की सिफारिश की थी । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि बी० आई० एफ० आर० की सिफारिशों के आधार पर निजीकरण के नाम पर इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड जैसे कितने मामलों में मुकदमा चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक कम्पनी से संबंधित है । अब हम सामान्य क्षेत्र के बारे में विचार करेंगे । क्या आप उत्तर दे पाने की स्थिति में हैं ?

श्रीमती कृष्णा साहू : नहीं

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, यह कम्पनी जो देश का महत्वपूर्ण उद्योग है यह सन् 1968 में सात करोड़ की पूंजी से आरंभ हुई और आज उसकी एक हजार करोड़ की परिसम्पत्तियाँ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, मेन क्वेश्चन पर आईए । समय बहुत कम बचा है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : और एक अरब रुपए के इस कम्पनी के पास आदेश हैं । माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि यह कम्पनी घाटे में चल रही है । मेरा निवेदन है कि यह कम्पनी प्रशासकीय व्यवस्था के कारण घाटे में चल रही है और व्याज की रकम को जोड़ने के कारण घाटा बढ़ा है । जैसा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि कई राज्यों में किया जा रहा है, वैसा ही अगर हर कम्पनी में भी किया जाए और ऋण की राशि को माफ कर दिया जाए, या ऋण को दीर्घावधि ऋण के रूप में बदल दिया जाए, तो यह घाटा आज समाप्त हो सकता है और कम्पनी लाभकारी बन सकती है । इसलिए मेरा

कहना यह है कि इस कम्पनी को बन्द न किया जाए । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या बी० आई० एफ० आर० ने यह अनुशंसा की है कि इसको निजी लोगों के हाथों में न दिया जाए और यदि दिया भी जाए तो किसी “भेल”, “सेल” या “पालघाट” जैसी कम्पनियों को दिया जाए क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है । यदि इसे किसी निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है । मंत्री महोदया इस बारे में विस्तार से बताएं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया है कि हमने अभी तक फाइनल डिंसीजन नहीं लिया है ।

[अनुवाद]

श्री बी० एस० विजयराघवन : महोदय, पालघाट में स्थित इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड प्रारम्भ से ही लाभ अर्जित कर रही है । लेकिन इस समूचे उपक्रम को बी० आई० एफ० आर० को रैफर कर दिया गया है । उससे इस इकाई का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है । इस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पालघाट स्थित इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की इकाई को स्वतंत्र इकाई के रूप में माना जाये अथवा इसे बी० एच० ई० एल० के साथ समायोजित कर दिया जायेगा ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साहू : अध्यक्ष महोदय, पूरी कम्पनी को एक ही इकाई के रूप में रिवाइव करने का प्रयास पहले ही शुरू हो गया है क्योंकि एक्ट के अन्दर प्रावधान है । यह सम्भव नहीं है कि अलग-अलग इकाई को अलग-अलग रिवाइव करने पर विचार किया जाए । बी० आई० एफ० आर० को जो रैफर किया गया है, वह पूरी इकाई को रिवाइव करने के लिए रैफर किया गया है । उसको टुकड़ों में बाँटकर नहीं किया गया है ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : महोदय, मुझे इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के कार्यकरण का अध्ययन करने का एक मौका मिला था । इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड एक ऐसी इकाई है, जिसने इस देश को स्क्रू-ड्राइवर प्रौद्योगिकी से उच्च-तकनीक वाली प्रौद्योगिकी प्रदान की है ।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत ही सीमित है । कृपया घड़ी पर भी ध्यान दीजिए ।

श्री ई० अहमद : इस कम्पनी को बी० एफ० आई० आर० को रैफर करने की बजाय जोकि पहले ही किया जा चुका है—देश के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं इसे एक विशिष्ट महत्व देते हुए इस मामले को विशिष्ट मामले के रूप में क्यों ले रही है । यह कम्पनी राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी । बी० एफ० आई० आर० रुपये पैसे की लाइन पर विचार कर रही है । इसकी बजाय सरकार इसके महत्व एवं राष्ट्रीय हित में इस कम्पनी द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस इकाई को पुनर्जीवित करने हेतु विशेष निधि प्रदान करने की कोशिश क्यों नहीं करती ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साहू : अध्यक्ष महोदय, फाइनेशियल रिपेक्सपेक्टिंग या पैसे देने से इसमें परिवर्तन हो जाये, ऐसी बात नहीं है । इसको हम लोग हर तरह

से लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखते। मैं पहले भी कहा था कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर इसको किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का दर्जा बढ़ाना

*784: श्री प्रेम चंद राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनिटों में प्रतिदिन आने वाले लाभग्राहियों की संख्या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के पूर्ण औषधालयों में आने वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1995 से 31 मार्च, 1995 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय/यूनिट में आने वाले लाभग्राहियों की दैनिक औसत संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दिल्ली स्थित उन यूनिटों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जिनमें प्रतिदिन/प्रति मास आने वाले लाभग्राहियों की संख्या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के पूर्ण औषधालयों में आने वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कुछ आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक एककों के आने वाले रोगियों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) एककों का दर्जा बढ़ाने की बात बजट आवंटन और वर्षानुवर्ष आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर निर्भर है।

विवरण

जनवरी, 1995, फरवरी, 1995 और मार्च, 1995 के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद और होमियोपैथिक औषधालयों/एककों में आने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद एवं होमियोपैथिक औषधालयों/एककों के नाम	जनवरी 1995	फरवरी 1995	मार्च 1995
1	2	3	4	5

1.	आयुर्वेदिक औषधालय			
(क)	किदवई नगर	80	86	105
(ख)	आर० के० पुरम, सैक्टर नं. XII	152	167	185
(ग)	गोल मार्केट	150	165	150
(घ)	नॉर्थ एवेन्यू	72	75	78
(ङ)	देव नगर	242	260	215

1	2	3	4	5
2.	आयुर्वेदिक एकक			
(क)	जंगपुरा	76	86	90
(ख)	मेहरोली बदरपुर रोड	90	119	99
(ग)	गुडगांव	70	75	89
(घ)	नांगल राय	147	190	190
(ङ)	दिल्ली कैट	162	169	170
(च)	किंजवे कैम्प	148	309	396
(ज)	लक्ष्मी नगर	144	151	128
(त)	पश्चिम विहार	146	147	125
3.	होमियोपैथिक औषधालय			
(क)	देव नगर	128	161	142
(ख)	गोल मार्केट	119	129	134
(ग)	आर० के० पुरम	336	387	289
4.	होमियोपैथिक एकक			
(क)	दरियागंज	43	46	47
(ख)	राजौरी गार्डन	110	120	137
(ग)	शाहदरा	170	150	160
(घ)	कस्तूरबा नगर	69	79	83
(ङ)	तिलक नगर	96	127	125
(स)	कलकत्ताजी	161	166	187
(छ)	तिमारपुर	70	60	60
(ज)	साउथ एवेन्यू	44	51	47
(झ)	आर०के० पुरम VI (से० न० III)	158	191	179
(य)	पुष्प विहार	99	119	109
5.	यूनानी औषधालय			
(क)	सरोजनी नगर	224	203	237
6.	यूनानी एकक			
(क)	दरियागंज	76	67	66
(ख)	नारायणा	48	71	68
(ग)	साउथ एवेन्यू	78	99	78

औद्योगिक रुग्णता

* 785. श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद विदेशी कम्पनियों ने कितने रुग्ण उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिया है;

(ग) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितने रुग्ण उद्योग हैं; और

(घ) उनको अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)
में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1992 मार्च, 1993 के अन्त में लघु तथा गैर-लघु क्षेत्रों में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या इस प्रकार है :—

अवधि	रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या	रुग्ण गैर-लघु उद्योग एककों की संख्या	योग
मार्च 1992	245575	1536	247111
मार्च 1993	238176	2867	240043

विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिग्रहीत रुग्ण उद्योगों से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) देश में मार्च, 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार लघु तथा गैर-लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या राज्य-वार कुल संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(घ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए कई उपाय किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान लघु और अलघु रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का राज्यवार वर्गीकरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संख्या	लघु क्षेत्र की इकाइयों की संख्या	अलघु क्षेत्र की इकाइयों की संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आसाम	5640	11	5651
2.	मेघालय	143	1	144
3.	मिजोरम	218	...	218
4.	बिहार	15493	51	15544
5.	अरुणाचल प्रदेश	178	...	178
6.	पश्चिम बंगाल	32122	229	32351
7.	नागालैण्ड	1081	1	1082
8.	मणिपुर	2315	...	2315
9.	उड़ीसा	13930	39	13969
10.	सिक्किम	75	1	76
11.	त्रिपुरा	691	1	692
12.	अण्डमान निकोबार	23	...	23
13.	उत्तर प्रदेश	33722	144	33866
14.	दिल्ली	5610	19	5629
15.	पंजाब	6363	36	6399
16.	हरियाणा	4563	62	4625
17.	चण्डीगढ़	321	12	333
18.	जम्मू-कश्मीर	644	3	647
19.	हिमाचल प्रदेश	1480	25	1505

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	16075	70	16145
21.	गुजरात	6758	182	6940
22.	महाराष्ट्र	20863	367	21230
23.	दमन एवं दीव	23	1	24
24.	गोवा	1182	5	1187
25.	दादरा एवं नागर हवेली	10	4	14
26.	मध्य प्रदेश	9077	81	9158
27.	आन्ध्र प्रदेश	20294	198	20492
28.	कर्नाटक	17989	111	18100
29.	तमिलनाडु	8570	145	8715
30.	केरल	12513	61	12574
31.	पाण्डिचेरी	211	6	217
कुल		238176	1867	240043

विवरण-II

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- सरकार ने एक व्यापक विधान अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 बनाया है। अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक संस्था, जिसका नाम है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) का गठन किया है ताकि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके। इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।
- समय पर प्रारंभ में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिये उपचारात्मक कदम उठाये जाने हेतु और बैंकों के निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।
- रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सम्भावित जीवनक्षम इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए पुनर्वास पैकेजों को बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिये हैं।
- रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंकों को दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें उनसे कहा गया है कि दर्शाये गए मानदण्डों के तहत बिना रिजर्व बैंक आफ इंडिया को प्रेषित करते हुए बड़े और लघु क्षेत्र की रुग्ण सम्भावित जीवनक्षम इकाइयों को सहायता और रियायतें दी जा सकती हैं।
- रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ विलय करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू किया जा सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत स्वस्थ कम्पनी में विलय की गई रुग्ण इकाई को पुनः चालू करने हेतु कर में छूट दी जाती है।
- सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि का गठन किया है ताकि औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान किया जा सके।
- भारत सरकार की सलाह पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी राज्यों में रुग्ण जीवनक्षम (लघु) इकाइयों को पुनः चालू करने के लिये पुनर्वास

पैकेज बनाने हेतु संबद्ध राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की अंतर-संस्थागत समितियाँ (एस० एल० आई० आई० सी०) गठित की हैं ।

8. अगस्त, 1987 में गठित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से सम्पादित जीवनक्षम लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रति वर्ष 1 प्रतिशत के सांकेतिक सेवा शुल्क के आधार पर 10 लाख रुपये वाली परियोजनागत लागत की इकाइयों द्वारा 2.5 लाख रुपये तक दीर्घकालिक इक्विटी श्रेणी की सहायता वित्तीय सहायता के रूप में ली जा सकती है ।
9. लघु और बहुत छोटे उद्योगों के लिये अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का गठन किया गया है । सम्पादित जीवनक्षम लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु सिडबी एक पृथक पुनर्वित्त योजना (आर० एस० आर०) चला रहा है ।

[हिन्दी]

नई औद्योगिक नीति

*786. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के असहयोग के कारण सरकार की नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में बाधित प्रगति नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) जी, नहीं । नयी औद्योगिक नीति के बाद घरेलू तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों में पूंजी निवेश के प्रस्तावों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

[अनुवाद]

अन्यता नियंत्रण

*787. श्री सी० पी० मुडला गिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से मोतियाबिन्द अन्यता नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत इनमें से प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन राज्यों में अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना

1.4.1994 से 7 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही है ।

परियोजना राज्यों में किये गए मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य	उपलब्धियाँ (अनन्तिम)
आन्ध्र प्रदेश	181375
मध्य प्रदेश	160243
महाराष्ट्र	257381
उड़ीसा	40059
राजस्थान	90680
तमिलनाडु	251791
उत्तर प्रदेश	295878
कुल	1277407

वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन राज्यों में 23.58 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं ।

चेचक

*788. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) भारत को अंतर्राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन मूल्यांकन आयोग द्वारा अप्रैल, 1977 में चेचक मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया था । यह स्थिति बरकरार है ।

[हिन्दी]

पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

*789. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अभी भी पिक्चर ट्यूबों के निर्माण में आत्म-निर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएँ देश के किन-किन क्षेत्रों में शुरू की गई हैं अथवा निकट भविष्य में शुरू की जाएँगी;

(घ) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ङ) इसमें किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारत श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, किन्तु रंगीन पिक्चर ट्यूबों के मामले में इस समय मांग और पूर्ति के बीच लगभग 15 से 20 प्रतिशत का अंतराल है ।

(ख) जी नहीं । किन्तु निजी क्षेत्र की कई इकाइयाँ इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता तैयार कर रही हैं ।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]**समेकित औद्योगिक संरचना विकास योजना**

*790. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग एककों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु समेकित औद्योगिक संरचना विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के विकास हेतु चुने गये राज्यों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सिविकम को जो अभी तक औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इस तरह के विकास हेतु चुना गया है;

(घ) यदि हां, तो यहां यह केन्द्र किस क्षेत्र अथवा स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी हां । सरकार ने देश में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए लगभग 50 एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि लघु उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें । इस योजना के अधीन सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मात्र और जीव्यक्षम प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा । निम्नलिखित राज्यों में से प्रत्येक में अब तक एक परियोजना को मंजूरी दी गई है :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा

4. जम्मू और कश्मीर
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव
13. संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली

एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास योजना लघु और अत्यन्त छोटे उद्योगों के लिए है । ऐसे प्रत्येक केन्द्र की परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 2 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार अनुदान से और 3 करोड़ रुपये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किये जायेंगे । कार्यान्वयन अधिकरण अपने संसाधनों में से निवेश करने अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण के स्थान पर अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र है । प्रत्येक एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास परियोजना 15 से 20 हैक्टर क्षेत्र में स्थापित की जायेगी । यह केन्द्र उन जिलों के अलावा अन्य जिलों में स्थापित किए जायेंगे जहां विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं । मंजूर परियोजनाओं, स्थापना स्थल, जारी राशि इत्यादि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई हैं । यह राज्य/संघ शासित सरकार का दायित्व है कि वह मूल्यांकन के लिए मात्र और जीव्यक्षम प्रस्तावों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को प्रस्तुत करें । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मूल्यांकन के पश्चात परियोजनाओं की मंजूरी के लिए इस योजना के अधीन गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तावों की सिफारिश करेगा । सिविकम सरकार ने अब तब एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/जिला	स्थापना स्थल (जिला)	क्रियान्वयन अधिकरण	परियोजना मूल्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मूल्यांकित	वित्त के साधन			टिप्पणी	ऋण का विकल्प भा. ल. उ.वि. बैंक/अन्य साधन	भारत सरकार द्वारा 1994-1995 में जारी की गई राशि
					भारत सरकार का अनुदान	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ऋण	अन्य			
(लाख रुपयों में)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हरियाणा सिरसा	ग्राम खेरपुर, जिला सिरसा	हरियाणा औद्योगिक विकास निगम लि. (ह.औ.वि. नि. लि.)	376	134	200	42	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा की गई सिफरिश और उच्च अधिकार प्राप्त अनुमोदित पहली 25.3.94 (उ०अ०प्र०सं०)	अन्य साधन	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	कर्नाटक (बेलकन्नम)	कलवर्गी जिला बेलगाम	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के०औ०क्षे०वि०बो०)	550	200	300	50	पहली उच्च अधिकार प्राप्त समिति 25.3.94	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	200.00
3.	राजस्थान जोधपुर	ग्राम संगरिया, सलवास रोड, जिला जोधपुर	राजस्थान राज्य विकास तथा निवेश निगम लि० (रा०रा०औ०वि० नि०नि० लि०)	514	197	295	22	पहली उच्च अधिकार समिति 25.3.94	अन्य साधन	98.50
4.	गुजरात जूनागढ़	मियानी जिला जूनागढ़	गुजरात वृद्धि केन्द्र विकास निगम लि., (गु०वे०वि०नि०लि०)	550	185	277	38	पहली उच्च अधिकार प्राप्त समिति 25.3.94	अन्य साधन	92.50
5.	महाराष्ट्र यावतमल	ग्राम घटोदी पूसड, तालुका जिला यावतमल	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (म०औ०वि०नि०)	518	200	300	18	दूसरी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 26.6.94	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	24.50
6.	आन्ध्र प्रदेश उदमलपुरम	ग्राम नानडियाल मंडल जिला करनूल	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक बुनियादी सुविधा निगम लि. (आ०प्र०औ०सु० नि० लि०)	328	131	100	97	दूसरी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 24.6.94	अन्य साधन	65.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर, उधमपुर	बटल-बैलियन जिला उधमपुर	जम्मू और कश्मीर राज्य लघु उद्योग विकास नि० (ज०क०रा० ल०उ०वि०नि०)	500	200	110	190	दूसरी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 24.6.94	अन्य साधन	—
8.	केरल त्रिवेन्द्रम	ग्राम कजाकुट्टम जिला त्रिवेन्द्रम	केरल औद्योगिक विकास निगम लि. (के०आई० एन० एफ० आर० ए०)	502	194	291	17	तीसरी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 24.6.94	अन्य साधन	97.00
9.	पंजाब जिला हेशियारपुर	ग्राम धनचला ऑफ नहान, ब्लाक ढांडा, जिला हेशियारपुर	पी०एस०आई०डी० सी० पंजाब लघु औद्योगिक विकास निगम	305	122	183	—	तीसरी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 23.11.94	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	10.00
10.	तमिलनाडु	ग्राम उरगामवय मदुराई, तमिलनाडु	तमिलनाडु लघु औद्योगिक विकास निगम	500	200	300	—	दूसरी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 23.11.94	—	—
11.	उत्तर प्रदेश बुलन्दशहर	कसना, तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर (उ०प्र०)	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	638.00	200	300	138	पांचवी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 24.3.95	—	—
12.	दमन-दीव के संघ-शासित क्षेत्र	रिंगवाड़ा ग्राम दमन, दमन दीव के संघ शासित क्षेत्र	दमन-दीव और दादरा तथा नागर हवेली का (ओ० आई० जी० सी०) ओमनीबस औद्योगिक विकास	537	200	300	37.00	पांचवी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 24.3.95	—	—
13.	दादरा तथा नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्र	दादरा तथा नागर हवेली का संघ शासित क्षेत्र वेलूगाम	दमन-दीव और दादरा तथा नागर हवेली का (ओ० आई० जी० सी०) ओमनीबस औद्योगिक विकास	537	200	300	37.00	पांचवी उच्च अधिकार प्राप्त समिति 24.3.95	—	—

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा फालतू भूमि की बिक्री

* 791. श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की कार्यचालन पूंजी बढ़ाने के लिए उनकी फालतू भूमि को बेचने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फालतू भूमि को बेच देने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियां अंततः कम हो जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में इस नीति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)
में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) जी नहीं । कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की फालतू भूमि को बेचने के लिए कोई ऐसी विशेष नीति नहीं है । लेकिन जहां पर संसाधन जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा तैयार किए गए पुनरुद्धार प्रस्ताव में फालतू भूमि को बेचने का प्रस्ताव होता है, सरकार द्वारा उस पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

यकृत शोथ वायरस

* 792. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :
प्रो० उम्मारैडिड वेंकटेश्वरलु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पांच प्रतिशत रक्तदाताओं में यकृत-शोथ के वायरस पाये गये हैं;

(ख) देश में कितने अस्पतालों में यकृत-शोथ बी० और सी० के लिए रक्त जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या अस्पतालों में उक्त वायरस के लिए रक्त जांच करने संबंधी पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न ब्लड बैंकों में रक्त स्वीकार करने से पूर्व रक्त जांच की सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा)

(क) दान में दिए गए रक्त की हैपेटाइटिस-“बी” वाइरस संबंधी जांच, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रक्त बैंक में नेमी रूप से की जाती है, से कुल मिलाकर 2 प्रतिशत की पाजिटीविटी का पता चलता है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दान में दिए गए रक्त के लगभग 2200 नमूनों की हैपेटाइटिस के लिए जांच की और लगभग 3.1 प्रतिशत की पाजिटीविटी दर नोट की ।

(ख) से (घ) रक्त से संचारित होने वाले रोगों के लिए रक्त की जांच रक्त बैंकों में की जाती है जिसमें अस्पतालों से जुड़े रक्त बैंक भी शामिल हैं । औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमावली में रक्ताधान से पहले सभी रक्त यूनितों की हैपेटाइटिस “बी” संबंधी अनिवार्य जांच करने का प्रावधान है ।

भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 608 रक्त बैंकों में जांच सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । रक्त बैंकों के लाइसेंस तब तक जारी/नवीकृत नहीं किए जाते जब तक कि अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

* 793. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री रामसिंह कर्त्ता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में पेंशनभोगियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (ग) 60 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के पेंशनरों को बारी से पहले देखने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं । उन्हें, चिरकालिक बीमारियों से ग्रस्त पेंशनरों के मामले में तथा उन मामलों में जहां औषधों को जीवन रक्षक समझा जाता है और ये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई हों, एक महीने से तीन महीने तक की अवधि के लिए भी औषधें दी जाती हैं । आकस्मिक दौरे करते समय ज़ोनल अपर निदेशक और अपर निदेशक (मुख्यालय) भी इन अनुदेशों के कार्यान्वयन की जांच करते हैं ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

* 794. श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मई, 1995 के “टाइम्स आफ इंडिया” में “आई०डी०बी०एस० आइट्स फार एच०ई०सी० एट रांची” शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबंध-मंडल का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने अपने आक्सीजन संयंत्र, रूसी होस्टल तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन संयंत्र के अस्पताल को गैर-सरकारी कंपनियों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)

में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) दिनांक 9.5.95 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच०ई०सी०) की बिक्री अथवा उसके अधिग्रहण अथवा विलय के लिए विज्ञापन दिया है ।

(ग) और (घ) एच०ई०सी० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक के त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप तथा नियमित उत्तराधिकारी की नियुक्ति न हो पाने तक भारत यंत्र निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एच०ई०सी० के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में तथा एच०ई०सी० के निदेशक (विपणन) को इसके कार्यकारी

प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ड) और (च) आक्सीजन संयंत्र को उसके प्रचालन, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के लिए दिनांक 27.8.94 से "कार्य ठेके" पर दे दिया गया है। उत्पादित आक्सीजन का प्रयोग केवल एच०ई०सी० के फाउंड्री फोर्ज प्लांट में किया जाएगा। एच०ई०सी० ने रूसी होस्टल अथवा संयंत्र-अस्पताल को पट्टे पर देने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त पूंजी-निवेश

*795. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त पूंजी निवेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई नये मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को धन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 14.12.1994 को सरकारी उपक्रमों को अतिरिक्त पूंजी के निवेश के बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकारी उपक्रमों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है :-

1. पूंजीनिवेश सिर्फ अधिकतम सुरक्षित निवेश प्रपत्रों में ही किया जाए।
2. पूंजीनिवेश से प्राप्त प्रतिफल अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए।
3. अतिरिक्त पूंजी के निवेश के पूर्व वाणिज्यिक दृष्टि से उसका समुचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अतिरिक्त पूंजी से सम्बन्धित गणना किसी भी समय में न्यूनतम एक वर्ष के लिए की जानी चाहिए।
4. यदि कोई उद्यम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी खास ब्याज-दर पर ऋण ले रहा हो तो उस उद्यम को उक्त ब्याज-दर के तुल्य या उससे कम ब्याज-दर पर निवेश नहीं करना चाहिए।
5. पूंजीनिवेश सम्बन्धी निर्णय ठोस वाणिज्यिक फैसले पर आधारित होना चाहिए। पूंजी की उपलब्धता की गणना कार्यचालन पूंजी, परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन तथा स्पष्ट संभावना वाली अन्य मांगों की जरूरतों पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह अनुमान के आधार पर की जानी चाहिए।
6. यदि निवेश पहले जारी किए जा चुके किसी निवेश प्रपत्र में किया जाना हो तो परिपक्वता की शेष अवधि निवेश की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि निवेश नए जारी किए गए प्रपत्र में किया जाना है तो अंतिम परिपक्वता की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, बैंकों की सावधि जमा योजनाओं के लिए अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है।

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किसी एक से अधिक प्रपत्रों में निवेश किया जा सकता है :-

1. 100 करोड़ रुपये से अधिक की चुकता पूंजी वाले तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता के संबंध में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने

वाले किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भारत में निगमित) की सावधि जमा योजना में। पर्याप्तता सम्बन्धी उपर्युक्त मानदण्ड नवीनतम प्रकाशित तुलन-पत्र से प्रदर्शित होना चाहिए।

2. वे प्रपत्र जो किसी स्थापित ऋण-पात्रता निर्धारण अधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए हों और जो अधिकतम सुरक्षित हों; अर्थात् निसेप प्रमाण-पत्र, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/उधारदाता संस्थाओं एवं उनकी सहायक कंपनियों की जमा योजनाओं अथवा ऐसी ही अन्य योजनाएं, निगमों के वाणिज्यिक पत्रादि।

3. अन्तर्निगम ऋण सिर्फ उन्हीं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को दिया जा सकता है जिन्हें संगत अवधि के लिए किसी ऋण-पात्रता निर्धारण अधिकरण द्वारा योग्यतम ठहराया गया हो।

- (i) कोई ऐसा ऋण प्रपत्र जिसे किसी स्थापित ऋण-पात्रता निर्धारण अधिकरण द्वारा ऋण-पात्रता हेतु योग्यतम समझा गया हो।

अतिरिक्त पूंजी के निवेश से सम्बन्धित निर्णय सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डल करेंगे। बहरहाल, निर्धारित सीमा तक एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार निदेशकों के एक विनिर्दिष्ट समूह को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसमें अनिवार्य रूप से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)/अंतरिक वित्त अध्यक्ष शामिल होने चाहिए। जहां ऐसा प्रत्यायोजन किया जाता है वहां प्रत्यायोजन आदेश में अनुमोदन के स्तर तथा प्रत्येक अधिकारी की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जब उद्यमों में ऐसा प्रत्यायोजन किया जाता है उनमें रिपोर्टिंग की ऐसी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि निदेशक मण्डल की अगली बैठक में सभी मामलों की रिपोर्ट स्वतः प्राप्त हो जाए।

- (ii) सरकारी उद्यमों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूंजीनिवेश सम्बन्धी सभी निर्णय कम्पनी विधि तथा भारत सरकार के अनुदेशों तथा लागू होने वाले अन्य किसी संगत विधियों एवं नियमों के अनुरूप हैं। यदि कोई ऐसा पूंजीनिवेश किया जा चुका हो जो उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है तो उसे परिपक्वता के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्येक सरकारी उद्यम को उपर्युक्त निर्देशों को निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा अतिरिक्त पूंजी के निवेश के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए और कम्पनी को उसका अनुपालन करना चाहिए।

(ग) और (घ) कुछ उद्यमों के लिए निधि जुटाना कठिन हो रहा है। जब कभी ऐसी जरूरतों के सम्बन्ध में सरकार को सूचित किया जाता है तो सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे उपक्रमों को उपचारी उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देता है। बजटीय सहायता चयनात्मक आधार पर उद्यम की आवश्यकता के साथ-साथ निधि की उपलब्धता के अनुसार दी जाती है।

[शिन्दी]

ईट उद्योग

*796. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 95 तक देश में कितने लघु उद्योग ईटों के निर्माण कार्य में लगे हुए थे ;

(ख) क्या ये उद्योग पूर्ण रूप से ग्रामीण और लघु औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों की उपेक्षा कर रही है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन उद्योगों को 31 मार्च, 1995 तक क्या-क्या सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराई गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में ईंटों के निर्माण में लगे उद्योगों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। किन्तु, भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, शहरी विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय ईंट और टाइल विनिर्माता नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों प्रकार के लगभग साठ हजार लघु एकक हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा ईंट-भट्टा उद्योग को लघु उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है और यह उद्योग लघु क्षेत्र को उपलब्ध सभी सुविधाओं, प्रोत्साहनों और सहायता पाने का पात्र है।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए इन उद्योगों की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) लघु उद्योग सम्बन्धी नीति के अनुसार यह उद्योग लघु उद्योग सेवा संस्थान राज्य उद्योग निदेशालय जैसे केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिकरणों के जरिये और केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय भवन संगठन, राष्ट्रीय सीमेन्ट और भवन-निर्माण सामग्री परिषद तथा भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (शहरी विकास मंत्रालय) जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के जरिए तकनीकी सहायता, ईंट निर्माण प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए जागरूकता पैदा करने, उत्पादकता, ईंधन बचाने और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में सुधार करने के क्षेत्र में उद्यमियों को अनुसंधान और विकास संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के क्षेत्र में सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा, ईंट उत्पादन प्रौद्योगिकियों इत्यादि संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग मजदूर उद्योग के लाभ के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के जरिए किया जा रहा है। अब तक हाई क्लिन, फ्लाई एश ब्रिक्स, क्ले फ्लाई एश ब्रिक्स इत्यादि का प्रयोग करके अर्द्ध-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ईंटों के निर्माण के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर लगातार उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। यह उद्योग अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित कम लागत की मशीनरी को अपना कर भी लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग 4% व्याज की दर पर ऋण देकर और 4% से ज्यादा बैंक ब्याज पर राज सहायता देकर ईंट-भट्टा एककों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दे रहा है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाएं

*797. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थानवार कुल कितनी प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय (सकल)
1992-93	793
1993-94	1049
1994-95	1257*

*संशोधित विनियोजन

विवरण

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की स्थान-वार संख्या इस प्रकार है :—

स्थान	प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की सं०
आगरा	01
अहमद नगर	01
बालासोर	02
बैंगलूर	10
बम्बई	01
चंडीगढ़	01
कोचीन	01
देहरादून	02
दिल्ली	11
ग्वालियर	01
हल्द्वानी	01
हैदराबाद	05
जोधपुर	01
कानपुर	01
लेह	01
मद्रास	01
मनाली	01
मसूरी	01
मैसूर	01
पुणे	04
तेजपुर	01
विशाखापत्तनम	01
योग :	50

1. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्य

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला/स्थापना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही है जो इस प्रकार है :—

शस्त्रास्त्र : लघु शस्त्र, गन, गोलाबारूद और विस्फोटक।

युद्धक वाहन : मुख्य युद्धक टैंक और उससे संबंधित उप प्रणालियां, विशिष्ट वाहन।

इलेक्ट्रॉनिकी और यंत्रीकरण : इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रणालियां, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति प्रणालियां।

इंजीनियरी प्रणालियां : सैन्य पुल निर्माण और सम्बद्ध प्रणालियां।

राकेट व प्रक्षेपास्त्र सामग्री : निर्देशित प्रक्षेपास्त्र और सम्बद्ध भू-उपस्कर।
उन्नत किस्म का सम्मिश्रण/सामग्री।

नौसैन्य प्रणालियां : सोनार/सोनोबॉय, अंतरजलीय शस्त्र प्रणाली।

उन्नत अभिकलन प्रणाली : समानान्तर अभिकलन प्रणाली, राबोटिकी, सैन्य व्यूह-रचना।

आहार तथा उच्चतुंगता क्षेत्रों में कृषि-कार्य : खाने के लिए तैयार संसाधित आहार, उच्चतुंगता-क्षेत्रों में कृषि-कार्य।

जैव-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान : नाभिकीय औषधि, मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शरीर क्रियात्मक अध्ययन।

2. पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं द्वारा सफलतापूर्वक विकसित प्रणालियां जिन्हें उत्पादन के पश्चात सेनाओं को सौंपा गया

5.56 मि० मी० राइफल, अति-निम्न आवृत्ति रिसीवर, प्रोग्रामेबल डीप मोबाइल टारगेट, 81 मि० मी० प्रकाशीय गोलाबारूद मार्क 2, एकीकृत प्रेषण उपस्कर, ध्वनिक लक्ष्य, ड्रिल एवं अभ्यास टारपीडो, बुलेट रोधी वाहन, गुब्बारा बराज प्रणाली।

(ख) सफलता पूर्वक विकसित प्रणालियां जिन्हें सेनाओं द्वारा प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद स्वीकृत किया गया

सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र “पृथ्वी”, मुख्य युद्धक टैंक “अर्जुन”, 5.56 मि० मी० हल्की मशीन गन (एल एम जी) पल्स कम्प्रेसन राडार “इन्द्र” मैनुअली लांच असाल्ट ब्रिज, रैपिड इन्टरवेंशन व्हीकल रेडियो लोकल सिस्टम, रेडियो ट्रंक सिस्टम, सिंहिका (सोनोबाय प्रोसेसर) समुद्री बारूदी सुरंग, ज्वलनशील कार्मिकरोधी बारूदी सुरंग, बंद विस्फोटक उपकरण, चालकरहित लक्ष्यभेदी वायुयान, कदाचित रोगी वाहन, कैरियर मोटार ट्रैक्टर, आधुनिकीकृत टैंक टी-55 के लिए स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर।

(ग) मूल्यांकन के उन्नत चरण वाली प्रणालियां

आकाश—सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम रेंज का प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल—सतह से हवा में मार करने वाला छोटी रेंज का प्रक्षेपास्त्र, नाग—तीसरी पीढ़ी का टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र, 5.56 मिमी० कारबाइन, बहुनाल राकेट प्रणाली—“पिनाक”, दूर नियंत्रित वाहन-प्लात्कन, उन्नत सोनार एवं सामरिक

शस्त्र नियंत्रण प्रणाली (पंचेंद्रिय) सेतुबंध टैंक-कार्तिक, हल युक्त सोनार (हुम्सा), गुप्त टेलीफोन प्रणाली (सेकटेल), आर्टिलरी युद्ध कमान नियंत्रण प्रणाली, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, संसाधक आधारित जमीनी बारूदी सुरंग।

3. उक्त के अलावा निम्नलिखित उपलब्धियां भी प्राप्त की गई हैं :—

- प्रौद्योगिकी प्रदर्शक “अग्नि” परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

- समानान्तर संसाधक उन्नत संगणन प्रणाली पेस-प्लस का विकास करके उसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

- समुद्री ध्वनिक अनुसंधान पोत, सागर ध्वनि का जलावतरण किया गया है।

- हल्के युद्धक वायुयान का पूर्ण स्केल इंजीनियरी विकास के माध्यम से विकास किया जा रहा है और वह अगस्त 1995 में प्रथम वायुयान के सेल आउट के लिए तैयार हो रहा है।

- हल्के युद्धक वायुयान के लिए कोर इंजन कबीनी का विकास किया गया है और परीक्षण-स्थल पर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

4. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई कई तरह की प्रणालियों का उत्पादन शुरू कर दिया गया है और उन्हें प्रयोक्ता सेनाओं को सौंप दिया गया है। इस प्रकार के अब तक के उत्पादन का संवयी मूल्य छह हजार करोड़ रुपये से भी अधिक आंका गया है।

[अनुवाद]

एच० एम० टी० द्वारा परिसम्पत्ति का विक्रय

*798. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० अनिष्पादनकारी परिसम्पत्ति का विक्रय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस एकक की किसी परिसंपत्ति के विक्रय की अनुमति दी है ;

(ग) निष्पादनकारी और अनिष्पादनकारी परिसम्पत्ति की पहचान करने हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस संबंध में मजदूरों को वरीयता दी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी औपचारिकताएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) एच० एम० टी० ने संसाधन एकत्र करने के लिए संयुक्त विकास, पट्टा, विक्रय आदि हेतु कतिपय सम्पत्तियों की पहचान की है।

(ख) एच० एम० टी० ने ऐसे प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए अपने निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। किसी भी प्रस्ताव के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) इस विषय पर कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है।

(घ) और (ङ) यह प्रस्ताव खुली पेशकशों पर आधारित होगा। कर्मचारी, सहकारी संस्थाएं आदि अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पक्षियों के विमान से टकराने के बारे में अनुसंधान-कार्य

* 799. श्री जगतबीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षियों के विमान से टकराने के कारण होने वाली क्षति को कम करने हेतु कोई अनुसंधान-कार्य शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुसंधान कार्य शुरू करने वाली एजेंसी/व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) इस अनुसंधान-कार्य के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस अनुसंधान-कार्य के परिणामों को किस सीमा तक लागू किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विमान को पक्षियों से होने वाले खतरों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए पक्षिविज्ञानी स्वर्गीय डॉ० सलीम अली के नेतृत्व में बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भारतीय वायुसेना के चुनिंदा विमान क्षेत्रों में पारिस्थितिक अध्ययन किया था ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) भारतीय वायुसेना ने अपने विमान क्षेत्रों में पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने की प्रक्रिया पूरी कर ली है । तथापि इन योजनाओं की लागत में स्थानीय निकायों द्वारा अपना हिस्सा न दिये जाने के कारण अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है ।

विवरण

बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने विमान क्षेत्रों के बाहर निम्नलिखित उपाय किए जाने की सिफारिश की थी

1. विमान क्षेत्रों के बाहर पहुंच क्षेत्रों की सफाई ।
2. कूड़ा-कचरा जलाने वाली आधुनिक भट्टियों का निर्माण ।
3. आधुनिक बूचडखानों का निर्माण ।
4. शव संसाधन के आधुनिक केन्द्रों का निर्माण ।
5. विमान क्षेत्रों के आस-पास खुले पड़े हुए कचरे के ढेरों को हटाना ।
6. खुली नालियों को ढकना ।
7. ढके हुए मत्स्य तथा मांस बाजारों की स्थापना ।
8. कचरे के ढके हुए स्थलों का निर्माण ।

सीमेंट संयंत्र का गैर-सरकारीकरण

*800. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय और राज्य सरकारी क्षेत्र के कुछ सीमेंट संयंत्रों को बेचने का या उनका गैर-सरकारीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की स्वीकृति मिल गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे एककों के कर्मचारियों को खपाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी

क्षेत्र के किसी भी सीमेंट संयंत्र की बिक्री करने या उसका निजीकरण करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है । चूंकि सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लगातार भारी घाटा उठा रहा है, इसलिए सरकार ने अनेक उपचारात्मक उपायों पर विचार किया है । अलग-अलग एककों की बिक्री करने की व्यवहार्यता एक ऐसा कदम रहा है जिस पर सरकार ने विचार किया है ।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों में केन्द्रीय व्यापार संघ के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता । इस चरण पर ऐसे एककों के कर्मचारियों के विलयन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत विरोधी गतिविधियां

7961. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह जानती है कि हुरियत नेता भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का विचार है ।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग) सरकार ऐसे व्यक्तियों की हरकतों पर नजर रख रही है और जरूरी होने पर यथावश्यक और यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।

संसद विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय

7962. श्री शिव शरण वर्मा :

श्री परस राम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद विहार आवासीय परिसर, पारिजात एपार्टमेंट, विद्या विहार और इस क्षेत्र की निकटवर्ती अन्य कॉलोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने हेतु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) क्या इस संबंध में इस क्षेत्र के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ग) क्या रानी बाग और रोहिणी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय हैं जो इतनी अधिक दूर हैं कि केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व कर्मचारी वहां नहीं पहुंच सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या संसद विहार/पारिजात एपार्टमेंट में सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरी खोलने का सरकार का कोई विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) यहां सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी कब तक शुरू कर दी जाएगी ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या इस क्षेत्र में कोई मोबाइल सी०जी०एच०एस० वैन उपलब्ध कराई जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्ष 1992 से इस संबंध में कोई अन्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) से (ड) रानी बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय तीन कि०मी० की परिधि के भीतर आने वाले आवासीय क्षेत्रों को कवर करता है जिससे संसद विहार/पारिजात अपार्टमेंट्स के निवासी भी शामिल हैं। रोहिणी के सेक्टर एक से लेकर बारह में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को कवर करने के लिए रोहिणी में एक औषधालय भी खोला गया है। संसद विहार/पारिजात अपार्टमेंट्स में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गर्भनिरोधक औषधी

7963. श्री जगतवीर सिंह द्रोण: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अमरीकी फर्म ने एक गर्भ निरोधक औषधि—डिओप-प्रोवेरा, विकसित की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस औषधि का देश में विक्रय शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके दुष्प्रभाव से संबंधित पक्षों पर भी विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां। एक अमेरिकन फर्म ने जन्म-नियंत्रण की एक औषधि, डिपों-प्रोवेरा, इंजेक्टेबल गर्भ-निरोधक विकसित की है।

(ख) इस औषध पर सृजित निरापदता तथा प्रभावकारिता के अनुकूल आकड़ों के आधार पर तथा विशेषज्ञों तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिश के आधार पर नुस्खे के अन्तर्गत इस औषध का निजी विपणन के, लिए अनुमोदन केवल इस शर्त पर किया गया कि इसकी विपणनोत्तर निगरानी की जाएगी।

(ग) और (घ) मुख सेव्य गर्भ-निरोधकों की भांति इस औषध के भी गौण प्रभाव, विशेष रूप से मासिक धर्म में गड़बड़ी, हो सकते हैं।

(ङ) औषध लेने से पहले उपयोगकर्ता को इसके सम्भावित गौण प्रभावों के बारे में बता दिया जाता है। पैकेट के अन्दर रखी परची में भी गौण प्रभाव तथा सावधानी दी जाती है।

अलझीमर पीड़ित रोगी

7964. श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलझीमर पीड़ित पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं ;

(ख) ऐसे लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या इस समय उन्हें विकलांग व्यक्तियों का कोई लाभ मिल रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उनको ऐसे लाभ प्रदान करने संबंधी मामले पर विचार किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) अलझीमर रोग से ग्रस्त व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा में कवर नहीं होते इसीलिए उन्हें कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के लाभों के लिए इस श्रेणी के व्यक्तियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

अलझीमर रोग

अलझीमर रोग बार-बार होने तथा अपनी विध्वंसक प्रकृति के कारण सभी अपकर्षक रोगों में सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों में मनाप्रश्न का यह आम कारण है। कृद्धावस्था स्पष्ट तौर पर एक पूर्व प्रवृत्त पहलू है तथा कृद्धावस्था में स्वयं ही प्रमत्तिष्क प्रान्तस्था में हानि होती है लेकिन अलझीमर रोग को अनिवार्य रूप से कृद्धावस्था का संगतकार मानना गलत होगा।

नैदानिक अभिव्यक्ति

शुरू में प्रच्छन्नता और सूक्ष्मता जिसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जाते हैं, वे हैं हाल ही की घटनाओं की याददाश्त तथा दूसरे मानसिक क्रियाकलाप के अन्य पहलू। भावात्मक उत्तेजना जैसे अबदात्र, उत्सुकता, अथवा विलक्षण, अप्रत्याशित व्यवहार-वैचित्र्य जैसी बातें आरम्भावस्था में हो सकती हैं। इसका प्रभाव सामान्यतया धीमा तथा धीरे-धीरे होता है तथा जब तक दूसरी चिकित्सा स्थिति बीच में नहीं दी जाती, यह दस या इससे अधिक वर्षों तक चल सकता है।

प्रेसीनिल ग्रुप में विशेष तौर पर विचार तथा वृद्धि में अप्रत्याशित विकार आना जिसमें वाचाघात, चेष्टा अक्षमता संबंधी व्यवधान तथा स्थान संबंधी बोध में असामान्यता जैसी बातें देखी जा सकती हैं। अपवाद स्वरूप तथा रोग के अग्रिम चरण में ही एक्स्ट्रापाइरेमिडल लक्षण दिखाई देते हैं, रोगी पैर घसीट कर छोटे-छोटे कदम भर कर चलता है तथा जोड़ों में एठन तथा रोगी की सभी गतिविधियां धीमी तथा कष्टकर होती हैं।

विकृति विज्ञान

सबसे उत्कृष्ट विकृति विज्ञान विशेषता है मौत तथा सेरीब्रल कार्टेक्स में नर्व सेल समाप्त हो जाना। इससे अन्ततः विशेषतौर पर कनपटी के आगे तथा मध्य भाग में अत्यधिक मरोड़ आते हैं। इस रोग के विशेष तौर पर दो प्रकार के माइक्रोस्कोपिक लेसनस होते हैं। पहले को अलझीमर कहते हैं जिसमें लूप, कोआयल अथवा टेंग्ल्ड मास के रूप में सन्तुलित सामग्री की तंत्रिकाकोशिका में इन्ट्रासाइटोप्लास्मिक संचयन हो जाता है जिसे अब अलझीमर कहा जाता है जो अधिकतर दिमाग के उन भागों को प्रभावित करता है जिनका संबंध याददाश्त से होता है।

दूसरे उतक विकृति संबंधी परिवर्तन जो अलझीमर रोग के लक्षण दर्शाते हैं, क्लस्टर्ड थिक्कन नेयूरोनल प्रोसेसिज, दोनों एक्सॉस और डेंड्राइट्स, की इन्ट्रकोर्टिकल फोसि की उपस्थिति हैं, जो सामान्यतः अनियमित रिंग, जो एनिलोइड फिब्रिल्स जिन्हें पहले सिनाइल प्लेक्स कहा जाता था, अब उनका नाम बदलकर युराइटिक प्लेक्स रख दिया गया है, केसुअल्ली स्फीरिकल डिपोजिट को घेरे रहती है, के रूप में होती है।

आधुनिक उपकरण

7965. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लेजर के माध्यम से मोतियाबिन्द का आपरेशन करने

के लिए आधुनिक उपकरण कुछेक गिने-चुने अस्पतालों में हैं ;

(ख) क्या इस उपकरण के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये की लागत आयेगी, यदि हां, तो राज्य के किन अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है ;

(ग) अस्पतालों को ऐसे अद्यतन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) लेजर के माध्यम से मोतियाबिन्द का आपरेशन करने की कोई प्रमाणित विधि नहीं है ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

7966. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में कम संबंधित यूरेनियम का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी तकनीकी संभाव्यता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम संबंधित यूरेनियम का प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में आयात किया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इसका कितनी मात्रा में आयात किया जा चुका है ;

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में लगे रिएक्टरों का मूल रूप से डिजायन औसतन 2.4% की समृद्धता (अधिकतम 2.66% समृद्धता) वाले कम समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करने के लिए बनाया गया है ।

(ग) आयात किए जाने वाले समृद्ध यूरेनियम की मात्रा के बारे में सूचना देना गण्य-हित में नहीं है ।

शिशु मृत्यु दर

7967 **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1995 को एक से पांच वर्ष आयु वर्ग के अनुमानतः कितने बच्चों का टीकाकरण किया गया ;

(ख) राज्यवार शिशु मृत्यु संबंधी वर्तमान दर कितनी है ; और

(ग) सभी जगह टीकाकरण करने और सभी राज्यों में शिशु मृत्यु दर को कम करके केवल जैसे प्रमुख राज्य में प्राप्त न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) पिछले चार वर्षों के लिए (0-5 आयु के बच्चों के रोग प्रतिरक्षण

के कवरेज स्तर संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं ।

(ख) वर्ष 1993 के लिए बड़े राज्यों को तथा 1990-92 की अवधि के लिए छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं ।

(ग) रोग प्रतिरक्षण सेवाओं को पहले से ही व्यापक बनाया गया है । शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार ने मुख सेव्य पुनर्जलपूरण, चिकित्सा, श्वसन संक्रमणों का नियंत्रण (न्यूमोनिया), विटामिन-ए की कमी तथा पौषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोगनिरोधन, नवजात शिशु की आवश्यक परिचर्या, स्तनपान को प्रोत्साहन, मातृपरिचर्या को सद्दृढ़ करने, दाईयों के प्रशिक्षण, आयोडीन न्यूनता नियंत्रण, एकीकृत बाल विकास योजना आदि जैसे विभिन्न अन्य कार्यक्रमों/कार्यकलापों को तेज किया है ।

विवरण-I

1991-92 से 1994-95 के दौरान टीकाकरण का कवरेज स्तर (वार्षिक लक्ष्यों का प्रतिशत)

वर्ष	लक्ष्य(लाख में)	डीपीटी	ओपीवी	बीसीजी	खसरा
1991-92	233.34	90.84	91.22	92.93	85.07
1992-93	242.90	90.93	91.04	96.54	85.82
1993-94	247.90	93.10	93.57	96.95	88.51
1994-95*	247.65	88.69	89.11	93.80	81.03

*अंतिम

विवरण -II

शिशु मृत्यु दर : भारत और प्रमुख राज्य (1993)

(स्रोत : नमूना पंजीकरण योजना)

भारत	74*
प्रमुख राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	64
2. असम	81
3. बिहार	70
4. गुजरात	58
5. हरियाणा	66
6. कर्नाटक	67
7. केरल	13
8. मध्य प्रदेश	106
9. महाराष्ट्र	50
10. उड़ीसा	110
11. पंजाब	55
12. राजस्थान	82
13. तमिलनाडु	56
14. उत्तर प्रदेश	94
15. पश्चिम बंगाल	58

* जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ।

शिशु मृत्यु-दर (1990-92) छोटे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र तीन वर्षों के चल-औसत पर आधारित**
(स्रोत - नमूना पंजीकरण योजना)

भारत	80
छोटे राज्य	
1. अरुणाचल प्रदेश	64
2. गोवा	20
3. हिमाचल प्रदेश	70
4. जम्मू और कश्मीर	69**
5. मणिपुर	24
6. मेघालय	58
7. नागालैण्ड	10
8. सिक्किम	46
9. त्रिपुरा	51
संघ राज्य क्षेत्र :	
1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33
2. चण्डीगढ़	16
3. दादरा एवं नगर हवेली	68
4. दमन और दीव	57
5. दिल्ली	44
6. लक्षद्वीप	36
7. पाण्डिचेरी	30

*** अनन्तिम

* 10 मिलियन से कम जनसंख्या वाले राज्य

** 1988-90 की अवधि से संबंधित ।

[हिन्दी]

विधि मंत्रियों और विधि सचिवों की बैठक

7968. श्री एन० जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाण्डिचेरी में राज्यों के विधि मंत्रियों और सचिवों के कार्यकारी दल की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द-निपटान हेतु की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज):(क) जी हां ।

(ख) और (ग) कार्य समूह द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है । 4 दिसंबर, 1993 को नई दिल्ली में हुई मुख्य मंत्रियों और

मुख्य न्यायमूर्तियों की बैठक में इस समूह की सिफारिशों पर विचार किया गया था । उपरोक्त बैठक में अंगीकृत संकल्प की प्रतियां सभी संबंधित प्राधिकरणों को उसमें उल्लिखित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित कर्वाई आरंभ करने के लिए भेज दी गई हैं ।

विवरण

पाण्डिचेरी की बैठक में विधि मंत्रियों के कार्य समूह द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

- भारतीय विधिज्ञ परिषद को स्वयं विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों के साथ परामर्श करके बार के कुछ सदस्यों के पास कार्य के असाधारण संकेन्द्रण की समस्या का समाधान करना चाहिए ;
- न्यायालयों को ऐसी धारणा बनने देने से बचना चाहिए कि किसी मामले का विनिश्चय उसमें किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता की उपसंज्ञाति पर निर्भर करता है ;
- मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक ऐसी कन्वेंशन निर्धारित करने के लिए विचार किया जा सकता है जो आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए स्थगन आदेश दिए जाने को निरुत्साहित करे और स्थगन आदेश दिए जाने के लिए कारण अभिलिखित करने की अपेक्षा करें ;
- मौखिक बहस के लिए, काउन्सेल से परामर्श करके समय-सीमा नियत की जानी चाहिए । पक्षकारों को मौखिक बहस प्रारंभ होने के पहले निर्भर की जाने वाली निर्णय विधि सहित, बहस का संक्षिप्त टिप्पण प्रस्तुत करना चाहिए ;
- मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह साधारण नियम के रूप में लंबे और विस्तृत निर्णय लिखने से बचने की आवश्यकता पर विचार करें ;
- आरक्षित निर्णय, युक्तियुक्त समय के भीतर दिए जाने चाहिए ;
- सभी न्यायालयों को पुराने मामलों की सूची तैयार करने पर विचार करना चाहिए और उनके शीघ्र निपटारे की व्यवस्था करनी चाहिए ;
- मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तुरंत ध्यान आकृषित करने वाले मामलों के संबंध में पूर्ववक्ता से विचार करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए विचार किया जा सकता है ;
- न्यायालयों को फोटो कॉपी मशीनों, वर्ड प्रोसेसरों और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जैसे आधुनिक उपस्कारों से सज्जित करना ;
- डॉडिक मामलों में कानूनी नियमों या इस संबंध में अन्य उपबंधों के समुचित उपांतरण द्वारा मुद्रित पेपर बुक/ अभिलेख के स्थान पर टंकित या चक्रमुद्रित पेपर बुक का उपबंध करना ;
- सभी न्यायालयों में मामलों को समूहबद्ध और वर्गीकृत करना जिससे अनेक मामलों को एक साथ निपटारा जा सके ; और
- वकीलों की हडताल के कारणों का पता लगाने और न्यायालयों के अविवेकपूर्ण बन्द होने को रोकने के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए समुचित स्तर पर न्यायाधीशों और वकीलों की एक समिति का गठन ।

छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना

7969. श्री संतोश कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय /केन्द्रीय न्यायाधिकरण द्वारा छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1994 की सिविल अपील सं० 731-69 में जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश के छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों के अन्तर्लपन अथवा नियमितीकरण के प्रश्न के संबंध में दिनांक 24.2.1995 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निदेश दिया है :—

- (i) यह कि छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों की जनगणना विभाग में नियमितीकरण की कोई योजना बनाने अथवा सरकार के किसी अन्य विभाग में उनके अन्तर्लपन का निर्देश देना संभव नहीं है ।
- (ii) यह कि जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश को उन प्रतिवादियों की जनगणना कार्य निदेशालय में होने वाली किसी स्थायी तथा सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकने वाली रिक्ति पर नियुक्ति के संबंध में विचार करना चाहिए जिन्होंने 1981 तथा/अथवा 1991 के जनगणना कार्य में अस्थायी तौर पर कार्य किया था तथा जिनकी बाद में छंटनी कर दी गई थी, यदि ऐसे उम्मीदवार भर्ती नियमों तथा/ अथवा इस संबंध में अन्य विभागीय विनियमों/परिपत्रों के अनुसार इन पदों के लिए अन्यथा अर्हक एवं पात्र हों ।
- (iii) यह कि जनगणना कार्य निदेशालय में ऐसे कर्मचारियों की अस्थायी सेवा की अवधि पर, आयु सीमा में ढील देने के लिए यदि कोई हो, विचार किया जाए तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उपयुक्त नियम बनाए जाएं तथा शर्तें निर्धारित की जाएं।
- (iv) तथापि, छंटनी किए गए कर्मचारियों को विचारण का अधिकार तभी प्राप्त होगा यदि वे संदर्भाधीन पदों के संबंध में भर्ती नियमों तथा/अथवा उससे संबंधित अन्य विभागीय विनियमों / परिपत्रों के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करते हों ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निदेश जनगणना-कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा कर्मचारी चयन आयोग को कार्यान्वयन के लिए भेज दिए गए हैं ।

[अनुवाद]

मानसून का पूर्वानुमान

7970. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस वर्ष मानसून के शुरू होने के संबंध में विशेषरूप से तटीय क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल के लिए कोई पूर्वानुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं । भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) विभिन्न राज्यों में मानसून के आगमन का दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी नहीं करता

है । इस दीर्घावधि पूर्वानुमान के अंतर्गत केरल में मानसून का आगमन भी शामिल है जो कि भारत की मुख्य भूमि पर मानसून से प्रभावित होने वाला पहला राज्य है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

द्राईसेम

7971. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान द्राईसेम योजना के अंतर्गत कुल कितने युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है ;

(ख) इनमें से कितने युवा स्वरोजगार की स्थापना करने में सफल हुए और ऐसे कितने युवक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण तो लिया है किन्तु स्वरोजगार की स्थापना नहीं कर सके ;

(ग) क्या द्राईसेम योजना का मूल्यांकन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके उपयोग से संबंधित क्या निष्कर्ष निकले हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) 1994-95 के दौरान द्राईसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं की संख्या 2,62,648 (अनंतिम) है ।

(ख) स्वरोजगार पाने वाले युवाओं की संख्या 80,152 (अनंतिम) है । प्रशिक्षण प्राप्त युवा जो अपना स्वरोजगार स्थापित करने में असफल रहे किन्तु उन्हें मजदूरी पर रोजगार मिला उनकी संख्या 42215 (अनंतिम) है ।

(ग) जी हां । द्राईसेम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभाव का जायजा लेने के लिए जून से अगस्त 1993 के दौरान 10 राज्यों में द्राईसेम का त्वरित मूल्यांकन कराया गया ।

(घ) “द्राईसेम का त्वरित मूल्यांकन” के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

- (1) नमूने के तौर पर कवर किए गए कुल लाभार्थियों में से 96 प्रतिशत के लगभग 18-35 वर्ष के निर्धारित आयु वर्ग के एवं केवल 2 प्रतिशत 18 वर्ष से कम तथा 1 प्रतिशत 35 वर्ष से अधिक आयु के थे ।
- (2) कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी क्रमशः 39.51 प्रतिशत तथा 12.89 पाई गयी जोकि मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के मानदंड से अधिक है ।
- (3) द्राईसेम प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप मोटे तौर पर 91.93 प्रतिशत लाभार्थियों ने व्यवसायिक / तकनीकी ज्ञान हासिल किया ।
- (4) प्रशिक्षण के पश्चात लाभार्थियों द्वारा अपनाये गये उद्यमों के प्रकार में से यह पाया गया कि बहुसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों जिनका प्रतिशत 62 प्रतिशत हैं ने द्वितीय क्षेत्र में स्वरोजगार को अपनाया 33 प्रतिशत ने तृतीय क्षेत्र तथा बाकी 5 प्रतिशत ने प्राथमिक क्षेत्र को चुना ।
- (5) प्रशिक्षण के पश्चात स्वरोजगार अपनाने के परिणाम स्वरूप मोटे तौर पर 73.38 प्रतिशत लाभार्थियों की मासिक औसत आय 1000/- रुपये तक थी ।
- (6) स्वरोजगार गतिविधियों के परिणामस्वरूप लाभार्थियों के काफी अधिक प्रतिशत अर्थात् 91 प्रतिशत की वास्तविक औसत मासिक 500/- रुपये तक थी ।

- (7) अधिकतर लाभार्थियों अर्थात् 92.19 प्रतिशत के स्वरोजगार की गतिविधियां काफी पास अर्थात् उनके निवास से 2 किलोमीटर की दूरी तक थीं। इसका मुख्य कारण यह था कि उनमें से लगभग 89.25 प्रतिशत के पास आने-जाने का साधन नहीं था।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन

7972. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30-3-95 के “फायनेशियल एक्सप्रेस” में नो सैलरीज फार एच०ई०सी० स्टाफ, लासेज रीच रुपीज 100 क्रोर” शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसमें की गई टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) एच.ई.सी. को अर्थक्षम बनाने हेतु भविष्य की क्या कार्य योजना है;

(घ) क्या सरकार की योजना एच.ई.सी. तथा लम्बे समय से रुग्ण सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का गैर-सरकारीकरण करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) कामगारों को अप्रैल 1995 तक तथा कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों को मार्च 1995 तक के वेतन व मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने कम्पनी के पुनरुद्धार के लिए एक “टर्न अराउण्ड” योजना तैयार की है जिसकी जांच एक विशेषज्ञ द्वारा की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) सरकार से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन अथवा भारी उद्योग विभाग के प्रशासनाधीन अन्य सरकारी उद्यमों में से किसी का भी निजीकरण करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

रूमेटि हृदय रोग

7973. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्कूलों के 60 प्रतिशत बच्चे गले के संक्रमण रोग से पीड़ित हैं जो घातक अथवा स्थायी रूप से पंगु करने वाले हृदय रोगों में विकसित हो सकते हैं ;

(ख) क्या स्पेक्ट्रांकल संक्रमणों का इलाज किए जाने के परिणामस्वरूप अनेक बच्चे पहले ही रूमेटि हृदय रोग से पीड़ित हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस भयानक रोग से मुकाबला करने के लिए कुछ प्रभावशाली और सक्रिय उपाय किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के

अनुसार ग्रुप ‘ए’ केटा हैमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोक्स (जी०ए०बी०एवं०एस०) के सभी वाहक आमवात बुखार अथवा आमवात हृदय रोग का कारण नहीं होते। उपचार न किए गए स्ट्रेप्टोकाकसी गले के संक्रमण से केवल 0.3 प्रतिशत लोगों में ही तीव्र आमवात बुखार होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) और (घ) स्ट्रेप्टोकाकसी सोर श्रोत का उपचार पेनिसिलिन से आसानी से किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मार्च 1994 में (आर०एफ०/आर०एच०डी० के नियंत्रण के संबंध में प्रौद्योगिकी) हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के चिकित्सा कालेजों के प्रतिनिधियों को नियंत्रण कार्यक्रम के लाभों की जानकारी दी गई थी। कार्यक्रम में भाग लेने वालों को प्रशिक्षण मैन्युअल वितरित किए गए ताकि वे अपने चिकित्सा कालेजों में जाकर इस कार्यक्रम की जानकारी दे सकें और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला स्तर पर नियंत्रण उपाय विकसित तथा कार्यान्वित कर सकें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

7974. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं ; और

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र में किन-किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) चालू योजनावधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु बनाये गये कार्यक्रम इस प्रकार है :

- (1) लोगों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ;
- (2) सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ;
- (3) टैक्नोलाजी मिशन ;
- (4) उद्योग में अनुसंधान एवं विकास ;
- (5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा ;
- (6) आधारभूत अनुसंधान एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा ;
- (7) विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों पर बल तथा प्राथमिकता ;
- (8) विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति विकास तथा रोजगार ;
- (9) वैज्ञानिक सोच, विज्ञान संचार का प्रसार ;
- (10) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग; और
- (11) राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का विकास।

(ख) महाराष्ट्र में इन कार्यक्रमों के तहत जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किये जाने की सम्भावना है, वे हैं : चिकित्सा/स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि उद्योग तथा परिवहन।

मतदाता पहचान पत्र

7975. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पश्चिम 24 परगना के न्युमुरे द्वीप जिला कर्चबिहार

की भारतीय बस्तियों की मतदाता सूची पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर कितने मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो किन-किन परिस्थितिवश इन भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी ?

ओरल वैक्सीन

7976. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका में वैज्ञानिकों ने गम्भीर अतिसार से सुरक्षा के लिए कोई ओरल वैक्सीन तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में लोगों की इस गम्भीर बीमारी जिससे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है से सुरक्षा के लिए यह वैक्सीन प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचित किया गया है कि रटाबायरस के कारण हुए अतिसार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वैक्सीन (टेराक्लेन्ट रेसस/हयुमेन रेटाबायरस वैक्सीन) विकसित की गई है। यह वैक्सीन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में 1997 से उपलब्ध होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन विकासशील देशों के लिए इस वैक्सीन के लाभों का नियंत्रण करने के लिए केनेजुयेल में एक अध्ययन चल रहा है। यह अध्ययन 1995 के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा।

दो ओरल कोलरा वैक्सीनों को यूरोप में लाइसेंस दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जन स्वास्थ्य के उपयोग के लिए इनमें से किसी भी वैक्सीन की अभी तक सिफारिश नहीं की है।

नर्सिंग स्कूल

7977. **श्री पी० कुमारसामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में नर्सिंग स्कूल कहां-कहां पर हैं ;

(ख) इन स्कूलों में वार्षिक आधार पर कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य में नर्सिंग स्कूलों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) तमिलनाडु में स्थापित उपचर्या स्कूलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान 328 छात्र उत्तीर्ण हुए।

(ग) तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में उपचर्या स्कूलों का स्थान

1. कोयम्बटूर मेडिकल कालेज एंव हॉस्पिटल कोयम्बटूर।
2. चर्च आफ साऊथ इंडिया हास्पिटल, पो० नं०-4, एरोड-638001, परियार डिस्ट्रिक्ट।
3. सेल्वेशन आर्मी कैथेरियन बूथ हास्पिटल, नगरकोइल, कन्याकुमारी-1
4. गवर्नमेंट स्टेन्ली हास्पिटल, ओल्ड जेल रोड, मद्रास।
5. गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, मद्रास।
6. गवर्नमेंट राजा सर रामास्वामी मुदालियारिंग हास्पिटल, सेनेट्री रोड, मद्रास-600013.
7. सी० एस० आई० रेनी हास्पिटल, रोयापुरम, जी० ए० रोड, मद्रास।
8. गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल, मदुरै।
9. दी क्रिस्टियन मिशन हॉस्पिटल, मदुरै, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, डिंडिगुल।
10. सेंट जोसेफ, हॉस्पिटल, पी० एस०-2 डिंडिगुल, मदुरै।
11. सी.एस.आई. हॉस्पिटल नैपूर-262802, कन्याकुमारी।
12. स्कडोर मेमोरियल हॉस्पिटल, रानीपेट, नार्थ एरकोट।
13. क्रिस्टियन मेडिकल कालेज हॉस्पिटल, केल्लोर, नार्थ एरकोट।
14. जी० कुप्पुस्वामी नायडू मेमोरियल हॉस्पिटल, कोयम्बटूर।
15. गवर्नमेंट राजा मिरासदार हॉस्पिटल, तंजावुर।
16. टैली० स्कूल आफ नर्सिंग स्वीडिश मिशन हॉस्पिटल तिरुपुतूर, पी० एस० डिस्ट्रिक्ट।
17. गवर्नमेंट मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज हॉस्पिटल, सलेम।
18. तंजावुर मेडिकल कालेज हॉस्पिटल, तंजावुर।
19. चाइल्ड जीसस हॉस्पिटल तिरुचिरापल्ली, केन्टबेमेंट-6200053 तिरुचिरापल्ली।
20. सेंट एन्स स्कूल आफ नर्सिंग सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, टूटीकोरिन।
21. क्रिस्टियन फैलोशिप हास्पिटल, ओडनचैतरम 624619।
22. सेंट आइसाबेल हॉस्पिटल, 18 ऑलिवर रोड, माइलापुर, मद्रास 600004।
23. सी० एस० आई० कल्याणी जनरल हॉस्पिटल न. 15, डा० राधाकृष्णन सेलाई माइलापुर, मद्रास 600004।
24. अपोलो हॉस्पिटल, मद्रास।
25. देक्की हॉस्पिटल, मद्रास।
26. तिरुनेलवेल्ली मेडिकल कालेज हास्पिटल, तिरुनेलवेल्ली-11.
27. के० जी० हास्पिटल, कोयम्बटूर।
28. सी० एस० आई० मिशन हॉस्पिटल, वोरैयर, त्रिचि।
29. जी० विश्वनाथन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, त्रिची।
30. अल्ट्रा ट्रस्ट सेक्रेड हार्ट हास्पिटल, मदुरै।
31. राजापलायम नर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, राजापलायम।
32. श्री गोकुलम हॉस्पिटल, सलेम।

33. श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, पोरूर, मद्रास ।
34. वी०एस० एजुकेशनल ट्रस्ट, एस०के०एस० हॉस्पिटल, सलेम ।
35. कन्याकुमारी मेडिकल मिशन एण्ड हॉस्पिटल, कन्याकुमारी ।
36. सेंट थेरेसा आफ चाइल्ड जीसस स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेंट थामस माउंट, मद्रास ।
37. यू०सी०ए० मेडिकल एण्ड एजुकेशनल, ट्रस्ट, मद्रास ।
38. शोभा इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, पल्लीपलायम, एरोड ।
39. सेंट मेरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, टेंकासी ।

आई० सी० एम० आर० एकक

7978. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में आई०सी०एम०आर० का एक एकक स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक अनुसंधान अधिकरण है जो स्वास्थ्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्तर्भित्तिक तथा बाह्यभित्तिक अनुसंधान करता है। इसके 26 संस्थान देश के विभिन्न भागों में जब कभी आवश्यकता होती है, क्षेत्रों का निरीक्षण/ निगरानी आदि करते हैं। इस समय केरल में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित अनुसंधान केन्द्र/इकाइयां हैं :

1. मानव पुनर्जनन अनुसंधान केन्द्र मेडिकल कालेज, तिरुवनंतपुरम
2. राष्ट्रीय पोषण प्रबोधन ब्यूरो, राज्य पोषण ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम
3. अस्पताल बेस कैंसर रजिस्ट्री, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, मेडिकल कालेज, तिरुवनंतपुरम

उपर्युक्त के अतिरिक्त केरल में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अनेक कार्यदल संबंधी परियोजनाएं तदर्थ परियोजनाएं, अध्येयता वृत्तियां चल रही हैं ।

खादी परियोजनाएं

7979. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में खादी परियोजनाओं की पहचान और विकास हेतु कुछ मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से इन परियोजनाओं के वित्त पोषण की प्रणाली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्गनिर्देशों/आवश्यकताओं के अनुरूप सभी राज्य आयोग को अपना सहयोग दे रहे हैं और आयोग की परियोजनाओं हेतु वित्तीय योगदान दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान खादी परियोजनाओं की लागत में अपना योगदान देने में असफल राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजनाओं हेतु वित्तीय योगदान न देने वाले राज्यों को अपने योगदान

का भुगतान करने के लिए मनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है और इनके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी कार्यान्वयनकारी एजेंसियों जैसे कि संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्थाओं अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत समितियों अथवा किसी धर्मार्थ की मदद से खादी कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को प्रमाणीकरण समिति से एक खादी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है जिसमें उन्हें खादी का उत्पादन और/अथवा इसकी बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। के० वी० आई० सी०/राज्य के वी० आई० बोर्ड से सीधे निधियां प्राप्त करने वाली संस्था को के० वी० आई० सी०/राज्य के वी० आई० बोर्ड में स्वयं को पंजीकृत कराना होता है। संस्थाओं को प्रमाणित समिति द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादन तथा लेखा रिकार्ड रखने होते हैं। संस्था को लेखा परीक्षा के समय जांच के लिए सभी प्रकार के रिकार्ड उपलब्ध कराने पड़ते हैं। संस्था को राज्य खादी लागत चार्ट में निर्धारित दर पर कारीगरों को उनके द्वारा किये गए कार्य के लिए भुगतान करना चाहिए।

(ग) से (च) जहां तक सामान्य कार्यक्रमों का सवाल है, इनमें राज्य सरकारों का प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है और इसलिए प्रश्न नहीं उठता है।

स्वास्थ्य का अधिकार

7980. श्री विजय कृष्ण इन्डिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए मौलिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में किए गए अनुवर्ती उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने का दायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार जटिल समस्याओं के समय, राज्य सरकारों के प्रयासों की कमी को पूरा कर रही है।

व्यापक प्रोत्साहक, निरोधक, उपचारी तथा पुनर्वासीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं देश भर में स्थापित उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रही हैं तथा उप प्रभागीय/जिला स्तर के अस्पतालों तथा मेडिकल कालेज/तृतीयक स्तर के अस्पतालों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने कुछ संचारी और गैर-संचारी रोग नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए हैं जो केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के रूप में सारे देश में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली के लिए उपेक्षित चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रयास किए गए हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व पर जोर दिया गया है जिसमें रोग प्रतिरक्षण तथा प्रसव कालीन परिचर्या शामिल है। जैव चिकित्सीय अनुसंधान सुविधाएं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए बढ़ायी गई हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अन्य संबंधित विभागों तथा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र को शामिल करके अन्तर्देशीय समन्वयन के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके लिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होमियोपैथी के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दिल्ली में हुरियत का कार्यालय

7981. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि हुरियत ने कश्मीर समस्या का हल ढूँढ़ने हेतु लोगों से बातचीत करने के लिए दिल्ली में कार्यालय खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल जमात हुरियत कान्फ्रेंस ने अभी तक दिल्ली में अपना कार्यालय नहीं खोला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पत्रकारों पर लाठी चार्ज

7982. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री आर० अन्वारुसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 मार्च, 1995 को श्रीनगर में पत्रकारों पर हुए लाठी चार्ज के संबंध में किसी जांच के आदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जम्मू तथा कश्मीर प्रेस संघ ने इस घटना के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास शिकायत दर्ज कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क), (ख), (ङ) से (छ) : 31.3.1995 को स्थानीय पत्रकारों, जो कि "प्रेस दिवस" मनाने के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे, को सचिवालय के निकट रोका गया जहाँ कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू थी । जब उन्होंने पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा जिससे एक महिला सहित 4-5 प्रेस कर्मियों को हल्की चोटें आईं । समाचार पत्र कर्मिकों ने इस घटना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई और घोषणा की कि जब तक इस घटना में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे सभी सरकारी समारोहों का बहिष्कार करेंगे । राज्य सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए और एक पुलिस उप-निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है । स्थानीय प्रेस ने भी घटना की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के साथ आगे बातचीत की, इस बातचीत के अनुसरण में मामले को आपस में

सुलझा लिया गया और विरोध वापस ले लिया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

[हिन्दी]

भूमि सुधार कानून

7983. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकारों ने अपने-अपने भूमि सुधार कानूनों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधानों को सरल बनाने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों ने अपने-अपने भूमि सुधार कानूनों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधानों को सरल बनाने की अनुमति मांगी है । तथापि, राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई कृषि जोतों की अधिकतम सीमा संबंधी मार्गदर्शिकाओं के आलोक में महाराष्ट्र सरकार को अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की सलाह दी गई है ।

पश्चिम बंगाल के संबंध में, मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

कापार्ट द्वारा सहायता

7984. श्री छीतूभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊनी कालीन बनाने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए गुजरात खेत विकास परिषद को "कापार्ट" द्वारा आवंटित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस राशि के माध्यम से कितने लोगों को ऊनी कालीन बनाने हेतु रोजगार दिया गया और प्रत्येक कारीगर को कितनी दिहाड़ी दी गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) गुजरात खेत विकास परिषद को ऊनी कालीनों के विनिर्माण की परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिए लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	ऊनी कालीनों के विनिर्माण हेतु परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि	अन्य परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि	योग
1992-93	12.23	8.77	21.00
1993-94	15.00	-	15.00
1994-95	27.12	7.93	35.05
योग	54.35	16.70	71.05

गत तीन वर्षों के दौरान ऊनी कालीनों के विनिर्माण हेतु परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 54.35 लाख रुपये की कुल राशि में से 200 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए नासिक में कालीन विनिर्माण हेतु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए 9.79 लाख रुपये की राशि शामिल है। शेष 44.56 लाख रुपये की राशि परिवहन और ढांचा सुविधाओं के सृजन के लिए मार्च, 1989 में 2800 लाभार्थियों के लिए स्वीकृत की गई राशि थी।

कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुसार, लाभार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा दिया जाता है न कि दैनिक मजदूरी। प्रशिक्षण पूरा होने पर लाभार्थियों को समूह आधार पर उत्पादन परिसम्पत्तियां मुहैया कराई जाती हैं और उनसे होने वाली आय को आपस में बांट लेते हैं।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति से पूर्व न्याय

7985. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "जजेजु रशिंग थ्रू वॉर्डेकट्स जस्ट बिफोर रिटायरमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों की जांच की है ;

(ग) सरकार ने किस सीमा तक तथ्यों का सत्यापन किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) न्यायालय नियमों के अधीन, न्यायालयों की न्यायापीठों/न्यायाधीशों द्वारा निर्णय को आरक्षित रखा और उपयुक्त समय पर सुनाया जा सकता है।

(ग) और (घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या के संबंध में कार्रवाई करते समय और इससे यथासंभव शीघ्र निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए 4 दिसंबर, 1993 को हुए मुख्य मंत्रियों के और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन ने सिफारिश की कि आरक्षित निर्णयों को, साधारणतया युक्तियुक्त समय के भीतर दिया जाना चाहिए और सुसंगत नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए कि सभी न्यायालयों में आरक्षित निर्णयों के सुनाए जाने के लिए समय-सीमा नियत है। उक्त सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को पहले ही सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

हुरियत सम्मेलन

7986. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल पार्टी हुरियत कान्फ्रेंस को इस्लामी कान्फ्रेंस के संगठन में पर्यवेक्षक की भूमिका प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुरियत नेताओं ने अरब देशों से धनराशि मांगी है; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) आल पार्टी हुरियत कान्फ्रेंस के नेताओं, मीरवाईज उमर फारूख और मौलाना अब्बास अंसारी ने कासाबलाका में ओ० आई० सी० कान्फ्रेंस में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस कान्फ्रेंस में हुरियत को आबजरबर का दर्जा दिया गया था। सरकार के पास इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं है कि कथित विदेश यात्रा के दौरान, सउदी अरबिया और कुवैत में धन एकत्र किया गया था। तथापि, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ लक्षित गतिविधियों को चलाने के लिए बाहरी व्यक्तियों द्वारा दी गयी वित्तीय और सामग्रीगत सहायता के मामलों पर सतर्कता बरती जा रही है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, बंगलौर के कर्मचारी

7987. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, बंगलौर में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, बंगलौर के कर्मियों तथा उनके परिवारों के चिकित्सीय उपचार के लिये सरकारी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी अस्पतालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों की ओर से बंगलौर में और अधिक गैर-सरकारी अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने की कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बंगलूर स्थित अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में 5621 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकारियों ने सामान्य उपचार, नैदानिक सेवाओं तथा विशिष्ट उपचार के लिए बंगलूर के निजी अस्पतालों से प्रस्ताव मांगा थे। प्राप्त हुए प्रस्तावों की जांच एक विशेषज्ञ दल द्वारा की जाएगी।

विवरण

बंगलूर में सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल

1. बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल
2. विक्टोरिया अस्पताल
3. के० सी० जनरल अस्पताल
4. वाणि विलास अस्पताल
5. एच० एस० आई० एस० गोशा अस्पताल
6. सेंट्रल लेप्रोसोरियम
7. आइसोलेशन अस्पताल
8. मिंटो ऑप्येलमिक अस्पताल
9. एस० डी० एस० सेनेटोरियम

10. जयाचमाराजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन्स
11. लेडी विलिंगडन एंड डिमोन्स्ट्रेशन्स सेंटर
12. सरकारी टी० बी० अस्पताल
13. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस
14. किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ऑनकोलॉजी
15. श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी
16. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज बेंगलूर
17. एम० एस० रमैया मेडिकल टीचिंग अस्पताल ।

स्ट्रक्चरल इंजीनियरी रिसर्च सेंटर

7988. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या “स्ट्रक्चरल इंजीनियरी रिसर्च सेंटर” के वैज्ञानिकों ने निर्माण कार्यों में पारम्परिक सामग्री, जैसे सीमेंट इत्यादि और इमारती लकड़ी के स्थान पर औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा निर्मित वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और इसके लाभ क्या हैं;

(ग) क्या इस सामग्री के उपयोगी होने की संभावना है क्योंकि देश में चालू दशक के दौरान 99 मिलियन रिहयशी एककों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) इन सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु क्या तरीके अपनाए गये हैं;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास के वैज्ञानिकों ने निर्माण क्रियाकलापों के लिए सीमेंट रोड़ी तथा सीमेंट मसाला बनाने हेतु सीमेंट के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में उड़न राख के उपयोग का सुझाव दिया था ।

(ख) और (ग) इस केन्द्र के वैज्ञानिक गोष्ठियों, सभाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा तकनीकी शोधपत्रों के द्वारा उक्त विषयक जागरूकता पैदा कर रहे हैं क्योंकि इससे निर्माण सामग्री की उपलब्धता बढ़ेगी और लागत कम होगी ।

(घ) और (ङ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने संरचना सामग्री के रूप में उड़न राख की उपयोगिता पर एस एंड टी मिशन आरम्भ किया है। आरम्भ में मिशन के अंतर्गत हाइड्रोलिक संरचनाओं में उड़न राख के प्रयोग की परिकल्पना की गई है, परन्तु इससे भवन अवयवों के लिए उड़न राख का प्रयोग सम्मिलित नहीं है। फिर भी, आवास तथा शहरी विकास निगम, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आदि बहुत से संगठन भवन अवयवों के लिए उड़न राख के प्रयोग के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। हाइड्रोलिक संरचनाओं में उड़न राख के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली तथा रुड़की विश्वविद्यालय के सहयोग से सीमेंट के प्रतिस्थापन के रूप में उड़न राख के उच्च स्तर के मिश्रण (60-70 प्रतिशत) का उपयोग करते हुए रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट प्रौद्योगिकी के माध्यम से घाटवर बम्पेड बंडारण योजना के सैडल बांधों का निर्माण कार्य नासिक के निकट शुरू किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम

7989. श्री कुन्जी लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ख) ये उपलब्धियां लक्ष्य के अनुरूप हों इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान खोले गए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है :

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	63
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	332
उपकेन्द्र	205

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर उपलब्धियों का संकलन किया जाता है ।

प्रतिभा पलायन

7990. श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डाक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का बड़ी मात्रा में प्रतिभा पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष विदेश जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) विदेश में काम करने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए और उपरोक्त कथित व्यक्तियों को भारत में रोजगार के अवसर प्रदान के करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर अन्य देशों को चले जाते हैं परन्तु इनकी निश्चित संख्या जान पाना संभव नहीं हो पाया है ।

(घ) पलायन को कम करने एवं विदेशों में बसे वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को भारत वापसी के लिए आकृष्ट करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाये गये हैं । उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- नये वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन ।
- विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थानों में उत्कृष्ट/उन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना ।
- विज्ञान के नये और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित व्यक्ताधिकों के कोर ग्रुपों का सृजन ।

- उद्यमवृत्ति के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण ।
 - एसोसिएटशिप/फलोशिप/पाठक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
 - वैज्ञानिक फूलों की स्कीमों के तहत वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान ।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता करने के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल का प्रख्यात महिलाओं एवं पुरुषों को अल्पावधि टैक्नीकल कार्यों के लिए आमंत्रित करना ।
- प्रवासी भारतीयों को इस देश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने में सहायता पहुंचाने के लिए विशेष पहल ।
 - विदेशों से लौटने वाले व्यवसायिकों के लिए उपस्कर के आयात हेतु सुविधाएं देने का प्रावधान ।

मध्य प्रदेश में लघु विद्युत परियोजना

7991. श्री फूलचंद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रस्तावित लघु विद्युत परियोजना की स्थापना करने हेतु सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रदत्त धनराशि कितनी-कितनी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान 9.4 मेवा समग्र क्षमता की पाँच लघु पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे । इन परियोजनाओं को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत कुल 6.49 करोड़ रुपए की आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई गई है । वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य को 64.9 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है । वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जम्मू और कश्मीर के कर्मचारियों की शिकायतें

7992. प्रो० प्रेम धूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर में प्रवास करने के बाद भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनका आवास किराया भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता और अन्य भत्तों को रोक लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ङ) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के सैंकड़ों मामले काफी लम्बे समय से निपटाने हेतु निलम्बित पड़े हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके निपटान हेतु क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (च) जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रवासी कर्मचारियों

जिनकी सेवाओं का उपयोग जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, वे कोई सरकारी कार्य किए बिना अपना पूरा वेतन ले रहे हैं । ये कर्मचारी अवकाश वेतन के रूप में अपना वेतन ले रहे हैं । प्रवासी कर्मचारी मकान किराया भत्ता/सी० सी० ए० का भुगतान, सर्विस-बुकों को अद्यतन करने, जी० पी० एफ० विवरणों को तैयार करने, पूरी हो गयी बीमा पालिसियों के निपटान, लम्बित पड़े पेंशन के मामलों के निपटान इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं । इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है ।

विदेशी निवेश

7993. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधे विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में देश में विदेशी मुद्रा आने से संबंधित ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अत्यधिक विदेशी निवेश के कारण 'मैक्सिको के संकट' जैसी समस्या पैदा हो जाती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) 1994-95 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्ति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(रुपये करोड़ में)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में प्राप्ति	विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में प्राप्ति (फरवरी, 1995 तक)
4135.26	4806.70

(ख) और (ग) दोनों देशों के वृहद-आर्थिक मूलतत्वों में कई अन्तर हैं । मैक्सिको के सकल घरेलू उत्पाद में कमी का वर्तमान अनुपात लगभग 8% था जबकि 1994-95 में भारत के लिए यह 0.6% था । इसके अतिरिक्त 1993 में मैक्सिको का सकल आरक्षित अनुपात की तुलना में पोर्ट-फोलियो निवेश 100% था जबकि मार्च, 1994 के अन्त में भारत के मामले में यह केवल 18% था । भारत से सम्बन्धित कम अनुपात से यह संकेत मिलता है कि पोर्ट फोलियो निवेश के बाहर जाने की स्थिति में रिजर्व में कोई ऐसी कमी नहीं आयेगी जिससे अर्थव्यवस्था के सामने मैक्सिको जैसा संकट आ जाए ।

किसी भारतीय कम्पनी की प्रदत्त पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अलग-अलग सामूहिक निवेश के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं और ऋण पत्रों में किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक की भागीदारी को भी भारत में इसके कुल निवेश के 30% तक सीमित कर दिया गया है ।

साम्बर साल्ट लिमिटेड

7994. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साम्बर साल्ट लिमिटेड साम्बर नमक क्षेत्र में नमक बनाने वाले प्रबंधन को सही ढंग से नहीं चला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष नमक के उत्पादन में कितनी कमी दर्ज की गई है ;

(ग) क्या उक्त कमी के कारण राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हुई है और नमक आधारित उद्योग का विकास अवरुद्ध हुआ है ;

(घ) क्या नमक के उत्पादन में कमी आने के बाद दीदवामा और पचपटा नमक क्षेत्र को फिर से राजस्थान सरकार को सौंपे जाने के बाद नमक के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार साम्प्र नमक क्षेत्र को राजस्थान सरकार को सौंपने का है; और

(च) कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में साम्प्र साल्ट लिमिटेड द्वारा किया गया नमक-उत्पादन निम्नानुसार रहा :-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1992-93	1.27*
1993-94	1.90
1994-95	1.70 (अनन्तिम)

*नमक उद्योग में मंदी को ध्यान में रखकर उत्पादन सीमित किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नीम/तुलसी को पेटेंट किया जाना

7995. श्री मोहन लाल शिकराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुलसी, नीम और ब्रह्मी को पेटेंट किया गया है;

(ख) किन-किन देशों ने इन्हें पेटेंट किया है;

(ग) क्या सरकार को इन जड़ी-बूटियों और पौधों के गुणवगुणों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो दूसरे देशों को इन्हें पेटेंट कराने की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) तुलसी, नीम तथा ब्रह्मी पादपों को पेटेंट नहीं किया गया है क्योंकि पेटेंट एक्ट, 1970 के अन्तर्गत औषधीय पादप तथा जड़ी-बूटियाँ पेटेंट करने योग्य नहीं हैं ।

(ख) किसी दूसरे देश में इन पादपों के पेटेंट किए जाने के बारे में सरकार के पास कोई अधिकारिक सूचना नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार द्वारा दूसरे देशों को इन जड़ी-बूटियों तथा पादपों को पेटेंट करने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी

7996. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती की सभी पद्धतियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिक्कायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा(भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 4 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती की निम्न पद्धतियों की व्यवस्था है:-

(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(2) राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा;

(3) गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों में से चयन के द्वारा ।

राज्य सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के संबंध में आरक्षण लागू नहीं है । अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की नीति राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति करते समय तथा गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों में से चयन करते समय लागू नहीं है चूँकि ये मामले राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति के मामले हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण केवल भर्ती की पहली पद्धति अर्थात् "प्रतियोगी परीक्षा द्वारा" में ही लागू है । भारतीय प्रशासनिक सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवार आरक्षण का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

एक्यूंपंकर

7997. श्री वी० कृष्णा राव :

श्री सी० पी० मुडला गिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्यूंपंकर थैरेपी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एक्यूंपंकर चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह संगठन चिकित्सा पद्धति के स्कूलों को किसी भी रूप में मान्यता अथवा प्रत्यायन प्रदान नहीं करता ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार ने देश में चिकित्सा पद्धति के रूप में एक्यूंपंकर को मान्यता प्रदान नहीं की है । यह बहुत सी तकनीकों में से एक तकनीक है जिसकी विश्व के विभिन्न भागों में प्रेक्टिस की जा रही है और देश में निजी प्रयासों से विकसित हो रही है ।

नए उद्योगों का पंजीकरण

7998. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए उद्योगों के पंजीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं ;

(ख) जनवरी, 1994 से अप्रैल, 1995 तक उपरोक्त प्रस्तावों में से केन्द्र सरकार के पास पंजीकृत उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो लंबित प्रस्ताव कब तक मंजूर कर दिए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) से (घ) औद्योगिक नीति को जुलाई, 1991 में उदार बनाया गया है। नयी औद्योगिक नीति के तहत, उद्योग पंजीकरण योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है अर्थात् लाइसेंसमुक्त उद्योग पंजीकरण योजना (डी० आई० आर०) छूट प्राप्त उद्योग (ई० आई० आर०) और तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) और वस्त्र आयुक्त का कार्यालय और विकास आयुक्त, लोहा व इस्पात जैसे अन्य तकनीकी प्राधिकरणों में पंजीकरण। उन सभी उद्योगों के लिए जिन्हें पहले पंजीकृत कराना होता था और वे उद्योग जो नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद लाइसेंसमुक्त किये गये हैं, उद्यमी को निर्धारित प्रपत्र में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना होता है। नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से 30 अप्रैल, 1995 तक की अवधि में, आंध्र प्रदेश में नई इकाइयों की स्थापना/नई मद/मौजूदा औद्योगिक इकाई का विस्तार आदि के लिए सरकार के पास 1119 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किये गये हैं जिनमें 28229 करोड़ रु. का प्रस्तावित पूंजी निवेश तथा 213179 व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

मतदाताओं के लिए पहचान पत्र

7999. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री रामपाल सिंह :

श्री प्रमूदयास कठेरिया :

श्री वृजभूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को दिल्ली में पहचान-पत्रों के वितरण में लापरवाही बरते जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) पहचान पत्रों के शीघ्र संतोषजनक वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय ने जानकारी दी है कि दिल्ली के कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं को पहचान-पत्र

वितरित किए जाने का काम चल रहा है। यह कार्य कुल मिलाकर निर्बाध रूप से चल रहा है। पहचान-पत्रों के वितरण का कार्य सरकारी कर्मचारियों, होमगार्डों और एक प्राइवेट अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ होमगार्डों के विरुद्ध पहचान-पत्रों का परिधान सेवकों, अवयस्कों, पड़ोसियों आदि को किए जाने और साथ ही जनता से उनके आचरण की बाबत कुछ शिकायतें मिली थीं। ये शिकायत दिल्ली सरकार के होमगार्ड महानिदेशक को समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों निर्दिष्ट कर दी गई थीं पहचान-पत्रों के वितरण में लगे सभी अभिकरणों/कर्मिकों को मतदाताओं को पहचान-पत्र वितरित किए जाने में अत्यधिक सावधानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

मलेरिया पर नियंत्रण

8000. डा० साक्षी जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों विशेषतः उत्तर प्रदेश को विशेष सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिन्हेरा) :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित, केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 लागत शेयर आधार पर राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 969.46 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान की गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा की गई प्रगति इस प्रकार है :-

वर्ष	जांच की गई कुल रक्त स्लाइडें /किया गया संभावित उपचार (लाखों में)	पता लगाए गए कुल रोगी और किया गया उपचार	कीटनाशी छिड़काव से संरक्षित जनसंख्या (मिलियन में)
1993	86.65	1,14,617	10.10
1994	78.19	94,789	11.55

[अनुवाद]

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

8001. श्री बलराज पासी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अनेक औषधालयों का रख-रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण सुनिश्चित करने

के लिए कोई निगरानी तन्त्र स्थापित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):
(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य; योजना के कुछ औषधालय किराये के निजी भवनों में काम कर रहे हैं तथा उन भवनों का रख-रखाव संबंधित मकान मालिकों द्वारा किया जाता है। सरकारी भवनों के मामले में रख-रखाव कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का उचित रख-रखाव रखा जा रहा है। औषधालयों में सफाई तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना /अपर निदेशक (मुख्यालय) तथा संबंधित अंचलों के आंचलिक अपर निदेशक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक अंचल में सबसे साफ-सुथरे औषधालय को प्रोत्साहन देने की एक योजना प्रारंभ की गई है।

कोडेक्स संबंधी समिति

8002. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कोडेक्स संबंधी राष्ट्रीय समिति के बारे में संप्रेषित किए गए विभिन्न प्रश्नों पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां तो की गई कार्यवाही संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार कोडेक्स मामले पर संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श करने की भी योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :
(क) से (ङ) उपभोक्ता संगठनों को राष्ट्रीय कोडेक्स समिति में पहले से ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है और कोडेक्स दस्तावेज टिप्पणियों के लिए उनके पास भेजे जाते हैं।

उपभोक्ता संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाता है ताकि कोडेक्स सहित खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज

8003. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कोई मेडिकल कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

8004. श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कितने रोगियों की जांच की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रति रोगी औसत से लागत देश के किसी भी सरकारी अस्पताल की लागत सबसे अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :
(क) वर्ष 1993-94 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच किए गए रोगियों की संख्या 15,92,120 थी। इस अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या 71,827 थी।

(ख) धन का बजट आवंटन गैर योजना के अंतर्गत 5040 लाख रुपये तथा योजना के अंतर्गत 3303 लाख रुपये था।

(ग) अन्य सरकारी अस्पतालों के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रति रोगी औसत लागत की तुलना करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योगों के लिए धनराशि

8005. श्री राम टुल्ल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (सधु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में 94-95 के बजट-प्रावर्कलनों सहित 1992-93 और 1993-94 के वास्तविक खर्च के आंकड़े निम्नलिखितनुसार हैं :-

(रुपये लाख में)

केन्द्रीय क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1992-93	वास्तविक व्यय 1993-94	बजट परिव्यय 1994-95
खादी ग्रामीण उद्योग आयोग	193.00	208.00	216.00
ग्रामीण औद्योगिकरण	0.00	100.00	200.00

[अनुवाद]

उपस्करों की सप्ताई

8006. श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित उस्मानिया अस्पताल को अद्यतन उपस्करों की सप्लाई के लिए जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां तो उसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या उक्त समझौते के अनुसार, उपस्करों के रख-रखाव के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा धन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है;

(घ) क्या विश्व बैंक भी वित्तीय स्तर के अस्पतालों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए की सहायता देने को सहमत है; और

(ङ) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (ग) उस्मानिया जनरल अस्पताल को "चिकित्सीय उपकरणों के सुधार" के लिए लगभग 757 मिलियन येन धनराशि को जापान सरकार से प्रस्तावित सहायता अनुदान के लिए 16.3.95 को नई दिल्ली में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अनुदान उस्मानिया जनरल अस्पताल के लिए जापान से केवल उपकरणों के आयात के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

(घ) से (ङ) 159 मिलियन अमरीकी डालर (608 करोड़ रुपये के समतुल्य) की लागत वाली आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना, जो सात वर्ष की अवधि तक चलेगी, का विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। अन्तर-राष्ट्रीय विकास एजेंसी का ऋण 133 मिलियन अमरीकी डालर है। यह ऋण 1.3.95 से लागू हो गया है।

[हिन्दी]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

8007. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजवीर सिंह :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान एक हजार लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने इस संबंध में संयुक्त उद्यम लगाने में रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को डी० ई० पी० ए० रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई;

(च) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में मुख्यतः किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है ?

आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस मंत्रालय द्वारा आठवीं योजना के दौरान निर्धारित किए गए 600 मे०वा० के लक्ष्य को लगभग 1000 लघु पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों द्वारा या निजी क्षेत्र की सहभागिता के द्वारा, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने की संभावना है जो संभाव्यता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने और लघु पन बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों की स्थापना की अवधारणा की जाँच की जा रही है। तथापि यह निवेश पर्यावरण और राज्य सरकारों की समग्र नीतियों पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) जी नहीं, इस मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है और इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द किया जाना

8008. श्री प्रमयेश मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बन्द किए जाने सम्बन्धी औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध गठित विभिन्न कानूनी अदालतों में लंबित मामलों में सरकार को पक्षकार (पार्टी) बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बरतों से चले आ रहे ब्याज तथा दंड प्रभार वाले ऋणों/गैर योजना राजसहायता बढ़ाने के बजाय साम्य पूंजी के पुनर्गठन हेतु कोई कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उद्यमों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ऋण सामान्य शेयर पूंजी अनुपात को 1:1 अनुपात के कृत्रिम प्राचल के भीतर अनुकूलतम स्तर तक रखने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

डिस्पोजेबल सिरिन्ज

8009. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डिस्पोजेबल सिरिन्जों का प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्तमान एडस रोग को देखते हुए डिस्पोजेबल सिरिन्जों का प्रयोग आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) जी, हां।

(ख) डिस्पोजेबल सिरिन्जों और सुइयों का उपयोग बहुत महंगा है और वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक नहीं लगता।

(ग) और (घ) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में उपयोग की जा रही विसंक्रमित शीशे की सिरिन्जों का उपयोग एड्स की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है। के. स. स्वा. योजना में डिस्पोजेबल सिरिन्जों की आपूर्ति करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

घनराशि का दुरुपयोग

8010. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के लिए आवंटित घनराशि के दुरुपयोग तथा घपले के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) राज्य में विकासात्मक गतिविधियों के लिए नियत धन का दुरुपयोग किए जाने के बारे में समय-समय पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। तथापि, तथाकथित रूप से दुरुपयोग किए गए धन के कोई आंकड़े अथवा अनुमान बता पाना संभव अथवा व्यवहार्य नहीं है। जब कभी भी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने सहित, उचित जांच पड़ताल की जाती है। सतर्कता विभाग की गतिविधियों को और सुदृढ़ और सघन बनाने की राज्य सरकार को सलाह भी दी गई है। कार्यों का निकट से मानीटरिंग करके और जवाब देही बढ़ाकर धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सलाह भी दी गई है। राज्य सरकार ने विकास धन की चोरी रोकने के लिए बड़े कार्यों और कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिए जिला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समितियों का गठन करके एक प्रबोधन तंत्र की स्थापना की है। विकास प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए और धन का दुरुपयोग रोकने के लिए निरीक्षण समितियों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार समय-समय पर, यथोचित निर्देश जारी करती है।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

8011. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितनी बड़ी औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई;

(ख) क्या राज्य में कुछ अतिरिक्त इकाईयां स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी बड़ी इकाईयों की स्थापना की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) से (घ) सातवीं और आठवीं योजना अवधि में, राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत आशय पत्र और

औद्योगिक लाइसेंस की संख्या दर्शाने वाला विवरण :

अवधि	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
7वीं योजना (1985-90)	209	45
(1990-91)	101	13
(1991-92)		
8 वीं योजना (1992-97)		
(अप्रैल 1995 तक)		
योग :	310	58

उपर्युक्त के अलावा, राजस्थान में लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए अगस्त, 1991 से अप्रैल, 1995 के दौरान कुल 1121 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन भी प्रस्तुत किये गये हैं।

अपने राज्य में निवेश को आकृष्ट करने के लिए औद्योगिक वातावरण में सुधार करना मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार की एक विकास केन्द्र योजना है जिसके अधीन राजस्थान को पांच केन्द्र आवंटित किये गये हैं। इन केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 31.3.1995 तक 13.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।

नये प्रशिक्षण संस्थान

8012. डा० वसंत पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सशस्त्र बलों के लिये चालू वर्ष के दौरान नये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संस्थानों की स्थापना किन स्थानों पर करने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) सशस्त्र बलों की किन शाखाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एश्रीमाला, केरल में नौसेना अकादमी।

(ग) भारतीय नौसेना की कार्यपालक शाखा के अफसर कैंडेट।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम

8013. श्री अमर पातल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आर्थिक उदारीकरण की नीति के प्रभावी रूप से लागू करने हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में परिवर्तन करने की मांग से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) प्राप्त अनुभव के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक

व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अक्रोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के और सुव्यवस्थीकरण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सुझाव विचाराधीन हैं।

कानूनी सहायता योजना

8014. श्री अंकुशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनहित कानूनी सहायता एवं अनुसन्धान केन्द्र की हाल ही में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनहित कानूनी सहायता अनुसन्धान केन्द्र द्वारा क्या सिफारिशों की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति को किसी ऐसी बैठक की जानकारी नहीं दी गई है जिसका लोकहित विधिक सहायता और अनुसन्धान केन्द्र जो एक गैर-सरकारी संगठन है, द्वारा आयोजित किया जाना तात्पर्यित है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सड़कें

8015. श्री लाईता उम्ने : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सड़कों की संख्या कितनी है और प्रत्येक सड़क की लंबाई कितनी है;

(ख) क्या किसी सड़क के रख-रखाव /उसको चौड़ा किये जाने /उस पर कोलतार बिछाये जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सड़कों पर कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अरुणाचल प्रदेश में पचास सड़कें सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधिकार में हैं। प्रत्येक सड़क की लंबाई संलग्न विवरण के कॉलम 3 में दी गई है।

(ख) से (घ) पहले से पूरी कर ली गई छब्बीस सड़कों का अनुरक्षण वार्षिक अनुरक्षण अनुदान के अंतर्गत किया जा रहा है और अन्य सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है।

विवरण

क्र० सं०	सड़क का नाम	किलोमीटर में लंबाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	बालीपाड़ा-चारद्वार-तंग्ग	317	पूरा कर लिया गया
2.	एन फू-बाना-सेम्पा	99	वही -
3.	ल्यूमला-न्याम्जंगचू	31	वही-
4.	बाम्दीर-ल्यूमला	30	वही-

1	2	3	4
5.	कायचेजी जी-नासर जी जी	10	पूरा कर लिया गया
6.	तक्वा-पांतेंग-टी उस ओ-“वाई” जे एन	34	वही-
7.	चुंग-बीआर-ग्वम	7	वही-
8.	सेला-चबरेला-बी जे गोंपा	18	वही-
9.	लिकाबाली-पुलांग	136	वही-
10.	एलांग-केइंग	45	वही-
11.	एकाजन लिकाबाली	12	वही-
12.	एलांग-इकियोंग	119	वही-
13.	किमिन-जीरो	93	वही-
14.	जीरो-दपोरिजो	162	वही-
15.	दपोरिजो-तलिह	39	वही-
16.	बमे-दपोरिजो	117	वही-
17.	तेनु-हैयुलियांग	105	वही-
18.	हैयुलियांग-चांगकर्विती	51	वही-
19.	खोंस-तिस्सा-पोन्चाऊ	85	वही-
20.	खोंस-लाजी	40	वही-
21.	तिस्सा-वाखा	38	वही-
22.	वाखा-कानू	22	वही-
23.	पांगचाऊ-कुंसा	29	वही-
24.	कुवाई-मणबुम-देबॉन	58	वही-
25.	बांदरडेरा-इटानगर(रा० राजमार्ग-52ए)	31.5	वही-
26.	टी-जंक्शन-देबॉन	47	वही-
27.	खरीमू-गुलाला	41	वही-
28.	तंग्ग-वामींला	34	वही-
29.	जंग-रामपुर-मागो	102	वही-
30.	“वाई” जंक्शन-नेल्या	60	वही-
31.	छोटी दूरी की सड़कें	35	वही-
32.	यटो-मैकुख	50	वही-
33.	मिजिंग-ट्यूटिंग	51	वही-
34.	नच-तम-चुंग चुंग	80	वही-
35.	तक्वा के लिए वैकल्पिक सड़क	180	वही-
36.	सेम्पा-रस-अगाली-यजाली	250	वही-
37.	वेइंग-यटो	97	वही-
38.	डिट्टे-दिमे-मिजिंग	200	वही-
39.	तलिह-नाचो	71	वही-
40.	रंगनाडी के बिजलीघर के लिए पहुंच सड़क (एन ई ई पी सी ओ पी एच)	38	वही-

1	2	3	4
41. रोईग- हुनली	90	पूरा कर लिया गया	
42. हुनली-अनीनी	139	-वही-	
43. चांगकिंती-क्लांग-नम्ती -किबितू	72	-वही-	
44. जोनाई-पासीघाट-निजामघाट-रेंडग-तेजु तोहाणगाम-ब्रह्मकुंड-टी जंक्शन-दीरक (राष्ट्रीय राजमार्ग-52)	337	-वही-	
45. करोटी-गन पाजिशन	4	-वही-	
46. तिलामा-पी टी-1845	8.5	-वही-	
47. वलांग-हैलमेट टाप	12	-वही-	
48. ल्यूम्ल-बी टी के-जिमियांग	50	-वही-	
49. नासर जी जी कि०मी०-22	22	-वही-	
50. कि०मी० 22-लुंगरो जी जी	13	-वही-	

परिवार अदालतें

8016. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में परिवार अदालतों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इन अदालतों की स्थापना का आधार और प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य में कुछ वकील इन अदालतों की स्थापना का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विवाह और कुटुम्ब विषयक विवादों में और उससे संबद्ध मामलों के लिए सुलह को बढ़ावा देने और उनके शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समर्थ बनाने के लिए संघ सरकार ने कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया। गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने जानकारी दी है कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद नगर में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) गुजरात उच्च न्यायालय ने जानकारी दी है कि राज्य कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की बाबत आक्षेप करते हुए उन्हें अब तक कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छावनी बोर्ड

8017. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य तथा उत्तरी कमानों के क्षेत्रधिकार के अंतर्गत छावनी बोर्डों के भूमि-प्रबंधन तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई चूकों के संबंध में विशिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) रक्षा विभाग की भूमि/परिसरों पर अतिक्रमण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। मध्य और उत्तरी कमानों में छावनी बोर्ड प्राधिकारियों की ओर से हुई चूकों का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्षय रोग रोधी दवाएं

8018. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कतिपय क्षयरोग रोधी भेषजों की प्राप्ति के लिए 30 सितम्बर, 1994 को अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त आमंत्रण के प्रत्युत्तर में किन-किन कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या प्रस्ताव भेजने वाली कंपनियों के लिए उत्पादों के 6 नमूने और जमानत राशि भेजना आवश्यक था;

(घ) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों ने अपने प्रस्तावों के साथ उत्पाद नमूने और जमानत राशि जमा नहीं की है;

(ङ) क्या उन्हें क्रयादेश दे दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों को क्रयादेश दिए गए हैं और वे कौन-कौन से भेषज उत्पादों की आपूर्ति करेंगी तथा उनका मूल्य कितना है; और

(छ) उक्त क्रयादेश देने में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सित्तोरा) : (क) जी, हां।

(ख) जिन कम्पनियों ने निविदाएं भरी थीं, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) उन कम्पनियों के नाम, जिन्होंने उत्पादों के नमूने प्रस्तुत नहीं किए :

- (1) स्कैन फार्मा, डेनमार्क
- (2) सी० आई० लैबोरेट्रीज, कलकत्ता
- (3) आई० डी० पी० एल, नई दिल्ली
- (4) लायका लैबोरेट्रीज, बम्बई

घरोहर राशि नहीं जमा की

1. आई० डी० पी० एल, नई दिल्ली

(ङ) जी, हां।

(च) जिन कम्पनियों को क्रय-आदेश दिए गये, उनकी सूची, उनके फार्मेस्यूटिकल उत्पादों और उनके मूल्य संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(छ) उस अनुक्रियाशील निविदा का मानदण्ड विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I**निविदाएं देने वाली कंपनियां**

1. असोज साफ्ट कैस प्रा० लि०, बम्बई
2. स्कैन फार्मा, डेनमार्क
3. डी-फार्मा, नई दिल्ली
4. ग्रेन्यूर फार्मेस्यूटिकल्स
5. फार्मासिया लि०, सिकन्दराबाद
6. सी० एल० लेबोरेट्रीज, कलकत्ता
7. ल्यूपिन लेबोरेट्रीज
8. प्योर फार्मा, प्रा० लि०, इंदौर
9. यूफार्मा लेबोरेट्रीज, बम्बई
10. प्लेथिको फार्मेस्यूटिकल्स, बम्बई
11. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०, नई दिल्ली
12. लायका लेबोरेट्रीज, बम्बई
13. गोआ एंटीबायोटिक्स
14. इंडियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल्स लि०, नई दिल्ली
15. हिन्दुस्तान सीबा गायगी लि०, बम्बई
16. पाम फार्मेस्यूटिकल्स, दिल्ली ।

विवरण-II**सभी मानदण्डों को पूरा करते हुए निम्नतम मूल्य सहित अनुज्ञप्ति प्रस्ताव के ब्यौरे**

अनुसूची	कम्पनी का नाम	आपूर्ति की जाने वाली मात्रा	इकाई मूल्य (भारतीय रुपये में)	मूल्य (भारतीय रुपये में)
1	2	3	4	5
I.	हिन्दुस्तान सीबा गायगी	1201460	7.67	945549.20
II.	— तदेव —	624720	9.40	5872368.00
III.	— तदेव —	309200	15.24	4712208.00
IV.	— तदेव —	249470	5.86	6615944.00
V.	यूफार्मा लेबोरेट्रीज	360620	3.63	1940135.60
VI.	हिन्दुस्तान सीबा गायगी	14040	9.45	176229.00
		21060	1.1.5	
		2160	8.9.5	

विभिन्न अनुसूचियों के तहत औषधियां

1	2	3
अनुसूची - I	ब्लिस्टर	रिफैम्पिसिन
	कोम्बी-पैक कन्टेनिंग	आई एन एच
		इथाम्ब्यूटेल्
		पैराजोइनमिड

1	2	3
अनुसूची -II	ब्लिस्टर कन्टेनर	रिफैम्पिसिन
	कोम्बी-पैक कन्टेनिंग	आई एन एच पैरिडोक्सिन
अनुसूची - III	ब्लिस्टर कन्टेनर	रिफैम्पिसिन, आई० एन०एच०
	कोम्बी-पैक कन्टेनिंग	इथाम्ब्यूटेल्, पैरिडोक्सिन
अनुसूची - IV	ब्लिस्टर कन्टेनर	रिफैम्पिसिन
	कोम्बी-पैक कन्टेनिंग	आई एन एच, पैरिडोक्सिन
अनुसूची - V	लूस पैक्स कन्टेनिंग	स्ट्रेटोमाइसिन
अनुसूची -VI	(i) ब्लिस्टर स्ट्रीप पैक्स कन्टेनिंग	रिफैम्पिसिन
	(ii) ब्लिस्टर स्ट्रीप पैक्स कन्टेनिंग	आई एन एच
	(iii) ब्लिस्टर स्ट्रीप पैक्स कन्टेनिंग	पैराजोइनमिड

विवरण -III**अनुक्रियाशील बोलियों के लिए मानदंड**

- (1) बोली (बिड) के साथ कानूनी रूप से वैध बिड सिक्योरिटी लगी होती है जिसकी अवधि बिडों को खोलने के पश्चात 90 दिनों की बिड की वैधता से आगे 30 दिनों की अवधि बढ़ाने तक होती है । बिड सिक्योरिटी बिना शर्त की होनी चाहिए ।
- (2) बिडर के पास दस्तावेजी साक्ष्य जैसे लाइसेंस और अथवा पिछले आपूर्ति आदेश जो इस बात के पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं कि इस फर्म को औषधों और क्षय रोग रोधी औषधों के निर्माण और विपणन करने में क्रमशः पाँच वर्ष और दो वर्ष का अनुभव है ।
- (3) बिडर ने निर्माता देश के खाद्य और औषध नियंत्रण प्राधिकारी से बेहतर संतोषजनक निर्माण प्रक्रिया संबंधी निरीक्षण प्रमाण-पत्र ले लिया है ।
- (4) जो नमूने भेजे गए थे वे बिड की गई अनुसूचियों के निर्धारित विनिर्देशन के अनुरूप हैं ।
- (5) बिडर परीक्षण तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करें ।
- (6) बिडर के पास आवश्यक निर्माण क्षमता हो तथा उसका पिछला कार्य संतोषजनक हो ।

[बिन्दी]**रबड़ की कीमतें**

8019. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में रबड़ की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ की रियायती दरों पर आपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा रबड़ की जमाखोरी को रोकने और इसकी कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ का औसत मूल्य जो नवम्बर, 1994 में 32.19 रुपये प्रति किलोग्राम था, अप्रैल 1995 के

दौरान धीरे-धीरे बढ़कर 54.41 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया था । प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में भारत में ही वृद्धि नहीं हुई है अपितु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वृद्धि हुई है ।

(ग) से (ड.) सरकार ने देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को दूर करने तथा इसकी कुल उपलब्धता में सुधार करने के लिए वास्तविक प्रयोगकर्ताओं/विनिर्माताओं को शून्य सीमा-शुल्क दर पर 32000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने की पहले ही अनुमति दे दी है ताकि इसकी जमाखोरी और मूल्य में वृद्धि को रोका जा सके।

गुर्दा प्रतिरोपण

8020. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री सैयद शहनुद्दीन:

क्या प्रधान मंत्री 15 मार्च, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गुर्दे के गैर कानूनी प्रतिरोपण के कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) ऐसे कितने मामलों में संबंधित चिकित्सा कर्मियों पर मुकदमा चलाया गया है;

(ग) कितने मामलों में लाभार्थी विदेशी नागरिक हैं;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 लागू है इस संबंध में अपने कानूनों का स्वयं अधिनियम करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है; और

(ड) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय ऐसा कोई कानून लागू नहीं है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में अवैध रूप से गुर्दों के प्रत्यारोपण के बारे में रिपोर्ट छपी है । चूंकि इस प्रकार के मामलों में अवैध प्रत्यारोपण गुप्त रूप से किया जाता है इसीलिए ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या मालूम नहीं है।

(ख) सरकार को बताया गया है कि महाराष्ट्र में सात डाक्टरों तथा दो परा-चिकित्सा कर्मिकों को हिरासत में लिया गया था । कर्नाटक में एक डाक्टर को हिरासत में लिया गया था तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ड) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 गोवा, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 4.2.1995 से लागू हो गया है। राज्य विधान मण्डल द्वारा इस संबंध में एक संकल्प पारित करने के पश्चात कर्नाटक राज्य सरकार ने अब इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया है । आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश संख्या 1995 का 7, के तहत एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है । अन्य सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिनियम को स्वीकार करें तथा केन्द्र सरकार को इसकी सूचना भेजें ।

[अनुवाद]

एच० एम० टी० को हुआ घाटा

8021. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान एच० एम० टी० को अपने लेम्पों के कारोबार के कारण कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या लेम्पों के कारोबार के लिए पर्याप्त जनशक्ति होने के बाद भी एच० एम० टी० लि० इस कारोबार पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाई है;

(ग) यदि हां, तो लाभकारी परिणाम प्राप्त करने हेतु व्यापक जनशक्ति का उपयोग करने के लिए एच० एम० टी० लि० द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान एच० एम० टी० लि० द्वारा लेम्पों के निर्यात से कुल कितनी राशि आंशिकतः की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एच० एम० टी० लिमिटेड को 1994-95 में 72.91 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का निवल घाटा हुआ । किसी विशिष्ट व्यवसाय समूह/एकक के लाभ/हानि के बारे में बताना एच० एम० टी० के व्यवसायिक हित में नहीं होगा ।

(ख) और (ग) लेम्प एकक की विद्यमान जनशक्ति वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत अधिक है जिसके परिणामस्वरूप प्रचालन अलाभकर हो गए हैं । इस इकाई की जनशक्ति कम करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू की गई है । हानियों को कम करने के लिए एच० एम० टी० ने उत्पादकता सुधार अपशिष्ट में कमी और उच्च मूल्य वर्धित मर्दों के उत्पादन हेतु कार्रवाई भी शुरू की है ।

(घ) शून्य ।

[हिन्दी]

नमक का उत्पादन

8022. श्री रतिलाल वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान देश में उत्पादित नमक की राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ख) नमक उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) गुजरात में नमक उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं अथवा प्रदान किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नमक के उत्पादन से संबंधित आंकड़े कैलेंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं । वर्ष 1992 से 1994 नमक के उत्पादन संबंधी राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

(ख) देश नमक के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है । देश में नमक के उत्पादन के लिए किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (1) पैदावार में सुधार के लिए नमक विनिर्माताओं को मुक्त तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ।
- (2) नमक उत्पादन के अधीन अतिरिक्त क्षेत्रों को लाया जाना ।
- (3) निर्यात बढ़ाना ।
- (4) नमक उद्योग के लाभार्थी विकास तथा श्रमिक कल्याण कार्यक्रम आरंभ करना ।

(ग) सरकार ने गुजरात में नमक उद्योग के विकास के लिए उद्यमों पर विचार करने हेतु अलग क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है । बोर्ड की बैठकें हर वर्ष होती हैं और इनकी सिफारिशों पर निम्नलिखित सुविधाओं का सृजन करने के लिए नमक उपकर आय से सहायता दी जाती है ।

1. पेय जल की सुविधाएं ।

2. चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाएं ।
3. श्रमिकों के लिए विश्राम-स्थल क्रेच और शौचालय ।
4. समुदाय केन्द्र तथा मनोरंजन सुविधाएं ।
5. सड़कों, पुलों और सुरक्षात्मक बांधों आदि का निर्माण ।

गुजरात से नमक का निर्यात बढ़ाने के लिए कोंडला में एक उपयुक्त यांत्रिक प्रबंध प्रणाली की स्थापना करने के लिए टाटा कंसलटेंसी लिमिटेड को एक तकनीकी आर्थिक अध्ययन कार्य सौंपा गया है ।

सरकार अतिरिक्त क्षेत्रों को नमक उत्पादन के अधीन लाने के प्रयास कर रही है । नमक उत्पादन के लिए और पट्टे पर देने हेतु संभावित क्षेत्र राज्य सरकार के पास है । नमक विभाग ने गुजरात राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों में 66,725 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में नमक का उत्पादन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है ।

केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन संस्थान, भावनगर इस समय नमक उद्योग की क्षमता का सर्वेक्षण कर रहा है जिसका गुजरात क्षेत्र में विदोहन किया जाना शेष है

विकरण

वर्ष 1992 से 1994 तक राज्य वार नमक उत्पादन
(000 टन)

क्र० सं०	राज्य	नमक उत्पादन		
		1992	1993	1994
1.	राजस्थान	1159.6	1242.6	1096.7
2.	गुजरात	9123.9	9313.7	8681.4
3.	महाराष्ट्र	255.1	252.2	185.8
4.	कर्नाटक	25.7	22.5	21.9
5.	तमिलनाडु	2541.7	2465.6	201.9
6.	पश्चिम बंगाल	4.8	19.0	14.2
7.	उड़ीसा	44.2	53.5	50.6
8.	हिमाचल प्रदेश	3.1	3.1	2.1
9.	आन्ध्र प्रदेश	373.2	337.8	262.0
10.	द्वीव और दमन	21.5	17.9	16.4
11.	गोवा			2.2
योग :		13552.8	13727.8	12344.2

[अनुवाद]

पूर्व सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

8023. श्री जंगवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों की विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन सेवानिवृत्ति के समय उनके पति के रैंक के आधार पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो लांस नायक से सूबेदार मेजर तक रैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन विधवाओं को उनके दिवंगत पति द्वारा

धारित रैंक के आधार पर वर्तमान पूर्व सैनिकों के रैंक के समान पेंशन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (च) परिवार पेंशन की दर का निर्धारण दिवंगत सैनिक द्वारा मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त किए गए अंतिम वेतन के आधार पर किया जाता है । परिवार पेंशन की दर का दिवंगत सैनिक के रैंक से कोई संबंध नहीं है ।

न्यूनतम परिवार पेंशन 375/- रुपए प्रतिमाह है ।

फिजियो-ऑक्जूपेशनल थिरेपी

8024. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के फिजियो-ऑक्जूपेशनल थिरेपी यूनिट बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, नहीं । यूनिट के प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण सफदरजंग अस्पताल के सी० आई० ओ० की फिजियो-ऑक्जूपेशनल थिरेपी सेवाएं 29.4.1995 से 5.5.1995 तक अस्थाई रूप से स्थगित की गई हैं ।

नेशनल गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री

8025. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ट्रांसफार्मर, स्विचगियर्स और मोटर्स आदि बनाने वाला एन० जी० ई० एफ० नामक राज्य सरकार के उपक्रम को भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा अधिग्रहण करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भेल ने एन० जी० ई० एफ० को अपने नियंत्रण में लेने में रुचि दिखाई थी;

(ग) एन० जी० ई० एफ० का अधिग्रहण करने के लिए भेल द्वारा प्रस्तावित शर्तों और कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकार्य शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भेल ने एन० जी० ई० एफ० के अधिग्रहण प्रस्ताव को अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) जून, 1994 में कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से, यह जानने के लिए सम्पर्क किया कि क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) नेशनल गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री को चलाने में सहभागिता की इच्छुक होगी ।

(ख) भेल ने शुरू में, इक्विटी धारिता के द्वारा नियंत्रण अधिकार प्राप्त करने में, इस शर्त के तहत अपनी रुचि दिखाई थी कि निबंधन एक्म शर्तें संतोषजनक ढंग से तय हों और भारत सरकार इसका अनुमोदन कर दे ।

(ग) भेल द्वारा अपने प्रस्ताव की निबंधन एवम् शर्तें बताना, इसके वाणिज्यिक हित में नहीं होगा ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) भेल ने, मामले का गहन विश्लेषण करने के पश्चात् प्राथमिक-आर्थिक महत्व के आधार पर यह निर्णय लिया है ।

सिले-सिलाये बस्त्र उत्पादन केन्द्र

8026. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए कुछ स्वरोजगार वाले केन्द्र खोले जाएं जिनमें महिला; ऋण प्राप्तकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए राजसहायता दी जाए;

(ख) क्या ऐसे उत्पादन केन्द्रों तक पहुंच को सरल बनाने के लिए सिले-सिलाये वस्त्रों के उत्पादन हेतु ऐसे केन्द्रों में एक सौ ऋण प्राप्तकर्ताओं के समूह का चयन आस-पास के गांवों से किया जाना था; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई झरजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अन्तरिक्ष विभाग के लिए धनराशि

8027. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त विभाग को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान अन्तरिक्ष विभाग के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष विभाग के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

1992-93	510.08
1993-94	718.07
1994-95	761.77

(ख) और (ग) विभाग को अभी तक किसी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ा है ।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

8028. डा० मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित

विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीणों को परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991 की जनगणना के अनुसार देश की ग्रामीण आबादी 628.69 मिलियन थी ।

इन केन्द्रों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ संपूर्ण ग्रामीण जनता उठा सकती है ।

रेड क्रॉस के माध्यम से राहत

8029. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल कमिटी आफ द रेड क्रॉस (आई० सी० आर० सी०) ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जम्मू कश्मीर में चरार-ए-शरीफ त्रासदी के पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

8030. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऐम्स), नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच करने हेतु संसद सदस्यों के अनेक अध्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इन अध्यावेदनों में मुख्यतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नर्सिंग स्टाफ की शिकायतों को उठाया गया है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नर्सिंग संघ की अधिकतर मांगें बातचीत के जरिए पहले ही पूरी कर दी गई हैं । सरकार ने इस प्रयोजन के लिए स्थापित तंत्र के माध्यम से विभिन्न संघों और एसोसिएशनों की वास्तविक मांगों की जांच करने के लिए सदा भरपूर प्रयास किए हैं ।

वृद्धावस्था की बीमारियों का उपचार

8031. श्री पी० सी० धामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित पूरी दुनिया में सितम्बर, 1994 को "विश्व अल्जीम दिवस" के रूप में मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृद्धावस्था की बीमारियों और स्मृतिभ्रंश के उपचार हेतु स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) 21 सितम्बर, 1994 सरकारी तौर पर विश्व अल्जीमरस दिवस के रूप में नहीं मनाया गया था ।

(ग) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इस समय देश में जरा चिकित्सा का एक मात्र विभाग मद्रास मेडिकल कालेज में चलाया जा रहा है । स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा हाल ही में मद्रास तथा दिल्ली में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं । इन कार्यशालाओं का एक उद्देश्य स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यचर्चा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना था ।

[हिन्दी]

भारत आर्थैल्मिक ग्लास कंपनी लिमिटेड

8032. श्री एन० जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1993 के “राष्ट्रीय सहारा” के नई दिल्ली संस्करण में “केन्द्रीय सहायता के अभाव में बी० ओ० जी० एल० बन्दी के कगार पर” शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) बी० ओ० जी० एल० को इस संकट से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने भारत आर्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड के प्रचालन तीन वर्षों तक जारी रखने, इसके कार्यनिष्पादन को ध्यानपूर्वक मानीटर करने तथा वर्ष 1996-97 के अंत में भावी कार्रवाई करने का निर्णय लेने के लिए बी० आई० एफ० आर० को प्रस्ताव भेजा है । इसके साथ ही, एक वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव भी किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

8033. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को इन्द्र पुरी, नई दिल्ली से कृषि कुंज स्थानान्तरित करने के अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया है ;

(ख) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को कृषि कुंज, नई दिल्ली स्थानान्तरित करने संबंधी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को कृषि कुंज, नई दिल्ली में स्थानान्तरित करने के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

8034. श्री सन्त कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 100 बिलियन डॉलर के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता का प्रयोग करके अपनी अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकीकरण की ओर पहला कदम बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारत की योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातों का ब्योरा क्या है ;

(ग) भारत ने किन-किन प्रौद्योगिकी विकास-कर्ताओं और कम्पनियों के साथ बातचीत शुरू की है ;

(घ) यह मामला इस समय किस चरण में है; और

(ङ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीओ सिनक्रोनस लांच व्हीकल) के प्रक्षेपण में कितना समय लगेगा तथा इससे उपग्रहों की इन्सैट श्रेणी के विकास में किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। भारत अपनी अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकीकरण का प्रयास कर रहा है ।

(ख) भारत की योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपग्रह क्षमताओं को पेश करना, अपने भारतीय सुदूर स्वदेन (आई० आर० एस०) उपग्रहों से आंकड़ों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन करना तथा वाणिज्यिक आधार पर सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध सेवाओं को प्रदान करना शामिल है ।

(ग) और (घ) आई० आर० एस० आंकड़ों के विपणन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की इयोसेट कम्पनी के साथ करार किया गया है । सम्पूर्ण विश्व में अनेक भू-केन्द्र, आई० आर० एस० उपग्रहों से आंकड़ों के अभिग्रहण के लिए करारों को निष्पादित करने पर सक्रिय रूप में विचार कर रहे हैं ।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-II (इन्सैट-II) श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने के लिए भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) की प्रथम विकासालम्क उड़ान 1997-98 के प्रारंभ के लिए निर्धारित है ।

सुरक्षा बलों को चमड़े की आपूर्ति

8035. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध उपकरण फैक्ट्री द्वारा सशस्त्र बलों को गत तीन वर्षों के दौरान की गई बूटों की आपूर्ति का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस फैक्ट्री में चमड़ा एककों के विकास तथा सुरक्षा संबंधी किसी भी आवश्यकता को पूरा करने हेतु इसे अपने को तैयार रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) निजी क्षेत्र के एककों से सुरक्षा बलों को चमड़े की आपूर्ति में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निर्माणी ने सशस्त्र सेनाओं को 4 लाख जूतों की स्थापित क्षमता के मुकाबले वर्ष 1992-93 में 4 लाख, वर्ष 1993-94 में 4 लाख और वर्ष 1994-95 में 4.35 लाख जूतों की सप्लाई की थी ।

(ख) और (ग) निर्माणी में चमड़ा इकाइयां अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं । सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि सिविल क्षेत्र के उद्योग से आसानी से उपलब्ध होने वाली मदों के लिए आयुध निर्माणियों में अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित की जाएं ।

8036. श्री परस राम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के अन्य प्रमुख देशों द्वारा वैज्ञानिकों को दिए गए प्रोत्साहनों की तुलना में देश में भारतीय वैज्ञानिकों को इस समय किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का भारतीय वैज्ञानिकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) देश में वैज्ञानिकों को कई ऐसे प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जिसकी तुलना दुनिया के प्रमुख देशों में दिये जा रहे प्रोत्साहनों से की जा सकती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : अनुसंधान परिषदों की सहायता से अनुसंधान कार्य करने का अवसर, विज्ञान और इंजीनियरिंग अकादमी की फैलोशिप, विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए विशेष पुरस्कार दिया जाना, भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए फैलोशिप, छुट्टी के समय कार्य का सौंपा जाना, युवा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने की विशेष योजनाएं।

(ख) और (ग) वैज्ञानिकों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन उपायों की लगातार पुनरीक्षा की जाती है।

उन्नत जेटों हेतु प्रशिक्षक

8037. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए उन्नत जेटों हेतु प्रशिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) चुने गए विक्रेताओं के साथ तकनीकी पूछताछ/बातचीत पूरी हो गई है। वाणिज्यिक बातचीत करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

चाकलेटों में निकल

8038. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के खपत के लिए भारत में बनाई गई विभिन्न मज़हूर ब्रांड की चाकलेटों में उच्च स्तर की निकल की मात्रा पाई गई ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ब्रांडों की चाकलेटों का अध्ययन मूल्यांकन क्या है; और

(ग) निकल पदार्थ की अनुमत्य सीमा के भीतर इस उत्पाद को लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) "भारतीय चाँकलेटों में निकल पदार्थों" पर विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार भारतीय चाकलेटों में निकल की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचित मात्रा के समान है।

8039. श्री शिव शरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अपेक्षित औषधियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इन औषधियों की वास्तविक उत्पादन दर क्या है ;

(घ) क्या मानसिक रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इन औषधियों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिल्वेरा) :

(क) क्लोरप्रोमेजाइन, ट्राइफ्लुप्रोजोइन, थायरीडेजाइन, फ्लूपेनेजाइन, प्रोक्लोरोफेजाइन, फ्लूक्वेटिकसोल, पिमोजाइड, हेलेपेरिडोल, क्लोजापाइन, कार्बेमेजेपाइन, लिथियम कार्बोनेट, इमिप्रेमाइन, ट्राइलमिप्रेमाइन, क्लोमिप्रेमाइन, एमिट्राइप्टीलाइन, प्रोट्रिप्टीलाइन, डॉक्सोपाइन, प्रोथियेडेन, फ्लूक्सेटाइन, ट्रेजोडोन, मिथसेराइन, बसपाइरोन, एल्प्रेवोलम, डायजेपाम, लोरजेपाम, नाइट्रेजेपाम और क्लोरिडियाबो पोक्साइड।

(ख) भारत सहित विश्व भर में एक्सियोलोइटिक्स और एंटी-डिप्रेसेंटों का इस्तेमाल बढ़ गया है और यह आधुनिक समाज में रहने के महत्व से संबंधित है।

(ग) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसे मामलों में वृद्धि जनता के बीच मनश्चिकित्सीय समस्याओं की बढ़ती हुई जागरूकता के कारण दर्ज की गई है।

(ङ) देश में इन औषधियों की कोई कमी नहीं है।

सीमा सड़क महानिदेशालय में मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारी

8040. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क महानिदेशालय की विभिन्न परियोजनाओं के मुख्य अभियंताओं के अन्तर्गत सीमा सड़क कार्यबल की विभिन्न इकाइयों के मस्टर रोल पर राज्य-वार और परियोजना-वार कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या उनकी सेवाएं आधे दिनों के लिए समाप्त की जाती हैं ताकि ये श्रमिक छः महीने भी पूरा न कर पायें तदुपरान्त उन्हें उसी जगह के मस्टर रोल में नियुक्ति मिले ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में नियमों के अनुसार उनकी सेवाएं नियमित किए जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीमा सड़क महानिदेशालय में मस्टर रोल पर रखे गए कर्मचारियों का परियोजनावार विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कर्मचारियों की अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	बैकन	5293
2.	केसक	5022
3.	दंतक	7454
4.	दीपक	6602
5.	हिमांक	3483

1	2	3
6.	हीरक	2581
7.	पुष्पक	9402
8.	संपर्क	6689
9.	सेतुक	3298
10.	सेवक	6284
11.	स्वस्तिक	1160
12.	वर्तक	10044
13.	उदयक	7383
14.	यात्रिक	448

इस संबंध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उक्त तालिका में दिए गए आंकड़े 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार हैं।

(ख) और (ग) कार्यभार और कर्मिकों की स्थिति के अनुसार ही कर्मचारियों को अधिक से अधिक छः महीने की अल्प अवधि के लिए मस्टर रोल पर रखा जाता है। कार्यभार कम होने पर इनमें से कुछ कर्मचारियों को हटाना पड़ता है ताकि संबंधित संगठन पर अनावश्यक कर्मचारियों का बोझ न पड़े। जब कभी नए सिरे से कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है उस समय पहले काम कर चुके व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) मस्टर रोल के जो कर्मचारी सीमा सड़क संगठन में पहले काम कर चुके हों और आयु, शैक्षिक अर्हता तथा डाक्टरी मानदंड पूरे करते हों, उन्हें समूह "घ" के दो तिहाई रिक्त पदों में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को श्रेयों का आवंटन

8041. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को श्रेयों के आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से यह प्रस्ताव लागू होगा; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) से (ग) सरकार उन सरकारी क्षेत्र के विनिवेशित उद्यमों के कर्मचारियों को श्रेयों का आवंटन करने का प्रस्ताव रखती है जहां पर श्रेयों की पेशकश पहले नहीं की गई थी। ऐसे पेशकश की रूप रेखा तैयार की जा रही है जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा केन्द्र

8042. श्री पी० कुमारसामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ;

(ख) राज्य में वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां उपरोक्त अवधि के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा केन्द्रों/इकाइयों को स्थापित किया गया है;

(ग) क्या राज्य में ऐसे केन्द्रों/इकाइयों को स्थापित करने हेतु कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ड) उनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु राज्य को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता राशि क्रमशः 949.41 लाख रुपये और 851.35 लाख रुपये है।

(ख) तमिलनाडु में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए अपारंपरिक ऊर्जा के मुख्य केन्द्रों/यूनिटों के स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ड) तमिलनाडु राज्य में ऐसे केन्द्रों/यूनिटों की स्थापना के लिए कोई परिपक्व प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं पड़े हैं।

विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम	केन्द्रों/यूनिटों की संख्या	तमिलनाडु में स्थलों के नाम
1.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा ब्लॉक (आईआरईपी)	18	विभिन्न ब्लॉकों में
2.	क्षेत्रीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र	1	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर
3.	गन्ना खोई आधारित बायोगैस संयंत्र	1	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, मद्रास
4.	लघु पन बिजली	4	अलियार और तिरुमूर्ति कोम्बतूर, मथैरती, नीलगिरि, और पेरुनचनी, कन्याकुमारी
5.	पवन विद्युत	6	मुप्पनडल/पेरानगुडी, कन्याकुमारी, कयातार और देवरकुलम, तिरुनेलवेली, कयानार और तुतीकोरिन, कोयम्बतूर
6.	बायोमास अनुसंधान केन्द्र	1	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई
7.	बायोमास गैसीकरण कार्टवाई अनुसंधान केन्द्र	1	- वही -
8.	सौर तापीय प्रणालियों के लिए क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र सह तकनीकी बैकअप यूनिट	1	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई
9.	खोई सह-उत्पादन परियोजना	1	चेयार कोपरेटिव चीनी मिल, चेयार

नौकरशाही का पुनर्गठन करने संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी

8043. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ लीडरशिप एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 9 मई, 1995 को माउंट आबू (राजस्थान) में "नौकरशाही का पुनर्गठन" संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एण्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सेमिनार में प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों का एक संकलन भेजा है तथा मुक्त नौकरशाही, जिम्मेदार प्रशासन और शिकायतों के उचित निवारण आदि जैसी कुछ उद्देश्यपरक अनुभूतियों पर आधारित नौकरशाही के पुनर्गठन के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं।

(ग) प्रशासनिक सुधार, जिसमें पुनर्गठन भी शामिल है, एक सतत प्रक्रिया है। सेमिनार में व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों को, पुनर्गठन के बारे में विशिष्ट उपायों पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

इंटर सर्विसिज इटेलीजेंस के एजेंट

8044. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू तथा कश्मीर में इंटर सर्विसिज इटेलीजेंस (आई० एस० आई०) के एजेंटों के पास से हथियार पकड़े गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए हथियारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन एजेंटों का विभिन्न मंत्रालयों के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) यह सच है कि आधुनिक हथियारों और गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों को शरणग्राहों की व्यवस्था करके और नियंत्रण रेखा/सीमा पार से अपने नागरिकों सहित आतंकवादियों की मुसपैठ करा कर और राज्य में हिंसा फैलाने और तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए हथियारों की तस्करी और मुसपैठ करा करके पाकिस्तान (आई० एस० आई०) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को सक्रिय रूप से सहायता दे रहा है और उसे भड़का रहा है। वर्ष 1995 के दौरान अब तक आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान बरामद किए गए हथियारों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

विवरण

वर्ष 1995 के दौरान उग्रवादियों से प्राप्त गोलाबारूद और शस्त्रों का विवरण

क्र. सं.	बरामद किए गए हथियार	संख्या
1.	ए के 47/56 राईफल	602
2.	ए के 47/56 मैगजीन	1514
3.	ए के 47/56 गोलाबारूद	100804
4.	पिस्तौल/रिवाल्वर	272
5.	पिस्तौल/रिवाल्वर/मैगजीन	249
6.	पिस्तौल/रिवाल्वर/गोलाबारूद	1994
7.	गोले/हथगोले	596
8.	यू० एम० जी०	17

क्र. सं.	बरामद किए गए हथियार	संख्या
9.	यू० एम० जी० मैगजीन	27
10.	यू० एम० जी० गोलाबारूद	1525
11.	इलेक्ट्रिक डिटोनेटर	17
12.	डिटोनेटर	1207
13.	राकेट	40
14.	राकेट लाउंचर	10
15.	राकेट बूस्टर	3
16.	आई० ई० डी०	118

[अनुवाद]

कश्मीरी आतंकवादियों की यात्रा

8045. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर के कई उग्रवादी नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था और उन्होंने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के कुछ नेताओं ने मार्च, 1995 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया था। समझा जाता है कि मुख्यतः भारत स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के आमंत्रण पर 23 मार्च, 1995 को “पाकिस्तानी दिवस समारोह” में शिरकत करने दिल्ली आए थे। इनमें से कुछ नेताओं ने अपने प्रवास के दौरान विभिन्न राजनयिकों, राजनीतिक नेताओं तथा अन्य बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। तथापि वे जिन लोगों से मिले, उन सबके बारे में ब्यौरा देना संभव नहीं है। सरकार ऐसे व्यक्तियों की हरकतों पर नजर रख रही है और जरूरी होने पर यथावश्यक और यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

सिविकम उच्च न्यायालय

8046. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए वर्तमान मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) वर्तमान मानदंड के अनुसार संबंधित राज्य और दूसरे राज्यों से नियुक्त किए गए सिविकम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सिविकम के न्यायाधीशों को सिविकम उच्च न्यायालय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ड) सरकार ने, विधि आयोग की 80 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है कि एक ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से होने चाहिए। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि इसे या तो बाहर से आरंभिक नियुक्तियों करके या स्थानांतरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। इस नीति के अनुसरण में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानांतरण/नियुक्तियों भारत के मुख्य न्यायमूर्त के परामर्श से की जा रही हैं।

एक अधिवक्ता को, जिसने सिक्किम उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय किया था, जून, 1976 में सिक्किम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह 1.4.95 तक, जब उसने त्याग पत्र दिया, किसी बाहर के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य कर रहा था। एक अन्य विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ता को 16.12.94 को सिक्किम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और इस समय वह बाहर के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है। इस समय, सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और अवर न्यायाधीश, दोनों ही, राज्य से बाहर के हैं। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का कार्य है कि वह बार और राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों की उपयुक्तता का निर्धारण करें और सविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करें। जब कभी भी राज्य के सांविधानिक प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उन पर विचार किया जाता है।

परमाणु उर्जा का उत्पादन

8047. श्री एस० एम० लालजान वाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान शक्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु उर्जा के उपयोग को कम महत्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु उर्जा के उत्पादन को महत्व न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस समय परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन आर्थिक रूप से किफायती नहीं है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों से उत्पादित होने वाली बिजली की शुल्क दर सामान्यतः उन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित कोयले से चलने वाले समकालीन तापीय बिजलीघरों में उत्पादित होने वाली बिजली की शुल्क दर के तुल्य होती है। परमाणु विद्युत संयंत्रों पर उनके जीवन काल में आने वाली लागत कोयले कर खानों के मुहानों से 1000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित कोयले से चलने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों पर आने वाली लागत के तुलनीय है।

[हिन्दी]

कश्मीर में आतंकवादियों के छुपने के ठिकाने

8048. श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री वृजभूषण शरण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1995 को दैनिक जागरण में प्रकाशित "कश्मीर घाटी के अस्पताल पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपने के अड्डे बनते जा रहे हैं" नामक समाचार शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों में उपचार करा रहे गिरफ्तार आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उग्रवादियों ने छिपने के ठिकानों और पनाहगाहों के रूप में समय-समय पर अस्पतालों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। संबंधित प्राधिकारी लगातार निकट से नजर रखे हुए हैं तथा जब कभी विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशियां ली जाती हैं। अस्पतालों के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। तथा उसकी लगातार पुनरीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 15.5.1995 तक अस्पतालों से 47 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था।

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा

8049. श्री जगतबीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की इतर जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष है। अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा 1995 से ऊपरी आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 31 वर्ष कर दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इन आयु सीमाओं में छूट देना वांछनीय नहीं समझा गया है।

कपाट

8050. श्री हरिन पाठक :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादूल :

क्या प्रधान मंत्री 3 अगस्त, 1994 के अताराकित प्रश्न संख्या 1494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय समितियां स्थापित करके लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापाटी) का विकेन्द्रीकरण किए जाने से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद और गुवाहाटी में कार्पाट की 6 क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की गई है। इनका भौगोलिक क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

उत्तरी क्षेत्र

जयपुर में मुख्यालय — दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर और राजस्थान ।

मध्य क्षेत्र

लखनऊ में मुख्यालय — उत्तर प्रदेश तथा बिहार ।

पश्चिमी क्षेत्र

अहमदाबाद में मुख्यालय — गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोआ, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली ।

पूर्वी क्षेत्र

भुवनेश्वर में मुख्यालय — पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

दक्षिणी क्षेत्र

हैदराबाद में मुख्यालय — आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

गुवाहाटी में मुख्यालय — अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम तथा मणिपुर ।

कार्पाट की क्षेत्रीय समितियों के कार्य ये हैं :

- (क) 5 लाख रुपये तक के परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकृत करना ।
- (ख) अपने-अपने क्षेत्र में परियोजनाओं की निगरानी करना ।
- (ग) स्वयंसेवी एजेंसियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का पता लगाना ।
- (घ) राज्य सरकारों तथा जिला प्राधिकरणों के बीच सम्पर्क तथा समन्वय स्थापित करना ।
- (ङ) छोटे अनौपचारिक समूहों को प्रोत्साहित करना तथा विकसित करना ।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

8051. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकीय वस्तुओं का उत्पादन करने में हमारा देश अभी भी अन्य देशों से बहुत पीछे है; उद्योग द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में हमारे देश की क्या स्थिति है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री

(श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्ष 1993 में हुए लगभग 700 बिलियन डॉलर के विश्व इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन में भारत का अंश 1 प्रतिशत से भी कम था ।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए किए गए उपाय

1. नीतिगत उपाय करके जैसे कि स्थापना स्थल संबंधी सीमाओं से छूट देना, चार विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर लाइसेंसिंग समाप्त करना, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम समाप्त करना तथा पूंजीनिवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति (एम०आर०टी०पी०) अधिनियम में संशोधन करना ।
2. आयातित पूंजीगत वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण, मूल्य पर आधारित उन्नत लाइसेंसिंग योजना आदि ।
3. वित्तीय एवं कर संबंधी नीति को विशेष रूप से शुल्क के ढांचे, निगमित कराधान आदि के क्षेत्र में तर्कसंगत बनाना ।
4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना शुरू करना जो ऐसे लघु सॉफ्टवेयर गृहों को मूल-संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो निर्यात बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक हैं । इस योजना के अंतर्गत निजी एस०टी०पी० भी स्थापित किए जा सकते हैं जो बड़ी कंपनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के लिए उपलब्ध कराई कई शुल्क-मुक्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किए जा सकते हैं ।
5. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (ई०एच०टी०पी०) शुरू करना जिसे विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिकी सेक्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है । इससे एक लचीली नीति का परिवेश उपलब्ध होगा, जिससे काफी सरलता से व्यापार किया जा सकेगा और विशाल भारतीय घरेलू बाजार को व्यावसायिक क्षमता का लाभ प्राप्त होगा, जो देश में निर्यात उत्पादन के लिए प्रोत्साहनदायक होगा ।
6. पूंजीनिवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देना । इसमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत की विदेशी साम्यापूँजी तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के लिए स्वतः अनुमोदन तथा ऐसे उद्योगों में भुगतानों की निश्चित उच्चतम सीमा सहित विदेशी प्रौद्योगिकी करारनामों के लिए स्वतः अनुमति शामिल है ।
7. भारत में पूंजीनिवेश करने के लिए प्रवासी भारतीयों तथा मूलतः प्रवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन विदेशी कॉर्पोरेट निकायों को प्रोत्साहन देना । इसमें प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 प्रतिशत तक साम्यापूँजी के लिए स्वतः अनुमोदन शामिल है ।
8. भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की गुणवत्ता में संवर्धन के लिए मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) कार्यक्रम नामक एक गुणवत्ता पूर्ण मूलसंरचनात्मक सुविधा कार्यक्रम का कार्यान्वयन ।
9. देश में तथा विदेशों में सेमिनारों प्रदर्शनियों, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल आदि में भाग लेना तथा उन्हें प्रायोजित करना ।
10. भारतीय सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सेवा सहयोग तथा शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना ।
11. सॉफ्टवेयर के निर्यात के प्रयोजन से उच्च गति डेटा संचार उपलब्ध कराने के लिए सैटकॉम सेवाएं (भारत) की स्थापना करना ।

[हिन्दी]**मतदान**

8052. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजवीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनावों में मतदान करने वाले मतदाताओं की प्रशिक्षण कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे ;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) मतदान की प्रतिशतता एक निर्वाचन से दूसरे निर्वाचन में भिन्न होती है और कोई एक समान रुख दिखाई नहीं दिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) निर्वाचन आयोग ने एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है, जिसका एक उद्देश्य मतदाता के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करना है ।

[अनुवाद]**न्यायाधीशों के रिक्त पद**

8053. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) उपर्युक्त उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) उसमें से महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक उच्च न्यायालय में कुछ महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी/अपर न्यायाधीशों के स्वीकृत 30 पदों में से 17-5-1995 को 25 स्थायी / अपर न्यायाधीश पदासीन थे और 5 पद रिक्त थे । इस समय उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है । सरकार ने समय-समय पर, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और संवैधानिक प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया है कि वे बार में से समुचित महिला सदस्यों का पता लगाएं और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए उनकी सिफारिश करें । उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की पहल, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की ओर से की जाती है ।

[हिन्दी]**मस्तिष्क ज्वर**

8054. डा० साबीजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान मस्तिष्क शोथ से होने वाली मौतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	मौतों की संख्या
1992	0
1993	1
1994	0

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जठरांत्र शोथ

8055. श्री दत्ता मेघे :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जठरांत्र शोथ होने के मामलों में अभी भी वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इन मामलों में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) इस बीमारी को और अधिक बढ़ने से रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में प्रयोगशाला आधारित हैजा की निगरानी करता है । 1995 के दौरान (22.5.95 तक) जांचे गए 594 मल नमूनों में से 217 (36.5 प्रतिशत) नमूने हैजे के लक्षण वाले पाए गए जबकि 1994 में इस दौरान जांचे गए 408 मल नमूनों में से 102 (25 प्रतिशत) नमूने पॉजिटिव पाए गए थे ।

(ख) दिल्ली में दक्षिण जोन (ग्राम गद्दी, गोविन्द पुरी, सैनिक पुरी, खानपुर, संगम विहार, बदरपुर, दक्षिणपुरी, नजफगढ़ जोन (पालम कालोनी, महारौली) तथा सिविल लाइन जोन (निमड़ी कालोनी, अशोक विहार, जहांगीर पुरी तथा मंगोलपुरी) में बहुत अधिक मामले देखे गए थे ।

(ग) दिल्ली में हैजे की स्थिति की 16.5.95 को समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं :-

1. दिल्ली नगर निगम, संक्रामक रोग अस्पताल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा प्रदत्त शिक्षा सामग्री एवं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन स्पॉट सदृशों के माध्यम से

- निजी स्वच्छता तथा अतिसार रोगों के निवारण एवं नियंत्रण में जन जागरूकता अभियान शुरू करना ।
- जन जागरूकता कार्यक्रमों में साक्षरता केंद्रों की सेवाओं, निर्धन व्यक्तियों हेतु शहरी मौलिक सेवाओं महिला मेडलों, एकीकृत बाल विकास स्कीम इत्यादि की सेवाओं का उपयोग करना ।
 - दवाइयों, औषधों तथा किसी अन्य सहायता जो संक्रामक रोग अस्पताल, दिल्ली को अपेक्षित हो, की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

8056. **श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में अभी तक सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है ;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन क्या है और उनमें से प्रत्येक द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कितना लाभार्जन किया गया तथा कितना घाटा हुआ ;

(ग) क्या इनमें से किसी उपक्रम को निजी क्षेत्र को दिए जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 12 उपक्रम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित थे । उद्योगों के नाम तथा विगत तीन वर्षों के दौरान शेयर और ऋण के रूप में निवेश, वार्षिक उत्पादन और निवल लाभ/हानि से सम्बन्धित ब्यौरा 22.3.95 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1993-94 के खण्ड 1 के क्रमशः वि० सं० 100 से 111, वि० 81 से वि० 85 और विवरण 49 से विवरण 59 में दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन

8057. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उपक्रमों के स्वामी आयात शुल्क में चरणबद्ध ढंग से की गई कमी, आयातकों के साथ कड़ी प्रतियोगिता होने और उदारीकरण के सम्बंध में पूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमी गति से करा रहे हैं ,

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट आई है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ ठोस उपाय सुझाए गए थे ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) वर्ष 1993-94 और 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कितना सुधार होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) औद्योगिक उत्पादन में लगातार सुधार हुआ है जो 1992-93 में 2.3% , 1993-94 में 5.1% से बढ़कर अप्रैल-जनवरी, 1994-95 में 7.6% हो गया है ।

(घ) और (ङ) औद्योगिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है । व्यापक औद्योगिक सुधार जो पहले से ही चालू हैं, औद्योगिक व्यापार तथा पूंजी बाजार सुधारों की संचित सफलता का परिणाम है । औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिशुल्क और मॉडवेट सुविधा मुहैया कराके भी लाभान्वित किया गया है ।

(च) सरकार ने 1995-96 में संभावित औद्योगिक उत्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया है । फिर भी, महत्वपूर्ण बुनियादी उद्योगों से संबंधित अग्रिम सूचना अप्रैल, 1995 में 12.7 प्रतिशत का विकास दर्शाती है जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 28 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है ।

[हिन्दी]

वायु सेना केन्द्र पर दूरसंचार केबल बिछाना

8058. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना के “फील्ड” केन्द्रों पर भूमिगत दूरसंचार केबल बिछाने में बहुत विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में भूमिगत दूरसंचार-तार बिछाने में विलम्ब हुआ है । ऐसा वहां की मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण हुआ है । इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग पर दबाव डाला जा रहा है ।

सीमेंट की कमी

8059. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की भारी कमी है जिसके कारण उपभोक्ताओं को खुले बाजार में सीमेंट की अधिक कीमतें देनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर सीमेंट के वितरण के लिए प्रयोग के आधार पर न्यू बम्बई के समान ही एक नई योजना शुरू करने का है ;

(ग) यदि हां, तो देश के किन-किन भागों में यह योजना लागू की जाएगी ; और

(घ) इसका परिणाम क्या होगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) जी, नहीं । देश में सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन मांग से अधिक है और सीमेंट की कोई कमी नहीं है । तथापि, सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है और विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों में सीमेंट मूल्यों में अंतर होता है जो मांग में मौसमी परिवर्तन, विभिन्न बाजारों में प्रतिस्पर्धा की मात्रा, कारखाने से उपभोक्ता केन्द्रों के बीच की दूरी, परिवहन साधन आदि पर निर्भर करता है ।

(ख) यद्यपि, कालाम्बोली, नई बंबई में केन्द्र सरकार की सहायता से एक पायलट बल्क सीमेंट परिवहन तथा वितरण परियोजना कार्यान्वित हो रही है, इस समय सरकार के पास किसी और स्थान पर ऐसी ही परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं

है। फिर भी, सरकार ने कलकत्ता और दिल्ली में ऐसी परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन किये हैं जिनसे इन परियोजनाओं की स्थापना में सीमेंट कंपनियों को लाभ मिलेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

8060. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सहायता के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक सहायता से द्वितीयक स्तर के अस्पतालों का उन्नयन करने के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना हेतु जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है।

[अनुवाद]

मलेरिया नियंत्रण

8061. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेरिया की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की समिति ने देश में अब तक प्रयोग में लाए जा रहे डी० डी० टी०, बी० एच० सी० मेलाथियान मिश्रण के स्थान पर रासायनिक कीटनाशी "लिन्डेन" का प्रयोग करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए की गई वित्त-पोषण व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीमारियों का उन्मूलन

8062. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कैंसर, मलेरिया और पोलियो आदि जैसी बीमारियों के उन्मूलन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1992-93 और 1994-95 के दौरान इन बीमारियों के उन्मूलन हेतु कर्नाटक को कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) जी, हां।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को वर्ष 1992-93 और 1994-95 के दौरान इन कार्यक्रमों के उन्मूलन के लिए दी गई सहायता इस प्रकार है :

कार्यक्रम	सहायता (लाख रु. में)	
	1992-93	1994-95
1. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	137.20	130.86
2. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	89.00	154.00
3. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	140.00	50.00
4. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	318.35	476.65
5. शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	494.02	1133.84
		अन्तिम)

आन्ध्र प्रदेश में अस्पताल

8063. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में अस्पतालों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विदेशों और अनिवासी भारतीयों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1995-96 के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं हेतु आन्ध्र प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश प्रथम रेफरल स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना 1 मार्च 1995 से चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण 133 मिलियन अमरीकी डालर है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण का जिला क्षेत्र तथा सामुदायिक स्तरीय अस्पतालों, जिनका प्रबंध आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद द्वारा किया जाता है सहित 150 द्वितीयक स्तरीय अस्पतालों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद को अब तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। "चिकित्सा उपस्करों के सुधार के लिए" जापान सरकार से उसमानिया जनरल हास्पिटल को 757 मिलियन येन के प्रस्तावित सहायता अनुदान के लिए 16.3.95 को नई दिल्ली में भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच एक विनिमय नोट पर हस्ताक्षर हुए हैं। उक्त अनुदान का इस्तेमाल केवल उसमानिया जनरल हास्पिटल के लिए जापान से उपस्करों का आयात करने हेतु किया जायेगा।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्यात

8064. श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1994-95 के दौरान निर्यात किये गये उत्पादों को ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादों की कितनी मात्रा निर्यात की गई है और उनका कुल मूल्य कितना है;

(ग) उक्त निर्यात के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (सघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्यात अधिकतर व्यापारिक निर्यातकों द्वारा किया जाता है। खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं तथा

विभागीय संस्थाओं को वर्ष 1994-95 के दौरान खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रत्यक्ष निर्यात के ब्यौरे एकत्रित किए जाएंगे तथा बाद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए निर्यात का अनुमानित लक्ष्य 50 करोड़ रुपये का है।

[अनुवाद]

चमड़े की कमी

8065. प्रो० उम्मारैडिड वेंकटेश्वरलु :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग के लिये चमड़े की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग के लिए अपरिष्कृत चमड़े की कमी का मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चमड़ा उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योग की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) भारत में चमड़ा उद्योग के एकीकृत विकास के लिए, उद्योग मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) से प्राप्त सहायता से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये हैं : मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास, फुटवियर क्षेत्र का विकास, सहायक सेवाओं में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीति का कार्यान्वयन करना, निर्यात को बढ़ावा देना और कारगर समन्वय प्रणाली की शुरुआत।

पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग

8066. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण की नीति के कार्यान्वयन से लेकर अब तक पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार विदेशी पूंजी निवेश सहित कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों सहित विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु निवेशकों को कुछ विशेष रियायतें अथवा राज सहायता प्रदान की जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किये गए आश्रय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों, स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रस्तुत किये गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

राज्य	(अगस्त, 1991 से अप्रैल, 1995)			प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जनवरी, 1993 से मार्च, 1995)
	आश्रय-पत्र	औ. लाइसेंस	औ. उद्यमी ज्ञापन	
अरुणाचल प्रदेश	3	2	1	2
असम	9	2	43	3
मणिपुर	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-
मेघालय	-	-	3	-
नागालैंड	1	-	2	-
त्रिपुरा	-	-	3	1
	13	4	52	6

उपर्युक्त चार औद्योगिक लाइसेंसों में से 2 कार्यान्वित किये जा चुके हैं। अन्य दो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन आश्रय-पत्रों की मंजूरी के लिए दो आवेदन और विदेशी निवेश का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र द्वारा प्रायोजित विकास केन्द्र योजना के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र को 9 केन्द्र आवंटित किये गये हैं। इस योजना के अधीन, केन्द्र सरकार उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिए राज्यों द्वारा बुनियादी सुविधाओं के सृजन में मदद करती है। इसके अलावा, पहाड़ी, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 मार्च, 1995 तक परिवहन राज सहायता योजना लागू थी। इसके अलावा, 1995-96 के बजट प्रत्यक्ष मेंकर रियायतों जैसे अन्य उपाय शामिल हैं ताकि गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक एककों के विस्तार और आधुनिक योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने के लिए एक नये पूर्वोत्तर विकास बैंक की स्थापना की जा सके।

एम आर टी पी सी

8067. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम आर टी पी सी के पास इस समय आर टी पी/एम टी पी/यू टी पी और मुआवजे संबंधी पृष्ठताछ के कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) कितने मामले एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और इससे अधिक अवधि से लम्बित हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गये; और

(घ) सभी लम्बित मामलों को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) एम आर टी पी आयोग एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है और इसके द्वारा एम आर टी पी अधिनियम, 1969, भारतीय डंड संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। जांचों का निपटान करने में लगने वाला समय अभिवचनों की प्रकृति, जांच किए जाने वाली गवाहियों की संख्या, प्राप्त किए जाने व साबित किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रश्नावलियों की प्रकृति, दस्तावेजों की खोज आदि पर निर्भर करता है, और इसलिए, जांचों का निपटान करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण

31.3.1995 को लम्बित तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटायी गई जांचों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

जांचों की प्रकृति	लम्बित जांचों की संख्या				निम्न वर्षों के दौरान निपटायी गई जांचों की संख्या		
	31.3.95को	एक वर्ष से ऊपर	दो वर्षों से ऊपर	तीन वर्षों से ऊपर	1992	1993	1994
अवरोधक व्यापार प्रथा	528	120	37	371	75	75	88
एकाधिकारी व्यापार प्रथा	8	1	-	7	2	-	3
अनुचित व्यापार प्रथा	541	175	26	340	150	84	106
क्षतिपूर्ति	955	279	188	488	247	5098	188

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

8068. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे और औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में 30 एलोपैथिक औषधालय कार्य रहे हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए औषधालय खोलने के प्रस्ताव जिन्हें वार्षिक योजना 1995-96 में शामिल किया गया है, नीचे दिए गए हैं :-

इलाहाबाद	—	1
कानपुर	—	1
लखनऊ	—	1
साहिबवाबाद	—	1

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

8069. श्री मोहन रावते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के खर्च के लिए विश्व बैंक से विभिन्न मुद्राओं में ऋण मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण का एक भाग क्षयरोग रोधी औषधियों की खरीद पर खर्च किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक कितनी राशि देने को सहमत हो गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क)

और (ख) जी, हां । औषधों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित और कार्यक्रम को संगठनात्मक सहायता सुदृढ़ करते हुए प्राथमिक निदान, उपचार विधान का मानकीकरण, परिधीय पर्यवेक्षण को तेज करने के रूप में स्पूटम जांच के इस्तेमाल पर संशोधित कार्यनीति आधारित है ।

(ग) और (घ) जी, हां । देश में प्रस्तावित क्षयरोग नियंत्रण परियोजना तैयार करने के लिए अपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु विश्व बैंक 1.996 मिलियन अमरीकी डालर का अग्रिम अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है । प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन फेसिलिटी के घटकों में बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल के 5 राज्यों के एक-एक जिले और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल लखनऊ और बेंगलूर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को कारगर बनाकर सेवा प्रदाय में सुधार करना, क्लिनिकल और प्रबंध कौशल विकसित करना, जन-जागरूकता को बढ़ावा देना और संगठनात्मक प्रभावकारिता विकसित करना शामिल है ।

(ड) और (च) जी, हां । क्षयरोग रोधी फार्मास्युटिकल्स की खरीद के लिए 450.02 लाख रुपये की रकम को प्रयोग में लाए जाने की संभावना है ।

(छ) विश्व बैंक प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन फेसिलिटी पेशगी के अधीन प्रायोगिक चरण-II पर 1.996 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

8070. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एड्स महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन कार्य में प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित किये जाने वाले चिकित्सा अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में स्वयं सेवी अधिकरणों की सहायता प्राप्त करने का है ; और

(घ) इस पर अनुमानित कुल कितना खर्च आने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):

(क) जी, हां ।

(ख) 8 वीं योजना के अंत तक तकरीबन 14,000 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने की आशा है ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और आवश्यकतानुसार उसमें स्वेच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है ।

(घ) विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर आने वाला संभावित व्यय अनुमानतः 14 करोड़ रुपये है ।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग

8071. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) इस पर गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में प्राप्त सफलता को संतोषजनक मानती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों सहित सम्पूर्ण देश में नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर व्यापक श्रेणी के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में उठाए गए कदमों में अनुसंधान एवं विकास, राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन और जन प्रचार माध्यमों से प्रचार तथा अन्य संवर्द्धनात्मक उपाय शामिल हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर इन राज्यों में व्यय की गई कुल राशि लगभग 130.5 करोड़ रुपये है ।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय तथा बाहरी संगठनों द्वारा किए गए मानीटरिंग मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार इस कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सामान्यतया सफल रहा है ।

[अनुवाद]

रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करना

8072. **डा० मुमताज अंसारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में किन-किन उपक्रमों को सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया तथा सहायता प्रदान की गई ;

(ख) इन उपक्रमों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में इस समय औद्योगिक रुग्णता की दर क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) और (ख) जहां तक सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का संबंध है, वर्ष 1994-95 के दौरान बीको लारी लिमिटेड जोकि मध्यम एवं हल्के इंजिनियरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, के संबंध में पुनरुद्धार प्रस्ताव औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजनागत एवं गैर योजनागत दोनों बजटीय सहायता के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए व्यय बजट के खण्ड 1 के विवरण संख्या 9 और 14 में दिया गया है ।

(ग) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं और अपनी अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में

सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं । पिछले तीन अर्ध-वार्षिकों में लघु पैमाने तथा गैर लघु पैमाने क्षेत्रों में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या इस प्रकार है :

समाप्त वर्ष	लघु पैमाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या	गैर लघु पैमाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या
मार्च, 1992	245575	1535
सितम्बर, 1992	233441	1599
मार्च, 1993	238176	1867

प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली

8073. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व बैंक के उस चर्चा पत्र का अध्ययन और विश्लेषण किया है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि विकासशील देशों में रोगों के पैटर्न में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस समय प्राथमिक देख-रेख के समक्ष समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने हेतु और राज्य सरकारों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए स्थानीय दृष्टिकोण संबंधी नीति प्रबन्धन किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नीति और वित्तीय नीतियों पर एक विश्व बैंक दस्तावेज प्राप्त हुआ है । संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण, सहित संवर्धक और निवारक सेवाओं को सुदृढ़ करके प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या नीति के जरिए जन स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, परिवार नियोजन और रोग प्रतिरक्षण पहले ही सरकारी नीति का एक भाग है ।

उड़ीसा में कागज संयंत्र

8074. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कोई कागज संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कागज संयंत्र की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव 1995-98 के दौरान कार्यान्वित कर दिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) सरकार के पास उड़ीसा में कागज संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, विद्यमान नीति के अनुसार, निजी उद्यमी औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करने या आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

लोक अदालतें

8075. **श्री पी० कुमारसामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया; और

(ख) इन अदालतों में प्रतिवर्ष कितने मामले स्वीकार किए गए और कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	लोक अदालतों द्वारा ग्रहण किए गए और निपटाए गए मामले
1992-93	125	5703
1993-94	293	7153
1994-95	444	11901

कम्प्यूटर शिक्षा

8076. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने देश में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने और कम्प्यूटर शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं को कम्प्यूटर कम्पनियों द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने का विचार है;

(क) क्या विभाग के पास कुछ ऐसे प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं जिनके अंतर्गत महिलाओं को कम्प्यूटर के प्रयोग में प्रशिक्षण देने और देश में ग्रामीण लोगों तक भी इलेक्ट्रॉनिकी के लाभ पहुंचाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को आवश्यक अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त योजनाओं/प्रस्तावों के वित्तीय प्रभाव, इनके क्रियान्वयन के ढंग और उनकी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं । किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और स्वैच्छिक अभिकरण सहित गैर-औद्योगिक ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोगों से संबंधित अपने कार्यकलापों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करता है, जिनमें, कम्प्यूटरों के प्रयोग में महिलाओं को प्रशिक्षण तथा देश में ग्रामीण जनता को इलेक्ट्रॉनिकी के लाभ उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। समुचित परियोजनाओं को सहायता अनुदान जारी किया जाता है जिनका कार्यान्वयन संबंधित एनजीओ द्वारा और निगरानी इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा की जाती है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण कोरिया द्वारा विदेशी निवेश

8077. **श्रीमती दिल कुमारी मण्डारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोरियाई उद्योग संस्थान के अधिकारियों के नेतृत्व में कुछ दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय उद्योगों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयुक्त उद्यमों द्वारा औद्योगिक पंखे, रबड़ के दस्ताने, पेंट और जूते तैयार किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो इनकी शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इनमें से किसी संयुक्त उद्यम को सिविक में स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) से (च) सियोल में हमारे शिष्टमंडल ने सूचित किया है कि कोरियाई उद्योग संस्थान के अधिकारियों की अध्यक्षता में कुछ दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1995 में भारतीय उद्योगों के साथ 4 (चार) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । जैसा कि बताया गया है, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

इनमें से किसी भी परियोजना को सिविक में स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी पार्टी का नाम	विनिर्माण की मद
1.	मै० कोलोनोक ई०एन०टी०, मद्रास	मै० टोगयांग रबड़ कम्पनी, पुसान	रबड़ ग्लबस और शू ब्रेक्ट्स
2.	मै० गांधीमाथी एप्लाइन्सेज लि०, मद्रास	मै० आइवरी कोरिया कम्पनी	टूथ ब्रश और अन्य घरेलू उपयोग की प्लास्टिक वस्तुएं
3.	मै० श्रीनार इंटरप्राइजेज, मद्रास	मै० वू कयंग इंडस्ट्रियल कं०	क्रास फ्लो पंखे और मोटरें
4.	मै० रचना इण्डिया प्राइवेट लि०, बंगलौर	मै० डोंग संग प्लांट कं०	पेन्ट और कोरुगेटिव कगज़ और औद्योगिक बक्से

[हिन्दी]**कापार्ट**

8078. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कापार्ट के तहत इसके आरम्भ किये जाने से अप्रैल, 1995 तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई ;

(ख) राज्य की किन-किन एजेंसियों को कापार्ट के माध्यम से सहायता दी गई है और ये किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ग) अब तक ऐसी प्रत्येक एजेंसी को कितनी राशि स्वीकृत और प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का कापार्ट के अंतर्गत मजदूर संघों को प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने अपने आरम्भ होने से लेकर 30.4.1995 तक गुजरात में 389 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें 113 स्वयंसेवी एजेंसियां शामिल हैं। इन स्वयंसेवी एजेंसियों को इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि 15.93 करोड़ रुपये और रिलीज की गई राशि 10.21 करोड़ रुपये है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिजबुल मुजाहिदीन

8079. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी आतंकवादियों के हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप ने दक्षिण कश्मीर में आतंक का राज्य फैला रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुन्द चतुर्वेदी) : (क) और (ख) हिजबुल मुजाहिदीन उन अनेक उग्रवादी गिरोहों में से एक है जिन्होंने केवल दक्षिण कश्मीर बल्कि सम्पूर्ण घाटी में आतंक का साम्राज्य फैला रखा है। पाकिस्तान समर्थक इस गिरोह की गतिविधियों में प्रजातंत्र और पंथनिरपेक्ष मूल्यों की बात करने वाले व्यक्तियों की हत्या करना भी शामिल है। मीर वाइज मौलवी मुहम्मद फारूख, डा० काजी निसार, दक्षिण कश्मीर के मीर वाइज और एक प्रमुख हृदयरोग विज्ञानी डा० ए० ए० गुरु जैसे अनेक बुद्धिजीवी, नेता और सम्मानित लोग इस ग्रुप द्वारा मार डाले गए हैं।

(ग) उग्रवादियों की गतिविधियों को सीमित रखने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है। इस दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं : नियंत्रण रेखा पर और भीतरी इलाकों में सघन गश्त लगाना, सलक्ष्य अभियान चला पाने के लिए आसूचना तंत्र को अधिक सुचारु बनाना, विभिन्न आपरेशनल एजेंसियों के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित करना, आतंकवादी-विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस की भागीदारी बढ़ाना, घुसपैठ रोकने/नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर लगातार चौकसी रखना, सुरक्षा-प्रबन्धों को मजबूत बनाना और नाजुक एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में गश्त लगाना, और उग्रवादी विरोधी अभियानों में जनता का सहयोग प्राप्त करना।

पवन ऊर्जा परियोजनाएं

8080. **डा० आर० मल्हू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश में कृतिपय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1994-95 में 5.425 मे.वा. समग्र क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं कमीशन की गई हैं जिनमें रामगिरी में 2.925 मेगावाट निजी क्षेत्र की परियोजनाएं और रामगिरी तथा तिरुमाला में क्रमशः 2 मे.वा. और 0.5 मे.वा. की प्रदर्शन परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रकाश वोल्टीय पम्प

8081. **श्री एस० एम० लालजान बाशा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में चरणबद्ध तरीके से सिंचाई के उद्देश्यों के लिए 50,000 सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प लगाने का विचार है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन पम्पों को लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन उद्देश्यों के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) ऐसे प्रत्येक सौर पम्पों की लागत क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार ने देश में कृषि और सम्बद्ध उपयोगों के लिए चरणबद्ध रूप से 50000 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों की स्थापना के लिए वर्ष 1992-93 में एक योजना तैयार की। प्रथम चरण के रूप में सरकार ने बाजारोन्मुख योजना के अंतर्गत 1000 सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणालियों को लगाने के लिए 15 अगस्त, 1993 को एक परियोजना आरंभ की।

(ख) बाजारोन्मुख योजना में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते तथापि 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 645 सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(ग) यह योजना सभी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के लिए है जिसमें व्यक्ति, कृषक, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त संस्थाएं, बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम निकाय, सहकारी समितियां आदि शामिल हैं।

(घ) सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणाली की लागत मुख्यतया पीवी अर्रे की क्षमता और पम्प के प्रकार पर निर्भर करती है। सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणालियों की लागत विभिन्न क्षमताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। 900 वा० पा० पम्प, जो कि सामान्यतया उपयोग में लायी जाने वाली क्षमता है, की लागत लगभग 2.25 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोगी

8082. **श्री विलासराव नागनाथराव गुडवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आज तक कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है ;

(ख) महाराष्ट्र में कुष्ठ निवारण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रों को गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई ; और

(घ) इन केन्द्रों को 1995-96 के दौरान कितनी सहायता राशि दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :
(क) 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 46372 कुष्ठ रोगी दर्ज हैं ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 1345 कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रदान की गई सहायता		
	कन्द्र	वस्तुगत	कुल
1993-94	30.00	18.95	48.95
1994-95	20.25	76.86	97.11

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

	कन्द्र	वस्तुगत	कुल
	20.00	135.00	155.00

[अनुवाद]

प्रत्येक राज्य के लिए आई० ए० एस० संवर्ग

8083. **श्री लाईता उम्ने :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के लिए पृथक आई० ए० एस० संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने ए० जी० एम० यू० टी० को दो भागों में वेपकृत करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारोटे आल्वा) : (क) से (ङ) असम-मेघालय, अरुणाचल देश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों तथा मणिपुर-त्रिपुरा के संयुक्त संवर्गों को छोड़कर भी राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलग-अलग संवर्ग हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के लिए राज्य में पृथक से संवर्ग नाने के प्रस्ताव पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था । पर इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

तम्बाकू से हाने वाली बीमारी

8084. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों और इस संबंध में लिये गये अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मार्गनिर्देशों/निर्णयों के मामले में सरकार भी एक पार्टी है;

(ग) यदि हां, तो इनके कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोई दिशानिर्देश नहीं हैं । तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य देशों को तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल को निरुत्साहित करने और तम्बाकू के इस्तेमाल के स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक उपायों की सिफारिश करता है ।

(ग) और (घ) सरकार ने पहले ही चुनिंदा सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । यह निर्णय किया गया है कि तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल को निरुत्साहित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाए ।

क्षय-रोग हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता

8085. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष इस सहायता राशि में से कितनी राशि का इस कार्यक्रम के लिए औषधियां खरीदने में उपयोग हुआ है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के निहित विश्व बैंक की सहायता की कुछ राशि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) विश्व बैंक 15 परियोजना क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के प्रायोगिक चरण-II के कार्यान्वयन के लिए परियोजना तैयारी सुविधा पेशगी के रूप में 1.996 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ।

(ख) से (घ) प्रायोगिक चरण-II को 15 प्रायोगिक स्थलों पर शीघ्र शुरू किया जाना है । अगले कुछ महीनों में परियोजना तैयारी सुविधा पेशगी में प्रमुख व्यय किए जाने की संभावना है ।

परिवार नियोजन हेतु औषधियां

8086. **श्री कृज भूषण शरण सिंह :**

डा० राम कृष्ण कुसमरिया :

श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के उद्देश्यों हेतु समुद्री-बायोमास से औषधियां तैयार करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन के निष्कर्ष कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह बाटोतार) :

(क) जी, हां । केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा प्रयुक्त समुद्री पदार्थों के 600 नमूनों में से एक में रोपण रोधी क्रियाशीलता पायी गई है ।

(ख) ये अध्ययन विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हैं ।

(ग) नयी औषध के विकास हेतु औसत समय सार्वत्रिक रूप से 15-20 वर्ष है ।

भारतीय नौसेना में मोटर बोट

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

8087. श्री रामपाल सिंह :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना/नौसेना में हाल ही में स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक मोटर बोटों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या प्रयोजन हैं; और

(ग) देश में प्रतिवर्ष ऐसे कितने मोटरबोट निर्मित किए जाएंगे और प्रत्येक बोट के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आई एस एम कालेज

8088. श्री शिव शरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन राज्य-वार एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया के कुल कितने कालेज हैं;

(ख) इस समय इन कालेजों में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा इन संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन चल रहे मेडिकल, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक कालेजों की सूची, इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए अनुदानों की राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।**विवरण****भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा मेडिकल कालेजों की सूची, इस समय इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए अनुदान**

क्रम सं.	संस्था का नाम	इस समय अध्ययनरत छात्रों की संख्या	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र जिसमें स्थित है	वर्ष	भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान (लाख रुपये में)
1.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर	307	राजस्थान	1992-93 1993-94 1994-95	355.00 309.50 373.02
2.	स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्व-विद्यालय, जामनगर	84	गुजरात	1992-93 1993-94 1994-95	233.50 254.41 255.00
3.	राष्ट्रीय होमयोपैथी संस्थान, कलकत्ता	217	पश्चिम बंगाल	1992-93 1993-94 1994-95	95.29 139.50 87.00
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली*	11	दिल्ली	1992-93 1993-94 1994-95	11.81 15.50 18.00
5.	प्रखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली	259	दिल्ली	1992-93 1993-94 1994-95	7272.00 7157.00 8300.00

* राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली कोई कालेज नहीं है लेकिन गुरु शिष्य परम्परा द्वारा प्रशिक्षण देने का एक विद्यालय है । छत्र देश के विभिन्न भागों में अपने गुरुओं के निवास स्थलों में रह रहे हैं ।

क्रम सं.	संस्था का नाम	इस समय अध्ययनरत छात्रों की संख्या	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र जिसमें स्थित है	वर्ष	भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान (लाख रुपये में)
6.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	775	दिल्ली	1992-93 1993-94 1994-95	1598.12 1816.93 2366.00
7.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	अनुपलब्ध**	पांडिचेरी	1992-93 1993-94 1994-95	2030.35 1970.18 2085.70

** संस्था से सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा/गोबर गैस का उपयोग

8089. श्री प्रेम चन्द राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के अधिसंख्य लोगों को, विशेषतः ग्रामीण और उसके आस पास के क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा और गोबर गैस का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार बिहार राज्य सहित देश में सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सौर लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणालियों, लघु ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्र आदि जैसी सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। बिहार में चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत 619 सड़क रोशनी प्रणालियां, 6 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 4895 सौर लालटेन लगाए गए हैं। बिहार में 81000 से अधिक बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। इन संयंत्रों से उत्पादित हुई गैस का उपयोग खाना पकाने, रोशनी के लिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सांसदों से अभ्यावेदन

8090. डा० मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन महीनों के दौरान जम्मू-कश्मीर में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग करने के विरुद्ध सांसदों की ओर से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) जम्मू विकास प्राधिकरण जम्मू के उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी हैसियत और तंत्र का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने के बारे में शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से श्री आनन्द अहिरवार, संसद सदस्य का एक पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।

कीटनाशक

8091. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश में मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए इस समय उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशकों का प्रयोग बंद किए जाने के कारण जैव क्षयकारी कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में प्रयोग हेतु किस कीटनाशक समूह को पहले ही चुन लिया गया है;

(ग) क्या इनकी कारगरता के बारे में परीक्षण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) राज्य सरकारों को भी इस नए कीटनाशक समूह को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) जी हां।

(ख) से (ङ) पायरेथ्रायड और आर्गेनोफास्फोरस यौगिक, जिसने मलेरिया रोगवाहकों पर जैव प्रभावकारिता दर्शायी है, के प्रयोग पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उड़ीसा में उद्योग

8092. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) राज्य में उक्त अवधि के दौरान रुग्ण होने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का उनमें से कुछ रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) उड़ीसा राज्य में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के अधीन वर्ष 1992 से 1994 के दौरान चार औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। ये लाइसेंस चीनी का विनिर्माण आरंभ करने के लिए जारी किए गए थे। इसी अवधि के दौरान, उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए 12 आशय-पत्र (एल ओ आई) और 82 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई आई एम) भी जारी/प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि भिन्न-भिन्न होती है और इसलिए ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगी।

(ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। मार्च, 1993 के अन्त में उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य में लघु तथा गैर-लघु क्षेत्रों में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या इस प्रकार है :-

	मार्च, 91 के अन्त में	मार्च, 92 के अन्त में	मार्च, 93 के अन्त में
रुग्ण लघु एककों की संख्या	7443	8415	13930
गैर-लघु रुग्ण एककों की संख्या	35	37	39

(ग) और (घ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

- सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन “औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईओएफओआरओ)” नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं

जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनः स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

- रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ सम्मेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को सम्मेलित रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।
- सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करता है।
- भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियाँ (एस० एल० आई० आई०सी०) स्थापित की हैं।
- अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि में संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 2,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।
- अत्यंत छोटे और लघु उद्योगों के लिये एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई है।

संभावित जीव्यक्षम लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीय योजना चलाई जा रही है।

दूल किर्यों की आपूर्ति

8093. श्री पी० कुमारसामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन जिलों में ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के “दूल किट्स” की आपूर्ति के लिए अब तक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई है ;

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब तक प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में शुरू किया जायेगा ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई झरजीभाई पटेल) : (क) अब तक 308 जिलों को कवर किया गया है। जिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) योजना को पहले ही प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है।

विवरण-I

ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार कियों की सप्लाई करने की योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिले

क्रम संख्या	राज्य	कवर किए गए जिलों की संख्या		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1. करीमनगर 2. अन्नतपुर 3. श्रीकाकुलम	1. विजयनगरम 2. गुंटूर 3. कुर्नूल 4. कुड्डल 5. निजामाबाद 6. वासंल 7. प्रकाशम	1. नालगोंडा 2. महबूबनगर 3. पूर्वी गोदावरी 4. अदिलाबाद 5. विशाखापटनम 6. पश्चिमी गोदावरी 7. खम्मम 8. चित्तूर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. तावांग	1. निम्न सुबानसिरी	1. चंगलंग 2. अनिनी 3. पूर्वी कामेंग, सेप्पा 4. पूर्वी सियांग, पासीघाट 5. तेजुं लोहित 6. खानसा 7. दापेरिजो 8. बोंडिला 9. अलंग 10. इटनगर
3.	असम	1. गोल्तपाड़ा 2. बारपेटा	1. धेमाजी 2. कछार 3. नालबाड़ी 4. शिबसागर	1. सेनितपुर 2. डिब्रूगढ़ 3. नागांव 4. कारबीआंगलॉंग 5. धुबरी 6. हेलाकंडी 7. दारंग
4.	बिहार	1. पटना 2. माधेपुरा 3. फलामू	1. पूर्वी चम्पारन 2. पश्चिमी चम्पारन 3. गया 4. गोपालगंज 5. भागलपुर	1. टुमका 2. साहिबगंज 3. रांची 4. हजारीबाग 5. औरंगाबाद 6. नालंदा 7. मधुबनी 8. वैशाली 9. पूर्णिया 10. खगारिया 11. समस्तीपुर
5.	गोआ	1. पणजी	—	—
6.	गुजरात	1. कच्छ 2. पंचमहल	1. बनासकांठ 2. जामनगर 3. अमरेली	1. मेहसाना 2. जूनागढ़ 3. भावनगर

1	2	3	4	5
			4. अहमदाबाद	4. साबरकांठा 5. सुरेन्द्रनगर 6. बडोदरा 7. बलसाड़ 8. भडौघ
7. हरियाणा	1. हिसार 2. महेन्द्रगढ़ 3. गुड़गाँवा	1. करनाल 2. यमुनानगर 3. रोहतक 4. फरीदाबाद	1. कुरुक्षेत्र 2. जींद 3. भिवानी 4. सिरसा	
8. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा	1. ऊना 2. चम्बा 3. हमीरपुर	1. किन्नौर 2. मण्डी 3. सोलन 4. सिरमौर 5. बिलासपुर	
9. जम्मू व कश्मीर	1. अंत्तनाग 2. ऊधमपुर	1. बारामूला 2. जम्मू 3. डोडा	1. बडगाम 2. कन्नगिल 3. कठुआ 4. कूपवाड़ा 5. लेह लददाख 6. पूंछ 7. पुलवाना 8. राजौरी 9. श्रीनगर	
10. कर्नाटक	1. मैसूर 2. रायचूर	1. धारवाड़ 2. हसन 3. बीदर 4. शिमोगा	1. बेल्तारी 2. गुलवर्गा 3. बीजापुर 4. बेलगाम 5. मंगलौर 6. मंड्या 7. कोरूर 8. चित्रदुर्ग	
11. केरल	1. त्रिवेन्द्रम 2. मल्लापूरम 3. कोजिकोडे	1. इडुक्की 2. त्रिसूर 3. पलक्कड 4. कन्नूर	— — — —	
12. मध्य प्रदेश	1. रायसेन 2. बेकनूर 3. मंदसौर 4. जबलपुर	1. बस्तर 2. बिलासपुर 3. खांडवा 4. सिरयौनी 5. रायपुर 6. रिवा 7. छत्तरपुर 8. शाहजहांपुर	1. सतना 2. शाहडौल 3. सिद्धी 4. रायगढ़ 5. खारगांव 6. धार 7. झुबुआ 8. मंडला 9. सरगुजा	

1	2	3	4	5
				10. छिंदवाडा 11. राजगढ़ 12. गुना 13. मंदसौर 14. बस्तर 15. रतलाम
13. महाराष्ट्र	1. पुणे 2. नंदेड 3. यक्तमाल 4. गढचिरोली	1. नागपुर 2. चंद्रपुर 3. धुले 4. रायगढ़ 5. कोल्हापुर 6. अक्कोला 7. लातूर 8. ओसमानाबाद	1. रत्नागिरी 2. नासिक 3. अहमद नगर 4. सोलापुर 5. औरंगाबाद 6. बीड 7. बुलढाना 8. अमरावती 9. वर्धा 10. भंडारा	
14. मणिपुर	1. इम्फाल	1. धोबल	1. उखरू 2. सेनापति	
15. मेघालय	1. पूर्वी खासी हिल्स	1. पश्चिम गारो हिल्स	1. जयन्तिया हिल्स	
16. मिजोरम	1. आइजवाल	1. छिम्तुइपई 2. लुगलेई	— —	
17. नागालैंड	1. कोहिमा	—	1. तवेमसांग 2. फक्र	
18. उड़ीसा	1. पुरी	1. कटक	1. बोलनगीर 2. कालाहंडी 3. मयूरभंज 4. गंजाम	
19. पंजाब	1. जालंधर	1. अमृतसर 2. होशियारपुर 3. पटियाला	1. फिरोजपुर 2. गुरदासपुर	
20. राजस्थान	1. उदयपुर 2. टोंक 3. बाड़मेर	1. अजमेर 2. भीलवाड़ा 3. पाली 4. जैसलमेर 5. सीकर 6. बुंदी	1. भरतपुर 2. बीकानेर 3. गंगानगर 4. जयपुर 5. जालोर 6. चुरू 7. झालवाड़ 8. जोधपुर	
21. सिक्किम	1. गंगटोक	—	1. दक्षिणी जिला 2. पूर्वी जिला	
22. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी 2. नागापियन्तिनम कैद-ए-मिलत	1. चेंलपट्टुरम-जी-आर 2. तिरुनेल्वेली कट्याबेमन 3. रामानाथपुरम	1. सेलम 2. दक्षिणी आरकोट बल्लालार 3. बिल्लापुलम	

1	2	3	4	5
			4. तिरुचि	4. मदुरै
			5. तिरुवन्नामलाई	5. डिंडिगुल
				6. उत्तरी आरकोट अम्बेडकर
23. त्रिपुरा	1. उत्तरी त्रिपुरा जिला-कैलाशहर	1. दक्षिणी त्रिपुरा जिला		1. पश्चिमी त्रिपुरा
24. उत्तर प्रदेश	1. शाहजहां पुर	1. चम्पौली		1. हरिद्वार
	2. मेरठ	2. पिथौरागढ़		2. कुलंदशहर
	3. अलीगढ़	3. रामपुर		3. सहारनपुर
	4. गोंडा	4. बिजनौर		4. मुरादाबाद
	5. जालौन	5. इलाहाबाद		5. बदायूं
	6. मऊ	6. बरेली		6. मैनपुरी
	7. एय	7. लखीमपुर खेरी		7. बांदा
	8. आगरा	8. सीतापुर		8. ललितपुर
	9. प्रतापगढ़	9. वाराणसी		9. कानपुर-स्त्रीण
	10. गोरखपुर	10. झांसी		10. फर्रुखाबाद
		11. फुल्तानपुर		11. बलिया
		12. इटावा		12. मिर्जापुर
		13. मुजफ्फरनगर		13. उन्नाव
		14. सिद्धार्थ नगर		14. रायबरेली
		15. फिरोजाबाद		15. बस्ती
				16. महाराजगंज
				17. फैजाबाद
				18. बहराइच
				19. देहरादून
				20. नैनीताल
				21. अल्मोड़ा
				22. पौड़ीगढ़वाल
				23. बाराबंकी
				24. मथुरा
				25. देवरिया
25. पश्चिम बंगाल	1. हावड़ा	1. बाकुंडा		1. उत्तर 24 परगना
	2. हुगली	2. बर्दवान		2. बीरभूम
				3. मुर्शिदाबाद
				4. फुर्लिया
				5. जलपाई गुड़ी
*अंडमान व निकोबार द्वीप	1. पोर्ट ब्लेयर	—		—
*दादर व नगर हवेली	1. सिलक्ला	—		—
*लक्षद्वीप	1. कराक्की	—		—
*दमन व दीव	1. मोती-दमन	—		—
*पांडिचेरी	1. पांडिचेरी	—		—
अखिल भारत	61	93		191

विवरण II

क्रम संख्या	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	
		1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	8321	13939
2.	अरुणाचल प्रदेश	585	1368
3.	असम	3724	258
4.	बिहार	6493	3869
5.	गोआ	501	—
6.	गुजरात	6370	7030
7.	हरियाणा	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1496	551
9.	जम्मू और काश्मीर	1500	—
10.	कर्नाटक	5390	5802
11.	केरल	6658	8247
12.	मध्य प्रदेश	12831	14760
13.	महाराष्ट्र	7589	—
14.	मणिपुर	1143	125
15.	मेघालय	—	—
16.	मिज़ोरम	3261	—
17.	नागालैंड	597	322
18.	उड़ीसा	1381	—

क्रम संख्या	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	
		1993-94	1994-95
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	2287	10135
21.	सिक्किम	500	1095
22.	तमिलनाडु	3547	—
23.	त्रिपुरा	714	2112
24.	उत्तर प्रदेश	18848	15455
25.	पश्चिम बंगाल	3964	5689
26.	अंडमान व निकोबार	320	—
27.	दादर व नगर हवेली	57	—
28.	दमन व दीव	86	—
29.	लक्षद्वीप	77	—
30.	पांडिचेरी	1107	431
अखिल भारतीय		99356	91098

एड्स का इलाज

8094. डा० आर० मल्हू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने एड्स और अबोर्सन बिल आर० यू० 486 के इलाज हेतु औषधियां विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त औषधियों का देश के भीतर और बाहर विपणन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):

(क) भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमीडाइन तैयार करने और आर० यू०-486 जो एक गर्भसाक्क है, के लिए प्रयोगशाला स्तर पर एक क्रियाविधि जानकारी विकसित की है ।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा यह सूचित किया गया है कि एजिडोथाइमीडाइन और आर० यू० 486 को क्रियाविधि के फार्मास्यूटिकल फर्मों को लाइसेंस दे दिए गए हैं ।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

8095. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में प्रत्येक राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व देने की कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिक्किम के कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ के तारीख 6.10.1993 के निर्णय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने के संबंध में प्रस्ताव पर उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् कार्रवाई करनी होती है।

सिक्किम उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, अभी तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है ।

भारतीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी

8096. श्री एस० एम० लालजान वाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भारतीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी में कितना निवेश किया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी का तदनुसूची उत्पादनकारी योगदान क्या रहा है;

(ग) क्या बजट की पर्याप्त राशि को विज्ञापनों पर खर्च किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी में व्यर्थ व्यय को रकने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को पिछले तीन वर्षों के दौरान साम्या अंशदान के रूप में निम्नवत् की गई राशि इस प्रकार है :—

1992-93	—	4.00 करोड़ रुपए
1993-94	—	6.20 करोड़ रुपए
1994-95	—	14.15 करोड़ रुपए

(ख) इरेडा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 286 परियोजनाएं मंजूर कीं जिनमें कुल 446.04 करोड़ रुपए की ऋण राशि शामिल है उसने इन तीन वर्षों के दौरान 204.38 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में संचित की।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप इरेडा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने और पारंपरिक ईंधन की बचत करने में सहायक रहा है।

(ग) और (घ) इरेडा द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन पर किया गया व्यय उसके कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार है :—

1992-93	—	0.65%
1993-94	—	4.60%
1994-95	—	7.00%

नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषकर विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत आवश्यक बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान को देखते हुए इस व्यय को अधिक नहीं समझा जा सकता।

(ङ) इरेडा द्वारा किए जा रहे व्यय की मानीटरिंग और विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा की जा रही है ताकि अधिकतम किफायत बरती जा सके और कोई फिजूलखर्ची न हो।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

8097. श्री प्रेम चन्द राम :

श्री अमर रायप्रधान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न होम्योपैथिक औषधालयों/एककों में आरक्षित श्रेणियों हेतु “होम्योपैथिक फार्मासिस्ट्स” के पद रिक्त पड़े हैं; यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) जी, हां । अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होम्योपैथी फार्मासिस्ट का एक पद अक्तूबर, 1993 से रिक्त पड़ा है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त पद को भरने की कार्यवाही चल रही है । उक्त पद को आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्मिक विभाग के अनुदेशों के अनुसार भरा जाएगा ।

एक समान नागरिक संहिता

8098. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से देश में सभी

नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी भूमिका सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से यह दशति हुए शपथपत्र दायर करने के लिए कहा गया है कि एक देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और क्या प्रयास किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) से (घ) भारत के माननीय न्यायालय ने श्रीमती सरला मुदगल और अन्य बनाम भारत संघ और [अन्य 1995 (3) स्केल पृ० 286] में तारीख 10 मई, 1995 के अपने सामान्य निर्णय में चार रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय, जिनमें यह प्रश्न अंतर्बलित था कि क्या हिन्दू विधि के अधीन विवाहित कोई हिन्दू पति इस्लाम ग्रहण करके, पहला विवाह विघटित किए बिना दूसरा विवाह अनुष्ठापित कर सकता है और क्या पति भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा, यह निदेश जारी किए कि भारत सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 पर नए सिरे से विचार करे और भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करे। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को यह भी निदेश दिया कि वह न्यायालय में अगस्त, 1996 में किसी जिम्मेदार अधिकारी का ऐसा शपथपत्र फाइल करे, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की ओर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम और किए गए प्रयास उपदर्शित हों और एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की ओर उठाए गए प्रथम कदम के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द विकसित करने के लिए अल्पसंख्यकों की स्वीय विधि को तर्कसंगत बनाने के लिए उपाय किए जाएं।

भारत सरकार को यह और सलाह दी गई है कि वह यह जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंप दें जो अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श करके मामले की समीक्षा करें और महिलाओं के लिए मानवाधिकारों की आधुनिक संकल्पना को ध्यान में रखते हुए व्यापक विधान तैयार करे। सरकार किसी व्यक्ति द्वारा धर्म का दुरुपयोग करने को रोकने के लिए तत्काल धर्म संपरिवर्तन अधिनियम को अधिनियमित किए जाने के लिए एक समिति नियुक्त किए जाने की साध्यता पर भी विचार करे।

(ङ) सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के ब्यौरे की समीक्षा कर रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

8099. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर राज्य में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उपकेंद्र मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के लिए लक्ष्य योजना आयोग द्वारा जनसंख्या मानदंडों, दूरी मापदंडों, संसाधनों की उपलब्धता और कार्मिक शक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	उपकेंद्र
आंध्र प्रदेश	300	165

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का रख-रखाव राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है।

गरीबी

8100. श्री एस० एम० लालजान बाशा :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गरीबी, मृत्यु तथा बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गरीबी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कदम सुझाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) से (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1995 से पता चलता है कि निर्धनता विश्व में मौतों का सबसे बेरहम और पृथ्वी पर पीडा का सबसे बड़ा कारण है।

रिपोर्ट में भावी अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्रवाई हेतु चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है।

ये क्षेत्र हैं :-

1. विशेषतः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिवार नियोजन, रोग प्रतिरक्षण, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता मलेरिया, एच० आई० वी०/ एडस के नियंत्रण तथा स्वस्थ जीवन शैलियों के संवर्धन से संबंधित क्षेत्रों में उन लोगों पर संसाधनों को फिर से केंद्रित करना जिन्हें उनकी अत्यधिक जरूरत है।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक निर्धन व्यक्तियों की पहुंच सहित लोगों की मौलिक न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना।
3. जन स्वास्थ्य नीति को लोगों के स्वास्थ्य स्तर में असमानताओं को दूर करने हेतु निर्देशित करना तथा रुग्ण स्वास्थ्य केंद्र निर्धारकों का पता लगाने के लिए एकीकृत व्यापक कार्रवाई करना।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में आपातकालीन राहत तथा मानवीय सहायता के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

सरकारी नीति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के प्रति पहले से ही उन्मुख है।

जल-जीवशाला

8101. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जल-जीवशालाओं की राज्यवार संख्या क्या है तथा इनके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या तटीय क्षेत्रों में और ज्यादा जल-जीवशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इनको किन-किन स्थानों पर तथा कब तक खोलने की संभावना है ?

उर्वरक और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में देश में राज्यवार जल-जीवशालाओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

राज्य	जल-जीवशालाओं की संख्या
गुजरात	8
महाराष्ट्र	3
गोवा	—
कर्नाटक	5
केरल	3
तमिलनाडु	1
मध्य प्रदेश	1
अंडमान एवं निकोबार	1
लक्षद्वीप	1
उड़ीसा	1

इन जल-जीवशालाओं का प्रमुख उद्देश्य जलीयजीवन के बारे में जानकारी को बढ़ाना तथा जलीय पर्यावरण की पारिस्थितिकी के बारे में लोगों को शिक्षित करना है ।

(ख) और (ग) दीघा (पश्चिम बंगाल) तथा मंगलौर (कर्नाटक) में समुद्री

जलजीवशाला के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । दीघा जल-जीवशाला के 1996 तक चालू होने की उम्मीद है जबकि मंगलौर जल-जीवशाला अगले दो से तीन वर्षों में पूरी हो सकेगी । मीरमार (गोवा) में भी एक समुद्री जल-जीवशाला, जिसके दो वर्षों में पूरी होने की संभावना है तथा अन्य जल-जीवशाला बम्बई जिले में बनाए जाने का प्रस्ताव है ।

निगमित अस्पताल

8102. श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने विदेशों से अत्याधुनिक उपकरण का आयात करने हेतु आयात शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए हैदराबाद स्थित अपोलो, सी डी आर मेडविन, मेडिनोवा और मेडिसिटी आदि जैसे निगमित अस्पतालों के आवेदन पत्र भेजे हैं; और

(ख) आयातित उपकरणों का मूल्य अस्पताल-वार कितना कितना है और इन पर कितनी शुल्क छूट प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा):

(क) जी, हां

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए उपकरणों का अस्पतालवार मूल्य विवरण में दिया गया है ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तकनीकी दृष्टि से सीमाशुल्क छूट प्रमाण-पत्र देता है और वास्तविक शुल्क छूट का हिसाब सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रकरण में सीमा शुल्क विभाग द्वारा लगाया जाता है और मंजूरी दी जाती है ।

विवरण

वर्ष 1992 से 1994 के दौरान आयात किए गए उपकरणों के अस्पताल-वार मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	अस्पताल का नाम	आयात करने का वर्ष	आयात किए गए उपकरणों का मूल्य
1.	डकन हास्पिटल कार्पो० लिमि०/इंडियन हास्पिटल कार्पो० लि० (अपोलो हास्पिटल)	1992	एस० एफ० आर० 1762
			जापानी येन 12155664
			डी० एम० 259783
			अमरीकी डालर 46056
2.	मेडिसिटी हास्पिटल	1993	अमरीकी डालर 1491712
3.	सुश्रुता डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च प्राइवेट लिमि०, सिकंदराबाद	1992	रुपये 1433500
4.	ओमनी हास्पिटल कार्पो० प्राइवेट लि०, हैदराबाद	1992	अमरीकी डालर 350000
5.	इंड्रोमिड्र, हैदराबाद	1992	अमरीकी डालर 24750
6.	कैलाश डायग्नोस्टिक सेंटर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, हैदराबाद	1992	एस० एफ० आर० 81384
7.	कमयानी हास्पिटल लिमिटेड, हैदराबाद	1992	डी० एम० 1348063
			अमरीकी डालर 1370000
			डी० एम० 18,600
8.	अनु फर्टिलिटी सर्विसेज एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमि०, हैदराबाद	1994	जापानी येन 1416336
			अमरीकी डालर 13905
			डालर 10081

सुरंग-विस्फोट

8103. श्री आर० जीवरत्नम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में हुए सुरंग विस्फोटों में कितने शस्त्र सैनिकों और अधिकारियों की मृत्यु हुई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे विस्फोटों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या मृतकों के निकट संबंधियों तथा आश्रितों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारूदी सुरंग तथा कामचलाऊ विस्फोटक यंत्रों की सहायता से किए गए विस्फोटों में 1 जनवरी 1995 से अब तक सेना के 8 कार्मिकों के मारे जाने और 33 के घायल होने की सूचना है।

(ख) उग्रवादियों/विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तैनात कार्मिकों के मामले में हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए मानक कार्य प्रक्रियाएं एवं विशेष कठोर अनुशासन निर्धारित किए गए हैं और इनका पालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उग्रवादी/विद्रोही विरोधी सक्रियाओं के दौरान हताहत होने वाले कार्मिकों को युद्ध में हताहत हुए कार्मिक माना जाता है और घायल कार्मिक/मृतक कार्मिक के निकट संबंधी, युद्ध में हताहत हुए कार्मिकों के समान ही अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लाभ सहित उदारीकृत पेंशन और भारत सरकार द्वारा घोषित अन्य लाभ करने के भी हकदार होते हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार भी उग्रवादियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान मारे गए कार्मिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भी भुगतान करती है।

श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी

8104. श्री राम कृपाल यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बेरोजगारों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी विकसित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), खादी ग्रामोद्योग आयोग इत्यादि जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सीडो के तहत, लघु तथा अति लघु क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास तथा उन्नयन के लिए अनेक प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र, औजार और प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशिष्ट विशेषीकरण उत्पाद संस्थाएं स्थापित की गई हैं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भी डिजाइन उन्नयन के लिए शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना कर रहा है।

विभिन्न नीति उपक्रमणों और कार्यक्रमों के कारण, श्रमोन्मुखी क्षेत्रों में रोजगार में परिणामी वृद्धि हुई है जो नीचे दर्शायी गई है :-

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	वर्ष	
	1992-93	1993-94
लघु क्षेत्र	134.06	139.38
हस्तशिल्प	53.05	64.20

[अनुवाद]

एसिड नेटवर्क

8105. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक नेशनल एसिड टेस्ट-नेट-वर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) विश्व मौसम संगठन द्वारा समेकित प्रदूषण निगरानी वेधशालाओं के विश्वव्यापी नेटवर्क के एक भाग के रूप में भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न भागों में वर्षा जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए इलाहाबाद, जोधपुर, कोडईकनाल, मिनिकोय, मोहनबाड़ी, नागपुर पोर्ट ब्लेयर, पुणे, श्रीनगर, तथा विशाखापत्तनम में दस पृष्ठभूमि वायु प्रदूषण निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क की स्थापना की है।

ऊपर उल्लिखित स्टेशनों में वर्षा जल नमूनों को नियमित रूप से एकत्र किया जाता है तथा वर्षा जल की अम्लीयता का विश्लेषण किया जाता है। अम्लीयता का मापन तकनीकी रूप से पी० एच० मान के नाम से जाने वाले एक रासायनिक के रूप में किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

8106. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय

सरकार स्वास्थ्य योजना के और अधिक औषधालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाई की सप्लाई तथा प्रशिक्षित डाक्टरों तथा फार्मासिस्टों का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां ।

(ख) वार्षिक योजना 1995-96 में 6 होमियोपैथिक यूनिटें—दिल्ली और वम्बई में दो-दो तथा मद्रास और जबलपुर में एक-एक यूनिट खोलने का प्रस्ताव शामिल किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

“हल्के लड़ाकू विमान” परियोजना

8107. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के लड़ाकू विमान (एल० सी० ए०) परियोजना इस समय कार्यान्वयन के किस चरण में है;

(ख) क्या इसकी पहली उड़ान जून, 1996 में निर्धारित समय पर भरी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसकी पहली उड़ान कब भरी जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रथम प्रदर्शक वायुयान की एसेम्बली और इंटीग्रेशन का कार्य प्रगति पर है और इसका रोल आउट अगस्त 1995 में अपेक्षित है ।

(ख) और (ग) जी, हां । तीन-स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली द्वारा परियोजना की केंद्रीयकृत रूप से समीक्षा करके उसकी बारीकी से मानीटरी की जा रही है ताकि हल्के लड़ाकू विमान की प्रथम उड़ान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा सके ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वायुयान की पहली उड़ान जून 96 में आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क

8108. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 1000 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी;

(ग) इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी और इनका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का इन पार्कों द्वारा विकसित किए जाने वाले ग्रामीण उद्योगों का पता लगाने के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श करने का भी विचार है;

(ङ) इस संबंध में कौन-कौन से दिशा-निर्देश बनाए गए हैं; और

(च) ये पार्क कब तक स्थापित किए जाएंगे?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) जी, नहीं ।

फिर भी, देश में 500 ग्रामीण औद्योगिक तथा व्यापार पार्कों को स्थापित करने के लिए एक योजना बनाने की कार्यवाई की जा रही है ।

[हिन्दी]

जनसंख्या अनुसंधान केंद्र

8109. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 से गुजरात में कोई जनसंख्या अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार गुजरात में एक और केंद्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ोदरा के विज्ञान संकाय में 1967 से एक जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है ।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

12.01 म०प०

कावेरी जल न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट को लागू करने के संबंध में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : केसरी जी, आप रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुस्वामी, आप अपनी बात कहिए।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदय, रोम्बा ननरी....

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने तमिल में बोलने के लिए नोटिस दिया है ? अन्यथा मंत्री यह नहीं समझ पायेंगे कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : जी. हां, इसकी व्यवस्था का ली गई है।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को तमिलनाडु के लोगों की ओर से मुझे इस सम्माननीय सभा में इस कावेरी जल विवाद को उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूँ, गत चार वर्षों से, कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा न्यायाधिकरण में लम्बित है और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। तमिलनाडु के छः करोड़ लोगों की ओर से मैं माननीय अध्यक्ष को मुझे इस मुद्दे को ऐसे समय पर उठाने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ जबकि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गये अंतरिम पंचाट के लागू न किए जाने के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की जा रही है, जिसके माध्यम से कावेरी जल विवाद का अभी समाधान होना है। 1924 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कावेरी जल बंटवारे के सम्बन्ध में कर्नाटक के पूर्व सांमंती राज्य और पूर्व मद्रास प्रांत के बीच एक समझौता हुआ था। चार वर्ष पूर्व, न्यायाधिकरण ने कर्नाटक राज्य को अंतरिम व्यवस्था के रूप में तब तक प्रति वर्ष 205 टी० एम० सी० जल देने का निर्देश दिया था जब तक कि मुद्दे का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता है। यह निर्णय तब दिया गया जब कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच वार्ता असफल हो गई थी और केन्द्र सरकार भी उस वार्ता में शामिल थी। मैं इस सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि कर्नाटक सरकार पर न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए दबाव डालने हेतु अपनी शक्तियों या प्रभाव का प्रयोग करे। इससे तमिलनाडु के किसानों को मदद मिलेगी और वहां की भीषण जल समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। इससे 6 करोड़ तमिलों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों राज्यों ने इस पर कम से कम सत्ताईस बार विचार-विमर्श किया है। हमें तमिलनाडु के लोगों को पानी अवश्य देना चाहिए। अन्यथा इससे विरोध हो सकता है और देश की एकता को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमें राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि तमिलनाडु देश से अलग न हो जाये। मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तक जाने से रोकना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों का सम्मान करते हैं, यह मुद्दा बहुत अधिक लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। अतः केन्द्र सरकार की ओर से यह उचित होगा कि अंतरिम पंचाट के अनुपालन को सुनिश्चित करवाये। मैं श्री शुक्ल और केन्द्र सरकार से इस सभा के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि कर्नाटक के नए मुख्य मंत्री श्री देवगौड़ा के साथ इस मामले को उठाएं। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री भी यही करने का प्रयत्न कर रही हैं। वह न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट को क्रियान्वित कराने के लिए इस मामले को कर्नाटक के मुख्य मंत्री के साथ उठा रही हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वार्ताएं इस मुद्दे

के सौहार्दपूर्ण समाधान में सहायक होंगी जिससे तमिलनाडु के लोगों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेटूर बांध को पर्याप्त जल मिले। मैं अध्यक्ष महोदय को मुझे इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने की अनुमति देने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मेटूर जलाशय में भंडारण की वर्तमान स्थिति तमिलनाडु में डेल्टा क्षेत्र में रह रहे किसानों के लिए परेशानी का कारण है। मेटूर बांध का जल स्तर दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यह गम्भीर चिन्ता का कारण है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार का ध्यान कावेरी जल न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम पंचाट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इसे तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है। किंतु कर्नाटक सरकार ने पंचाट का सम्मान करने के लिए कोई उपयोगी कार्यवाही नहीं की है। कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय और कर्नाटक जल प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना कर रही है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री वी० सी० शुक्ल ने तमिलनाडु की मुख्य मंत्री जब उपवास पर थीं यह आश्वासन दिया था कि तमिलनाडु में पानी की जरूरत और आवश्यकता की समस्या के लिए अविलम्ब एक क्रियान्वयन समिति और निगरानी समिति गठित की जाएगी। इस आश्वासन के आधार पर हमारी मुख्य मंत्री ने अपना उपवास समाप्त किया था किन्तु केन्द्रीय सरकार ने आज तक अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है। सरकार की इस प्रकार की अकर्मण्यता से तमिलनाडु में पानी की स्थिति और खराब हो जाएगी।

इसलिए मैं, सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि कर्नाटक सरकार कावेरी जल न्यायाधिकरण द्वारा यथाआदेशित पर्याप्त जल तमिलनाडु को दे। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम पंचाट को लागू करने के लिए तुरंत दो समितियां गठित की जाएं जैसा कि इस संबंध में आश्वासन दिया गया था।

यह एक बहुत गम्भीर मामला है, अतः मैं सरकार से उत्तर चाहता हूँ।

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शुक्ल जी का ध्यान उनके द्वारा दिए गए आश्वासन की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने मुख्य मंत्री द्वारा किए गये उपवास के समय दिया था कि कावेरी जल विवाद का अंतरिम पंचाट तमिलनाडु को 205 क्यूबिक मीटर पानी देने का था। यद्यपि पंचाट चार वर्ष पहले दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कर्नाटक सरकार द्वारा पंचाट का पालन नहीं किया गया था। वस्तुतः यह आदेशों की घोर अवहेलना है और यह कार्यवाहियों की अवमानना का मामला भी है। कर्नाटक के लोग भी हमारे पड़ोसी हैं, हम कर्नाटक के लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन हम कर्नाटक के लोगों से अपील करते हैं कि वे तमिलनाडु के लोगों की पीड़ा को समझें जो अंतरिम पंचाट को लागू न करने से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

वस्तुतः, कर्नाटक के लोगों और मुख्य मंत्री को स्वेच्छा से कावेरी जल विवाद चैनल के अंतरिम पंचाट को लागू करने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए, केन्द्रीय सरकार से आग्रह करने के बजाए मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री से ही पंचाट का सम्मान करने की अपील करता हूँ क्योंकि पंचाट दिए जाने के बाद भी कर्नाटक के मुख्य मंत्री हमें एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह केवल विलम्ब करने की चाल है। यदि वे वास्तव में ईमानदारी से तमिलनाडु के किसानों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें अंतरिम पंचाट का सम्मान करना चाहिए।

अतः, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से अपील करता हूँ कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री को पंचाट का सम्मान करने के लिए समुचित निर्देश दें और तमिलनाडु के किसानों को समझौते के अनुसार जल दे कर बचाएं।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें बोलने दें।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, हमारे माननीय साथियों और न्यायालय और न्यायाधिकरण जिसने अंतरिम आदेश पारित किए हैं का आदर और सम्मान करते हुए, हमें भी तमिलनाडु के किसानों, भाईयों, और बहनों के प्रति उत्तरी ही चिन्ता है जो कि कर्नाटक के सीमान्त जिलों में करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो रह ही रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी किसान हैं, खासतौर पर मैसूर और अन्य सीमान्त जिलों में, कभी-कभी हमें पर्याप्त पानी मिला करता था। पानी एक प्राकृतिक चीज है इसे हमेशा के लिए संचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें प्रति वर्ष वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब हमें प्रकृति से भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो कर्नाटक सरकार पड़ोसी तमिलनाडु राज्य के साथ आपसी सहमति के आधार पर दो और लो, की नीति का अनुसरण करती थी।

मुझे याद है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भूतपूर्व सरकारों के समय में भी यह समस्या थी पिछले चार वर्षों से हम अपर्याप्त बारिश की समस्या का सामना कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश के बावजूद भी यह समस्या बरकरार थी। ऐसा नहीं कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करें। हमने उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश का एकमुश्त उपाय के रूप में पालन किया है। पिछले दो वर्षों में पर्याप्त वर्षा हुई है और मेंटूर बाँध के भर जाने के पश्चात् कई टी० एम० सी० पानी समुद्र में बह गया था। महोदय, मैं माननीय सदस्यों को और अपने राज्य के किसान भाईयों को सूचित करना चाहता हूँ कि हम केवल 10,000 हेक्टेयर भूमि में खेती कर रहे हैं जबकि तमिलनाडु में 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि बारिश के पानी की उपलब्धता पर निर्भरता(व्यवधान) इन लोगों को सभा और जनता दोनों को पिछले कई वर्षों से हमारे और तमिलनाडु के बीच चले आ रहे आपसी संबंधों के बारे में कोई गलत धारणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिये।

श्री आर० अन्बारासु : यह तमिलनाडु को पानी न दिये जाने का मुख्य कारण नहीं हो सकता है। आपको अधिनिर्णय का पालन और इसे कार्यान्वित करना चाहिये। कृपया जोती जा रही भूमि के क्षेत्रफल के बारे में बात मत करिये।(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : महोदय पिछले दो मास से मेरे राज्य में सिंचाई के लिये पानी नहीं है। कर्नाटक राज्य में पेयजल का भी संकट है। इस वर्ष अब तक कर्नाटक में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी आँकड़ें मंगा सकते हैं। हमारे पास बारिश के प्रमाणित आँकड़ें उपलब्ध हैं। कर्नाटक में पीने का पानी अपर्याप्त है और एक शुष्क कृषि फसल के लिये भी पानी अपर्याप्त है। इस स्थिति में हम कहाँ से पानी ला सकते हैं? पानी एक प्राकृतिक वस्तु है और जब भी जरूरत हो हम इसको नहीं दे सकते हैं। जब हमारे पास पर्याप्त पानी होता है सिर्फ उस स्थिति में हम अपने भाईयों को पानी दे सकते हैं। हमारे पास बारिश के अतिरिक्त पानी का भंडारण करने के लिये साधन नहीं हैं। पिछले वर्ष और उसके भी पिछले वर्ष अतिरिक्त पानी समुद्र में बह कर चला गया था। अपितु, इस वर्ष अब तक कर्नाटक में बारिश कम हुई है। शुष्क कृषि की बुआई भी नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय, इस मानसून के मौसम के दौरान कर्नाटक के जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा और पानी के अंतर्वाह

तथा बहिर्वाह के आँकड़े मंगवाकर सभा पटल पर रख सकते हैं। इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह एक राष्ट्रीय आयोग अथवा समिति गठित करे।(व्यवधान)

श्री आर० अन्बारासु : महोदय, यह गलत है। यह विलम्ब करने का तरीका है।

(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : महोदय, नहीं। यह लेने और देने की नीति है और एक-तरफा नीति नहीं है।(व्यवधान) उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए कर्नाटक ने पिछले वर्ष उसके आदेश को कार्यान्वित किया था। परन्तु, इस वर्ष पानी अपर्याप्त है और जल ग्रहण क्षेत्रों में पानी का भण्डार कर्नाटक में नहीं है। इस स्थिति में, मेरे विचार में, कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को पर्याप्त पानी नहीं दे सकती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें सभी को एक साथ होना चाहिए। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हम बाँट सकते हैं लेकिन अगर पानी की कमी है तो हम बाँट नहीं सकते हैं। यही समस्या है।(व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिन्देट्टिपालयम) : महोदय, अन्तरिम पंचाट की क्या स्थिति है?(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक गम्भीर मामला है। कर्नाटक से हमारी पार्टी के एक ही सदस्य थे जो कि आज वहाँ मुख्यमंत्री हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कर्नाटक के किसानों का भी हित जुड़ा हुआ है। इस मामले पर गम्भीर बहस जीरो आवर में नहीं हो सकती है और हम लोगों को इसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी नहीं है तथा कर्नाटक में पीने के पानी की भी बहुत कमी है, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए मंत्री जी यहाँ जवाब दें। ऐसा न हो कि वह एकतरफा दबाव में आकर जवाब दे दें। यही मेरी आपसे विनती है।

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। उनको उत्तर देना चाहिए। वह अपने वायदे से हट गए हैं। उनके वायदे का क्या हुआ?(व्यवधान)

श्री आर० अन्बारासु : महोदय, हम चाहते हैं कि अधिनिर्णय कार्यान्वित किया जाए। हमको उपलब्ध पानी को बाँटना चाहिए। अन्ततः दोनों पड़ोसी राज्य हैं। हमको उपलब्ध पानी को बाँटना चाहिए। हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं।(व्यवधान)

12.14 म० प०

इस समय डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम आर्यौ और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गई।

इस समय श्री बी० कृष्णा राव और कुछ अन्य सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप लोग

अपने-अपने स्थानों पर नहीं जायेंगे ।

12.16 म० प०

इस समय डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दर्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : वहाँ पानी अपर्याप्त है । बारिश नहीं हुई है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करिये, कृपया बैठ जाइये । हमको यह समझ लेना चाहिए कि यह मामला दो राज्यों के बीच है ।

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, परमबिकुलम-अलीयार समझौते का तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और न ही उसकी अवधि बढ़ाई गई है ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बीच-बीच में बोलना बन्द करेंगे ? मैं आप लोगों की सहायता करना चाहता हूँ । यह दो राज्यों के बीच का मामला है । भारत सरकार ने भरसक प्रयास किया है । भारत सरकार की अपनी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री पी० जी० नारायणन : उनके वायदे का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बिना कैल में जाए हुए भी अपनी बात कही जा सकती है । मेरे लिए कर्नाटक के सदस्य को रोकना मुश्किल है । वे कहते हैं कि सब कैल में जो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं गया, तो यह धारणा पैदा होगी कि हमको कर्नाटक के हितों की चिन्ता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कर्नाटक के मेम्बर ने आपसे चिन्ता व्यक्त की है, मगर अच्छे ढंग से की है, ऐसा मुझे ध्यान है ।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र जी आप अपने सुझाव बाद में दे दीजिएगा, चेम्बर में जाकर ।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मेरी समझ में यह दो राज्यों का झगड़ा नहीं है ।(व्यवधान) मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ ।(व्यवधान) पानी की कमी है और विवाद और जगहों पर भी है । मेरा आग्रह है, क्या भारत सरकार ने सोचा है, मैं पहले भी इस प्रश्न को उठाया था, नर्मदा नदी के पानी का गिराव कई जगह ऐसा है कि जल भण्डारण हो सकता है । बरसात के दिनों में जल भण्डारण हो कर, जब पानी की कमी हो, तो उस पानी का उपयोग कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों राज्यों के लिए हो सकता है ।

दूसरा सुझाव—मैं बहुत गहराई से सऊदी अरब में जाकर देखा है, समुद्र के नमकीन पानी को मीठा बनाकर पीने और खेती के लिए उपयोग हो रहा

है । अगर यह संभव है, खर्च क्या होगा, लेकिन मैं देखकर आया हूँ और मैंने समझने की कोशिश की है । ये मेरे दो सुझाव हैं । क्या भारत सरकार ने विचार किया है या करेगी?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे सुझाव हैं, बाद में उस पर विचार हो जाएगा ।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह विवाद काफी लम्बे अर्से से चला आ रहा है और जब इसका समाधान नहीं किया जा सका, तो जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था । न्यायाधिकरण ने अन्तरिम अधिनिर्णय दिया है और इसको लागू हो जाना चाहिए । सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक कार्यान्वयन तन्त्र निकाला है । मेरी तमिलनाडु की मुख्य मंत्री से भेंट के बाद कार्यान्वयन कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है । सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को इसमें सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन सरकार ने अपने कुछ व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया है, जो कि केन्द्रीय जल आयोग के लिए कावेरी न्यायाधिकरण के द्वारा किये गये अन्तरिम अधिनिर्णय के अनुरूप जल के बहाव को मॉनीटर कर रहे हैं । यह अनुत्पादनशील अवधि है । इसी अवधि के दौरान पानी की पूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है । न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि जैसा प्रचुरता के मामले में होता है कठिनाई और कमी के मामले में भी बाँट कर चलना चाहिये । मुझे वर्तमान वास्तविक स्थिति के बारे में मालूमत करनी पड़ेगी कि कर्नाटक सरकार द्वारा कितना पानी छोड़ा गया है तथा क्या यह न्यायाधिकरण के अन्तरिम अधिनिर्णय के द्वारा तय की गई समय अनुसूची के अनुरूप है या नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार न्यायाधिकरण के अन्तरिम अधिनिर्णय का पालन करेगी और कोशिश करेगी कि इसको कार्यान्वित किया जाये ।

केरल से हमारे साथी ने भी इसको उठाया है क्योंकि इस समस्या में चार सम्बद्ध राज्य हैं—कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पाँडिचेरी । परन्तु मुख्य विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है । सरकार का यह प्रयास होगा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये अन्तरिम अधिनिर्णय को लागू किया जाये । न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णायक सुनवाई चल रही है और सरकार को आशा है कि इसका अन्तिम निर्णय शीघ्र हो आ जायेगा । परन्तु जब तक अन्तिम निर्णय नहीं आता है अन्तरिम अधिनिर्णय ही बाध्य है । सरकार का कर्तव्य है कि अन्तरिम अधिनिर्णय लागू हो और वह इसकी पूरी कोशिश करेगी ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री भोगेन्द्र झा जी के सुझाव को ध्यान में रखना चाहिए ।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : महोदय, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ । मेरी जानकारी के अनुसार नदी जल विवादों के संबंध में एक नई नीति बनाई गई है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह नीति सभा पटल पर रखी जाएगी अथवा क्या वह नीति छोड़ दी गई है । इस नीति को बनाने के समय जल को बाँटने के संबंध में मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया गया था । अतः यह थी राष्ट्रीय जल नीति ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अति जटिल मामले हैं । इसलिये, सदस्यों को मंत्री जी से तत्काल उत्तर की आशा नहीं करनी चाहिये ।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, नहीं । यह नीति जटिलता कम करने के लिये थी । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह नीति सभा पटल पर रखी जायेगी अथवा क्या यह नीति समाप्त कर दी गई है । मैं इस नीति के बारे में मंत्री जी से उत्तर चाहता हूँ क्योंकि यह राष्ट्रीय नीति है और इसका

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रारूप भी पहले वितरित किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होगा कि प्रश्न पूछते समय या फिर सूचनाएं देते वक्त बड़े-बड़े नीतिगत मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है । अगर हम मंत्री जी से किसी बड़े नीतिगत मामले के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो मेरे विचार में हो सकता है कि मंत्री जी उसका उत्तर न दे पायें । अगर मंत्री जी उत्तर देने में समर्थ हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, यह एक वर्ष पुरानी है । पिछले मार्च में यह बनाई गई थी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, माननीय सदस्य कानून और नीति के बारे में उलझन पैदा कर रहे हैं । सभा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम नाम का यह कानून बनाया गया था । राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में संसद द्वारा बनाये गये उस अधिनियम से हम प्रेरित होते हैं । अगर सरकार विवाद को नहीं सुलझा पाती है तो यह न्यायाधिकरण को सुपुर्द कर दिया जाता है । यह नीति संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम में वर्णित है । संसद द्वारा बनाये गये उस अधिनियम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । सरकार संसद द्वारा बनाये गये उस अधिनियम से प्रेरित होती है और उसको लागू भी करती है ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैंने दो विषयों का सुझाव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किसी एक विषय का चयन कर लें । दोनों विषय ही अच्छे हैं ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं पाकिस्तान में मोहाजिरों की स्थिति की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । महोदय, आपको मालूम है कि मोहाजिर भारतीय मूल के लोग हैं । वह हमारे ही भाई-बहन हैं । इन लोगों के भारत के लोगों के साथ अभी भी संबंध हैं । अतः उनके साथ जो कुछ होता है, वह आक्रोश, दुःख और चिंता का विषय है । सामान्य परिस्थितियों में मैं इस मामले को नहीं उठाता हालांकि वे स्वतंत्रता से लेकर, जबसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वे अपनी पसंद के देश में भेदभाव का शिकार होते रहे हैं । उनके साथ जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव होता है और इसी दुर्व्यवहार के कारण वे पाकिस्तान के जीवन और समाज में घुल-मिल नहीं पाए हैं । उन्हें वहां स्थिर नहीं होने दिया जा रहा है । आजकल वे भेदभाव का ही नहीं बल्कि अत्याचार, हिंसा और हत्या के भी शिकार हो रहे हैं । वास्तव में, कराची बेरूत में परिवर्तित हो गया है, जहां सीमा रेखाएं खींच दी गई हैं और मुहाजिर परिवार अपने घरों से बाहर आना और यहां तक कि कराची की गलियों में स्वतंत्रतापूर्वक घूमना भी सुरक्षित नहीं समझते । यह बड़ी चिंता का विषय है और मैं यह कहूंगा कि यह उस देश के लिए, जिसने उनके मेजबान की भूमिका निभाई थी, बहुत ही अपमानजनक बात है । पाकिस्तान के कुछ नेताओं द्वारा दिये गये कुछ वक्तव्यों ने आग में घी डालने का काम किया है ।

महोदय, मुहाजिर जो जातीय और भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं और संकेन्द्रित हैं, वास्तव में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में वे बहुसंख्यक हैं और स्वाभावतः अपने अधिकारों को रक्षा के लिये एक राजनीतिक आंदोलन चलाने पर मजबूर हैं । इसे मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से पुकारा जाता है । 'मुहाजिर कौमी मूवमेंट' पाकिस्तान के चुनावों में भाग लेती रही है । लेकिन आजकल पाकिस्तानी नेता कहते हैं कि यह गद्दारों का दल है । वास्तव में सारे मुहाजिर समुदाय को गद्दारों की संज्ञा दी गई है । इस पर असंतोष व्यक्त किया गया है और जैसा कि मैंने कहा इसने घघकती हुई आग पर घी डालने का काम किया है ।

इस प्रश्न का मेरे यहां उठाने का उद्देश्य, जैसा कि हम पूरे विश्व के

अल्पसंख्यकों के साथ करते हैं, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों से सहानुभूति जताना ही नहीं बल्कि यह है कि आज विश्व के सभी राष्ट्र मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी घोषणापत्र, जिसके पाकिस्तान और हमारा देश भी सदस्य हैं, से बंधे हुए हैं । वास्तव में, आजकल धरेलू क्षेत्राधिकार के कारण मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रश्न पर कोई रोक नहीं है । विभेद की कोई दीवार नहीं है । ये भारतीय मूल के लोग हैं वे हमारे ही अंश हैं और उनकी नसों में हमारा ही रक्त दौड़ रहा है । उनके पक्ष में अपनी आवाज़ उठाने में हम इतना क्यों झिझकते हैं, मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता । हम विश्व के किसी भी भाग में, चाहे वह अमरीका हो, अफ्रीका हो या कोई अन्य स्थान हो, भारतीय मूल के सभी पीड़ित लोगों के समर्थन में आवाज़ उठाते हैं । चाहे यह फीजी हो अथवा मारिशस अथवा कोई अन्य स्थान, हम अपनी आवाज़ जरूर उठाते हैं । लेकिन किसी न किसी कारणवश हम पाकिस्तान का नाम आते ही चुप्पी साध लेते हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं ।

अतः मैं, भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह पाकिस्तान को यह कहने के लिए कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी घोषणा पत्र का पालन करे और जातीय, भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों से जो अंतःस्थापित मानदंडों के कारण अत्यधिक परेशानी उठा रहे हैं, ठीक तरह से पेश आये, कम से कम हर प्रकार का नैतिक और राजनयिक दबाव, प्रत्यक्ष रूप से तथा उन देशों के माध्यम से, जिसके साथ हमारे मैत्री संबंध हैं, डलवाये ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मित्र : अध्यक्ष महोदय, शहाबुद्दीन जी ने आज पहली बार इस समस्या को महसूस किया है, इससे मैं भी अपने को संबद्ध करना चाहता हूँ और एक मिनट का समय लेना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कह दिया है, अब उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम नगीना मित्र : मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शहाबुद्दीन साहब को आज धन्यवाद देता हूँ, पहले नहीं दिया, लेकिन आज धन्यवाद देता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब ने आज कम से कम यह महसूस किया कि पाकिस्तान में जो मुसलमान यहां से गये हैं, उनके साथ वही व्यवहार हो रहा है, जो वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ होता है । आज शहाबुद्दीन साहब ने यह महसूस किया ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने तो यह बात बार-बार कही है ।

[अनुवाद]

महोदय, मैंने हमेशा ही यह कहा है कि इस उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए विभाजन विनाशकारी था ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मित्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे माध्यम से नहीं, डायरेक्टली निवेदन कर दीजिए ।

श्री राम नगीना मित्र : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं पर जो अत्याचार होते हैं, आज तक सदन में इस बात को किसी ने नहीं उठाया । आज संयोग की बात है कि शहाबुद्दीन साहब ने उन बिहार के मुसलमानों के बारे में जो पाकिस्तान गए हैं और उनके साथ जो व्यवहार होता

है, उसके बारे में यहां पर प्रश्न उठाया है और इसके साथ साथ वहां पर जो अल्प-संख्यक हैं, उनका मामला भी एड हो गया है। मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि वहां के अल्पसंख्यक रोजे के दिन अन्न नहीं खा सकते। इसी तरह से ईसाई धर्मावलंबियों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। देखिए हर चीज की एक पद्धति होती है, एक गरिमा होती है, उसके हिसाब से उसको रखा जाता है और उसका अर्थ भी हो जाता है, नहीं तो उसका अर्थ सब चला जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं या नहीं। किसी बात को एक अच्छे ढंग से रखना और बात है और दूसरी चीजों को उसमें लाना और बात है। आपके विषय में दूसरी जगह पर चर्चा हो, यह आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप किसी के बारे में यहां पर चर्चा करें तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज पर बोलने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। आप जिस विषय पर अच्छी तरह से बोलते हैं, उस पर तो मैं आपको चांस देता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए यह गलत बात है। आप मेरे मुंह से बिला कजह यह कहलवा रहे हैं कि यह गलत बात है।

[अनुवाद]

डा० के० डी० जेस्वाणी (खेड़ा) : महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। इसमें एक मूल प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इसमें कोई मूल बात अथवा गौण बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, कोंकण रेलवे के संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है और कई कठिनाइयों के

बाबजूद वह पांच साल में पूरा हो रहा है। दिसम्बर में वह शुरू हो जाएगा। भारतीय रेल के इतिहास में यह एक स्वर्णिम पृष्ठ होगा, भारतीय रेलवे का स्वर्णिम युग होगा जिस पर हम सबको अभिमान है।

बहुत सी इसमें बाधाएं आईं। 9 मई को राज्य सभा में रेल मंत्री ने बयान दिया कि कोंकण रेलवे में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में वह एक पार्लियामेंटरी कमेंटी नियुक्त कर रहे हैं। तो 22 दिन हो गये हैं और भ्रष्टाचार के बारे में जो संसदीय(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुआवजे का मामला उठाना चाहते थे। आप ऐसा अपने अधिकारों के अन्तर्गत कर सकते हैं। अगर सरकार को नोटिस दिए बगैर आप सभी क्षेत्र शामिल कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है।

श्री राम नाईक : मैं केवल उसी प्रश्न को शामिल कर रहा हूं।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार का जो मामला है उसमें एक बात बहुत तकलीफ की हो रही है। पांच साल पहले किसानों से जो जमीन ली गई थी उसके कम्पनसेशन में भेदभाव हो रहा है। महाराष्ट्र के 6470 किसानों ने अपनी जमीन दी है जिसमें से 5330 यानि 80 प्रतिशत को कुछ भी नहीं मिला है। इसकी तुलना में जब मैं देखता हूं तो गोवा में 9 हजार.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न मत कीजिये। मुझे तथ्यों की जानकारी है।

[हिन्दी]

गोवा में कितना देना है, महाराष्ट्र में कितना देना है इस प्रकार से तुलना करना अपने देश के लिए अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

आप मूल प्रश्न पर आइये। आपको राहत दी जायेगी। मैं आपको राहत प्रदान करूंगा लेकिन दो राज्यों में मतभेद मत उत्पन्न कीजिये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि पांच साल पहले जिन लोगों ने कोंकण रेलवे के लिए जमीन दी थी उनमें से 80 प्रतिशत को कुछ भी नहीं मिला है। लोग दिसम्बर में रेल को चलने नहीं देंगे। इसलिए मेरी मांग यह है कि जिन्होंने कोंकण रेलवे के लिए जमीन दी है उन्हें तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हमें 80 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में उन्हें पैसा दे देना चाहिए। रेल मंत्री को इस बारे में यहां बयान देना चाहिए ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य दिए जाने की उम्मीद नहीं रखता। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात की आशा करता हूं कि रेल मंत्रालय इस मामले पर विचार करेगा और राहत सहायता तीव्रता से प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : मान्यवर, देश के विशेषतः उत्तर प्रदेश के बुनकरों के समक्ष रोजी-रोटी की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। सूत का अभाव एवं सूत के मूल्य में भारी वृद्धि हो जाने के कारण हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद बाराबंकी के राम नगर दियावाद क्षेत्र के सआदत गंज, अनूपगंज आदि में भारी संख्या में बुनकर रहते हैं और इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत इस विषय की ओर ध्यान दिया जाए तथा बुनकरों को सस्ती दर पर सूत की उपलब्धता तुरंत सुनिश्चित कराई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अन्सारी इस प्रश्न पर बोलेगी और तत्पश्चात् श्री वीरेन्द्र सिंह बोलेंगे।

डा० मुमताज अन्सारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कालीन निर्माण इकाइयों से संबंधित नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को बाद में उठाएं।

डा० मुमताज अन्सारी : महोदय, मैं इस प्रश्न पर भी बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप अपना प्रश्न बाद में उठायें। अन्यथा आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कालीन बनाने वाला क्षेत्र है जहां से दुनिया भर में कालीन जाते हैं और 1500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमें इस कालीन उद्योग से मिलती है और 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, वहां के कालीन उद्योग को कुछ विदेशी शक्तियां हमारे देश के कुछ लोगों के साथ मिलकर कभी बंधुआ मजदूर और कभी बाल मजदूरों का सवाल उठाकर तबाह कर रही हैं। एगमार्क फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनी है। वह यह प्रमाण-पत्र देती है कि यह कालीन बाल मजदूरों के द्वारा नहीं बनाया गया है। उस संस्था के अंतर्गत काम करने वाले लोग गांवों में जाकर जहां कालीन बनते हैं और विदेशों को जाते हैं, कभी भी मशीनों का और मजदूरों का निरीक्षण नहीं करते हैं। दिल्ली में बैठकर यह पैसा लेकर प्रमाण-पत्र देते हैं। जो कालीन निर्माता प्रमाण पत्र नहीं लेते हैं उनके द्वारा बनाये गये कालीनों के विरुद्ध वे जर्मनी और अमरीका में जाकर प्रचार करते हैं कि ये कालीन बाल मजदूरों के द्वारा बनाये गये हैं, उनके खून से सने हैं। इस कारण ऐसे कालीन उन देशों में बेकार पड़े हुए हैं। मिर्जापुर और भदोही के कालीन बनाने वालों की स्थिति दयनीय हो गई है। इस उद्योग के द्वारा हमारे वहां 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। वे आजकल कालीन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वे बिकते नहीं हैं। हमारे देश के लोग जर्मनी अमरीका में प्रचार करते हैं कि मिर्जापुर और भदोही में बने हुए कालीन बाल मजदूरों के द्वारा बनाये जाते हैं इसलिए इनको खरीदना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग जो कैलाश सत्यार्थी नाम से बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का आंदोलन चलाते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए कालीन उद्योग को बचाये जाने का तरीका निकाला जाना चाहिए। वस्त्र मंत्री ने सदन में स्टेटमेंट दिया था कि एगमार्क संस्था कभी काम नहीं करेगी, उसके माध्यम से कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा जिससे यह साबित हो कि अपने देश का कालीन बाल मजदूरों से नहीं बनाया जाता।

है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं कौन सी शक्ति है जो कालीन उद्योग में एगमार्क फाउंडेशन के माध्यम से प्रमाण-पत्र लेने के लिए हमारे कालीन के उद्योगपतियों को विवश कर रही है और कह रही है कि जब तक प्रमाण-पत्र नहीं लगे तब तक तुम्हारा कालीन जर्मनी और अमरीका में नहीं बिक सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसको संक्षेप में कहें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सदन में वाणिज्य मंत्री ने दूसरा बयान दिया था। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें जिससे वहां के 25 लाख लोगों को, जो इस उद्योग से जुड़े हैं, रोजगार उपलब्ध हो सके और हम जो 1500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इसके द्वारा कमाते हैं, वह भी भारत सरकार को मिलती रहे।

[अनुवाद]

डा० मुमताज अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मेरे सदस्य मित्र, श्री वीरेन्द्र सिंह ने बताया, कालीन निर्माण एक श्रम प्रधान उद्योग है। हमारे देश में निर्मित कालीन विदेशों जैसे ईरान, पाकिस्तान, चीन और अमरीका में निर्मित कालीन से बहुत अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि हमारे कालीन में हाथ से गाठें लगाई जाती हैं और वह हाथ से बुना जाता है। इसीलिए इसकी बहुत अधिक मांग है और विदेशी निर्माता कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। चूँकि बाहर के देशों के लोग हमारे कालीन के लिए लालायित हैं और शीघ्रतिशीघ्र इसकी बहुत अधिक मांग है, इसलिए विदेशी निर्माता हमारे कालीन निर्माण उद्योग के लिए हर प्रकार की अड़चनें उत्पन्न कर रहे हैं और बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। वे तुच्छ आघातों पर हमारे कालीन निर्माताओं के विरुद्ध आपत्ति उठा रहे हैं।

जैसा कि मेरे मित्र ने बताया था, एगमार्क फाउंडेशन, जिसकी स्थापना भारत और जर्मनी के निर्यात संवर्धकों के आपसी सहयोग से की गई है, एक निजी एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार का साधन बन गई है। वे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और सभी कालीन निर्माण उद्योगों को केवल लेबल दे रहे हैं। वे हमारे कालीन निर्माताओं के विरुद्ध विदेशों में हर प्रकार की घोषणाएं और भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशी बाजार में हमारा कालीन नहीं बिक रहा है। हमारे राजदूतावास कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम है कि जर्मनी में प्रचार चल रहा है। हमारा राजदूतावास कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और इसमें कपड़ा मंत्री और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी ने जो महत्वपूर्ण वायदे किये हैं, पूरे नहीं हुए हैं। एगमार्क फाउंडेशन अभी भी कार्य कर रही है और समान नीति नहीं अपनाई जाती है और यह सब चल रहा है।

इसीलिए, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इन प्राइवेट एजेंसियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और विदेशों में जो प्रचार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कुछ जवाबी कार्यवाही-अवश्य की जानी चाहिये और इन सब बातों से संबंधित जानकारी हमारी एजेंसियों को दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। अधिक बोलने में मूल बात रह जाती है आप ऐसा मत कीजिए।

डा० मुमताज अन्सारी : यह 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का मामला है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इन दोनों सदस्यों ने बहुत ही गंभीर मामला उठाया है। हमारे देश में दस्तकारी पुश्तैनी धंधा है। आज दुनिया में चाईल्ड लेबर पर बहस हो रही है लेकिन हमारा देश इसमें पिछड़ रहा है। इसीलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज चाईल्ड लेबर

की परिभाषा होनी चाहिये। इस देश में जो कलावंत लोग हैं यानि संगीत बिना बचपन के नहीं सीखा जा सकता है या जिस तरह से विद्या होती है, उसी प्रकार साड़ी से लेकर दस्तकारी के जितने धंधे हैं, जैसे ब्रास, लकड़ी या कपड़े का धंधा है, वह तब तक नहीं बनता है जब तक कि बचपन से उंगलियों का कमाल न डाला जाये। तो यह परम्परा से हमारा धंधा है जिसे दुनिया के लोग जानते नहीं हैं। होटल में काम कर रहा है तो चाईल्ड लेबर का मामला बनता है या भट्टे पर काम कर रहा है लेकिन दस्तकारी के काम में, साड़ी बनाने के काम में या गलीचा बनाने के काम में उसको चाईल्ड लेबर कहा जाता है तो इस देश की हजारों वर्षों की परम्परा के साथ अन्याय है। सरकार इस पर दोहरा रवैया अपनाये हुये है। आपको इस बारे में ठीक से परिभाषा बनानी चाहिये और इस पर लम्बी बहस करनी चाहिये। मैं इस पर दो घंटे बोलना चाहता हूँ कि चाईल्ड लेबर क्या है। इस पर दुनिया का माथा खराब है लेकिन आज पूरा देश बर्बाद हो रहा है। इस फील्ड में हमारी परम्परा है और जो खेत में काम करने वाला मजदूर हैं...

अध्यक्ष महोदय : आपके ये दोनों एंगल हैं, उनको संभालकर करना पड़ेगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि ..

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहते हैं, वही ठीक है दूसरा पक्ष भी ठीक है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि सरकार को इस बाबत व्यापक बहस करनी चाहिये आज चाईल्ड लेबर के परव्यू में कौन आता है, यह सवाल दुनिया के सामने जाना चाहिये। यह अत्यंत आवश्यक है। खेती के बाद यह दूसरा ऐसा धंधा है जिसमें लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दस्तकारी हमारे जीवन का और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसलिये इस पर सरकार को व्यापक बहस करनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हमें बाल श्रम पर चर्चा करनी चाहिये। यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इस पर दसवीं लोक सभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आपको एक नोटिस देना होगा। आप नोटिस दिए बगैर इस मामले को नहीं उठा सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बात सत्य है।

अध्यक्ष महोदय : इसके नियम हैं। हमें नियमों का अनुपालन करना चाहिये और अगर आप सचमुच चर्चा के इच्छुक हैं, तो उचित तरीके से नोटिस दीजिये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : नोटिस पहले ही कई बार दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान एक ओर बात की ओर दिलाना चाहता हूँ जो रह गयी है। यह सब एक अन्तर्राष्ट्रीय साजिश के माध्यम से किया जा रहा है जो कारपेट बनाया जा रहा है, उसके बारे में यह सोच समझ है कि वह हाथ से बनाया जा रहा है इसीलिये उसकी कीमत कम होती है जबकि वह ज्यादा अच्छा होता है। सबसे ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि जर्मनी के श्रम और कल्याण मंत्री यहां पर आये थे और वे स्वयं वाराणसी और भदोई गये थे। उनके साथ हमारे श्रम

मंत्री और श्रम विभाग के अधिकारी भी गये थे तो उनको लोगों ने समझाया कि यहां पर कुछ कदम उठाये जा रहे हैं जो चाईल्ड लेबर हैं, उनको कजीफा दिये जाने, विकल्प की और पढ़ने एवं खाने की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है, धीरे-धीरे इसको हम समाप्त कर रहे हैं। यहां से लौटने के बाद वहां के श्रम मंत्री ने जर्मनी में अपील की।

ई० ई० सी० के देशों से कि आप भारत में बना हुआ कालीन मत खरीदिये। इसलिए, कि उसमें चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है। इसलिए यह बात गंभीर हो जाती है। क्या भारत सरकार इसकी रोकथाम में कोई उचित कदम उठाएगी? यूसुफ साहब हमारे इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य थे। उन्होंने सारे तथ्य दिये और कहा कि पिछले तीन चार महीने में हमारे निर्यात में 300 करोड़ रुपए की कमी हुई है और भारत सरकार चुप बैठी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार कालीन उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है और जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं। वहां दस्तकारी बरबाद हो रही है। यह उद्योग अब सारे देश में फैल रहा है, इसलिए भारत सरकार को इस पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : बात कालीन एक्सपोर्ट की नहीं है।

[अनुवाद]

वास्तव में, भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन का सदस्य है और कन्वेंशन के सदस्य के रूप में इससे बच्चों से संबंधित कुछ नियमों, कुछ परंपराओं का अनुपालन करने की आशा की जाती है। इसका एक पहलू यह है कि निर्यात कम हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली के बिल्कुल निकट बच्चे जानवरों की भांति कुछ उद्योगों में चुने जाने के लिए पकित में खड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी जहां सरकार यह कह रही है कि उन्होंने बाल श्रमिकों को रोजगार देना बन्द कर दिया है, कुछ उद्योगों में यह विशेष प्रथा अभी भी जारी है(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपने गांव में कालीन बनते हुए कभी देखा है?

श्री रूपचन्द पाल : देखा है, बहुत देखा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप जानते नहीं हैं और ऐसे ही कहते हैं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात दूसरे सदस्य ने कह दी है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : जब वह बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। मैं नहीं मानता।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसमें ऐसे ही मत बोलिये। इसके दो पक्ष हैं।

श्री रूपचन्द पाल : यह केवल कालीन के निर्यात का ही प्रश्न नहीं है। भारत सरकार को चिल्ड्रन्स कन्वेंशन का सदस्य होने के नाते कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय निकाय की वचनबद्धता को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। उस उद्देश्य के लिये हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा, जिसमें अपने आर्थिक हित के साथ-साथ अपना निर्यात हित भी सम्मिलित हो। हमें यह भी देखना होगा कि बाल श्रम की इस समस्या से किस प्रकार यथासंभव अच्छे ढंग से निपटा जाये (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हमें इस पर उद्योगपतियों की दृष्टि से नहीं बल्कि श्रम की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा।(व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : श्रम की दृष्टि से भी और उद्योग की दृष्टि से भी.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, शरद यादव जी ने एक मौलिक सवाल उठाया है। हर राष्ट्र की अपनी एक परंपरा होती है, जीवन-विधि होती है। हमारे राष्ट्र में आज से नहीं, हजारों वर्षों से ग्रामीण उद्योग के जरिये लोग जीवनयापन करते रहे हैं और इसी के आधार पर इस देश की संपदा भी रही है। जैसा उन्होंने कहा, चाहे वह नृत्य-संगीत हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे कालीन उद्योग हो, चाहे साड़ी बनाने का काम हो, चाहे जरी का काम हो, यह परंपरागत तरीके से कुछ परिवारों के जरिये होता रहा है और उसमें जो बच्चा होता है, छोटेपन से ही उसको काम सिखाया जाता है। वह कोई दूसरी जगह जाकर मज़दूरी नहीं करता। अपने ही परिवार में अपने परिवार वालों की मदद करता है। यही हालत भारत के गांवों में होती है। आज गांवों में लोग खेती में छोटे-मोटे काम जो बच्चे कर सकते हैं, वह उनसे कराते हैं। हमारी तकलीफ इस बात की है कि भारत सरकार हर समय सफाई देने की मुद्रा में रहती है। कोई भी विदेश से आ जाए तो उसके सामने सफाई देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। अभी हमारे मित्र इंटरनेशनल कनवेंशन की बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि दुनिया किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर चल रही है और किस तरह से लोगों के बच्चों के लिए उनके मन में पीड़ा है। जिस तरह बच्चों की निर्मम ढंग से हत्या कर दी जाती है, बम गिराये जाते हैं, तब बच्चों के हित का सवाल उनको दिखाई नहीं पड़ता है। मैं कहता हूँ कि शरद यादव जी ने जो सवाल उठाया है, क्या उस सवाल के ऊपर यह देश कभी सोचेगा या नहीं कि हमारी परंपरागत जो जीवन-विधि है, उसके लिए कोई स्थान है या नहीं, या दुनिया हमारे लिए जो तय कर देगी, वही हम करेंगे।

क्या भारत सरकार यह नहीं कर सकती थी कि जर्मनी के आदमी को आकर यहां पर हमारे लिए यह तय करना पड़ा कि कौन चाइल्ड लेबर है और कौन सी बच्चों द्वारा किस परिवार के उद्योग में सहयोग देने की या सीखने की कला है? हर आदमी कोई एम० ए०, बी० ए०, पढ़ेगा या हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर होगा? क्या साड़ी बनाने वाले परिवारों के बच्चे साड़ी बनाने के काम को वचन से नहीं सीखेंगे? क्या मूर्तियां बनाने वाले 15 वर्ष की उम्र के बाद मूर्तियां बनाने का ढंग सीखेंगे? ... (व्यवधान) आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, क्योंकि यह मामला आपके भाषणों से ज्यादा गंभीर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शरद जी ने एक मौलिक सवाल उठाया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हर समय हम अपने आपको एक निरीह व्यक्ति मान लेते हैं, जैसे हम हर समय कठघरे में खड़े हैं। दुनिया के लोग जो कुछ कहेंगे उस पर सफाई देने लगेंगे? मैं समझता हूँ कि वीरेन्द्र जी और हमारे दूसरे मित्रों ने जो सवाल उठाया है वह बुनियादी सवाल है और भारत सरकार को इस पर सफाई देने की बजाय उनको समझाना चाहिए कि हमारे आंतरिक मामलों में, हमारी परम्पराओं में हस्तक्षेप करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मेरा अपना विषय है, जिसके संबंध में मैंने नोटिस दिया है।

मैं चन्द्रशेखर जी से विनम्रतापूर्वक केवल यही निवेदन करना चाहती हूँ कि यह सिर्फ परम्परा का ही प्रश्न नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कुछ परंपरागत है, अतः लोकतांत्रिक देश के कुछ मूल अधिकारों को कम समझा जाये अथवा कम

आंका जाये। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और अगर बच्चों को इससे इसलिए वंचित रखा जाये कि वे पारिवारिक श्रम का भाग हैं, तो क्या हम इसे और अन्य बातों को स्वीकार कर लेंगे? क्या यह अब भी परंपरागत ढंग से चल रहा है? पारिवारिक श्रम क्या है? स्वयं परिवारों के बड़े ठेकेदारों के साथ उप ठेकेदार हैं। अतः इस प्रकार से बच्चों का परिवार सहित शोषण किया जा रहा है। इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि बच्चों का शोषण नहीं होता है। इस दृष्टि से भी, हमें इस प्रश्न को समझना होगा। जो भी हो मैं अपने (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि शरद जी, चन्द्रशेखर जी और चन्द्रजीत जी ने उन पहलुओं को उठाया है और एक मौलिक समस्या के रूप में रखा है। मैं अपने साथ कुछ मित्रों को ले जाऊँ और दिखाऊँ कि सारे देश के कारखाने जितने लोगों को काम दे रहे हैं उससे ज्यादा गृह उद्योग के जरिये वे कर रहे हैं। अगर वे शोषण करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भी शोषण हुआ था। मैंने 10 या 11 वर्ष की उम्र में बैस चराई दी, पूजा भी करता था, पढ़ने भी जाता था, सभी पारिवारिक कार्य करता था। तो क्या वह शोषण था? मेरा मानना है कि नासमझी के चलते यह बात आई है और मशीनीकरण के चलते यह बात हो रही है।

मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा तो यह देखकर कलेजा ही फट गया कि 3800 रुपए में एक साड़ी किसी राजकिशोर पासवान की बीवी बनाकर लायी थी, उसका पति कहीं माल लेकर गया था। मैं कह रहा हूँ कि जो गृह उद्योग हैं उसको उत्साहित करना है, मदद करनी है। वह शोषण नहीं है, वह तो कला का अध्ययन है जो हमारे सरकारी केन्द्रों में नहीं होता है। सरकारी केन्द्रों में केवल डिग्री लेकर नौकर बनकर घूमेंगे। इसलिए उनको मदद मिलनी चाहिए। गृह उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए और हमें इस बात को संसार के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि कुछ लोग निर्यात के जरिये करोड़पति बन गए हैं, वे शोषण करते हैं तो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों के नाम पर सारे घरेलू उद्योगों के साथ यह अत्याचार नहीं करना चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह कोई पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, यह कोई घरेलू मसला नहीं है (व्यवधान)

श्री रूपचन्द्र पाण्डे : ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) क्योंकि नई चीजें सामने आ रही हैं और नये विचार सुने जाते रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह समझने का प्रयत्न कीजिये कि यह कोई साधारण मसला नहीं है। इसके बहुत से पहलू हैं। हमें इसके केवल एक पहलू पर नहीं बल्कि अनेक पहलुओं पर विचार करना चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो दस्तकारी की परंपरा है (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा मुद्दा है, मैं इसकी अनुमति देता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया है, उसका सम्बन्ध इस देश की दस्तकारी से है और इस कला का ज्ञान बचपन से प्राप्त किया जा सकता है । 5 या 10 साल की उम्र की अंगुलियां इस बात को सीख सकती हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संभवतः वे यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि कारखानों में काम करने वाले और घरों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे, ये दोनों अलग-अलग पहलू हैं ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : परिवार उप ठेकेदार का काम कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, मेरा ऐसा अनुभव है और हमने दो साल पहले भी इस सवाल को सदन में उठाया था, लेकिन जिस तरह से मंत्री जी जवाब दे रहे थे, हम लोग इसके दूसरे एंगल को आज फिर उठाना चाहते हैं क्योंकि हमेशा इसी तरह बात को डिरेल किया जाता रहा है । यहां पर बैठा हुआ कोई भी माननीय सदस्य नहीं चाहेगा कि बच्चों को किसी भट्टे में भेजा जाये या किसी फैक्ट्री में भेजा जाये लेकिन ऐसी चीजों का, दस्तकारी से संबंधित कला का ज्ञान यदि प्राप्त हो सकता है तो कम उम्र में परम्परागत ढंग से हो सकता है । इसका संबंध कुछ जैनेटिक भी है, परम्परागत ज्यादा जान पड़ता है । वह कला नष्ट न हो जाये, इसका हमें ख्याल रखना है ।

दूसरी बात, चाइल्ड लेबर के बारे में यहां सवाल उठाया जाता है । मेरा अनुभव ऐसा है कि अमेरिकी दूतावास के लोग यहां निकलकर घूमते हैं, कई जगह जाते हैं, मरे यहां भी आये थे, आज से द्वाइ साल पहले चाइल्ड लेबर के सवाल पर उन्होंने कुछ लिटरेचर दिया था । हमने बाद में देखा कि इस देश में धीरे धीरे चाइल्ड लेबर पर, बाल मजदूरों पर बहस बहुत तेज हो गयी । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस देश को कहां से यह नैतिक अधिकार मिला है कि यहां चाइल्ड लेबर के सवाल को उठाये । इराक में बच्चे दूध के लिये बिलख रहे हैं, लेकिन उसने चारों ओर सैक्शन लगा रखा है । दूसरी तरफ हमें प्रीच और टीच करने के लिये उनके लोग घूमते हैं और हम भी उस बहस में उलझ जाते हैं ।

यहां बैठे जितने माननीय सदस्य हैं, उनमें से कोई नहीं चाहेगा कि बच्चों का शोषण किया जाये लेकिन जब दूसरे मुल्क के लोग उसी सवाल को उठाते हैं तो हम उनकी मदद भी करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे चाय की दुकानों पर काम करने न जायें, फैक्ट्रियों में काम न करने जाएं, इसके लिये उनको एंड देनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम में मदद करनी चाहिए ताकि उसके जरिये बाल

मजदूरी प्रथा का उन्मूलन हो सके । लेकिन हमारी आज जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारी कमजोरी है, उसका बेजा लाभ उठाकर, हमारे माल को विदेशों में बेचने से रोका जाये, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा है और हमारा कालीन उद्योग आज उसी का शिकार हो रहा है । इसलिये सरकार को कालीन उद्योग के बचाव के लिये, दस्तकारी कला के बचाव के लिये, मजबूती से खड़ा होना चाहिये और हमारे देश में जो यह प्रचार चाइल्ड लेबर के खिलाफ चल पड़ा है, एक अभियान दुनिया में चलाया जा रहा है, उसकी आड़ में हमारे उद्योग और हमारी दस्तकारी कला को चौपट करने की साजिश हो रही है, उस साजिश का हमारे दूतावासों के माध्यम से जमकर मुकाबला होना चाहिये ।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अमरीका में इस पहलू से सम्बन्धित गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक पेश किया गया है । इसे हाल ही में पेश किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह गैर सरकारी विधेयक हम पर लागू नहीं होता है ।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : इस विधेयक में भारतीय समुदाय के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है क्योंकि उनका उत्पादन बाल श्रमिकों द्वारा किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है । कृपया अब आप बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसारण कर्मियों के वेतनमानों में वृद्धि न करने के विरोध में आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन ने सारे देश में सांकेतिक हड़ताल की है जिसके परिणामस्वरूप 213 इकाईयों में लगभग 4000 सदस्य आज वेतन न लेकर अपना कार्य करेंगे । उनकी एसोसिएशन ने यह धमकी दी है कि इस पर भी यदि सरकार सचेत नहीं हुई तो व्यापक रूप से हड़ताल करेंगे । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब समान वेतन की बात हम लोग करते रहते हैं, अतः उनकी मांग को सरकार शीघ्रतिशीघ्र मान ले ताकि कर्मचारियों का ठीक तरह से भरण-पोषण हो सके ।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारोइडी बेंकटेस्वरलु (तिनाली) : देश में कीटनाशकों का फार्मूला बनाने वाले एककों के साथ काफी हद तक भेदभाव बरता गया है । भारत सरकार ने अप्रैल, 1994 से अध्याय 3808.10 में आने वाले कीटनाशक सूत्रों पर केन्द्रीय उत्पाद कर लगा दिया है । सौभाग्य से, विलायकों तथा सह-औषधियों इत्यादि को मिलाकर बनाए जाने वाले संह्र मूल कीटनाशक तथा रसायनों की प्रक्रिया द्वारा उनके विलयन के वह परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं जैसाकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1994 की धारा 2 (च) में विनिर्दिष्ट है ।

लेकिन इस प्रावधान के अनुसार कुछ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ताओं ने दिनांक 15.9.1993 के अपने आदेश संख्या 300/93 के तहत कुछ राज्यों जैसे पंजाब, चंडीगढ़ में और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इनसैक्यूरीसाइडस लिमिटेड के मामले में अमरावती प्रखंड में कुछ कीटनाशक एककों को छूट दी है । गुजरात अहमदाबाद में दिनांक 8.2.1995 के ट्रेड नोटिस संख्या 10/95 के तहत और आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा में केवल मैसर्स एसोशिएटिड पैस्टीसाइडज़ के मामले में दिनांक 27.3.1995 के आदेश संख्या 55/95 के तहत छूट प्रदान की गई है ।

चूँकि सभी राज्यों, उत्पादन एककों तथा सभी कीटनाशक सूत्रों को समान रूप से कर में छूट प्रदान नहीं की गई है इसलिए कुछ क्षेत्रों में कृषक समुदायों को भेदभाव तथा ऊँची कीमतों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 की धारा 2 (च) के अनुसार उत्पाद कर में छूट का लाभ सभी राज्यों तथा सभी उत्पादन एककों को दे जो कि कीटनाशकों के सूत्रीकरण के कार्य में लगे हुए हैं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं निम्न मुद्दे उठाना चाहता हूँ। यह करजात-पनवल को सीधा जोड़ने के संबंध में है।

रेल मंत्री ने यह आवश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा और योजना आयोग से स्वीकृति मिलने के पश्चात तत्काल ही परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। रेल संबंधी स्थायी समिति ने करजात-कुरला लाइन पर यातायात को कम करने के उद्देश्य से एक परियोजना की सिफारिश की थी जिस पर कि यातायात आवश्यकता से अधिक है और वह लाइन अपनी क्षमता के 110 प्रतिशत पर कार्य कर रही है। 1 दिसम्बर को 'इन्द्रायानी एक्सप्रेस' का खांडला और करजात के बीच बिना झाड़व के तेज़ गति से चलना बहुत गंभीर बात है और रेल अधिकारियों को चेतावनी थी कि करजात-पनवल के बीच इस गाड़ी को और अधिक लंबित नहीं करना चाहिए। इस बार, कोई दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन, हो सकता है अगली बार हम इतने सौभाग्यशाली न हों। इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस परियोजना को वर्ष 1995-96 के कार्यक्रम में शामिल करें ताकि महाराष्ट्र सरकार सिडको से इस परियोजना के लिए वित्त प्राप्त कर सके और इस पर कार्य शीघ्र समाप्त हो सके।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम (तिरुचेंगोड) : महोदय, 29 मई, 1995 को कच्चातीवू के समीप ई० पी० आर० एल० एफ० द्वारा बीस मछुआरों का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वे मछली पकड़ने गए थे। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि मछुआरों का अपहरण पहली बार नहीं हुआ है। कई बार उन्होंने तमिल मछुआरों को परेशान किया है। इसलिए मैं आपके द्वारा सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि वे तमिल मछुआरों के कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाएँ ताकि कच्चातीवू में तमिल मछुआरों को स्थायी सुरक्षा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

1.02½ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1995 का संख्यांक 9)—(वाणिज्यिक)

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1995 का संख्यांक 9)—(वाणिज्यिक)—इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नॉलाजी डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7801/95]

‘अभिरक्षा अपराध’ के बारे में विधि आयोग का एक सौ बावनवां प्रतिवेदन

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : महोदय मैं ‘अभिरक्षा अपराध’ के बारे में विधि आयोग के एक सौ

बावनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7802/95]

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (1995 का संख्यांक 7) (वाणिज्यिक) आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय श्रीमती कृष्णा साही की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (1995 का संख्यांक 7) — (वाणिज्यिक) — इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7803/95]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (1995 का संख्यांक 8) — (वाणिज्यिक) — एच० एम० टी० लिमिटेड (मशीन टूल बिज़नेस ग्रुप)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7804/95]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का०आ० 444 (अ) जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में, प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लक्ष्मी बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्र को अखबारी कागज़ का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का० आ० 445 (अ) जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या का० आ० 947 (अ) में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7805/95]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्रीमती मारग्रेट आल्वा की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 का उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) सा० का० नि० 361 (अ) जो 25 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जैसा कि अधिसूचना में दर्शाया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिज़ोरम-संघ शासित प्रदेशों के संयुक्त काडरों के लिए एक संयुक्त काडर प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) नौवा संशोधन विनियम, 1994 जो 29 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 887 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (3) भारतीय पुलिस सेवा (केतन) नौवां संशोधन नियम 1994 जो 29 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० का० नि० 888 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (4) भारतीय वन सेवा (केतन) तीसरा संशोधन नियम, 1993 जो 3 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सां० का० नि० 593 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7806/95]

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1995 का संख्यांक 6) (वाणिज्यिक)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन — संघ सरकार (1995 का संख्यांक 6) (वाणिज्यिक) — इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7807/95]

सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1993 तथा अखरोट श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1993 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1993 तथा अखरोट श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1993 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7808/95]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सी० सिन्हेरा) : मैं निम्नलिखित पत्रा सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7809/95]

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94

के वार्षिक लेखाओं** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7810/95]

- (3) (एक) नेशनल अकेडमी आफ मेडिकल साइंसिस (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) नेशनल अकेडमी आफ मेडिकल साइंसिस (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7811/95]

- (5) (एक) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7812/95]

- (7) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7813/95]

1.03 मध्यम

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

“राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 30 मई, 1995 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा, 24 मई, 1995 को पारित किये गये राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1995 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।”

*य नियम 29.3.1995 को सभा पटल पर रखे गये।

**केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन 19 दिसम्बर, 1994 को सभा पटल पर रखा गया था।

1.03½ म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति तैत्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तैत्तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.04 म० प०

याचिका समिति बीसवां प्रतिवेदन

श्री पी० जी० नारायणन (गोविन्देट्टिपालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.04½ म०प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.04 3/4 म०प०

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति आठवां प्रतिवेदन

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.05 म०प०

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति छब्बीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं "विद्युत क्षेत्र में नई नीति संबंधी प्रयास-कार्यान्वयन की स्थिति और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव" के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

1.05¼ म०प०

वित्त संबंधी स्थायी समिति पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं "संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1995" के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.05½ म०प०

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति चौदहवां प्रतिवेदन

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिन्ध्या (चिकमगलूर) : महोदय, मैं रेशम कीट पालन के संबंध में वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

1.05¾ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति इक्यावनवां प्रतिवेदन

मानव संसाधन-विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्न प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 30 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये इक्यावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 30 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये इक्यावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.06 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, उड़ीसा के बालासौर एवं मयूरभंज जिलों, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान संबंधी शिकायतों के बावजूद, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है अथवा कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है, यद्यपि कुछ स्थानों पर जांच की गई है। भोगराय, बलियापाल, जालेश्वर एवं रसगोविन्द पुर ब्लॉक क्षेत्रों में, जनता असंतुष्ट है कि दूरभाष केन्द्र सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा जालेश्वर में कुछ उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन वापिस कर दिये हैं। यहाँ की दूरसंचार प्रणाली अच्छी नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले की जांच करे।

[अनुवाद]

(दो) बिहार में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए और अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : बिहार राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से समुचित कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जिसके कारण यहां पर शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही प्रकार के नवयुवकों की संख्या में दिनों दिन बेरोजगारी की वृद्धि हो रही है। बिहार राज्य में ऐसे अनेक संसाधन उपलब्ध हैं जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने तथा नये उद्योगों को लगाये जाने से यहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। उदारीकरण नीति के तहत बिहार में कोई उद्योग लगाये जाने के संबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि वह बिहार राज्य में उदारीकरण नीति के तहत नए-नए उद्योग लगाने तथा वर्तमान में वहां पर चल रहे उद्योगों में नई तकनीक के द्वारा रोजगार के और अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में यहां पर उद्योग लगाएँ जिसके इस राज्य के नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

(तीन) महाराष्ट्र में नासिक में राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान की एक शाखा खोलने की आवश्यकता

डा० वसंत पवार (नासिक) : महोदय, राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान (एन०आई०सी०डी) दिल्ली संक्रमण रोग का एक अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान

की भारत के विभिन्न स्थानों पर कुल आठ शाखाएँ हैं, जिनमें से एक शाखा बंगलौर में स्थित है, जहाँ संस्थान की प्लेग संबंधी यूनिट स्थित है। लेकिन महाराष्ट्र में एन० आई० सी० डी० की एक भी शाखा नहीं है। हाल ही में, महाराष्ट्र राज्य में भारी वर्षा के कारण प्लेग, चेचक एवं अंत्रशोथ जैसी बीमारियाँ फैल गई थीं। राज्य सरकार के अनुरोध पर, एन० आई० सी० डी० बंगलौर से एक चिकित्सक दल ने मराठवाड़ा का दौरा किया था। इस दल ने प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की तथा सदिहास्पद प्लेग रोगियों के रक्त के नमूने भी एकत्रित किये थे। यद्यपि परीक्षण पूरा होने में बहुत अधिक समय लगा था। एन० आई० सी० डी० बंगलौर को समय-समय पर कुल मिलाकर 1999 नमूने परीक्षण हेतु भेजे गये थे। इन नमूनों की जांच-रिपोर्टें अब उपलब्ध करा दी गई हैं और इनमें से लगभग 435 सैम्पल पोजिटिव पाये गये थे। महाराष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक से नमूने लेकर परीक्षण हेतु बंगलौर भेज पाना बहुत सुविधाजनक कार्य है, इसके अतिरिक्त नमूनों की जांच में देरी हो जाने से महामारी पर शीघ्र काबू पाने की दृष्टि से जांच का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया। इन कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकता है। नासिक महाराष्ट्र राज्य के अनेक जिलों का केन्द्रीय स्थल है। यदि नासिक में राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान की एक शाखा खोल दी जाती है, तो रक्त के नमूनों की जांच का कार्य आसानी से और सक्षमतापूर्वक ढंग से किया जा सकता है तथा इस राज्य को महामारी प्रबंधन के कार्य में इस संस्थान के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में अत्यधिक लाभ भी मिल सकता है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले की जांच करे तथा राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान की एक शाखा नासिक में स्थापित करें।

(चार) उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गंगा नदी के भू-कटाव को रोकने के लिये गंगा नदी के साथ-साथ तटबंध के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर में बालावाली से लेकर गंगा के किनारे-किनारे बसे हुए सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जिनका बरसात में गंगा के पानी से कटाव होता है, सैकड़ों बीघा जमीन कटकर अलग हो जाती है और किसानों की फसल जैसे बाजरा, गन्ना और अन्य सब की सब नष्ट हो जाती है तथा सारी की सारी पानी में बहकर दरियाव में चली जाती है। इससे उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाता है और वे अपने बच्चों को उठाये-उठाये बाहर घूमते फिरते हैं, उनके बसने का कोई ठिकाना नहीं मिलता है और उनका सारा सामान भी नष्ट हो जाता है।

मैंने पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सुझाव दिया था कि इस कटाव को रोकने के लिए पत्थरों के बंधे लगा दिये जायें जिससे गांव सुरक्षित रह सकें और हर वर्ष जो हानि होती है, उससे बचा जा सके। किन्तु घनाभाव के कारण आज तक भी शासन की ओर से मेरे सुझाव पर कोई अमल नहीं किया गया, जिससे आज भी व्यवस्था वैसी की वैसी है। अब फिर बरसात आने वाली है और ग्रामवासी अपने जीवन के प्रति भयभीत हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराये, ताकि बिजनौर में गंगा नदी के कटाव को रोका जा सकें तथा ग्रामवासियों के जीवन तथा उनकी फसल आदि को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

(पांच) असम के करीमगंज में बेहतर डाक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : असम के हैलाकांडी जिले में स्थित

हैलाकांडी डाकघर अभी भी उप डाकघर ही है, जबकि यह जिला मुख्यालय में स्थित है। जनता को हैलाकांडी डाकघर में जमा की गई अपनी धनराशि निकलवाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि धनराशि-निकलवाने के आदेश सदैव सामान्य डाकघर से आने होते हैं। जिला मुख्यालय में किसी डाकघर का कई वर्षों तक उप-डाकघर ही बने रहना वास्तव में एक पेचीदा स्थिति है। मैंने अनेक बार सरकार से हैलाकांडी उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर एक सर्व सुविधा सम्पन्न डाकघर में परिवर्तित करने हेतु सम्पर्क किया है, क्योंकि यह डाकघर जिला मुख्यालय में स्थित है, लेकिन आज तक इस संबंध में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसके अतिरिक्त, मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज के तकरीबन सभी डाकघरों, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में कर्मचारियों की कमी है तथा हैलाकांडी उप डाकघर भी इसका अपवाद नहीं है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले की जांच करे तथा हैलाकांडी उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर यथाशीघ्र इसे एक सर्व सुविधा सम्पन्न डाकघर में परिवर्तित करे।

(छ) केरल में अलेप्पी में एक इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : अलेप्पी (केरल) में स्थित दूरभाष केन्द्र गत तीन वर्षों से सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इस दूरभाष केन्द्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके टेलीफोन कई महीनों तक खराब पड़े रहते हैं। संबंधित अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण, लोगों ने इस मामले को और अधिक कारगर ढंग से उठाने के लिए एक कार्य-परिषद का गठन किया है। इस परिषद ने यह मांग की है कि अधिक शक्तिशाली एवं आई०सी०पी० प्रणालियों के स्थान पर, एक नयी इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज अलेप्पी में स्थापित की जाये। इस एक्सचेंज को और अधिक कारगर बनाने के लिए ग्रुप डायलिंग सिस्टम को भी दोष रहित बनाया जाना चाहिये। मैंने यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाई है।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में तत्काल कदम उठाये।

(सात) बिहार के जमुई जिले में करमटिया क्षेत्र में अधिक स्वर्ण अयस्क प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुँरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रान्त में जमुई जिला के अन्तर्गत करमटिया क्षेत्र में स्वर्ण खनिज के अन्वेषण के सम्बन्ध में सूचित करना चाहूंगा कि बिहार सरकार के भूतल निदेशालय द्वारा सत्र 1982-83 से 1991-92 के बीच अन्वेषण कार्य करवाया गया था। उसके पास जो वेधन यंत्र उपलब्ध है, इससे 155 मीटर से अधिक छिद्रण करना सम्भव नहीं है। 155 मीटर से अधिक गहराई तक छिद्रण करने पर स्वर्ण अयस्क में स्वर्ण की मात्रा काफी अधिक मिलने की सम्भावना है, जैसा कि कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक में पाया जाता है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को मैंने पत्र भी लिखे थे, लेकिन अभी तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर समुचित ध्यान देकर अधिक गहराई तक छिद्रण करवाये जिससे अधिक में अधिक स्वर्ण अयस्क प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.15 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

1.15 मं०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 मं० ५० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.22 मं०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.22 मं० ५० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा प्रारम्भ करेंगी। श्री दाऊ दयाल जोशी अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज तक 40 वर्षों में सरकार ने अपनी कोई सड़क नीति नहीं बनाई। अनेक प्रकार की नीतियों का वर्णन आता है, लेकिन सरकार की अपनी कोई नीति नहीं है। राजस्थान राज्य ने भी इसी वर्ष अपनी सड़क नीति बनाई। सड़कें यदि देश में नहीं बनेगी, तो देश का विकास किसी भी मूल्य पर संभव नहीं है। सड़कें देश के विकास के लिए आवश्यक हैं। सड़कें भी अनेकानेक प्रकार की बनती हैं और अनेकानेक एजेंसियों के द्वारा बनाई जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने अभी एक नई एजेंसी लाकर खड़ी की है और एक नया नाम देकर देश के अन्दर सड़कों का निर्माण उनके माध्यम से यानि निजी क्षेत्र में करने की बात सरकार करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने उनको ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, इस नाते से यह संशोधन ले कर आई है। मैं इस संशोधन का समर्थन तो नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की मजबूरी है। जगदीश टाईटलर जी निश्चित रूप से करना तो चाहते हैं, लगता है कि इनकी भी मजबूरी है। हो सकता है शायद प्रधान मंत्री जी इनसे नाराज हों। इसलिए जितनी धनराशि इनको दी जानी चाहिए उतनी इनके बार-बार मांग करने के बावजूद भी प्रदान नहीं की जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए जो धनराशि मुहैया कराई गई थी उसमें भी कटौती की जा रही है। जगदीश जी स्वयं बताएंगे कि प्रथम जब हमने देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए थे तब आपको कितनी धनराशि मुहैया कराई थी और आज 1994-95 में कितनी धनराशि आपको दी गई है। आपको मात्र 600 करोड़ रुपया दिया गया है जब कि आपकी मांग 1 लाख 50 हजार करोड़ की थी। यह रुपया कब मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा और कैसे मिलेगा?

सरकार ने सारे विश्व से कर्जा लेकर के सड़कों का काम कराया। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भी सड़कें बनती हैं, लेकिन आज सड़कों की दुर्दशा अत्यंत चिंताजनक है। जगदीश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 12 साल पहले मेरे राजस्थान में नेशनल हाइवे जबलपुर से जयपुर घोषित किया गया था। मैं जब विधानसभा का सदस्य था तो मैं मांग करता था कि सरकार जयपुर, कोटा को नेशनल हाइवे बनाए, लेकिन उस समय सरकार ने राजनीतिक आधार पर जबलपुर तक वह मार्ग स्वीकार कर लिया। वह मार्ग कष्टपूर्ण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 12 साल से लगातार जयपुर-जबलपुर सड़क पर काम चल रहा है। केवल नाममात्र की राशि दी जाती है, पूरी राशि नहीं दी जाती है। वह काम कब पूरा होगा?

महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर गया था। वहां जैसी दुर्दशा राष्ट्रीय राजमार्ग की है वह अत्यंत चिंताजनक बात है। मुझे दुख है कि लोड

फैक्टर सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। 80 प्रतिशत वाहन सरकार द्वारा निर्धारित भारक्षमता का पालन नहीं करते, वे अधिक भार ले कर चलते हैं, इससे सड़कों की दुर्दशा होती है। आपके पास धनराशि नहीं है। आपके पास धन न होने के कारण आप मजबूर हैं। आप करें तो क्या करें। आपके लिए समस्या खड़ी हो गई है। आखिरकार सरकार आपको देना नहीं चाहती है। आप कुछ करना चाहते हैं, सरकार आपसे कुछ काम करवाना नहीं चाहती। जैसे आज से कई साल पहले नेहरू जी, इंदिरा जी के काम में एक ही राम वाण दवा सारी चीज की थी, नेशनलाइजेशन करो। बस चलानी हो तो नेशनलाइजेशन करो, उसके आधार पर बस चलेगी। भले ही दिल्ली में अरबों रुपए बसों के आधार पर कर्जा मिल गया लेकिन सरकार ने अब आ करके अपनी नीति बदली है। आज सरकार ने नयी नीति निर्धारित की है। आप विदेशियों को बुला करके सारे काम कराने की बात करते जा रहे हैं। मुझे खेद है कि आखिरकार यहां के अच्छे-अच्छे सड़क निर्माता क्या करेंगे। वे इस होड़ के अंदर कहीं नहीं टिक पाएंगे। आज इस देश के अंदर सड़क बनाने के लिये सिंगापुर से लोग आ रहे हैं। वहां आपने सौदा तय किया कि 10 हजार किलोमीटर सड़क सिंगापुर बनाएगा। यू० एस० ए०, यू० के० भारत में सड़क बनाएगा, कनाडा बनाएगा और भारत का कामगार उद्योग में लगा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आज ऐसा लगता है कि हमारी हर चीज बुरी है, लेकिन विदेशी आकर जो चीजें बनाएंगे वह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम होंगी। यह देश हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला और नालंदा की संस्कृति वाला है। जब विश्व के अंदर मकान नहीं बनते थे। तब से हमारा भारतीय नागरिक मकानों में रहता आया है और इसको आज हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। यह ठीक है कि आपकी मजबूरी है, आपके पास पूंजी नहीं है। आपने आज से पांच साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की घोषणा की थी।

उस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का क्या हुआ, जिसके बारे में मंत्री महोदय, ने इस सदन में घोषणा की थी। मंत्री महोदय, अपने जवाब में बताएं कि उसका क्या हश्र हुआ। यह सही है कि विदेशियों को बुला कर यहां पूंजी आहूत की जा रही है, इसलिए उनकी शर्तों पर काम करना पड़ेगा। कल आपने बताया कि सड़कों के दोनों तरफ के रास्ते को भी वही कंपनियां डेवलप करेंगी। जब वे डेवलप करेंगे तो अपनी शर्तों पर ही करेंगे। भूमि हमारी होगी और उसको किराए से देने का अधिकार उस सड़क निर्माता का होगा। वे लोग हिन्दुस्तान में आकर सड़कें बनाएंगे और हिन्दुस्तान का नागरिक सड़कों के किनारे वृक्ष भी नहीं लगा सकता। जो सड़क बनाएंगे, सड़क के दोनों किनारे भी आप उसी को दे देंगे।

इसी तरह से विदेशियों की शर्त है कि सड़क बनाने के लिए उनको मशीनरी विदेश से लाने की अनुमति दी जाए, यह छूट भी आपने दी है। मेरा निवेदन है कि उनकी सारी शर्तें न मानी जाएं, देश हित का भी ध्यान रखा जाए। जो एक्सप्रेस-वे मेट्रो सिटीज में बनाने जा रहे हैं, 60000 करोड़ रुपया इन पर खर्च होगा। इस संबंध में हमको अपनी शर्तें भी उन लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। मंत्री महोदय ने एक प्रत्युत्तर में स्वयं बताया था कि क्या करें, हमको जो पैसा मिलता है, वह तो विभाग के कर्मचारियों पर ही खर्च हो जाता है, तो सड़कों का रख-रखाव हम कैसे करें। लेकिन मंत्री महोदय ठंडे दिमाग से सोचें कि आपका विभाग रोजगार देने वाला विभाग है। जब सड़कें बनती हैं तो हजारों लोगों को काम मिलता है। कहीं ऐसा न हो कि विदेशी कंपनियां सड़कों पर काम करने के लिए लोगों को भी विदेशों से ही ले आएँ और हमारे देश का नागरिक टुकुर-टुकुर देखता रह जाए, सड़कों पर मिलने वाले काम से वह महारूम हो जाए। आपके विभाग के कर्मचारियों के पास भी काम नहीं रहेगा, केवल नेशनल हाइवे के रख-रखाव का काम रह जाएगा, तो आप इतने बड़े काफिले का क्या करेंगे, यह भी एक अहम सवाल है। सी०पी०डब्ल्यू०डी० का

क्या होगा, बहुत बड़ा स्टाफ है, इसके बारे में भी बताने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस नई नीति से केन्द्र सरकार ने देश का कोई भला नहीं किया है, ऐसी मेरी मान्यता है। निश्चित रूप से उन कंपनियों से कोई प्रभावी गारंटी प्राप्त की जानी चाहिये। विदेशी पैसे से देश हित ज्यादा जरूरी है। आज सड़कों के माध्यम से जो विदेशी पैसा आ रहा है, यह चिंता की बात है। मैं इस बात का हामी हूँ कि एक्सप्रेस-वे बनने चाहिए, लेकिन इस काम को निजी क्षेत्र में देने से देश का हित नहीं होगा। मंत्री महोदय अपने जवाब से स्पष्ट करें कि निजी क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का प्रवेश होगा तो उनके प्रति हमारी क्या नीति रहेगी? किसको प्रवेश देंगे, किसको प्रवेश नहीं देंगे? अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निजी कंपनियों पर कैसे नियंत्रण रखा जाएगा। यह बात इस बिल में कहीं नहीं बताई गई है। निजी कंपनियों के कार्य का मूल्यांकन करने का क्या पैमाना होगा, यह तय नहीं किया गया है। फिलहाल तो विदेशी कंपनियों को निमंत्रित करके भारत में बुलाने की बात है और यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश की तरफ आकर्षित हों। मेरा कहना है कि भारतीयों का भी एक निश्चित हिस्सा सड़क निर्माण में होना चाहिए। यह कोशिश होनी चाहिए कि भारतीय उद्योगपति अधिक से अधिक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हों। ऐसा न हो कि सारा काम विदेशियों के हाथ में चला जाए और सड़क निर्माण कार्य में लगे भारतीय लोग डुकुर-डुकुर देखते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, इससे पूर्व अन्य सदस्यगण बोलना शुरू करें, मैं आपकी अनुमति से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। यह विधेयक किसी भी तरीके से केवल विदेशियों अथवा अप्रवासी भारतीयों के लिए ही नहीं है। यह विधेयक, सरकार को इसे निजी व्यक्तियों को सौंपने की अनुमति देने एवं पथकर वसूल करने के अलावा कुछ नहीं है।(व्यवधान)

मेजर जनरल(रियायती) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : चाहे वह विदेशी है अथवा भारतीय.....(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : यह खुला है.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : भारतीय नागरिक का प्रतिशत तय करें। विदेशी बड़ी तेजी से आ रहे हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : कोई नहीं आ रहे हैं। मैं सब जवाब दूंगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आ रहे हैं। सिंगापुर से आ गया।

श्री जगदीश टाईटलर : कोई नहीं आया। उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कनाडा ने कई काम लिए हैं। मेरा बहुत कटु अनुभव है। माननीय मंत्री जी, कनाडा के माध्यम से हमने अणु-शक्ति प्रोजेक्ट बनाया है। 210 मेगावाट और 210 मेगावाट यानि 420 मेगावाट का अणु-शक्ति प्रोजेक्ट जो बंद पड़ा हुआ है। कनाडा का कोई व्यक्ति आकर उसको संभाल नहीं रहा है। ऐसे राष्ट्र का जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है सड़क निर्माण में सहयोग न लें, तो देश का कल्याण होगा।

श्री जगदीश टाईटलर : हम आपको सब जवाब देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० चार्ल्स को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 1995 के समर्थन के पक्ष में हूँ, जो सभा के समक्ष है।

महोदय, मैं समझता हूँ कि सड़क व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। सड़क व्यवस्था और संचार व्यवस्था आर्थिक विकास के मुख्य आधार हैं। जीवन स्तर में सुधार और लोगों को सामान्य यातायात उपलब्ध कराने के लिए, यात्रा और संचार व्यवस्था में सुधार करना होगा। इस दृष्टि से यातायात के महत्वपूर्ण साधन अर्थात् वायुमार्ग, जलमार्ग, रेल तथा सड़कें आदि सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु हवाई यात्रा बहुत मंहगी हो गई है। केवल धनी लोग, व्यापारी वर्ग की जेब ही इसे वहन कर सकती है। इस प्रकार यातायात का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग या रेलवे ही है। किन्तु अब भी ज्यादातर लोग यात्रा और यातायात दोनों के लिए ही सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। अतः जब तक सम्पूर्ण सड़क तंत्र को सुदृढ़ नहीं किया जाता और सुविधायें नहीं दी जातीं, तब तक देश की आर्थिक प्रगति पूर्ण नहीं हो सकती।

फिलहाल हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है? बीसवीं शताब्दी में 66000 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। आज हमारे पास केवल 34000 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्धारित लक्ष्य को 20 वीं सदी के अंत तक प्राप्त करने के लिए हमें लगभग 32000 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग का और निर्माण करना होगा।

महोदय, एक अन्य सर्वेक्षण यह बताता है कि जो घनराशि सरकार के पास उपलब्ध है, उससे यह लक्ष्य प्राप्त कर पाना असम्भव है। हमें कम से कम 10,000 कि०मी० की तो तत्काल आवश्यकता है। और यदि 10000 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग की यह न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं की गई तो सारी सड़कों पर भीड़-भाड़ हो जाएगी और देश की प्रगति बाधित हो जायेगी। न्यूनतम 10000 कि०मी० सड़क के निर्माण के लिए भी हमें 80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यही हाल विद्यमान राष्ट्रीय राज मार्ग व्यवस्था के बारे में भी है। केवल 15 प्रतिशत के लिए हमारे चार लेन व्यवस्था हैं और लगभग 85 प्रतिशत के लिए दो लाइन। इसको चार लाईनों में बदला जाना है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार के लिए उस बड़ी घनराशि को जुटाना बहुत कठिन है क्योंकि जो वित्तीय सहायता दी जाती है वह बहुत ही कम है। हमें वार्षिक घनराशि जो प्रत्येक वर्ष दी जाती है, 600 करोड़ रुपए और 700 करोड़ रुपये के बीच है। इस राशि को देखते हुए 150,000 करोड़ की अपेक्षित राशि प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे यह भली भांति समझा जा सकता है।

इसलिए हमें सड़क निर्माण के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। एक गलत धारणा या संदेश यह दिया जा रहा है कि विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों को विदेशियों को दिया जा रहा है; यह कि हम देश की आर्थिक संप्रभुता का समर्पण कर रहे हैं और हम विश्व बैंक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस तरह के नारे हम कुछ कई पिछले वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं।

दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि पिछले पाँच वर्ष तक कुछ राजनीतिक दल नेहरू की समाजवादी नीति के पूर्ण विरोधी थे। अचानक उसके एक वर्ग ने नेहरू नीति का समर्थन करना शुरू कर दिया। वे लोग बहुत दुखी हैं कि नेहरू नीति बदल दी गयी है। महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री कई बार यह कह चुके हैं कि यह सभी परिवर्तन और निरन्तरता पर टिके हैं तथा निरन्तरता और परिवर्तन साथ-साथ चलेंगे। हम पहले प्रस्तावों अथवा नीतियों से विचलित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आवश्यकता महसूस होती है हम कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार सड़क क्षेत्र में भी निजी उद्यमियों को केवल नई सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपने का ही प्रस्ताव है। विद्यमान कोई भी सड़क या सुविधा

उनको नहीं दी जा रही है। यदि आप नई सड़कें बनाना चाहते हैं... (व्यवधान)

मैं अपनी भूल का सुधार करता हूँ। मंत्री महोदय यहां पर हैं और मैं समझता हूँ कि वह चर्चा का उत्तर देंगे। यदि मैं कोई गलती की है, वह उसे ठीक करेंगे। जहां तक मैं समझता हूँ कि विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग का इंच भर भी निजी क्षेत्र को कार्य हेतु नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार ऐसा गलत संदेश नहीं दिया जायेगा। यह सब निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए था—वह चाहे विदेशी हो या अप्रवासी भारतीय या देश के अन्दर या कोई भी, जो भी कोई राष्ट्रीय राजमार्गों में निर्माण के मुख्य क्षेत्र में निवेश की इच्छा रखता हों जिसके लिए 150,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जिसको भी देश के विकास में रुचि है, जिसे प्रगति की चाह है वह इस क्षेत्र में आ सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में भी हमें बड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा आखिरकार हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं। इन्हें हमारी अर्थव्यवस्था का शीर्ष नियन्त्रक माना जाता है। इसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। किन्तु यदि कोई रुग्ण उद्योग है और वह लाभ नहीं कमा रहा है, तो हमें उसके लिए साधन जुटाने होंगे। अभी हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले ही सप्ताह एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 24 उपक्रम ही लाभ कमा रहे हैं। शेष 200 से भी अधिक उपक्रमों का हम क्या करें। क्या हम हमेशा ही इन्हें राज सहायता देते रहेंगे? अतः हमें पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है जिससे हम विश्व में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम हो सकें। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जीवित नहीं रह पायेंगे। इसलिए इसे सक्षम बनाना है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि वर्तमान अधिनियम की धारा-4 के अनुसार, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र के अधीन हैं और कोई अन्य इनकी देखभाल नहीं कर सकता। राज्य सरकारें भी इनकी देखभाल नहीं करती हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल भारत सरकार द्वारा की जानी होती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा-5 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। अतः वर्तमान अधिनियम के अनुसार केवल भारत सरकार ही इन पर निवेश कर सकती है, इनका निर्माण कर सकती है और वह ही इनकी देखभाल कर सकती है। पूर्ववक्ताओं ने के०लो०नि०वि० का उल्लेख किया है। इसका के०लो०नि०वि०विभाग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो के०लो०नि०वि० को अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी। के०लो०नि०वि० के किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी क्योंकि सभी विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। आप के०लो०नि०वि० के बारे में ब्यर्थ ही चिन्तित हैं। हम उन्हें निगरानी एजेंसी का कार्य भी देना चाहते हैं। जब सड़क का निर्माण किया जाता है, तो इसके रखरखाव के लिए कोई निगरानी एजेंसी होनी चाहिए, और इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होती है। अतः राष्ट्र को इस तरह का कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए कि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है बनाया है उसे हम बेकार जाने दे रहे हैं। यह सरकार—लोगों के ही पास रहेगा। हम तो मुख्य राजमार्गों के एक हिस्से के निर्माण के लिए ही पूंजी आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह कोई स्थाई समर्पण भी नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ कि यह 'बाट' "बी ओ० टी०" यानि बिल्ट-आपरेट-ट्रान्सफर है। इस प्रकार वे एक अवधि विशेष के लिए इस क्षेत्र में पदार्पण कर सड़कों का निर्माण व उनका संचालन करेंगे। ये सभी शर्तें करार में दर्ज होंगी।

सरकार है, माननीय मंत्री जी हैं, और मेरा विश्वास है कि वे देश के हितों की रक्षा करेंगे। हम आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहे हैं। जब हम कोई करार करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम राष्ट्रहित की रक्षा करें। किन्तु यदि कोई पूंजी निवेश करता है तो वह उसे दान में नहीं देता। वह इसे लाभ कमाने के लिए निवेशित करता है। सड़कों की देखभाल और उनके संचालन की जिम्मेदारी

भी उनकी ही होगी। अन्ततः कुछ समय पश्चात, जब निवेश और उस पर लाभ उसे प्राप्त होगा, जो कि एक समयबद्ध कार्यक्रम है, वह इन सबको राष्ट्र को समर्पित कर देंगे और तब यह राष्ट्र की सम्पत्ति बन जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह क्रान्तिकारी परिवर्तन है जिसका मैं स्वागत करता हूँ और राष्ट्रहित में हमें इसका समर्थन करना चाहिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा और यह 150,000 करोड़ रुपये को जुटाने के लिए कितने वर्ष लग जाएंगे।

इसके साथ ही, मैं एक नम्र निवेदन भी करना चाहता हूँ हमारा देश बहुत विशाल है, मैं दूरस्थ दक्षिण भारत से आता हूँ। जो लोग दिल्ली के आस पास रहते हैं वह दिल्ली से दूर रहने वालों लोगों की समस्याएं, पूर्वोत्तर राज्यों अथवा दक्षिण भारतीय राज्यों में रहने वाले लोगों की समस्याओं से परिचित नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार द्वारा दिल्ली से बाहर जाते हैं और कार द्वारा त्रिकेन्द्रम से दिल्ली आते भी हैं। केरल में उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल राज्य में ही उपलब्ध नहीं है। हमें दूरस्थ स्थानों से सभी तरह से कच्चे माल को मंगाना होता है और हमें परिष्कृत माल दूर-दराज के राज्यों को भेजना होता है। इसके लिए सड़क ही मुख्य सम्पर्क साधन है। इसके अलावा केरल और सुदूर राज्यों के मध्य किसी तरह का सीधा सम्पर्क नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यह विधेयक पारित किया जाए, जब सड़कों का निर्माण निजी उद्यमियों द्वारा आरम्भ कराया जाए तब दक्षिण से उत्तर की तरफ आने वाली यह पहली सड़क होनी चाहिए। हम हमेशा से यही कहते हैं कि हमारा देश कन्याकुमारी से काश्मीर तक फैला हुआ है। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूँ कि कन्याकुमारी से त्रिकेन्द्रम तक सभी राज्यों से होते हुए सीधे सड़क सम्पर्क होना चाहिए।

मध्य प्रदेश में किसी स्थान से एक सड़क बिहार और उड़ीसा को फूटी हुई काश्मीर को और दूसरी असम को जा सकती है। यदि यह सड़क बनती है, तो यह राष्ट्र के लिए एक प्रसन्नता की बात होगी, यह राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सहायक सिद्ध होगी, इससे यातायात में सहायता मिलेगी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से इस प्रस्ताव के पक्ष में विचार करने का अनुरोध करता हूँ। यदि शीघ्र ही एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सड़क का निर्माण किया जाता है, तो यह देश के भावी विकास का आधार होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ और माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूँ कि उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों से कोई गलत धारणा नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि वह बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम इस क्षेत्र के लिए पूंजी चाहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सड़क विकसित करना चाहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर राष्ट्र की भावी प्रगति निर्भर करती है। अतः, मैं सभा के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि अविलम्ब सड़कों का निर्माण हो।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, आज के विश्व में कुछ देश राष्ट्र के महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों में राष्ट्र की भागीदारी की मात्रा कितनी हो, इस संबंध में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। विश्व में हुए कुछ परिवर्तनों तथा हमारे देश में भी कुछ लोगों के चिन्तन में हुए परिवर्तनों के कारण, निजी क्षेत्र की भूमिका के महत्व पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि सुधारों के नाम पर पूर्ण परिवर्तन की बात सत्ताधारी दल के मन में घर कर गई है। हम जिस आसान विकल्प को इस समय चुन रहे हैं उसके बाद राष्ट्र को जिन संभावनाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्गों के महत्व से या एक्सप्रेस मार्गों, उपमार्गों तथा अन्य मार्गों के महत्व से इन्कार नहीं करेगा। भारतीय सड़क कांग्रेस ने बहुत पहले अपने ज्ञापन में सुसंगत और महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। 1989 में एक प्रस्ताव तैयार किया गया था कि हमें पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त एक प्राधिकरण के गठन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जो इस समस्या का गहराई से अध्ययन करेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने उत्तर में यह बताएं कि प्राधिकरण गठित करने के मामले में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण रहे हैं। मुझे बताया गया है और मैंने स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी देखा है कि पर्याप्त संख्या में कार्मिकों के अभाव के कारण ऐसा हुआ है। क्या यह हमारे देश के लिए जहाँ इतनी अधिक व्यावसायिकता है, एक कारण हो सकता है? विलम्ब के बारे में क्या कहना है? क्या वे 1989 से आज तक इस बारे में गंभीर हैं? अगले दिन ही मैंने देखा कि प्राधिकारी, महाप्रबंधक और अन्य भूमि अधिग्रहण इत्यादि के लिए तथा सभी समस्याएँ सुलझाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये लेकर आ गये हैं। यह हाल की बात है। यह प्रस्ताव 1989 से लम्बित पड़ा हुआ है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि सरकार इस संबंध में जरा भी गंभीर होती, तो उसने इसके लिए एक पूर्ण कार्यक्रम बनाया होता। क्या हम, आज ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं? नहीं। सरकार के पास लगभग 133 नए प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं उनमें से केवल कुछ ही को राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है। भारतीय सड़क कांग्रेस एक लक्ष्य निर्धारित कर रही है। यह किस आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर रही है। यह मुझे भी मालूम नहीं है। सरकार के पास यातायात के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उनके पास यात्री यातायात या माल यातायात किसी के भी संबंध में कोई संगत और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 77 राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग 34,000 किलोमीटर लम्बा है या किसको सरेखण या रख-रखाव की जरूरत है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या कहां पर इसे क्षेत्रीय अस्तुलन और औद्योगिक संभावनाओं और क्षमताओं के कारण विकसित किया जाना है। महत्वपूर्ण संगठनों द्वारा इस संबंध में सुझाव दिए जाने के बाद भी सरकार के पास कोई नीति नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि सभी प्रश्न संगत हैं क्योंकि वे अपने हित में अपनी बातें कहते रहे हैं। उदाहरण के लिए फिक्की या उद्योगपतियों के अन्य महत्वपूर्ण संगठनों या व्यापार संगठनों का मामला लीजिए जो हमेशा से महत्वपूर्ण सुझाव देते रहे हैं।

हमने इसी सभा में सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों इत्यादि के विकास और रख-रखाव के लिए एक केन्द्रीय सड़क निधि बनाने का निर्णय लिया था। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति कितनी दयनीय है। सरकार झूठे वायदे क्यों कर रही है? सरकार धन एकत्र कर रही है। प्रारूप परिकल्पनों के अनुसार इस वर्ष भी लगभग 9,000 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व, पथकर और इन सब चीजों के रूप में एकत्र किए गए हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : यह राज्य सरकारों के लिए है।

श्री रूपचन्द पाल : यह प्रश्न बाद में आएगा कि क्या यह राज्य सरकारों के लिए है या केन्द्र सरकार के लिए है। उपरोक्त धन राशि में से दस प्रतिशत से भी कम धनराशि सड़क क्षेत्र या विकास के लिए खर्च की जाती है। सरकार इसको पूर्ण राज-सहायता नहीं दे रही है। सरकार औद्योगिक गृहों को सभी तरह की रियायतें और राहत दे रही है जो सरकार को राजस्व से वंचित कर रहे हैं। पहली योजना में ही एक प्रतिशत से अधिक रख-रखाव और अन्य बातों के लिए उपलब्ध करवाया गया था, मौजूदा परिचय में हम देखते हैं कि यह एक प्रतिशत से कम है, यह केवल 0.57 प्रतिशत के लगभग ही है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग या उससे सम्बद्ध आधारभूत सुविधाओं के

संबंध में कभी भी गंभीर रही है क्या वह इस बारे में कभी-कभी गंभीर रही है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है और उन लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है जिनके अन्दर क्षेत्रीय अस्तुलन के कारण वंचित होने की भावना व्याप्त है

उनके सुधार कार्यक्रमों में भी तदर्थता विद्यमान है। उदाहरण के लिए, वे बी०ओ० टी० अर्थात् बिल्ड, आपरेट और ट्रांसफर स्कीम के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर बातें कर रहे हैं। लेकिन अनुभव क्या है, चाहे यह मैक्सिको में हो, मलेशिया में हो या चीन में हो? महोदय, जैसा कि एयरलाइंस के मामले में हो चुका है और जैसा कि दूरसंचार के मामले में हो रहा है जिसे आप खोल रहे हैं, यह उन लोगों की स्वाभाविक मनोवृत्ति है जो निवेश के लिए उन क्षेत्रों को चुनेंगे जिनमें लाभ अधिक होगा। वे हमारी अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं करेंगे, वे हमारे क्षेत्रीय अस्तुलन की परवाह नहीं करेंगे और वे राष्ट्रीय अखंडता की समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं, की परवाह नहीं करेंगे और इसका कारण देश के कुछ भागों में वंचित रखने की भावना होगी। देश के कुछ भागों में केन्द्रीय सरकार ने लोगों को हमेशा वंचित रखा है। अनुभव यह है कि वे केवल उन्हीं पुलों का निर्माण करेंगे जहां पर टोल टैक्स अधिक प्राप्त होगा और सुनिश्चित भी होगा। वे अन्य क्षेत्रों की परवाह नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर में वही बात सड़क क्षेत्र के साथ भी होगी जो एयरलाइंस के साथ हुई थी। वे उन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे जो सरकार की नीतियों के कारण निरन्तर पिछड़े रहे हैं। फिर महोदय यह बात ठीक है कि शुल्क दर ढांचे का निर्णय बाद में किया जाएगा। जैसा कि विश्व में है, निर्धन वर्ग के लोग टोल टैक्स ढांचे की उच्च लागत को वहन नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में क्या होगा? मेटाडोर पर समान ले जा रहे गरीब किसान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।..... (व्यवधान)

मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूँ जो दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग, जिसे पूरा नहीं किया गया है, पर हो रहा है। चूंकि वहां पर कोई घोषित पारपथ यानि क्रासिंग न होने के कारण सड़क के इस तरफ के लोगों को सड़क के दूसरी तरफ स्थित बाजार में अपने कृषि उत्पाद ले जाने पड़ते हैं। इस तरह से उनको राष्ट्रीय राजमार्ग पार करना पड़ता है क्योंकि वहां पर कोई भी घोषित क्रासिंग नहीं है, न वहां पर कोई विभाजक है और न ही कोई समानान्तर सड़क है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इस बात की ओर ध्यान दें कि अब तक कितनी दुर्घटनाएँ वहां हो चुकी हैं जबकि अभी दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, औपचारिक रूप से नहीं खोला गया है। इन दुर्घटनाओं का कारण यह है कि किसानों को सड़क पार करनी पड़ती है क्योंकि उनके सामने कोई अन्य विकल्प नहीं है।

महोदय, अब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या की ओर आता हूँ। हमारे देश में क्या होगा?..... (व्यवधान)

श्री जी० देवराय नायक (कनारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वहां पर क्या बातचीत हो रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक है। मैंने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी है।..... (व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। परन्तु सरकार को भी अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। सरकार उन क्षेत्रों में पीछे हट सकती है जहां लाभ अर्जित किया जा सकता है और निजी क्षेत्र को लाभ अर्जित करने की अनुमति दे सकती है। अन्यथा, उनके पिछड़े क्षेत्रों के लिये उन लोगों के लिये कोई सामाजिक दायित्व नहीं रह जाएगा जो ऐसे क्रासिंग पर पुलों और अन्य

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सुविधाओं के अभाव में गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

3.00 म०प०

महोदय, मैं अपने 'दुर्गापुर एक्सप्रेसवे' के अनुभवों को बताना चाहता हूँ जैसा कि आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और सिलिगुड़ी के बीच 'सुपर' राजमार्ग का निर्माण किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यह काफी लम्बा फासला है। इससे आवागमन का समय बचेगा और माल दुलाई तथा यात्रियों के आवागमन की दृष्टि से भी लागत कम आएगी। पिछले 10-11 वर्षों से केन्द्रीय सरकार का मानना है कि वास्तव में 'दुर्गापुर एक्सप्रेसवे' का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सामान्य मरम्मत हेतु धन देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं मालूम यह कैसे हो गया है। मैंने पाया है कि सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग को इस आधार पर धन नहीं दिया है कि उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जबकि वास्तव में निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले 10-11 वर्षों से केन्द्र पश्चिम बंगाल सरकार और जनता को अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि पत्तन और कलकत्ता शहर को आसनसोल, दुर्गापुर और कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ता है, के रखरखाव हेतु धन नहीं दे रहा है।

महोदय, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ एक समानांतर सड़क बना दी जाती है और विनियंत्रक प्राधिकरण विकास कार्यक्रम हेतु उचित प्राथमिकता तय नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अन्य देशों में ऐसा किया जा चुका है। वहां पर समानांतर सड़कें हैं, जिनकी लागत कम होने के कारण जनता उनके लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। मुझे मालूम नहीं है कि सरकार उन लोगों को जो पूंजी निवेश करने जा रहे हैं किस प्रकार की गारंटी देने जा रही है। मंत्री महोदय, उत्तर के दौरान स्पष्ट बता सकते हैं क्योंकि विद्युत और अन्य क्षेत्रों में गारंटी का प्रश्न उठ चुका है और मुझे बताया गया है कि अगर गारंटी नहीं दी जाती है तो कोई तैयार नहीं है क्योंकि प्रारंभिक चरण लम्बा है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या कर छूट अवधि अथवा लाभ को वापस भेजने का अधिकार अथवा 30 वर्ष की छूट अवधि अथवा होटल/रेस्तरां का निर्माण करने का अधिकार अथवा भूमि प्रयोग करने का अधिकार दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा? मुझे मालूम नहीं है कि भूमि संबंधी मुद्दे का क्या होगा? केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की मंत्रियों की समितियां इस कार्यवाही में तेजी ला रही हैं। परन्तु इससे क्या होगा? ऐसा दुर्गापुर एक्सप्रेस और कई अन्य मामलों में हो चुका है। जिस किसी भी व्यक्ति की आय का स्रोत खत्म हो जाता है, अर्थात् पुरखों की कृषि भूमि ले ली जाती है उसकों कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसमें कौन हस्तक्षेप करेगा? केन्द्र सरकार कह देगी कि यह राज्य सरकार का दायित्व है परन्तु राज्य सरकार कह देगी कि निजी पक्ष को देखना है। यह अन्य मामलों में भी देखा गया है। अपने क्षेत्र में भी मैं ऐसे ही अनुभव हूँ। वहां पर केन्द्र सरकार ने लम्बे समय तक लोगों को वंचित रखा है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु मैं सरकार को पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ कि इस तरह की तदर्थता से देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिये, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह शक्तिशाली प्राधिकरण को गतिशील बनाने के लिए केन्द्रीय निधि और उन व्यक्तियों—जिनके पास काला धन है—जिन्होंने सरकार को देय राजस्व से वंचित रखा है, से सड़कों के उपयोग करने के लिए भुगतान लेकर उसका इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ऐसी स्थिति में उनसे धन भी प्राप्त होता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, अब आपकी बारी है। परन्तु अगर आप की सहमति हो तो मैं श्री खण्डूरी जी को आपसे पहले बोलने की अनुमति देना चाहता हूँ क्योंकि उनको कहीं जाना है। फिलहाल, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में और संशोधन करने के लिए विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में तो बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यह देश महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी ने स्वावलंबन और स्वदेशी की बात कही थी, लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुला रही है और अपने देश में सड़क बनाने की बात कर रही है, जो कि सरासर गलत बात है। हम समझते हैं कि किसी भी देश और राज्य के आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा सड़क होती है, लेकिन मंत्री जी आपके पास धन का अभाव है। इसलिए आपने इस विधेयक में संशोधन करने का बिल यहां पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अधिनियम में संशोधन की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी मानसिकता में संशोधन की जरूरत है। मानसिकता को शुद्ध करने की जरूरत है। यहां के लोगों का जो मानसिक स्तर गिर गया है और जो लोग राष्ट्रीय भावनाओं से दूर चले जा रहे हैं, उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है और देश के लोगों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कराने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, ५०० प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में कहा था कि जो विकास की राशि दिल्ली से गांवों में जाती है वह मात्र 15 प्रतिशत ही पहुंच पाती है। जैसे बर्फ का एक टुकड़ा यदि किसी के हाथ में दे दिया जाए और वह कई हाथों से होकर गुजरे तो अंत में उसका पानी ही हाथ में रह जाएगा। वैसे ही बात यहां हो रही है। जो राशि दिल्ली से गांवों के विकास के लिये जाती है, वह वहां पहुंचते-पहुंचते मात्र 15 प्रतिशत रह जाती है। मंत्री जी हमें बताएं कि यह 85 प्रतिशत राशि कौन खा जाता है। या तो हमें खोट है या पदाधिकारियों में कोई खोट है। मंत्री जी जवाब देते समय यह बताएं कि आखिर यह धनराशि कहां चली जाती है। मंत्री जी मैंने पहले ही कहा था कि लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कराने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में आतंकवादियों की बात हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी से बड़ा इस देश में कोई आतंकवादी नहीं होगा। यदि ये आतंकवादी नहीं हैं, तो इनका मंत्रालय जल, भूतल परिवहन मंत्रालय तो आदमखोर मंत्रालय बन गया है। मैं इन्हीं के द्वारा इनके उत्तर में दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताना चाहता हूँ कि इनका मंत्रालय किस प्रकार से आदमखोर है। वर्ष 1951 में आजादी के बाद जो 20 हजार किलोमीटर सड़क मिली थी, उसको हम 46 वर्षों की आजादी के बाद मात्र 34 हजार किलोमीटर सड़क बढ़ा पाए हैं। इस समय हमारे देश में कुल 54 हजार किलोमीटर लम्बी सड़क है। प्रति वर्ष इस देश में जो लोग मरते हैं, 22 राज्य और 9 केन्द्र शासित प्रदेशों में, उनकी संख्या इसमें बताई गई है 1991 में 2 लाख 93 हजार 501 आदमियों की दुर्घटनाएं हुई जिनमें से 56,596 मरे। इनमें से हताहत हुए 2 लाख 97 हजार 202। 1992 में जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार 2 लाख 75 हजार 511 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। इनमें से 49,720 लोगों की मृत्यु हुई। इनके अलावा इनमें से हताहत हुए 2 लाख 77 हजार 272। वर्ष 1993 में 2 लाख 6 हजार 798 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। इनमें से 42,043 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से जख्मी हुए 1 लाख 17 हजार 845 जबकि हमारे देश में सड़कों की लम्बाई मात्र 54 हजार किलोमीटर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दलील दी है कि इन दुर्घटनाओं के कारण जो इन्हें विभिन्न अध्ययनों से मालूम हुए हैं, वे इन्होंने बताए

हैं कि ड्राइवरो की गलती, पैदल यात्रियों की गलती, खराब मौसम, खराब सड़कों, यांत्रिक खराबी और वाहनों की संख्या में वृद्धि। इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 66 हजार किलोमीटर सड़क बनाएंगे और उसके लिए 52 हजार करोड़ रुपए की जरूरत बताई है।

जबकि इन सड़कों की लम्बाई 54 हजार किलोमीटर है लेकिन इन सड़कों पर करीब 60-70 हजार लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। किसी युद्ध में भी इतने लोगों की हत्या नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि यदि वे आतंकवादी नहीं हैं तो उनका मंत्रालय आदमखोर है। आपको अपने मंत्रालय के आदमखोर पदाधिकारियों को सुधारने की जरूरत है। आप अपने मंत्रालय के विकास का काम करने के लिए चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाये या किसी कम्पनी को बुलाए, जब तक आपके विचारों में सुधार नहीं होगा तब तक आपकी सड़कें अच्छी नहीं हो सकतीं।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मात्र बिहार की दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बिहार राज्य में राष्ट्रीय पथ की कुल लम्बाई 2118 किलोमीटर है। 1974 से लेकर आज तक आपने बिहार में एक किलोमीटर तक की बात तो दूर रही, एक इंच तक सड़क नहीं बढ़ाई है (व्यवधान)

इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1000 किलोमीटर के निम्नलिखित मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से लगातार अनुरोध किया है। कुछ निम्नलिखित सड़कें इस प्रकार हैं :-

- (1) पार्श्वती पथ बरेली से अमीन गांव मार्ग दरभंगा फारबीसगंज, जो कि लिंक पथ है, उसकी लम्बाई 1050 किलोमीटर है जबकि वह बिहार में 350 किलोमीटर पड़ता है।
- (2) गाजीपुर बलिया छपरा हाजीपुर मार्ग, जिसकी लम्बाई 210 किलोमीटर है जबकि वह बिहार में 70 किलोमीटर पड़ता है।
- (3) मोकामा फरक्का मार्ग, जिसकी लम्बाई 250 किलोमीटर है जबकि वह बिहार में 240 किलोमीटर पड़ता है।
- (4) आरा बक्सर मार्ग 80 किलोमीटर है। वह बिहार में टोटल पड़ता है।
- (5) पटना मुजफ्फरपुर सोनबरसा मार्ग, जिसकी लम्बाई 160 किलोमीटर है, वह बिहार में टोटल पड़ता है।
- (6) कोढा कटिहार हरिश्चन्द्रपुर फरक्का मार्ग, जिसकी लम्बाई 95 किलोमीटर है। वह बिहार में टोटल पड़ता है। परन्तु अभी तक भारत सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि इन सबको राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया जाये। इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र से संबंधित एक बात कहना चाहूंगा। बनारस से लेकर बरही तक, जिसके बारे में हम समझते हैं कि वह देश का सबसे ज्यादा व्यस्ततम मार्ग है। उस मार्ग पर काफी गाड़ियों का आना जाना है। वहां पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां कभी ट्रक उलटता है तो कभी बस उलटती है, वहां लोगों का मरना निश्चित रूप से है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि बनारस से लेकर बरही तक 4 लेनों वाली सड़क बनाई जाये। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम की तरफ दिलाना चाहूंगा। वहां के शेरशाह सूरी ने 5 वर्षों तक इस मुल्क पर हकूमत की है। यह एक ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल है। वहां पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐतिहासिक स्थल होने के अलावा जिला मुख्यालय भी है। वहां के जी० टी० रोड पर सारे आफिस व दुकानें आदि बने हुए हैं। वहां बेड़ा से लेकर एस० पी० जैन कालेज तक एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। मैं माननीय

मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह चुनाव होने से पहले वहां ओवरब्रिज का उद्घाटन कर देंगे तो मैं इस बिल का समर्थन कर सकता हूँ।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं आपका तथा सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक 1995, जो हमारे सामने है। इसका पहला वाक्य, स्टेटमेंट ऑन आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स उद्देश्यों के कारण कथन में कहा गया है कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए उसकी सड़कें और संरचनात्मक विकास आवश्यक है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार यह बिल 48 सालों के बाद ला रही है। यह बात वह सरकार और वह पार्टी कह रही है जिसने इस देश पर 48 सालों में से 45 साल तक राज किया है। आप इतने दिन बाद यह बिल ला रहे हैं तो सीधी-सी बात समझ में आ रही है। यह आश्चर्य की बात है लेकिन चलिये आपने इस पर ध्यान तो दिया। आप सही रास्ते पर आ रहे हैं। देर से आये परन्तु दुरुस्त आये। यह ठीक है लेकिन लगता है कि इसको आपने कितनी लापरवाही, कितनी केजुअलनेस से किया है। यह इतना छोटा सा बिल है। इस बिल में केवल 24 लाइनें हैं जिनमें से 18 लाइनों में संशोधन भेजा हुआ है। जिन्होंने भी यह बिल बनाया है, कितने ध्यान से बनाया है, बनाने में उनका कितना मन था, वह इसी से पता चलता है कि 24 लाइनों में से 18 लाइनों में संशोधन है। यह अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता है। इससे लगता है कि यह अभी भी जिस रफ्तार में चल रहा है, वह केजुअलनेस से चल रहा है। मुझे आशा है कि आपने इस संशोधन को भेजने से पहले यह ध्यान दिया होगा कि क्यों इस संशोधन की जरूरत है?

श्री जगदीश टाईटलर : यह बिल 1993 में ही आ गया था परन्तु एक लाइन एड करने के कारण रुक गया था।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उन्होंने 24 पंक्तियों वाले विधेयक के संबंध में संशोधन जारी किया है। परन्तु, संशोधन में 12 पंक्तियां हैं। इससे पता चलता है कि विधेयक की रूपरेखा कितनी लापरवाही से बनाई गई है।

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : आपकी कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजी थी।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो संशोधन हैं, वे अच्छे हैं। दरअसल जब मैंने इस बिल को पढ़ा था तो मेरे मन में भी आया था कि यह होना चाहिए लेकिन पहले आपके मंत्रालय के जो एक्सपर्ट हैं, उनकी समझ में यह बात आनी चाहिए थी।

क्लॉज 8 (क) (2) में पैसा उगाहने की बात है कि कितना पैसा ले सकते हैं। इसमें पहले तो आपने काफी शंकाएं रखी थीं लेकिन अमेडमेंट के बाद बात थोड़ी क्लीयर हुई है।

[अनुवाद]

सरकार ऐसा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कर सकती है। मेरे विचार से सरकार के लिए यह बाध्यकारी होना चाहिये कि सरकार यह करेगी। मुझे मालूम नहीं है कि क्या इसमें ज्यादा अंतर है।

[हिन्दी]

लेकिन इम्प्रेशन यह है कि यदि करना चाहें तो करें। यदि कोई अच्छी मल्टी नेशनल कम्पनी आ गई और उसके बाद छोड़ना चाहते हो, मेरे ख्याल से छोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि भविष्य में लोग उसमें प्रष्ट्याचार की कोशिश करेंगे। उसमें शंकाएं पैदा होंगी, आप सही काम करेंगे तो भी शंकाएं

हेमी कि आपने किसी का फेवर किया है। इसलिए दो चीजों पर मेरा सुझाव है। एक तो *may* की जगह *shall* होना चाहिए। दूसरा यह है कि इसे फिक्स करने के लिए कोई टेक्नीकल कमेटी बनाएं जिससे सिर्फ अधिकारियों के ऊपर बात न छोड़ी जाए, मंत्री के ऊपर न छोड़ी जाए। जैसा मैंने कहा, मन में लगता है कि प्रष्टाचार होगा, जहां ज्यादा पैसा देना है वहां ज्यादा फीस लगा सकते हैं। यदि इस बात का इसमें प्रावधान हो तो अच्छा हो। प्रौफिटियरिंग चाहे हिन्दुस्तान की कम्पनी हो या मल्टी नेशनल हो, किस प्रकार करेंगे, यह स्पष्ट करें तो अच्छा होगा।

क्लॉज 8 (क) (3) में रेगुलेट करने की बात की गई है। आपने बाद में रेगुलेशन को भी स्पष्ट किया है लेकिन फिर भी कुछ शंकाएं पैदा होती हैं कि प्राइवेट कम्पनियों को कितना अधिकार दिया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आप किस प्रकार के नेशनल हाइवे देने वाले हैं। सिक्युरिटी आस्पैक्ट्स या यातायात नियंत्रण को क्या आप उनके हाथ में छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से इसे सख्त करने की जरूरत है और सरकार को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है। जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने सड़क बनाई है, यदि उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो मुश्किल होगी। यदि आप चाहें तो इसमें अभी अमेंडमेंट कर दें नहीं तो प्रक्रिया के समय कर सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि मेंटेनेंस के लिए किस प्रकार के नेशनल हाइवे देगे क्योंकि कितने ही हाइवेज ऐसे हैं जिन्हें सिक्युरिटी की दृष्टि से या डिफेंस की दृष्टि से दूसरों को नहीं देना चाहिए। क्या आपकी इस प्रकार की कोई गाइडलाइन बनी हुई है? उदाहरण के तौर पर ऋषिकेश-बद्रीनाथ बाईर के ऊपर हाइवे है। मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर भी यदि बिल में इसकी व्यवस्था हो जाती तो भविष्य में कोई इसे नजरअंदाज नहीं करता, खासकर इसमें यह स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि किस प्रकार के नेशनल हाइवेज को मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया जाएगा। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा इसमें ऐसा प्रावधान किया जाए कि जब भी बाईर एरिया में या सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत हुई तो उसमें रक्षा मंत्रालय की सलाह ली जाएगी। यदि आप ऐसा क्लॉज रखें तो कोई गलत चीज नहीं जाएगी।

देश की सड़कें बनाने वाली एजेंसीज हैं, प्राइवेट हों या मल्टी नेशनल, मल्टी नेशनल के साथ कम्पिट करने में हमारे लिए मुश्किल होगी। इस बात पर विचार करना होगा क्योंकि आर्थिक नियम सभी पर लागू होते हैं।

लेकिन मंत्री जी, आपके पास एक आर्गेनाइजेशन है, इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, विदेश में जाकर उसने सड़कें बनाई हैं, तो उसके अन्दर कोम्पिटेंस होगी, लेकिन पिछले कई सालों से वह घाटे में चल रहा है। सब का सब घाटा उनकी अपनी वजह से ही नहीं है, कुछ घाटा ऐसा है कि लीबिया जैसे देशों ने पैसा नहीं दिया, वह बात है लेकिन कुछ घाटा इसलिए भी है कि मेनेजमेंट ठीक नहीं है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इसको भी एनर्जाइज करके, अच्छा मेनेजमेंट करके, उनको भी फ्रीडम देकर इस कम्पीटीशन के लिए ज्यादा सशक्त बनाएंगे, केपेबल करेंगे ताकि इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, यह इसमें आये और अपने देश के लोगों से ही नहीं, बल्कि मल्टी नेशनल्स से भी कम्पिट करे। उसके बारे में अगर कुछ विचार है तो कृपया बतायें।

अन्त में मंत्री जी, अभी मेरे से पूर्व वक्ता पासवान जी ने कहा और हमारे सब के मन में यह बात है कि आज तक अनेकों सड़कें ऐसी थीं, जिनको हम नेशनल हाइवे बनाना चाहते थे, मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी अनेक सड़कों के प्रस्ताव आपके पास आये हैं, मेरे क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ अब वहां लाखों की संख्या में धार्मिक यात्री भी जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुण्ड साहब

और पर्यटन की दृष्टि से भी केली आफ प्लावर है, आप जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से उनका कितना महत्व है। इसमें धन की भी आपकी कुछ स्थिति अच्छी हो जायेगी, क्या आप कष्ट करेंगे कि इस प्रकार की सड़कों को भी आप नेशनल हाइवेज बनाये और खासकर जो सड़क ऋषिकेश से बद्रीनाथ मैंने कही है, क्या इसको आप निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कृपा करेंगे? इस सब को कहते हुए, जैसा मैंने कहा कि उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी जो मॅग्नोडोलोजी है और जिस प्रकार इसको किया जा रहा है, उसमें कुछ शंकाएं पैदा हो रही हैं। लेकिन उद्देश्य अच्छा है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके एग्जीक्यूशन में, इसको क्रियान्वित करने में जो भी शंकाएं हैं, त्रुटियां हैं, उनको आप दूर करेंगे, ऐसी मुझे आपसे आशा है।

[अनुवाद]

श्री बी० अकबर पाशा (किल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। हम देख रहे हैं कि यातायात निरन्तर बढ़ रहा है। 80 के दशक के पश्चात यानि दस वर्षों में ही, यातायात दर पहले की तुलना में चार गुना बढ़ गई है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पहले जैसे ही हैं और इनमें कुछ ही सुधार हुआ है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1950-51 से वर्ष 1993 तक राष्ट्रीय राजमार्ग चार लाख किलोमीटर से बढ़कर 20 लाख किलोमीटर हो गए थे। परन्तु यह बढ़ रहे यातायात की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई सिर्फ 34,058 किलोमीटर है। यह सम्पूर्ण तन्त्र का करीब दो प्रतिशत है। यातायात में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था के ऊपर काफी दबाव पड़ रहा है। इस तन्त्र का आधुनिकीकरण करने की नितान्त आवश्यकता है। आँकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ 50 प्रतिशत सड़कें पक्की हैं। उनमें से 15 प्रतिशत एक लेन वाली है और कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का सिर्फ 51 प्रतिशत हिस्सा चार-लेन वाला है।

मुझे खुशी है कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्गों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में नीति के विस्तृत मानकों को मंजूरी दे दी है। इसमें विदेशी भागीदारी भी शामिल है। देश की जरूरत 60,000 किलोमीटर की है जो कि अति कठिन कार्य है। यह योजना थी कि 1981 और 2,000 के बीच इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा। परन्तु मैं पाया है कि 14 वर्ष के दौरान सिर्फ 4,000 किलोमीटर ही बनाया गया है। देश को लगभग 10,000 किलोमीटर लम्बे 'एक्सप्रेसवे' की आवश्यकता है लेकिन धन की कमी है। इसके लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। इसके लिये अनुमानित आवश्यकता 53,000 करोड़ रुपये की है और इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये हैं। इस थोड़ी सी धनराशि से श्री जगदीश टाईटलर क्या कर सकते हैं? इसका केवल एक ही तरीका है और वह निजीकरण।

इस लक्ष्य को शीघ्रता से बी०ओ०टी० (बिल्ड, आपरेट एण्ड ट्रांसफर) अर्थात् निर्माण, संचालन और हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये कंपनियां राजमार्गों के निर्माण और उन पर सुविधायें प्राप्त करने में अपनी धनराशि का निवेश करेंगी। कुछ वर्षों तक इस प्रकार की सुविधाओं को उपयोग किये जाने के लिए चुंगी भी ली जायेगी। मैं विदेशों में इस प्रकार की चुंगी की वसूली देखी है और विदेशों में यह एक आम बात है। उनके पास बहुत से एक्सप्रेसवेज हैं और वे उनके लिए चुंगी वसूल करते हैं। अपने राजमार्गों की तेजी से संख्या बढ़ाने का हमारे पास अब केवल यही एक तरीका है। इसी प्रकार से हमें बहुत से बाईपास, पुल और एक्सप्रेसवेज बनाने हैं। हमने कुछ निविदाएं आमंत्रित की हैं और प्रयोग के तौर पर निजी क्षेत्र से हमने 27 निर्माण, संचालन और हस्तांतरण की परियोजनाओं की पेशकश की है। अमरीका, ब्रिटेन और मलेशिया से जवाब

मिले हैं। स्थानीय कंपनियों जैसे हैदराबाद की गायत्री इंजीनियरिंग और मद्रास की स्पिक ग्रुप से भी निविदाएं मिली हैं।

महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह ने ऐसी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के निवेश पर पांच वर्ष तक कर न लगाने की घोषणा की है। इसने इस क्षेत्र की गतिविधियों में एक नया उल्हास फूंक दिया है। पिछले दस वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई लगभग 34,000 किलोमीटर पर ही स्थिर है लेकिन वाहनों की संख्या स्थिर नहीं रहती है। यह वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही रहती है। एकल लेन वाली सड़क को दोहरी लेन वाली सड़क में परिवर्तित करने से एक सामान्य वाहन जैसे ट्रक की संचालन लागत 20 प्रतिशत तक कम हो जाती है और औसत गति 20 प्रतिशत तथा टायरों की आयु 50 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। इस देश में किसी वाहन की कुछ संचालन लागत अनुमानतः 1,00,000 करोड़ रुपये है। इसमें से इन सड़कों को परिवर्तित करने से न केवल दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है बल्कि ईंधन सहित व्यय में भी लगभग 15 प्रतिशत तक की अनुमानित बचत होने की संभावना है। हम यह महसूस करते हैं कि कम से कम मौजूदा 34,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरा किया जाना चाहिए। बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा सड़कों में सुधार लाने की लागत लगभग 1.8 करोड़ रुपये और नई सड़क बिछाने की लागत प्रति किलोमीटर 6 करोड़ रुपये आती है। हमें होटलों, मोटलों, रेस्तरां पेट्रोल पंपों, शॉपिंग कम्प्लेक्सों इत्यादि की व्यवस्था करनी है। ये सभी चीजें आवश्यक हैं। अन्यथा सड़क यात्रा अरुचिकर हो जायेगी। सड़कें हमारे रहन-सहन के स्तर का सूचक अथवा कोई विलास की वस्तु नहीं है बल्कि प्रगति का एक अनिवार्य मार्ग है। इसकी बहुत आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ जिसका उद्देश्य पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उसके किसी भाग के विकास और रखरखाव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से समझौता करना है; दूसरे शुल्क लगाना और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग को विकसित करने का काम हाथ में लिया है ऐसे शुल्क की उगाही के लिए प्राधिकृत करना; ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को नियमित करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करना; और राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने पर सजा के लिए प्रस्ताव रखना भी है। इस विधेयक का उद्देश्य इन चार चीजों की व्यवस्था करना है।

महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ और मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए दुःख के साथ करता हूँ क्योंकि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम निजीकरण करें भी तो भी जिस समस्या का आज हम सामना कर रहे हैं, वह सुलझेगी नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वतंत्रता से लेकर सड़कें राष्ट्रीय एकता में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास में और असंतुलन को दूर करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं—फिर भी स्वतंत्रता से लेकर जब तक भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ऐसा रुख अख्तियार किया है कि इस क्षेत्र के सामने आ रही समस्याएं आज तक समाप्त नहीं हो पाई हैं। जब तक सड़कों की ओर सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण और उत्तरोत्तर उत्पन्न स्थिति में परिवर्तन नहीं आता तब तक सड़क क्षेत्र की कठिनाइयां जारी रहेंगी। स्वतंत्रता के समय से ही हम राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे प्राप्त होने वाला वार्षिक राजस्व केवल 8,500 करोड़ रुपये है।

महोदय, दूसरे देशों में सड़कों के निर्माण और विस्तार पर खर्च की गई

राशि वापिस मिल जाती है। लेकिन हमने क्या किया है? हम 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से केवल 8,500 करोड़ रुपये की आय प्राप्त कर सके और 8,500 करोड़ रुपये की उस अर्जित आय में से बहुत ही थोड़ा सा भाग सड़कों के निर्माण और विस्तार पर खर्च करते हैं।

महोदय, दूसरा पहलु यह है कि वाहनों की संचालनात्मक लागत, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, 1 लाख करोड़ रुपये है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सड़कों की हालत बेहतर होती तो देश के 15,000 करोड़ रुपये वार्षिक रूप से बचाये जा सकते थे। पेट्रोल के उपयोग के सम्बन्ध में—जिसे हम विदेशी मुद्रा खर्च करके प्राप्त करते हैं—देश में वार्षिक 22,00 करोड़ रुपये बचाये जा सकते थे। वस्तुस्थिति यह है। हम ऐसी स्थिति में व्याप्त कुव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिए स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के अभाव के कारण पहुंचे हैं। अगर यही रवैया जारी रहता है, तो हम इससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जायेंगे। इस संबंध में जो आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं, उन्हें हंसकर नहीं उड़ाना चाहिये।

कुछ मित्र कह रहे हैं कि यह एक क्रांति है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कभी क्रांति नहीं ला सकती है। यहां तक कि इसके क्रांति विरोधी होने की संभावना है; क्योंकि इसके साथ देश की सुरक्षा के प्रश्न का भी संबंध है। हमें इसे नहीं भुलाना चाहिए। इससे भी अधिक हमें अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्य आशंका यह है कि निजी क्षेत्र के लोग उन सड़कों पर जिनकी हमें राष्ट्रीय विकास के लिए वास्तव में जरूरत है, पर कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। वे केवल ऐसे ही क्षेत्रों को लेंगे जिनमें अधिक लाभ हैं। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन होने की संभावना है। पहले जिन वक्तों ने बोला है, उनमें से बहुत से वक्तों की यह मुख्य आपत्ति थी। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार कुछ क्षेत्रों में सड़क परिवहन कई गुणा बढ़ गया है लेकिन सड़कें तथा संचार व्यवस्थाएँ विकसित नहीं हुई हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बुरी तरह से प्रभावित करती है। इस दृष्टि से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि यह निजीकरण का प्रश्न एशिया विकास बैंक के द्वारा 10,000 किलोमीटर आकलन के सम्बन्ध में उठा है। अभी हमारे यहां 34,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन योजना के अनुसार वर्ष के अंत तक हमारा लक्ष्य 66,000 किलोमीटर था। हमारी दृष्टि से यह बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन जब हम आकंटनों पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है? पहली योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आकंटन 1.4 प्रतिशत था, जो अब घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया है। संपूर्ण सड़क क्षेत्र के लिए पहली योजना के 6.7 प्रतिशत से घटकर यह अब 3 % हो गया है। यह हमारी सड़कों का दुर्भाग्य है। यहां तक कि आठवीं योजना में भी एक कार्यकारी दल का 6067 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव था। बाद में, इसे संशोधित करके 7,730 करोड़ रुपये किया गया था। लेकिन सड़कों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की थोड़ी सी धनराशि आवंटित की गई थी। हमारे योजनाकर्ताओं और योजना आयोग का यही दृष्टिकोण है? योजना आयोग ने कैसी योजना बनाई है? मुझे आश्चर्य होता है कि क्या योजना आयोग के सामने राष्ट्रीय विकास की पूरी तस्वीर है। अगर उनके सामने उसका समुचित परिप्रेक्ष्य होता तो इस प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होते।

ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कतिपय मंत्रालय ऐसे हैं जो सरलता से योजना आयोग को प्रभावित कर सकते हैं और अपेक्षाकृत ज्यादा हिस्सा प्राप्त करते हैं जबकि कतिपय अन्य मंत्रालय ऐसे हैं जो हिस्से का एक अंश भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। मैं योजना आयोग का मूलभूत रवैया समझ नहीं पाता हूँ।

दूसरा, उपकर के बारे में कतिपय अन्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। 1991 में पेट्रोल के उपयोग पर 25 प्रतिशत उपकर था। इसे 1987

तक आधा प्रतिशत कम कर दिया गया था तब, संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पारित किया था कि केन्द्रीय सड़क निधि को उपकर का पांच प्रतिशत दिया जाएगा। जब सभा ने यह निर्णय लिया था, तब अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था कि सरकार को दूसरी योजना शुरू करनी चाहिए या यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि एक वैकल्पिक संकल्प होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने दो वर्ष पूर्व इस पर टिप्पणी की थी। सरकार ने अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की है। मंत्री मंडलीय समिति बार-बार बैठक करती रहती है और प्रतिवेदनों को निरंतर मांगा जा रहा है। यहां मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय, को इसका उत्तर देना चाहिए। महाधिवक्ता ने अपनी राय दी थी कि दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प केवल अनुशासनात्मक है। यह महाधिवक्ता का विचार है। क्या यह संसद इसी सम्मान के योग्य है? यदि वह धन केन्द्रीय सड़क निधि को दे दिया जाता तो परिस्थितियों में सुधार हो सकता था और काफी हद तक हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती थीं। इन परिस्थितियों के कारण ही, मैं बार-बार कहता हूँ कि यह वास्तव में बहुत दुःखदायी है। यदि यही इस सरकार का या किसी अन्य सरकार का जो सत्ता में आती है का रवैया रहता है, और यदि यही उसका बर्ताव है, तो यह प्राइवेट पार्टियों को केवल काम देने का प्रश्न नहीं है। पूरा देश बाहर वालों को सौंप दिया जायेगा। आपके पास केवल वही विकल्प शेष रह जाएगा। कई अन्य समस्याएं भी हैं। कई राज्य सरकारों राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव कर रही हैं लेकिन इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। उड़ीसा जैसे राज्य के पास बम्बई और कलकत्ता को सम्पर्क रूप में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का एक भाग है। उड़ीसा में विभिन्न केन्द्रों को जोड़ने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। हम उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहूंगा कि भूतल परिवहन मंत्रालय को सड़कों का एक सर्वेक्षण करना चाहिए और विभिन्न राज्य सरकारों से आ रहे प्रस्तावों का मूल्यांकन करना चाहिए उनसे परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सड़क निधियों का उपयोग करके इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करना चाहिए। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा वाहनों पर कराधान को बढ़ाने के लिए जो नए प्रस्ताव शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से पर्याप्त धनराशि जुटाई जा सकती है, का मन्त्रिमंडल द्वारा अनुमोदन एवं क्रियान्वयन किया जाए।

इन शब्दों के साथ, शंका और दुःख के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से प्रति अपना रवैया पूरी तरह नहीं बदलती है तब तक स्थिति बदतर ही रहेगी। सड़क क्षेत्र भी विदेशी कम्पनियों को दिया जा रहा है। मुझे पता है व्यवहार में क्या होगा, व्यवहार में ये सभी परियोजनाएं जो बनाई गई हैं विदेशी कम्पनियों को दे दी जाएंगी। प्रत्येक परियोजना के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी, इसलिए उस उद्देश्य के लिए भविष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास विशेष योजना होनी चाहिए इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शहाबुद्दीन जी, श्री सूरज मंडल किसी बैठक के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए क्या आप उन्हें आपसे पहले बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किसानगंज) : महोदय, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री सूरज मंडल।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गौड़डा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो विधेयक संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

मैं अपने भाषण को अपने क्षेत्र तक सीमित रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स में क्षेत्र झारखंड से सरकार को मिलता है, चाहे वह रोड टैक्स से हो, कोयले से हो या लौह से हो। इस क्षेत्र में 3000 से 5000 टन कोयला प्रति दिन लोड़ होता है, लेकिन वहां की सड़कों की स्थिति क्या है इसके बारे में 6 महीने पहले बी०बी०सी० ने टेलीकास्ट के जरिये दिखाया था कि इस क्षेत्र में न सड़कें हैं, न पावर है। सारी स्थिति का जिक्र उस टेलीकास्ट में किया गया था। जी टी रोड जिस पर बंगाल से लेकर बरही, सासाराम तक के इलाके में सबसे अधिक गाड़ियां चलती हैं, लेकिन यदि हम लोग गाड़ी में 3000 किलोमीटर घूम लें तो गाड़ी को गैराज में भेजना पड़ता है। अगर आपको कभी इस क्षेत्र में जी० टी० रोड पर सफर करने का अवसर मिले, तो आपको पता चलेगा कि आप जी० टी० रोड पर नहीं, बल्कि किसी गड्ढे में जा रहे हैं। आप अगर दुर्गा पुर से रानीगंज बरही जी०टी० रोड से जाएं तो आपको सैकड़ों जगहों पर ट्रकों के डिफरेंशियल टूट हुए मिलेंगे, कहीं किसी ट्रक का चक्का निकला हुआ मिलेगा, कहीं पर दुर्घटनाएं मिलेंगी ऐसी हालत इस जी टी रोड की है।

दूसरी सड़कों की हालत क्या हो सकती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे यहां नेशनल हाइवे मध्य प्रदेश से जसपुर, होकर, गुमला होकर नेशनल हाइवे गया है। दूसरा हाइवे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से जुड़ता है।

बेतला-नेत्रहार यह दोनों टूरिस्ट-प्लेस हैं। अभी 20,21 तारीख को मैं नेत्रहार गया था। रांची से नेत्रहार मुश्किल से ढाई घंटा लगना चाहिए लेकिन पांच घंटे में गाड़ी वहां पहुंचती है। बेतला जो नेशनल पार्क है उसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं लेकिन रास्ता खराब होने के कारण टूरिस्ट अगर वहां गया तो बाद में फिर एक आदमी उसको मालिश के लिए लगाना पड़ता है। इसलिए जो नेशनल हाइवे हैं उसको ठीक कीजिए। सड़क को आगे बनाने की बात को तो जाने दीजिए जो है उनको तो ठीक कीजिए। आप बोकारो से इतना पैसा लेते हैं। रामगढ़ और बोकारो नेशनल हाइवे हैं। बोकारो रामगढ़ से 60 किलोमीटर पड़ता है। रास्ता खराब होने की वजह से हम लोग पांच घंटे में रामगढ़ से बोकारो जा पाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग क्या उम्मीद करेंगे। आप कहते हैं कि हमने राज्य सरकार को दे दिया है। ठीक है सर, आप तो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, आपके राज्य में चोरी कम होती थी, इंजीनियर लोग कम परसेटेंज खाते थे। अभी तो उल्टा है। 20 प्रतिशत काम होता है और 80 प्रतिशत पेट में चला जाता है। रोड को ऊपर से पाउडर लगाया जाता है।

हमारे इलाके में ट्रक की एंट्री फीस 75 रुपया लगाई जाती है। बिहार सरकार को नार्थ बिहार की ही चिंता रहती है। आपने राजेन्द्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल बना दिया। अब आप पहलेजाघाट पर भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बड़ाकर नदी है उसका क्या किया? गिरडीह और धनबाद के बीच में पुल बना दिया। स्टेट सरकार जो मंजूर करती है वह सातवें, आठवें नम्बर पर मंजूर करती है। मैं बिहार सरकार के पीडब्लूडी मिनिस्टर को कहा कि हमारा एक रोड है जो भागलपुर से गोर्खपुर-हसिया-जामतारा-भया है उसको प्रिओरिटी नम्बर एक में कर दें लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको प्रिओरिटी नम्बर पांच में किया है। वह पुल और रोड नहीं बना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बरारीघाट से जो रास्ता आसाम जाता है वहां पुल बना दिया गया है। आपके पास प्रपोजल गया है कि बरारी से गोर्खपुर-भया-हसिया-जामतारा रोड बने। तो बराकर नदी पर एक पुल बनेगा तो रोड पर लोड कम हो जाएगा। कोयला ढोने के लिए तो आप रास्ता बना लेते हैं, रेल लगा देते हैं लेकिन आदमी के चलने के लिए तो बनाइये। रांची से जमशेदपुर 120 किलोमीटर तक जाने में पांच घंटे लगते हैं।

आप पैसा देते हैं वह खर्च होता है या नहीं, पता नहीं आप इसकी जांच

करते हैं या नहीं। नेशनल हाइवे का बिल आया है, हो सकता है इसमें दिल्ली से कलकत्ता के लिए रोड का प्रोजेक्ट हो वाया रांची हो, हम इसका समर्थन करते हैं। चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनीज आये या अन्य कोई आये, हम तो यह मानते हैं कि रोड तो बनेगा। हमारा एरिया ट्राइबल है आप सब कुछ छोड़कर उस इलाके के नेशनल हाइवे की मरम्मत करा दे, तो यह काफी होगा। आजादी के बाद हमारे यहां कोई रोड नहीं बनी, कोई रेल लाइन नहीं बिछी, वही अंग्रेजों के जमाने का सब कुछ चला आ रहा है। ऐसा न हो कि हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानियों के प्रति ही नफरत न करने लगे। इसीलिए आप इस सम्बन्ध में कुछ करें। बरारी से गोविंदपुरा वाया हसतिगा-जायतारा रोड है उसको नेशनल हाइवे, जी० टी० रोड से जोड़ने की घोषणा आज ही अपने जबाब में करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : कितने किलोमीटर है ?

श्री सूरज मंडल : यह 100 किलोमीटर के करीब है। बिहार में सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, देश का कुल 41 प्रतिशत मिनरल्स वहां पाया जाता है। वहां पर सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक यूरेनियम सब है। वहां के लोगों का कहना है कि भारत सरकार बिहार को कंगाल कर रही है और बिहार सरकार झारखंड को कंगाल बना रही है। इसलिए आप इस शोषण को बंद करने का काम करें। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए एक घंटे का समय नियत था। हमने एक घंटे और चालीस मिनट का समय ले लिया है। कुछ अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। इतने अधिक कई विधेयक हैं। शनिवार को भी हमारी बैठक होगी और इसके बाबजूद भी हम पूरा कार्य समाप्त करने की स्थिति में नहीं हैं।

मेरा आपसे यही अनुरोध है कि केवल प्रासंगिक मुद्दों पर ही बोलें ताकि उनके लिए आसानी हो।

श्री सैयद शहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात पर दुख और निराशा व्यक्त करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के पचास साल बाद भी हम अपने लोगों को भूतल परिवहन मुहैया कराने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसे देश के लिए अपमानजनक है जिसके पास आवश्यक विशेषज्ञता है और मैं माननीय मंत्री के राजस्व की कठिनाई के बहाने को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। जैसा कि सभा में पहले ही बताया जा चुका है कि यदि राजनीतिक इच्छा है तो आवश्यक संसाधन जुटाने के कई तरीके हैं। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसी आधार भूत संरचनात्मक सुविधा है कि लोग यदि उन्हें माननीय मंत्री को धनराशि मुहैया कराने के लिए कुछ और करें या कुछ ज्यादा करें का भुगतान करना पड़े तो वे उसका बुरा नहीं मानेंगे ताकि वह न केवल मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव कर सकें अपितु नेटवर्क का विस्तार भी कर सकें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : बशर्ते कि यह उनके हित में हो।

श्री सैयद शहबुद्दीन : हां, यह उनके हित में होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व सदन में माननीय मंत्री के लिए दिए गए उत्तर से मुझे पता चला है कि मूल आठवीं पंच-वर्षीय योजना में चल रही और नई राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना के लिए 2460 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसके मुकाबले मंत्री महोदय बहुत परिश्रमी रहे हैं और लगभग 4150 करोड़ रु. से कुछ अधिक मूल्य की परियोजनाएं और स्कीमें बनाई हैं। कदाचित् वे आशावादी थे, कदाचित् उनका लोगों में, सरकार में उनके साथियों में या योजना आयोग में कुछ विश्वास था जो दरअसल गलत साबित हुआ। 492 करोड़ रु. जो उन्हें प्रति वर्ष प्राप्त हुए होते, तीन साल में ये 1300 करोड़ होते हैं, के मुकाबले उन्होंने केवल 910 करोड़ रु. दिए हैं। यह मूल व्यय का केवल

66 प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री पर आरोप नहीं लगाता हूँ लेकिन मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए समग्र रूप से सरकार की उदासीनता और सरकार की प्राथमिकता के भाव की कमी की ओर इशारा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिसकी तरफ सम्यक ध्यान, सम्यक आवंटन नहीं दिया गया है और आवंटन जिसे देने का वायदा भी किया गया था, सम्बन्धित मंत्रालय को मुहैया नहीं कराया जाता है।

महोदय, विधेयक पर वापस आते हुए मैं यह देख रहा हूँ कि यहां पर मुख्य मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के तंत्र के विस्तार और रख-रखाव के लिए सरकार के पास आवश्यक निधियां नहीं हैं।

यदि मैं सविधान की सूची-II की प्रविष्टि 13 के साथ सूची-I की प्रविष्टि संख्या 23 को पढ़ूँ तो पहले में संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत घोषित राजमार्गों के बारे में वर्णन है और ऐसी स्थिति में जहां तक सड़कों का संबंध है प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। धारणा यह होगी कि किसी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से पहले वह मार्ग अस्तित्व में हो अतः हर एक दृष्टांत में हमें राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है चाहे आप राज्य के प्रस्ताव से सहमत हों या न हों। राज्य की सहमति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ भी हो आप भूमि-अधिग्रहण करते हैं और राज्य सरकारें भू-अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि उपलब्ध करवाती है। मुझे इस बात में संदेह है कि धन एकत्र करने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना है उसे हमेशा प्रत्येक राज्य सरकार का अनुमोदन, समर्थन और सहमति मिलेगी क्योंकि कई राज्य सरकारों को विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने या इसे इस क्षेत्र में निवेश पर विदेशी विनियमन और नियंत्रण स्वीकार करने में ईर्ष्या और संदेह होगा क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि निधियां एकत्र करने का दूसरा तरीका भी है जिस पर आपने विचार नहीं किया या उस पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया है। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं निजीकरण के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं किसी समय न्यूयार्क में तैनात था। मुझे याद है कि पुलों के तंत्र बगैर न्यूयार्क शहर का विकास नहीं किया जा सकता था और पुलों को नितान्त रूप से न्यूयार्क नगर निगम या न्यूयार्क शहर की सरकार द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। अंत में उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया। उन्होंने बांड जारी किए और स्वतंत्र संगठन बनाया और उस स्वतंत्र संगठन ने सभी पुलों का निर्माण किया। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी काफी पहले से इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि टोल टैक्स प्रणाली के माध्यम से उन्होंने पूरी प्रणाली पर हुए परिव्यय की वसूली की, मुझे इस विस्तार में नहीं जाना है कि उस निवेश से कितना आर्थिक लाभ होगा।

लेकिन यहां पर आपने “व्यक्ति” शब्द का इस्तेमाल किया है। यदि मैं उस शब्द “व्यक्ति” को केवल कानूनी संदर्भ में नहीं बल्कि आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो कहा है उसके साथ भी पढ़ूँ तो आपका प्राथमिक उद्देश्य इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना लगता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में, इस मूल क्षेत्र में और इस मूल अवसंरचना में विदेशी निवेश के बारे में मुझे एक मूल आपत्ति है। मैं महसूस करता हूँ कि मंत्री महोदय को धन एकत्र करने के अन्य साधनों पर विचार करना चाहिए उदाहरण के लिए जैसा कि बताया गया है करों की वसूली करके इस क्षेत्र के लिए अधिक योजना परिव्यय आवंटित करने के लिए योजना आयोग को राजी करने, भारतीय निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में आने के लिए पहले आमंत्रित करके, विशेष ढांचे तैयार करके जो बाद में जनसंसाधनों, निजी संसाधनों का लाभ उठा सकता है, ब्रांड जारी करके, अन्य तरीके निकाल कर और उसके बाद उसका आधार तैयार करना चाहिए।

4.00 मध्य

लेकिन देश में कहीं भी ऐसा नहीं अजमाया है। हम अचानक अंतिम उपाय

विदेशी निवेश पर पहुंच गए हैं जैसे कि विदेशी निवेश इसका मंत्र हो, सभी बुराइयों को समाप्त करने वाला हो, हम सभी चीजों की प्राप्ति के लिए विश्वव्यापी छोटा तरीका ढूंढ रहे हैं ।

मुझे संदेह है कि क्या विदेशी निवेशक आएंगे । वे केवल अपनी श्रतों पर आएंगे और वे इन सब छोटी परियोजनाओं के लिए नहीं आएंगे जिनका सभा में अनेक विशिष्ट सहयोगियों ने उल्लेख किया है । वे केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए ही देश में आते हैं । लेकिन इससे हटकर जब तक हम धन जुटाने के सभी आंतरिक तरीकों को अजमा लेते हैं, स्वायत्त शासी निकाय नहीं बनाते हैं और निजी क्षेत्र के साथ सीधे ही समझौते नहीं कर लेते और उन्हें अपर्याप्त नहीं पा लेते हैं तब तक विदेशी निवेश आमंत्रित करने पर मुझे एक सैद्धांतिक आपत्ति है । मुझे यह भी संदेह है कि मान लीजिए इन्होंने मंत्री महोदय को 50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने हैं तो क्या वह उसे आत्मसात कर पाएंगे, उसे सोद्देश्य उपयोग कर पाएंगे । उनके पास आवश्यक तंत्र नहीं है, उनके पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं ।

मुझे मालूम है कि हमने कुछ वर्ष पूर्व तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक पारित किया था और आज तक मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कोई परियोजना सौंपी गई हो । यह बना भी नहीं है । मुझे मालूम नहीं है कि वह अधिसूचित किया गया है लेकिन मैं जानता हूं कि वह एकत्र किए गए धन को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं ।

अतः मैं मंत्री महोदय को सीमाएं न लांघने के लिए सचेत करता हूं विदेशी निवेश आमंत्रित करके सीमा पार न करने के लिए सचेत करता हूं क्योंकि संभवतः हम विदेशी निवेश के सहारे जीवित नहीं रह सकते हैं । हमारे विशाल देश का स्वतंत्र स्वायत्त अस्तित्व होना चाहिए हम अपनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र को संभवतः अनुदानों, ऋणों और विदेशी निवेश से सहायता पर आधारित नहीं कर सकते हैं ।

महोदय, मैं गालिब की एक पंक्ति को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । उन्होंने कहा है :

[हिन्दी]

करज की पीते थे मय और कहते थे कि हां,
रंग लायेगी हमारी, फाकामस्ती एक दिन ।।

[अनुवाद]

अतः मैं मंत्री महोदय को आगाह करता हूं कि यदि वह इस तरह से विदेशी सहायता कर निर्भर रहे तो उन्हें एक दिन देश के लिए एक बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा । अतः मेरा उनके लिए सुझाव है कि इस विधेयक को आगे बढ़ाने के बजाय वह या तो इस सभा में सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता करे कि तब तक सभी स्वदेशी संभावनाओं को आजमा नहीं लिया जाता है और अपर्याप्त नहीं पाया जाता है तब तक “व्यक्ति” शब्द की इस तरह से व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे विदेशी कम्पनी, विदेश में पंजीकृत कम्पनी या एक ऐसी कम्पनी जिसमें अधिकांश भागीदारी एक विदेशी निवेशक की हो, उसमें शामिल हो । इस विधेयक को पारित करने से पहले हमें उनसे कम से कम इतना आश्यासन मिलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पास मौजूदा रूप से इस विधेयक का विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है ।

श्रीमती डी० के० तारादेवी सिन्हाय्य (चिकमंगलूर) : महोदय, मैं जल भू-तल परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक, 1995 का समर्थन करती हूं ।

सड़कों का विद्यमान तंत्र हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को आवश्यक सहारा देने में असमर्थ है । हमारे आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को अनेक क्षेत्रों में निजीकरण और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है । तेजी से हो रहे इस औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप सभी मूलभूत सुविधाओं, विशेष रूप से सड़क तंत्र पर दबाव बढ़ेगा । यदि सरकार स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने में असफल रहती है तो पूरी सड़क यातायात प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी । इस संदर्भ में इस विधेयक का उद्देश्य पूरा प्रशंसनीय और समयानुकूल है ।

महोदय, देश में समग्र सड़क तंत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की दूरी 34,051 किलोमीटर है । 1981 और 2000 ई० वी० के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों की दूरी को हासिल करने के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार यह दूरी लगभग 60,000 किलोमीटर है । केवल पांच वर्ष का समय शेष है मैं समझती हूं कि यह एक स्वप्न मात्र है ।

हमारे सड़क तंत्र में बहुत सी कमियां हैं जैसे ड्राइविंग कंडीशन अच्छी नहीं हैं, शहरी क्षेत्र भीड़-भाड़ वाला है, सड़कों के किनारे मिलने वाली सुविधाओं फुटपाथ का अभाव है । सड़कों की मौजूदा स्थिति और विकास की धीमी गति सरकार द्वारा इस तरफ पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण हैं । संसाधनों की कमी एक मुख्य कारण है । महोदय, सरकार इस जिम्मेदारी को अकेले नहीं ले सकती है । अतः विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है ।

महोदय, यह विधेयक जिससे निजी निवेश का रास्ता खुलता है सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है । यद्यपि, यह अनेक बाधाओं को दूर करने का पहला और महत्वपूर्ण उपाय है । लेकिन अनेक वास्तविक समस्याएं हैं । सबसे बड़ी समस्या यह है कि सड़क निर्माण निवेशकर्ताओं के लिए एक पर्याप्त आकर्षण प्रस्ताव नहीं है । अब तक का अनुभव यह है कि इस काम को हाथ में लेने के लिए अधिक पार्टियां आगे नहीं आई क्योंकि इसमें जोखिम की तुलना में लाभ का अनुपात उचित नहीं है । निवेशक गारंटी पर गारंटी मांग रहे हैं । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में कानूनी एवं प्रशासनिक परेशानियां भी हैं । उदाहरणार्थ, यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, तो हमें निजी भूमि का उपयोग करना पड़ेगा । इसके लिए, उन्हें भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा । भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लग सकता है । इसमें न केवल समय बर्बाद होगा, बल्कि मुकदमेबाजी भी चल सकती है । इसमें लम्बा समय लगेगा ।

इसके अतिरिक्त, एक और आशंका अथवा चिन्ता की बात यह है कि निजी निर्माता एक उपकर लगा सकते अथवा पथकर वसूल कर सकते हैं । इस भारी पथकर वसूली से न केवल सामान्य यात्रियों, बल्कि यहां तक कि किसानों एवं कुटीर क्षेत्रों—जो अपने उत्पादन को ढोना चाहते हैं—को भी नुकसान हो सकता है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन समस्याओं—जो कि कार्यान्वयन के स्तर पर अड़चनें पैदा कर रही हैं की पहचान करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है अथवा नहीं । मैं मंत्री महोदय, से यह भी जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं से निबटने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ।

महोदय, इस संबंध में दूसरी अड़चन स्वयं सरकार की ओर से ही है । अनेक राज्यों को विदेशी निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि अभी तक सरकार ने इन प्रस्तावों का अध्ययन करने एवं इनकी सम्भाव्यता का मूल्यांकन करने एवं इनके बारे में एक सुस्पष्ट निश्चय लेने हेतु केन्द्र-स्तर पर कोई पद्धति नहीं बनाई है । अतः, मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इन सब पहलुओं की जांच करने हेतु केन्द्रीय-स्तर पर एक तकनीकी निकाय का गठन करें । सरकार स्वयं को इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकती । यह केवल नीति क्षेत्र पर ही आश्रित नहीं रह सकती क्योंकि निजी क्षेत्र का निवेश एक बिना परखा हुआ प्रस्ताव होता है और हमें यह विदित

नहीं है कि इसमें कितने साल लगेंगे। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे अनेक सुदूर, पहाड़ी एवं छोटे राज्य भी हैं, जिन्हें कि एक अच्छी यातायात प्रणाली की जरूरत है। अतः, इस प्रयोजन हेतु एवं सड़क नेटवर्क पर तत्काल बढ़ने वाले दबाव को कम करने के लिए, मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि ऊपरी पुलों एवं भूमिगत पुलों का निर्माण करने के लिये तुरन्त कुछ उपाय करें।

महोदय, मेरा अंतिम अनुरोध यह है महोदय, जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु एक भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। मैं स्वयं मंत्री महोदय से अनेक बार यह पुरजोर अनुरोध किया है कि बैंगलूर-कादूर-मंगलूर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में मान्यता प्रदान करें। यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क पश्चिमी घाट क्षेत्र हेतु विकास द्वार का कार्य करती है तथा इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करती है। अतः, मैं मंत्री महोदय से यह पुनः अनुरोध करता हूँ कि कार्य प्रारम्भ करने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार कीजिए।

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 पर चर्चा में भाग लेने का यह मौक़ा प्रदान करने के लिये, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 में किसी व्यक्ति अथवा निजी संगठन को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण विकास एवं अनुरक्षा के लिए कुछ फ़ीस एकत्रित करने की शक्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दूसरे शब्दों में, यह निजी क्षेत्र एवं सड़क संबंधी क्षेत्र को एक निमंत्रण है। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार परिवहन क्षेत्र में उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण की नीतियों का विस्तार कर रही है।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि निजी पार्टियाँ ऐसी फ़ीस एवं पथकर एकत्रित करती हैं, तो चुंगी कर का क्या होगा, जो कि राज्यों का राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। राज्य सरकार पहले ही गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इसके अतिरिक्त, वाहनों के मालिक विभिन्न नाकों पर राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य द्वारा नियंत्रित सड़कों दोनों ही पर चुंगी कर अदा करने से इंकार कर देंगे। अन्ततोगत्वा प्रान्तीय चुंगी केन्द्रों को समाप्त किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सड़क का प्रयोग करने वालों से एकत्रित की गई फ़ीस में से, कितने प्रतिशत फ़ीस संबंधित राज्य सरकार को दी जाएगी।

महोदय, यह एक आम अवधारणा है कि निजी पार्टियाँ सड़कों का निर्माण करते एवं उनका अनुरक्षण करते समय पर्यावरण संतुलन, वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता पर अधिक ध्यान नहीं देगी। अतः, यह कार्य निजी पार्टियों को सौंपने से पूर्व इन तीन क्षेत्रों में मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रमुख प्राधिकारी होनी चाहिये।

महोदय, जहाँ तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, मद्रै-डिन्डिगुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर बार-बार दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। यह दुर्घटनाएँ कम करने के लिए, इस राजमार्ग को वर्तमान दोलेन वाले राजमार्ग से चौड़ा करके चार लेन वाले राजमार्ग में परिवर्तित किये जाने की जरूरत है। इस कार्य के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रयोजन हेतु, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ एवं धनराशि की स्वीकृति हेतु एक अनुमान भेजा गया है। विश्व बैंक ने भी उस राजमार्ग को चौड़ा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय की ओर ध्यान दें इसके लिए तुरन्त धनराशि की अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करें। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु मात्र सात करोड़ रुपये की धनराशि आंशिक रूप से आवंटित की थी।

महोदय, समूचे तमिलनाडु में सड़कों एवं राजमार्गों के रख रखाव हेतु 860 करोड़ रुपये की धनराशि की जरूरत पड़ेगी। अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह विश्व बैंक को उपयुक्त धनराशि स्वीकृत करने हेतु अपनी मंजूरी एवं सिफारिशें भेज दें।

महोदय, यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि विश्व बैंक ने भी इस बात की सराहना की है कि राजमार्गों एवं सड़कों की सेवाएं प्रदान करने में तमिलनाडु का समूचे भारत में प्रथम स्थान है। विश्व बैंक ने इस बात की भी सराहना की है कि तमिलनाडु में सड़कों का रख-रखाव एवं साफ-सफ़ाई सर्वोत्तम है। मैं इस सभा के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूँगा कि विश्व बैंक द्वारा यह सम्पूर्ण सराहना हमारे दल के नेता एवं मुख्य मंत्री, डा० पुराची थालैवी के अथक प्रयास के कारण की गई है।

महोदय, सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में, तमिलनाडु की लम्बे समय से उपेक्षा की जा रही है तथा इस राज्य के साथ इस संबंध में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इन बातों तथा मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करे तथा तमिलनाडु में सड़क क्षेत्र के कार्यों हेतु इस राज्य को अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी० एस० चौधन (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नेशनल हाइवेज बिल मंत्री महोदय, लेकर आए हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समर्थन भी नहीं करूँगा, परन्तु इसके बारे में कुछ कहना जरूर चाहूँगा। यदि अच्छा काम करेंगे तो परिणाम देखकर समर्थन भी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी हाइवेज हैं वे दुनिया के अंदर जो हाइवेज हैं उनमें सबसे खराब स्तर के हैं और 46 वर्ष की आजादी के बाद भी ऐसा लगता है कि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। पैसे की कमी रही है, लेकिन असली बात यह है कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। हर जगह कमीशन बंधे हुए हैं। पी० डब्ल्यू० डी० में देखिए, चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर दो प्रतिशत कमीशन लेते हैं और इसी प्रकार से एकजीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर तथा जूनियर इंजीनियर का कमीशन निश्चित है। इस प्रकार से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो चुका है। पता नहीं यह बात मंत्री जी के ध्यान में है कि नहीं किस प्रकार से विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार यह बिल आया था, तो मैंने यह कहा था कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वे हिन्दुस्तान के अंदर हो रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ और ट्रकों की संख्या बढ़ रही है और यहां पर इतनी विषमता है कि एक तरफ तो पैदल चलने वाले हैं और उसी पर दूसरी तरफ 120 और 130 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले हैं। यह जो विभिन्न प्रकार का ट्रैफिक है इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया है। आंकड़े दिए गए हैं कि हर वर्ष 60 हजार लोग एक्सीडेंट में मरते हैं और दो लाख जख्मी होते हैं और एक लाख के करीब अपाहिज हो जाते हैं। यह बहुत ही गम्भीर बात है। इसकी तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा। कानून भी बनाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि यह जो लाइसेंसिंग प्रणाली है। इसमें भी सुधार की जरूरत है। आखिरकार हम नेशनल हाइवेज बना रहे हैं। एक्स्प्रेस-वे बना रहे हैं। फ्री-वे बना रहे हैं या ओटो-वे बना रहे हैं। जब ये बन जाएंगे, तो इन पर कौन गाड़ी चलाएगा? इन पर हमारे वे ही लोग गाड़ी चलाएंगे, जिनको घर बैठे लाइसेंस मिल जाते हैं। जिस सड़क पर जानवर नहीं होगा, बैलगाड़ी नहीं होगी उस सड़क पर वही छोटे-छोटे बच्चे कार चलाएंगे

जिनको घर पर बैठकर लाइसेंस मिल जाता है, तो कैसे काम चलेगा। इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए कम-से-कम ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि जो कम से कम एक वर्ष तक गाड़ी नहीं चला लेता है वह फ्री-वे पर गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन जैसा कि यहां होता है, इन रास्तों पर 120 और 130 कि०मी० तो क्या डेढ़ और पौने दो सौ किलोमीटर की रफ्तार में लोग गाड़ियां चलाएंगे। यहां पर गाड़ियां खरीदने का शौक बहुत है, लेकिन गाड़ी चलाने के मैनेस नहीं हैं। इसलिए लाइसेंसिंग प्रणाली पर ध्यान देना पड़ेगा और सुधार लाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने एक नेशनल हाइवेज अथारिटी बनाई थी और सब लोगों का यह मत था कि नेशनल हाइवेज अथारिटी को आप पावर देंगे और एक विचार यह आया था कि यह अथारिटी जितने भी हाइवेज है उनकी देख-रेख करेगी, इनका बनाएगी। इनका पूरा काम करेगी। सुपरवीजन, कंस्ट्रक्शन, मॉटेनेंस करेगी, लेकिन ये दोनों ही चीजें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हैं। राज्यों में जो भी एक्सप्रेसवे हैं उनको फिर बनाना पड़ेगा और उनकी सुपरवीजन, देखरेख, मॉटेनेंस कौन करेगा, कौन-सी अथारिटी है ? जो नई अथारिटी आप बनाने जा रहे हैं इसकी क्या पावर्स होंगी, क्या पावर आप देने जा रहे हैं ? यदि ला एंड आर्डर का या एक्सीडेंट का केस हो गया, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन हो जाता है। तो उसमें आप किस प्रकार से इस अथारिटी का काम निर्धारित करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोल-टैक्स के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यह इस समय मजकूर बन गया है। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं कोई भी सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार की गाड़ी हो और चाहे राज्य सरकार की हो कोई भी टोल-टैक्स नहीं देती है।

जो स्कूटर वाले हैं वे टोल टैक्स नहीं देते हैं। यदि आप टोल टैक्स में कोई प्राइवेट पार्टी लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से आप बोल्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना पट्टा और हस्तांतरण संबंधी कागजात स्वयं बनवायें मेरे ख्याल से आप यही सिस्टम अपनायेंगे। इस सिस्टम के आधार पर आप यह बनायेंगे तो यह टोल टैक्स कितने दिन चलने वाला है ? वहां पर इतनी लम्बी लाइनें लग जाती हैं जिससे बेरियर टूटते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान देना होगा कि जो टोल पोस्ट आप लगायेंगे वे किस तरीके से फंक्शन करेंगे। मैं यहां पर एक बात और कहूंगा कि जो प्राइवेट पार्टी आप बहार से लेकर आ रहे हैं, चाहे मल्टी नेशनल-कम्पनी हो, या हिन्दुस्तान की कोई कम्पनी हो उसमें मैं आपको एक सुझाव यह दूंगा कि हमारे यहां जो प्राइवेट अंडर टेकिंग्स कम्पनियां हैं। उनको आप जरूर प्रेफरेंस दें क्योंकि वे अच्छा काम कर रही हैं। वे पूरे मिडल ईस्ट में व दूसरे देशों में बहुत अच्छी सड़कें बना रही हैं। उन्होंने फ्री वे बनाये हुए हैं। आप तो बहुत बार विदेश गये हैं। मैं भी विदेश गया हूँ जितने भी देश मिडल ईस्ट के अन्दर हैं जैसे दुबई, शारजाह या और दूसरे देश हैं, वहां हमारी कम्पनियों ने फ्री-वे बनाये हैं। आपको उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिये। जो भी कोटेन्स आयेगें जो भी टैंडर निकलेंगे उसमें उनको पहला स्थान देना चाहिये। पहले आपने जो 10 परसेंट दी थी उसी प्रकार इस पर विचार करियेगा। जितने भी प्राइवेट अंडरटेकिंग्स के प्राइज हैं उन टैंडरों में उनको प्रेफरेंस दें। उनकी हालत बहुत नरम है बहुत खस्ती है। यह अच्छा आइडिया है कि उनको भी हम ऊपर ले जायेंगे। यह न्युसेन्स बन रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो प्रैजेंट नेशनल हाइवे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। जहां भी एक्सीडेंट होते हैं वहां स्पीड ब्रेकर लगा दिये जाते हैं। इसके बारे में जीरो आवर में भी चर्चा हुई है। आपको इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड तय करना चाहिये। वहां पर रम्बलर बनना चाहिये। मोल टाइप बनाना चाहिये। जो भी है वह तय होना चाहिये और तय करके आगे चलना चाहिये। आप जो एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं यह लगभग पांच वर्ष के बाद बनेगा तो इन पांच वर्षों तक हम लोग क्या करेंगे ? पांच साल

तक जो हमारे नेशनल हाइवे हैं उनको आप अगर प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को देंगे तो यह अच्छा आइडिया है। उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है चाहे उनके लिए आपको किसी भी प्रकार से पैसा लेना पड़े। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हालांकि उनका एक साल का रेव्यु नौ हजार से 10 हजार करोड़ रुपये हैं फिर भी वह काफी नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव यह है कि आप टैक्स ज्यादा लगा लीजिये। शहरों के बीच जो हाइवे जा रहे हैं, उनकी हालत बहुत खतरनाक है। वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती हैं। वहां पहले 6 पहिये वाले ट्रक चलते थे लेकिन अब 24 पहिये वाले ट्रक चलने लगे हैं जो कि 25 टन तक माल ले जाते हैं।

एक बात यह है कि 1950 में जो ब्रिज बने थे, वे अब कमजोर होते जा रहे हैं। नेशनल हाइवे नं० 24 जो कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार कमजोर होता जा रहा है। ये ब्रिज कई बार रिपेयर हो रहे हैं। इससे बहुत परेशानी हो रही है। यह ब्रिज कमजोर ही नहीं बल्कि बहुत छोटे हैं। वहां सिग्नल क्लीयरेंस है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो सिग्नल ब्रिज हैं उन पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि वहां दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती वहां आमने सामने गाड़ियां नहीं चल सकतीं। वे जो ब्रिज हैं उनको पहले वाइटल करियेगा जिससे वहां जो यातायात है जो व्हीकल हैं वह ठीक तरीके से आ जा सकें।

आप जो बिल ला रहे हैं, उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि आपका यह आइडिया बहुत अच्छा है। आपको पैसे की आवश्यकता है और पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन यह भी जरूरी है। आप यह बिल लेकर आ रहे हैं इसके लिए आप मल्टी नेशनल से चाहे प्राइवेट कम्पनी से पैसा लें लेकिन आप जो बिल लेकर आ रहे हैं उससे फायदा जरूर होगा। अभी जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें अच्छी सड़कें चाहिये। उसे आप कैसे बनायेंगे, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है लेकिन हमें अच्छी सड़कें चाहिये तभी इस देश का विकास हो सकता है। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। विधेयक बहुत देर से आया किन्तु यह बहुत ही अच्छा है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

महोदय, निजीकरण शुरू होने के बाद बहुत सी घटनाएं घटी हैं। किन्तु राजमार्ग बहुत छोटे हैं और वह अपर्याप्त हैं। प्रत्येक महीने पांच या छः दुर्घटनाएं प्रति एक किलोमीटर पर होती हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि एक राजमार्ग पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर एक अस्पताल की आवश्यकता है ताकि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को वहां ले जाया जा सके। वर्तमान स्थिति ऐसी है। जब निजीकरण शुरू हो गया है तो किसी भी निजी अधिकरण को अच्छी सड़कों के निर्माण का कार्य दिया जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है जो सरकार द्वारा लाया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

महोदय, इस तरह के 13 प्रस्ताव कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए हैं जो मंत्रालय के समक्ष लम्बित हैं। मैं यह नहीं जानता कि जल भूतल परिवहन मंत्रालय इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से आप के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करें। मुख्य प्रस्ताव बेलगाम से हैदराबाद की सड़क के बारे में है। बेलगाम मेरा चुनाव क्षेत्र भी है। यह बताया जाता है कि सन् 1984 में राज्य सरकार द्वारा 13 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। बेलगाम हैदराबाद सड़क दोनों राज्यों के लिए मुख्य सड़क है जो व्यापार और

वाणिज्य को बढ़ाने में मदद करेगी।

महोदय कर्नाटक में रेल सेवाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं और राजमार्ग भी बहुत अपर्याप्त है। बिना अच्छी सड़कों के हम कैसे प्रगति कर सकते हैं? यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कम से कम इस विधेयक के पास होने के बाद देश में सड़कों का विकास हो सकेगा। सड़कों के विकास होने से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। यह एक बहुत अच्छा उद्योग है जो अच्छी आय और विदेशी विनिमय अर्जित कर सकता है। तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्य की तुलना में हम सड़कों के विकास में बहुत पीछे हैं और इसके सम्बन्ध में हमारी कोई चिन्ता नहीं की गई। इसलिए कर्नाटक राज्य के बारे में अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

अतः इस पृष्ठभूमि में यह बहुत अच्छा विधेयक है, यद्यपि यह बहुत देर से लाया गया है। किन्तु यह बहुत ही अच्छा है। मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और आप के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कर्नाटक राज्य की सड़कों के विकास में पुनः मदद करें।

उपाध्यक्ष महोदय : बेलगाम से बंगलौर तक की सड़क का क्या हाल है? प्रत्येक दिन वहां पर एक या दो नहीं बल्कि कई मौतें हो रही हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, तुमकुर तक आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा क्योंकि यह आप का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि वहां हर रोज कितनी दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क पर कितनी मौतें होती हैं। जब आप रात में यात्रा करते हैं तो और भी कठिनाई होती है। मैं समझता हूँ कि यदि बंगलौर से पुणे तक सड़क दोहरी नहीं की गई तो प्रत्येक व्यक्ति को उस सड़क पर यात्रा करने से पहले जीवन बीमा करा लेना चाहिए। उस सड़क पर बहुत भीड़ होती है। आप को सड़क पर मरने के लिए नहीं चलना चाहिए। यहां तक कि यदि आप सड़क पर टहलते हैं तो आप के ऊपर गाड़ी चढ़ने की पूरी सम्भावना रहती है। वास्तव में मंत्री जी कभी वहां गए नहीं होंगे और उन्हें वहां का अनुभव भी नहीं होगा।

महोदय, आपका क्षेत्र भी राजमार्ग पर आता है। आप भी उपाध्यक्ष महोदय के रूप में मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकते हैं कि तुमकुर से बंगलौर तक सड़क अच्छी तरह से विकसित की जाए। किसी अधिकरण को प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। नए राजमार्ग भी घोषित किए जाने चाहिए। अन्यथा वहां एक ही सड़क पर भीड़ होगी और निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होंगी। सरकार द्वारा जो धन सड़क का निर्माण न करके बचाया गया है उसे उन ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया जाए जहां सड़कें नहीं हैं। वहां अभी भी लोग पैदल चलते हैं वे अभी भी अपने कृषि उत्पाद और वस्तुयें, वाहन द्वारा नहीं ले जा सकते हैं। उनके पास न तो भण्डारण के लिए गोदाम हैं और न ही सड़क यातायात के साधन हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें प्राथमिकता के आधार पर बनानी चाहिए।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हमेशा ही हमें दोष देते हैं जबकि हमने वहां काफी काम किया है। किन्तु अभी भी बहुत काम करने हैं। इसलिए इस वित्त को ग्रामीण क्षेत्रों को दे देना चाहिए। यहां तक कि राज्य सरकार को भी ऐसा ही करने की सलाह दी गई है।

महोदय, हमारी निजीकरण की नीति को प्रत्येक व्यक्ति मान रहा है। शुरूआत में विपक्ष के हमारे मित्र लोग प्रसन्न नहीं थे। वे मन ही मन प्रसन्न थे किन्तु खुली सभा में वे उसे अनुमोदित करने में हिचकिचा रहे थे। हम कोई गलती नहीं करते हैं। कम से कम अब वे प्रसन्न हैं और अब वे अनुमोदन व स्वागत कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय की अपेक्षा उन्हें बधाई देता हूँ। महोदय, निजीकरण के बाद बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिसके लिए हम विदेशों से ऋण नहीं पा सके।

सन् 1991 में हम अपना सोना गिरवी रखने के लिए बाध्य हुए और इसे हमने पुनः वापस पा लिया और विदेशी लोग निवेश के लिए लालायित हुए थे। महोदय अब लगभग 100 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहले ही निवेशित किया जा चुका है जो कई गुना बढ़ेगा और यह निचले स्तर तक पहुंचेगा जिससे सामान्य जन की उप शक्ति बढ़ेगी। उदाहरणार्थ सरकार का निर्यात 1991 तक 300 करोड़ रुपये तक था और अब यह 1800 करोड़ रुपये है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए एक नई दिशा देने के लिए मैं बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : राम प्रसाद सिंह जी, कृपया पांच मिनट में बोलें।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मैं उससे भी कम में ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको थोड़ी टाकिंग ट्रबल होती है न।

श्री राम प्रसाद सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत बिलम्ब से लाया गया है, यह पहले आना चाहिए था। मैं इस बिल का न तो समर्थन करूंगा और न इसका विरोध करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि इस बिल में इन्होंने जो संशोधन किया है, उसमें इनका एकमात्र उद्देश्य है कि प्राइवेट कंपनियों को और वह भी विदेशी कंपनियों को यह निजीकरण करके काम देंगे.....

श्री जगदीश टाईटलर : विदेशी वर्ड कहां लिखा हुआ है?

श्री छेदी पासवान : देशी कहां लिखा हुआ है?

श्री राम प्रसाद सिंह : देखिये, इसमें लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िए न, “इसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग का विकास और अनुसरण करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से करार कर सकेगी।” इसमें नहीं लिखा हुआ है कि केवल देशी कम्पनी ही होगी। यह नहीं लिखा हुआ है कि विदेशी व्यक्तियों को, जिसके लिए आप अधिकार चाहते हैं और फिर इसी बिल की धारा सात में लिखा हुआ है, “निर्दिष्ट व्यक्ति उसके द्वारा दी गई सेवाओं, परिसुविधाओं के लिए ऐसी दर से फीस के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए हकदार होगा।” आप उसको यह हक भी देने जा रहे हैं कि टैक्स वगैरह वसूलें। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से सड़कों का विकास होना चाहिए। चूँकि हमारा ही मुल्क है, जहां सड़क पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य छेदी पासवान जी ने आंकड़ें भी दिये कि दुर्घटनाएं काफी हैं। कारण यह है कि हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं और आपने भी कहा है कि दुर्घटना का कारण सड़कें हैं, चालक हैं और आपने कहा है कि पैदल सवारियां सड़क क्रॉस करती हैं। वह बेचारे क्या करें, गांव से गुजरने वाली सड़कों पर गांव में रहने वाले लोग सड़क क्रॉस नहीं करें तो क्या करें। निश्चित रूप से सड़कों का विकास होना चाहिए, यह उद्देश्य आपका ठीक है। हमारे यहां अक्सर दो लेन की सड़कें हैं, आपने चार लेन की सड़कें बनाने का जो प्रस्ताव किया है, वह स्वागत योग्य है। सड़कें अच्छी बननी चाहिए। जैसा कि छेदी पासवानजी ने कहा कि सड़कों के लिए आप जो आवंटन करते हैं, उससे सड़कों का निर्माण होता है, लेकिन वह रुपया वास्तव में सड़कों के निर्माण में खर्च नहीं होता है। आप चाहे विदेशी कम्पनियों को बुला लें या किसी भी कम्पनी को बुला लें, लेकिन उस रुपये का उपयोग सड़कों के निर्माण में नहीं होता है। आप जिस उद्देश्य के लिए संशोधन ला रहे हैं, विदेशी कम्पनियां यहां सड़कें बनाएंगी और मनमाने ढंग से टोकन टैक्स वगैरह वसूल करेंगी। उसमें हमारे जो भारतीय उद्यमी हैं, वह मायूसियत के शिकार होंगे और उन बेचारों की आशा निराशा में बदलेगी।

आप जो 70 हजार करोड़ रुपये इनवैस्ट करने जा रहे हैं, इसके लिये विदेशी कम्पनियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसके द्वारा आपने 32 उद्यमियों को निमंत्रण दिया है। अगर यह काम अपने लोगों को देकर इसमें सुधार लाते तो बड़ी अच्छी बात होती। कोई भी उद्यमी अपना पैसा मुनाफा कमाने के लिए ही लगाता है। विदेशी कम्पनियाँ भारत में इसलिए नहीं आ रही हैं कि अपना खर्चा करके आपको दान में पैसा दे देंगी। वे कुछ कमाने की नीयत से ही आ रही हैं। हमारे उद्यमी अपने ढंग से पैसा लगाते तो वह अपने देश में रहता। भारतीय पैसे को बाहर भेजने की साजिश इसके द्वारा की जा रही है।

पूरे मुल्क में 34 हजार 88 किलोमीटर सड़कें हैं और बिहार में 2118 किलोमीटर सड़कें हैं जो कि अनुपात में बहुत कम हैं। 1974 से लेकर आज तक बिहार में एक किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने सड़क निर्माण के कुछ प्रस्ताव भी आपके पास भेजे थे लेकिन आपने उसे नजर अंदाज कर दिया। मैंने कभी-कभी जीरो आवर में भी उन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में बात उठायी थी लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सासाराम, बक्सर और बलिया ऐतिहासिक शहर हैं। सासाराम से बक्सर होते हुए बलिया, आजमगढ़ जाने वाली 200 से 300 किलोमीटर लम्बी सड़क एक वाहन चालक सड़क है। इसमें भीड़ बहुत अधिक रहती है। अगर इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाये तो अच्छी बात होगी। सासाराम और आरा के बीच की सड़क 100 किलोमीटर लम्बी है। सासाराम जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, वह शेरशाह सूरी और स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के नाम से जुड़ा हुआ शहर है। अगर इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाता तो बिहार के लिए एक उपलब्धि होती। इससे आपकी बड़ी ख्याति होती।

अंत में मैं चाहूंगा कि सड़कों का विकास हो। आप इसके ऊपर फिर से सोचें और विदेशी कंपनियों के चंगुल से देश को बचायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही कृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जी०एम०सी० बालयोगी बोलेंगे। रिपोर्टर श्री जी०एम०सी० बालयोगी के भाषण को लिख सकते हैं।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी (अमलापुरम) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 पर बोलते हुए मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक उचित...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी, कृपया पांच मिनट के अन्दर ही बोलिए। हम तो पहले ही दो घंटे से बोल रहे हैं।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी : महोदय, यह नियम सभी पर लागू किया जाये और न कि केवल कनिष्ठ सदस्यों और पिछली पंक्ति में बैठने वाले सदस्यों पर ही इसे लागू किया जाए। आगे पंक्ति में बैठे हुए सदस्य कई घंटों से लगातार बोल रहे हैं जबकि कनिष्ठ सदस्यों और पीछे बैठने वाले सदस्यों को आप यह निर्देश दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे विषय पर बोलें।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 पर बोलते समय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर देश के आर्थिक विकास के लिए एक समुचित सड़क नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण, सरकार देश में सड़क के रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि का

नियतन नहीं कर रही है क्योंकि सरकार इस सड़क नेटवर्क और सड़कों को बनाने और रख-रखाव में प्राइवेट व्यक्तियों को सम्मिलित करने की अनुमति दे रही है।

इस संबंध में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यह ध्यान में रखे कि ऐसा सरकार से दायित्व को आम जनता पर स्थानांतरित करने के लिए राज से न किया जाए क्योंकि अंततोगत्वा आम जनता को ही प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा सड़कों पर खर्च की गई राशि को चुकाना पड़ता है। सरकार को प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इन सड़कों को बनाने की मंजूरी देते समय स्पष्ट निर्देश देने चाहिए।

सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि देश में दो लाख गांव हैं, इन गांवों में पक्की सड़क भी नहीं है। सर्वप्रथम, सरकार को यह समझना चाहिए कि गांव के लोगों तक पहुंचने के लिए सड़क महत्वपूर्ण है।

हम प्रतिवेदनों से देख सकते हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2000 से पूर्व 60,000 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का था। गत 14 वर्षों में हमने केवल 400 कि०मी० राष्ट्रीय मार्ग ही बनाये हैं। सड़कों को बनाना ही नहीं अपितु उनका रखरखाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाता हूँ। आन्ध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क है जो राकुलपालेम को जोड़ती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 5 है। इसकी लम्बाई 2 कि०मी० है। सड़क पर यातायात की भीड़-भाड़ के कारण प्रति दिन कम से कम तीन से चार लोगों की मृत्यु हो जाती है। गत चार-पांच वर्षों से, अधिकारी कहते रहे हैं कि सरकार ने सड़क की मरम्मत के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों को मारने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि विभाग के लोगों को इस सड़क को चौड़ा करने के लिए स्पष्ट निर्देश दें।

एशियाई विकास बैंक की सहायता से अब काकीनाडा बन्दरगाह का विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस बन्दरगाह पर 3 से 4 करोड़ रुपये निवेश कर रही हैं। यदि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जोड़ा जाता है तो निवेश उपयोगी नहीं होगा।

सरकार एशियाई विकास बैंक की सहायता से पहले ही विशाखापटनम से अन्कपाली तक सड़क बना रही है। इसे काकीनाडा तक बढ़ाया जाए। काकीनाडा से इसे कैप्टीपुडी तक बढ़ाया जाना चाहिए। वहां राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 5 है। यह एक जंक्शन है।

टाडा से इचापुरम तक एक तटवर्ती सड़क है। मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क है। यदि इसका विकास किया जाता है, तो आप सम्पूर्ण राज्य को तटवर्ती क्षेत्र को भी जोड़ सकते हैं। तटवर्ती क्षेत्र में भी कई उद्योग आरम्भ किए जा रहे हैं। कुछ बन्दरगाहों भी वहां बनाई जा रही हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनका विकास करें।

टाडा-इचापुरम सड़क के विकास के लिए पहले ही कुछ निवेश किया जा चुका है। मेरा अनुरोध है कि तटवर्ती सड़कों के विकास के लिए कुछ और धनराशि दी जाए। तानम और काकीनाडा के बीच अन्तर्राज्यीय सड़क अभी भी अधूरी है, कृपया उपरोक्त सड़क के लिए धनराशि दें।

मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2,587 कि०मी० है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की

लम्बाई 5,540 कि०मी० होनी चाहिए थी, 6410 कि०मी० की 22 सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन करके दर्जा बढ़ाने के प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजा गया था। बाद में भारत सरकार से सुझाव के आधार पर इन 22 प्रस्तावों को 4,812 कि०मी० तक के नौ प्रस्तावों में समेकित किया गया था। लेकिन ये नौ प्रस्ताव अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं। हैदराबाद-बारंगल-भूलुगू-नागरम वेंकटपुरम की 290 कि०मी० और बारंगल-करीमनगर-जगीतियाल की 120 कि०मी० की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदले जाने के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। ये अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव ने कई बार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है लेकिन अभी भी वे लम्बित हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में शीघ्र बदले जाने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को समायोजित कर सकता हूँ। लेकिन समस्या तो सहयोग के अभाव की है। यदि किसी को अवसर मिलता है तो वह यह समझ लेता है कि वह ही अंतिम वक्ता है, हम अपने चाएं या बाएं नहीं देखते हैं। हम **समतावाद** या सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं।

श्री चित्त बसु बोलेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक सिद्धांतिक आपत्ति उठाना चाहता हूँ। मेरी आपत्ति यह है तथा सभा ने भी देखा होगा, कि सरकार अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी को अधिकांशतः त्याग रही है।

राष्ट्र के चहुँमुखी आर्थिक विकास के लिए किसी क्षेत्र में नहीं अपितु सम्पूर्ण देश में सुलभ परिवहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। इसलिए, मैं देश की आर्थिक प्रगति हेतु सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए कतिपय सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास का स्वागत करता हूँ। परन्तु मेरी कुछ आशंकाएँ हैं। मुझे सरकार की वित्तीय कठिनाइयों की भी जानकारी है। मुझे जल भूतल-परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक प्रपत्र को पढ़ने का अवसर मिला था जिसमें वित्तीय कठिनाइयों को उठाया गया था। प्रपत्र में वर्णन किया गया था कि सड़क परियोजनाओं के लिये साधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकताओं में अनुमानित अन्तर अत्यधिक है यानि कि 52,400 करोड़ रुपये है। मैं जानता हूँ कि यह सरकार के समक्ष काफी बड़ी वित्तीय कठिनाई है। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश में शामिल करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, यह पूंजी निवेश बिना सोच विचार किए किया जाना चाहिए। मुझे विधेयक में यह कमियाँ नज़र आ रही हैं।

जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो चयानात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं अपने साथी श्री शहाबुद्दीन जी के कथन से सहमत हूँ कि अगर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की प्रगति हेतु किसी परियोजना की महत्त्वता अत्यधिक समझी जाती है, तो साधनों के अभाव के कारण यदि पूंजी निवेश के लिये निजी क्षेत्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु मेरी शंका यह है कि सरकार अपने सामाजिक दायित्वों और जिम्मेदारियों को त्यागना चाहती है। इसी को छुपाने के लिए सरकार ने विदेशी और निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता को सामने रखा है।

4.50 म०प०

[श्री शरद दिवे पीठसीन हुए]

मेरी शंका का कारण विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य है। अगर यह सब निजी क्षेत्र के साथ सहयोग तथा भागीदारी में होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं

है। निजी क्षेत्र के वित्तीय सहयोग और भागीदारी में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापित किये जा रहे हैं। यह एक अलग बात है। उद्देश्य और कारणों के कथन में उल्लिखित है कि :

इसमें केन्द्र सरकार को शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं कि :-

(1) कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकती है....

तथा यह कोई निगम भी हो सकता है।

विधेयक में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके कुछ भाग के विकास और रखरखाव हेतु किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकती है। आगे उल्लिखित है कि ऐसी फीस को वसूल करना तथा कर का नियतन करना और वसूली करना है। अन्त में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को विनियमित करने की शक्ति प्रदत्त करना है। कोई राष्ट्रीय राजमार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। महोदय, जम्मू-काश्मीर तथा कोहिमा को जोड़ने वाले राजमार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कल्पना करिये कि अगर किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी, जिसको सड़क को सुधारने या सीमा से जोड़ने का ठेका दिया जाता है, कहने लगे कि उसको यातायात को नियंत्रित करने का अधिकार है अथवा उसको यातायात को विनियमित करने का अधिकार है जो कि दुश्मनों की सहायता है या राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि और सामरिक महत्व के विपरीत कार्य करती है तो क्या होगा? इसलिए, मुझे इसमें खतरा नज़र आता है और हो सकता है कि कई निजी पूंजी निवेशक अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें। श्री टाईटलरजी, आप मुझ से सहमत होंगे कि सरकार यह कहे कि अगर आप लोग हमें ये सब रियायतें देते हैं तो हम यातायात की अनुमति दे सकते हैं। मेरे विचार में राष्ट्रीय हित के मामलों में सरकार को उस पर दबाव डालने का अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इन खण्डों, अर्थात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात विनियमित करने की शक्ति प्रदत्त करने के बारे में शंकायमान हूँ।

परन्तु, राज्य सरकार का क्या कार्य है? सरकार ठेकेदार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा लिये गये किसी विशेष निर्णय के कारण उत्पन्न कानून बनाये रखने की स्थिति को सम्भालने के लिए पुलिस नहीं भेजती है। अगर पश्चिम बंगाल में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर समस्या उत्पन्न हो जाती है वहाँ दंगे हो जाते हैं अथवा कानून की स्थिति बिगड़ जाती है तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार वहाँ सेना नहीं भेजती है। पश्चिम बंगाल की सरकार या उस क्षेत्र की राज्य सरकार कानून की समस्या को ठीक करने हेतु सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए बाध्य है। परन्तु, मुझे मालूम नहीं है कि क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श कर लिया गया है? मैं श्री शहाबुद्दीनजी से सहमत हूँ कि कई राज्य सरकारें सुधार, रखरखाव और यातायात के नए रास्तों का निर्माण करने हेतु पूंजी निवेश के लिए साधनों का पता लगाने के लिए तैयार होंगी। इसलिए वह सहमत होंगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने राज्य सरकारों से चर्चा कर ली है और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है क्योंकि वे भी इसमें शामिल हैं।

एक प्रस्ताव निर्माण, संचालन और हस्तान्तरण का है। मुझे बताया गया है कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार ने पहले ही 27 बार्डपास और एक्सप्रेस परियोजनाएँ स्वीकृत कर दी हैं और इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 2,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुझे इसकी शर्तों की जानकारी नहीं है। क्या इसमें कुछ शर्तें हैं? क्या इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने की भी शर्तें हैं? अगर सरकार ने परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं तो क्या मुझे राज्य सरकारों के साथ तय की गई शर्तों की जानकारी दी जायेगी? किन शर्तों के अन्तर्गत यह स्वीकृति और मंजूरी दी गई है? मुझे सूचित किया गया है कि एक विशेष शर्त है कि कोई भी राज्य सरकार ठेकेदार की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और अन्य कतिपय आम मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। हरेक

चीज प्राधिकृत व्यक्ति या कम्पनी द्वारा नियंत्रित और संचालित की जाएगी। हालांकि, निर्माण राज्य की परिधि में ही किया जा रहा है। क्या राज्य सरकार का निर्माण के मामलों में कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, परामर्श नहीं दे पायेगी अथवा निर्माण में कोई आवश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं कर पायेगी? इसलिए, यह देश के संविधान के बाहर है। आप राज्यों के अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं। आप संविधान के संघीय ढांचे और संघीय सम्बंधों को मिटा रहे हैं।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : यह सही नहीं है।

श्री चित्त बसु : अच्छा है आप यह स्पष्ट कर दीजिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अखबार की कटिंग है। मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उपयुक्त मामलों में उपयुक्त तरीके से राज्य सरकारें कुछ भूमिका अदा कर सकती हैं। मुझे इससे प्रसन्नता होगी।

कल मैंने त्रिपुरा के मामले में मंत्री जी से मुलाकात की थी। मैं उनकी दिक्कतों को समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के बीच, त्रिपुरा और बंगलादेश के बीच, असम और बंगलादेश के बीच तथा उत्तरपूर्वी राज्यों और बंगला देश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए काफी अवसर हैं। व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए जल-भूतल परिवहन के मूलभूत ढांचे को सुधारने, विनिर्माण करने और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो सुधार, जिनके बारे में मुझे शंकाएँ हैं, किए जा सकते हैं। सरकार के सुधारों को सुधारने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं संकोच करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में शंकाएँ हैं। मुझे खुशी होती अगर मैं आपको इस विषय पर पूर्ण समर्थन दे पाता, परन्तु मेरी अपनी शंकाएँ हैं। इसलिए, मैं आपको पूर्ण समर्थन देने की स्थिति में नहीं हूँ।

सभापति महोदय : आवंटित समय पहले ही पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ एक या दो सदस्यों को अनुमति दूंगा। अब उन्हें बहुत संक्षेप में बोलना पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य केवल दो मिनट ही बोलें। अब श्री मोहन रावले बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, 1951 में नेशनल हाइवे की लम्बाई 20955 किलोमीटर थी और 45 सालों में सिर्फ 13 से 14 हजार किलोमीटर ही उसमें वृद्धि हुई है यानी 34058 किलोमीटर ही हुई है। एशिया डवलपमेंट बैंक ने कहा है कि दस हजार किलोमीटर तक यह लम्बाई और होनी चाहिए थी। भारत में 1951 में तीन लाख व्हीकल्स थे जो अब दो करोड़ तेरह लाख हो गए हैं। इन सबका दबाव रोड़ पर आ रहा है। इसके कारण रोड़ खराब हो रहे हैं। हमें इस कारण से सालाना 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और रोड़ खराब होने से पेट्रोल-डीजल भी ज्यादा लगता है। ट्रैफिक में अलग परेशानी होती है। हमारा रेल और रोड़ का तालमेल होना चाहिए। इसलिए रोड़ अच्छी और लम्बी होनी चाहिए। हम रेल से उतारकर सब्जी, फल एवं दूसरी चीजें रोड़ से भेजते हैं। महाराष्ट्र में राजपथ की लम्बाई 3 हजार किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजपथ की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है लेकिन इसके रखरखाव का काम एजेंसी के आधार पर राज्य सरकार को सौंपा गया है। राजपथों के मूल कार्यों एवं मरम्मत के कार्य के लिए खर्च का 9 प्रतिशत ही एजेंसी चार्ज करती है।

5.00 मं००

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि यह शुल्क बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दें। नेशनल हाइवे के दो कार्य हैं—मूल कार्य और उसके मेनटेनेंस कार्य। जहां

तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है पिछले पांच सालों में उसके मूल कार्यों और मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये जहां 1990-91 में 55 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया, वहां 1994-95 तक आते आते यह घटकर 27 प्रतिशत रह गयी। इसी प्रकार 1990-91 में जहां मूल कार्यों के रख रखाव के लिये 61 प्रतिशत राशि आवंटित की गई वहां 1994-95 तक यह 39 प्रतिशत ही रह गयी। तो इस प्रकार आप किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक रख सकते हैं? जब भी महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए अधिक राशि का आवंटन करने के लिए कहती है तो केन्द्र सरकार चुप्पी साध लेती है। मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूँ यदि केन्द्र सरकार सहायता देगी तो 1 हजार करोड़ रुपये की जरूरत रहेगी।

सभापति महोदय, सरकार यह बिल लायी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ लेकिन इसमें विदेशी लोगों को कॉन्ट्रिक्ट न देकर स्वदेशी लोगों को ही दें और चाहे इसका प्राइवेटाइजेशन कर दें लेकिन यहां के लोगों के पास भी पैसा है, उनको प्रायरीटी मिलनी चाहिए, इस बात की मैं मांग करता हूँ। हालांकि आपने बिल में विदेशी पार्टियों का जिक्र किया है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि विदेशी लोगों को इसका कंट्रोल न दिया जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये आभारी हूँ।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में 4-5 मिनट में अपनी बात कहूंगा। मैं सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर नेशनल हाइवे के बारे में सोचा। जो ख़ाब मिनिस्टर साहब ने देखा है या उनके जो बयानात अखबारों में आये हैं या जब यह बात उन्होंने इस हाऊस में पिछली दफा रखी थी और हम लोगों ने अपने विचार रखे थे तो उसके जवाब में उन्होंने जो कांसेप्ट हम लोगों के सामने रखा था, अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो हमारे लिये यह बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जिस तरह की मुश्किलात का उनको सामना करना है या हिन्दुस्तानी व्यवस्था के अंदर जितनी कठिनाइयाँ होंगी, उनको हम समझ सकते हैं। यह जो बिल लाया गया है उसमें सरकार को पूरी छूट होगी कि नेशनल हाइवे के कंस्ट्रक्शन के बारे में किसी भी तरह का सम्झौता, उसकी मेनटेनेंस या कर वसूली के बारे में कर सकते हैं।

सभापति महोदय, जहां एक तरफ दिल यह चाहता है कि हिन्दुस्तान के अंदर नेशनल हाइवे की कंडीशन्स दुनिया के मुकाबले में आ जायें लेकिन वहां दूसरी तरफ, जो यहां पर जो मुश्किलात हैं उसकी तरफ श्री चित्त बसु जी ने इशारा किया है।

आज जो हाइवे का कनसेप्ट हिन्दुस्तान के अंदर मंत्री जी लेकर आये हैं मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर हिन्दुस्तान के अंदर हम चार बड़े महानगरों को—दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से बम्बई और बम्बई से दिल्ली को जोड़ने का काम करें तो सिर्फ इतना हाइवे बनाने से हिन्दुस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हिन्दुस्तान में पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और जो ह्यूमन टायर आजकल हाइवे पर होता है या विपर एण्ड टियर जो कार, बस या ट्रकों का होता है, मैं पूरे वसूक से कह सकता हूँ कि कम से कम आधा पैसा कार-मालिक, बस-मालिक और ट्रक-मालिक का बचेगा।

आज हिन्दुस्तान में जो क़ज़ारत का तख़ीना है, तकरीबन हर साल सड़क हादसे में 60 या 70 हजार लोग मर जाते हैं। अनजौफिशियली मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन एक लाख लोग हर साल हिन्दुस्तान में सड़क हादसे में मर जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इंसानी जान की कद्र हिन्दुस्तान में नहीं की जाती है और इसकी सबसे बड़ी क़जह मेरी नज़र में आज हाइवेज़ की कंडीशन

है। आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उसी सड़क पर बैलगाड़ी भी चल रही है रिक्शा भी चल रहा है, पैदल भी लोग चल रहे हैं, कुत्ता, बकरी और दूसरे जानवर, जिसको भी जिस तरह से चलना है, उस सड़क पर चल रहा है और आपको बचकर चलना है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में हर साल कोई एक लाख लोग, यानी एक छोटा शहर सड़क हादसे में मर जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि नेशनल हाइवे का कन्सेप्ट आएगा तो जहाँ हम पैसा बचा पाएंगे हम फ्रीन एक्सचेंज बचा पाएंगे, क्योंकि उतनी ही कीमत हमें डीज़ल और पेट्रोल इंपोर्ट करने में आएगी, उसी पैसे से हम इसांनी जान बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे चित्त बसु जी ने कहा कि हमें ध्यान देना होगा कि जिन राज्यों से हमारा नेशनल हाइवे गुजरेगा, उस राज्य का हमें समर्थन हासिल होना चाहिये। उसमें खास तौर से जो नेशनल हाइवे बने, उसमें आप हर वक्त जहाँ से चाहें, नहीं निकल सकते हैं। इसलिए हाइवे पर अच्छी पुलिस की व्यवस्था, अच्छे अस्पताल, अच्छे रेस्तराँ और कम दूरी पर पेट्रोल और डीज़ल पम्पों का इतना होना बहुत जरूरी है।

जहाँ तक कहा गया है कि सड़क बनाने के काम में बाहर की कंपनियाँ आएंगी मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं यह चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो बड़ी कंपनियाँ है या फिर जो अनिवासी भारतीय हैं, उनका पैसा अगर हमारे नेशनल हाइवे पर लगेगा तो मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा अच्छी बात होगी। अगर बाहर की कंपनियाँ भी यहाँ सड़कें बनाकर पैसे कमाकर ले जाएँ तो यह हमारे मुल्क के लिए अफसोसनाक बात होगी। इसलिए आज पहली प्रायोरिटी हमारी हो कि नेशनल हाइवे के कंस्ट्रक्शन में, उसकी मेन्टेनेन्स में या उसकी कर वसूली में जितने भी अनिवासी भारतीय इसमें पैसा इनवैस्ट करना चाहते हैं, या हिन्दुस्तान की जो बड़ी कंपनियाँ पैसा लगाना चाहती हैं, उनको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिये। फिर हमारा जो नेशनल हाइवे बने, वह ऐसा न बने कि सिर्फ नेशनल हाइवे का नाम दे दिया जाए, बल्कि इस स्टैंडर्ड का हो कि हम दुनिया के सामने दिखा सकें कि ऐसी सड़क है। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि जो नेशनल हाइवे शहरों के करीब से गुजरेगा उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिये कि शहर की मुख्य सड़क से नेशनल हाइवे को जोड़ने का काम करें।

साथ ही ऐसा न हो जाये कि नेशनल हाइवेज के चक्कर में दूसरी महत्वपूर्ण सड़कें रह जायें। जैसे—बिहार के अंदर बहुत दिनों से हमारी मांग रही है और सरकार की कोशिश भी है कि दरभंगा से फारबिसगंज तक हाइवे बनाये जाये। हिन्दुस्तान में ऐसी कई सड़कें होंगी जिनकी बहुत जरूरत है। उनको पीछे न रखा जाये, ऐसी मेरी सोच है।

सभापति महोदय, मैं और भी बातें सदन के सामने रखता लेकिन वक्त कम है। जैसा मंत्री जी ने नेशनल हाइवे के बारे में ख़ाब देखा है, यदि इनका मन साफ है और सरकार का मन साफ है, सरकार सही मायने में कुछ करना चाहती है तो इसका खैरकदम होना चाहिये इसका इस्तकबाल होना चाहिये। लेकिन उसके अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान का पैसा लगे और इसकी आमदनी भी हिन्दुस्तान के अंदर रहे। ऐसा न हो कि बाहर की कंपनियाँ व दूसरे मुल्कों के लोग इसका फायदा उठावें। इसलिए जिस तरह से भी हो नेशनल हाइवेज की हालत को सुधारा जाये, यह हिन्दुस्तान मुल्क के लिए बहुत मुफ़ीद होगा।

[अनुवाद]

***कुमारी फ़िडा तोपनो (सुन्दरगढ़) :** सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी। महोदय, मैं माननीय भूतल परिवहन मंत्री द्वारा इस सभा में पेश किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 का समर्थन करती हूँ। संचार व्यवस्था देश में व्यापार और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती

है। अगर सड़कों का विकास होगा तो देश का चहुँमुखी विकास होगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर सड़कों, राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने की आवश्यकता है।

महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए, मैं अपना भाषण उड़ीसा और विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों की समस्याओं तक ही सीमित रखूंगी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। जब हम उड़ीसा में सड़क क्षेत्र की वर्तमान हालत पर नजर डालते हैं तो हमें इस बात का बहुत दुःख होता है कि उन सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। हमारे पास उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमित संख्या है। इन राजमार्गों की मरम्मत और नवीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने भाषणों के जरिये और नियम 377 के अधीन मामलों के अन्तर्गत इस मामले को सभा में अनेक बार उठाया है। मैंने उन सड़कों और राजमार्गों को विकसित करने की जरूरत की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। इनमें से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत, विशेष रूप से गालडा लथिकुटा के पास ब्रह्मिन्पुर से बनरपाल तक राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग आदिवासी बहुल क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। प्रतिदिन उन राष्ट्रीय राजमार्गों से हजारों की संख्या में कार, ट्रक और भारी वाहन गुजरते हैं। इसके कारण वे राष्ट्रीय राजमार्ग थोड़े समय में ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बारिश के मौसम के दौरान उन राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बदतर हो जाती है। सड़कों की बिगड़ी हुई हालत दुर्घटनाओं का कारण बनती है। बनरपाल को राउरकेला से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं के कारण 7 या 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है।

महोदय, राउरकेला और सम्बलपुर के बीच स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत भी वही है। गंगपुर राज्य के पूर्व राजा साहब ने उस सड़क पर विभिन्न खूबसूरत वृक्ष लगाये थे। अब, वे पेड़ उखड़ गये हैं। पेड़ों के काटे जाने के कारण उस राजमार्ग पर कहीं छाया नहीं है। अतः पैदल यात्री जो पहले इनके नीचे आश्रय लेते थे, अब इस सुविधा से वंचित हो गये हैं। और फिर वृक्षों के काटे जाने के पश्चात् अब राजमार्गों की सुंदरता नष्ट हो गई है। अब, भारत सरकार ने बहुत से वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम चलाये हैं। फिर प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष क्यों नहीं लगाये जाते? थके हुए पैदल यात्रियों को छाया प्रदान करने के अलावा वृक्ष राजमार्ग की सुंदरता को बढ़ावें और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने में सहायता देंगे। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से चालू वर्ष के दौरान वर्षाकाल के दौरान सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण करने का अनुरोध करती हूँ।

इसके अलावा, महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर बार-बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि राउरकेला-सम्बलपुर राजमार्ग पर वाहनों का आना जाना काफी बढ़ गया है और उसके अनुपात में सड़क की चौड़ाई कम पड़ गई है। राजमार्ग पर बढ़ती हुई भीड़ के कारण प्रतिवर्ष 8 से 10 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। इस क्षेत्र के लोगों में बहुत अस्तोभ है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार ने एशिया विकास बैंक की सहायता से सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया है। अतः, अब वृक्ष लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं तात्कालिक आवश्यकता हो, वहाँ सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत का काम शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र, जिसकी हालत बहुत खराब है, राउरकेला और ब्रह्मिन्पुर के बीच स्थित सड़क की हालत पर जोर देना चाहूंगी। लथिकुटा के पास सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि उस पर वाहनों का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इस सड़क को इस प्रकार चौड़ा किया जाना चाहिए कि वर्षाकाल के दौरान भी संचार सुविधायें बिना किसी मुश्किल

के काम करती रहें। महोदय, सभी कार्यों के लिये पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं माननीय मंत्री से तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ ताकि उड़ीसा के लोगों को फायदा हो।

इन शब्दों के साथ, मैं बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये आपको धन्यवाद देती हूँ और अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से कहना यह है कि राजस्थान सबसे गरीब प्रदेश है। इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा नेशनल हाइवेज राजस्थान में ही हैं हम मांग करते हैं 44 करोड़ रुपये और आप देते हैं 21 करोड़ रुपये। परिणाम होता है कि हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने का जो काम है वह भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, देख रेख भी नहीं हो पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, चार लेन बनाने का काम आपने प्रारम्भ किया है, लेकिन अभी अजमेर से जयपुर और जयपुर से दिल्ली भी जुड़े नहीं हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप हरियाणा कि सड़क देखें और नेशनल हाइवे नंबर 8 पर जायें, तो हरियाणा तक तो सड़क अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे ही राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है वहां पर धक्के लगने शुरू हो जाते हैं। बुराई राज्य सरकार की होती है जबकि वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 को मेंटन करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिये आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने भी और समिति ने भी आपके सामने यह कहा है कि समयबद्ध कार्रवाई करने तथा नीतिगत दिशानिर्देश और प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की है और जिस समिति ने यह रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और मरम्मत करने के लिए आधी से भी कम राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह जो प्रमोद महजन की समिति बनी थी उस समिति ने आपके सामने यह सिफारिश की थी जिसे आपको मानना चाहिये था। फिर उन्होंने कहा कि सड़कों में निवेश के लिए राजस्व के हिस्से में वृद्धि करना तथा केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए 1988 में जो संसद द्वारा पारित संकल्प था उसे आपको कार्यान्वित करना चाहिए था और फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसका पांच वर्ष पूर्व गठन हुआ था, वह अधूरा पड़ा है। वह कोई काम नहीं कर रहा है। उसका नाममात्र का नामकरण किया गया है। काम कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव में कमी आई है। जितनी निधि मांगते हैं उसमें से आप आधी देते हैं। आधी देने के बाद मजदूरों पर जब काफी रकम खर्च हो जाती है, तो फिर पैसा क्या रह जाता है? उसके ऊपर आपने कटौती कर दी है मंहगाई बढ़ गई, मजदूरी अधिक चली गई, तो जो अन्तर है वह और बढ़ जाता है, तो वह राशि क्या रह जाती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि उस राशि को आप बढ़ाइये। इससे यह सारा काम ठीक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने चार लेन बनाने की बात कही है। आप सड़कों पर बाईपास बनाएंगे, होटल, मोटल ये सब चीजें होंगी। पेट्रोल पम्प वगैरह बनाएंगे। इस सम्बन्ध में आप विदेशी पूंजी भी लगायेंगे और देशी पूंजी भी लगाएंगे यहां पर जो एक संशोधन मैं दिया है वह इस प्राप्ति के कारण दिया है कि जो ठेकेदार हैं, मान लिया काम नहीं करता है, या ठेके पर वसूली ठीक से नहीं करता है या कम्पटीशन में नहीं टिकता है, तो जो रकम उसने लगाई है, उसको

वह आधी वसूल करने के बाद छोड़ देता है, तो उसके ऊपर आप क्या ब्याज देंगे? अगर आप इसको स्पष्ट कर दें, तो मैं अपने इस संशोधन को प्रेस नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आप स्टीड ब्रेकर वगैरह बनाएंगे, वे ठीक प्रकार से बनाएंगे, उनके उपर राशि में प्रकाश की व्यवस्था होगी। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन करना है और मुझे उम्मीद है कि आप राजस्थान के हितों की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। हम आपके पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं। आप दिल्ली के हैं और हम राजस्थान के हैं। आप और हम तो भाई-भाई हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप राजस्थान के लिए अधिक पैसा देने का प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह अन्तिम वक्ता हैं। मैं किसी और को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अब सभी दलों की सूची समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

5.19 मध्य०

[अध्यक्ष महोदय पीठस्थान हुए]

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (पटना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों को हम प्राइवेट एजेंसियों के सुपर्द कर दें। इससे ऐसा लगता है कि हमारे देश की खास तौर से रोड़ के मामले में जो आर्थिक बदहाली है, उसके कारण आप यह विधेयक लाना चाहते हैं, पूरे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वे आज जर्जर हालत में हैं। किसी भी देश की उन्नति के लिए मार्गों का अच्छा होना और खास तौर से राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि इससे आसानी से आवागमन हो जाता है। उससे व्यापार आदि बहुत कुछ निर्भर करता है। देश के पैमाने पर पिछले दिनों हमारी जो आर्थिक बदहाली रही है उसकी वजह से कई राजमार्गों को सही ढंग से नहीं बनाने का काम किया गया है। मेरा एक सुझाव है कि मंत्री महोदय पी० डब्लू० डी० को निगम बनाकर इस कार्य को सौंपने का काम करें और कमर्शियल इंटर्प्राइजेज बना दें। हम समझते हैं कि पी० डब्लू० डी० के माध्यम से हम रोड़ की बदहाली को ठीक कर सकते हैं। अगर यह कमर्शियल हो जायेगा तो रोड़ का चौड़ीकरण हो जायेगा। सड़कों का चौड़ीकरण होने से हम बहुत सारे पेट्रोल पम्प, शापिंग कम्प्लेक्स, होटल, रेस्तरां आदि का निर्माण कर सकते हैं। उससे जो आमदानी होगी उसके माध्यम से हम सड़कों का रख-रखाव कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पी० डब्लू० डी० को निगम बनाने का कमर्शियलाइज करने का काम करें। पूरे देश के पैमाने के आधार पर इस देश में राष्ट्रीय मार्ग केवल 8 परसेंट है। देश का जो 80 परसेंट भाग है। उनमें वाहन आदि चलाने पर इन सड़कों पर बहुत लोड पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन सड़कों के लिए शुद्धिकरण करने के लिए एक प्रावधान होना चाहिये। हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो स्थिति है। उससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारा जो सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कहा है कि अगर यह रोड सही सलामत रहे तो हमारे पेट्रोल की वजह से मोटर पार्ट्स वगैरह हम खरीदते हैं उसमें भारी बचत होगी। जो आर्थिक बदहाली है उसमें हमें काफी मदद मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि आप एक नीति निर्धारित करने का काम करें। जो राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाली की हालत में हैं उनकी सही ढंग से मरम्मत करायें। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उससे

काफी लोगों की जानें जाती हैं वे जाने बच जायेंगी। मेरे ख्याल से प्रति वर्ष दो लाख से अधिक लोग रोड़ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारा जो सिंगल रोडवेज हैं उसको डबल करने का काम करें। वैसे इसका प्रस्ताव भी आपके मन में है। इससे राष्ट्रीय अवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।

वाहनों के रख-रखाव पर जो खर्च होता है, उसमें 20 प्रतिशत की कटौती होगी जिससे सबको फायदा होगा, मेरा एक अनुरोध है, यदि आप इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राइवेट कम्पनियों को दे देंगे, क्योंकि आपने इसमें बताया है कि वे अपने ढंग से शुल्क रखेंगे, टैक्स लगाएंगे, तो लोगों को काफी कठिनाई होगी। हमारे देश के लोग बहुत गरीबी में रहते हैं। यदि प्राइवेट-इजेशन हो जाएगा तो प्राइवेट कौन्टेक्टर्स अपने ढंग से शुल्क लगाएंगे जिससे अन्ततोगत्वा हमारे देश के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर गौर करके कोई निर्णय लेने का काम करें।

हमें जानकारी मिली है कि आपने इसके अन्तर्गत बी० ओ० टी० पालिसी रखी है। मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से कौन्टेक्टर्स या किसी पार्टी ने ऐप्लाई नहीं किया है क्योंकि वे रिस्क गारंटी का अश्वासन चाहते हैं जो आप नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राइवेटाइजेशन करवाकर अच्छे ढंग से काम करने का आपका जो सपना है, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मार्ग फैला हुआ है। वहां 1974 से कोई नया मार्ग नहीं लिया गया है। वहां के राष्ट्रीय मार्गों की स्थिति बहुत ही खराब है। आप उन पर भी ध्यान दीजिए आपने उनके लिए मेनटेनेंस देने का काम भी नहीं किया है। बिहार का समुचित फंड देकर बहाल सड़कों को ठीक करवाइये ताकि लोगों को कुछ मदद मिल सके। मोतिहारी से जनकपुर के राष्ट्रीय मार्ग का प्रपोजल आपके पास है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अपना जवाब देते समय उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय इस हाउस में जो बिल लाए हैं, मैं एक शर्त पर उसका समर्थन करूंगा। सरकार की जो नीयत है, विदेशी कम्पनियों को देने के बजाए भारत में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको दिया जाना चाहिए। आखिर विदेशी कम्पनियों को देने की क्या मजबूरी है ? इसका भी एक कारण है। मैं मंत्री महोदय के कार्यालय में गया था, मैं उनसे मिल चुका हूँ। मैं उसकी डिटेल् में नहीं जाऊंगा, सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मैंने मंत्री महोदय से कहा था, आगरा विश्व में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह की चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : मैं नैशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। हिन्दुस्तान में प्रति तीन मिनट में एक एक्सीडेंट होता है। हिन्दुस्तान में जापानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियां तो बहुत चल रही हैं लेकिन जापानी टेक्नोलॉजी की सड़कें नहीं हैं। मारुति से लेकर बहुत सी गाड़ियां जापानी टेक्नोलॉजी की चल रही हैं। यदि उसी तरह की सड़कें होती तो इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसा दिया जाए, वह हिन्दुस्तान की कम्पनियों को दिया जाए।

आगरा नेशनल हाईवे सारे विश्व में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : आप देखिए उस हाईवे की क्या हालत है। यदि बाय रोड़ जाएं तो पता लगेगा।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी पैसा दिया जाए, वह भारत की संस्थाओं को दिया जाए, विदेशी कम्पनियों को न दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : सर्वप्रथम, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल कुछ शर्तों एवं सिद्धान्तों के आधार पर इस चर्चा में सम्पुष्ट ढंग से भाग लिया है, बल्कि अनिवार्यता के तौर पर उन्होंने यह कहा है, 'हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन मेरे विचार से उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, हरेक इस बात से सहमत होगा कि देश को इसी बात की जरूरत है। महोदय, हमारे देश में सड़कों की लम्बाई लगभग दो मिलियन किलोमीटर है, जिसमें से 34,580 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि राजमार्गों की दशा बहुत अच्छी नहीं है, मैं इसी बात को स्पष्ट एवं न्यायोचित ठहरा पाऊंगा। केवल 5 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग चार लेने वाले हैं, शेष 80% राष्ट्रीय राजमार्ग दो लेने वाले हैं और 15 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग केवल एक लेने वाले हैं।

[हिन्दी]

लोगों के मन में है कि हम सड़क ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पैसेजर्स के लिए और माल ढोने के लिए भी रेलवे से सड़क को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बाद यह भी बड़ी बात हो गई है कि 12 परसेंट हर साल हाईवेज के ऊपर कीकल्स की ट्रैफिक इन्क्रीज होता जा रहा है तो इसलिए जो आज का सिस्टम है, वह हमारे लिए पूरा नहीं है, इसी कारण से एक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं और मेंटीनेंस भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने यह जो प्राइवेटाइजेशन की बात की है, यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। 1993 के अन्तर जो कानून आया था, उसके अन्तर गवर्नमेंट टोल चार्ज कर रही है, हालांकि 1976 से हम टोल ब्रिजेज के ऊपर तो लगा ही रहे हैं, जो एक करोड़ से ऊपर की लागत के ब्रिज हैं, उसको हम लगा रहे हैं और जब उसकी लागत वसूल हो जाती है तो हम टोल लेना बन्द कर देते हैं। हालांकि हम यह भी सोच रहे हैं कि उसके मेंटीनेंस के लिए हमें टोल काफी कम करके कुछ पैसा लगाये रहना चाहिए, जिससे कि सारे के सारे ब्रिजेज की मेंटीनेंस अच्छी रह सके। यह बहुत जरूरी है और हमारी मिनिस्ट्री में यह बात हम सोच रहे हैं।

मैं यह एमेंडमेंट इसलिए लाया हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप तो टोल चार्ज कर सकती है, अगर मैं नई सड़क बनाऊँ और उसके ऊपर टोल लगाऊँ तो मैं टोल लगा सकता हूँ, मगर मैं किसी बाहर वाले को कहूँ कि आप पैसा लगाइये और टोल चार्ज करिये तो इस कानून के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज मुझे यह कानून लाना पड़ा है। मेम्बर पार्लियामेंट ने आज ही नहीं, बल्कि साढ़े चार साल से हर वक्त, जब सवाल पार्लियामेंट के अन्तर आता है, कोई भी ऐसा मेम्बर पार्लियामेंट नहीं, चाहे किसी भी पार्टी के साथ उसका सम्बन्ध हो, वह सड़क जरूर चाहते हैं। सड़क के साथ-साथ डवलपमेंट भी होता है, नौकरियां भी गांवों में लगती हैं।

आज जो सड़कों की हालत है, उसमें मैं पैसा क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि सरकार की तरफ से हमारी जो मांग है, हालांकि सरकार को मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि मेम्बर पार्लियामेंट ने एक सवाल उठाया है इसलिए बताना जरूरी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में रोड्स के लिए एलोकेशन 6.68 परसेंट था और एर्थ फाइव ईयर प्लान में सड़कों पर एलोकेशन तीन परसेंट रह गया।

इसी तरह से नेशनल हाइवेज पर पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर एलोकेशन 4.5 परसेंट था और आठवें प्लान के अन्दर 0.6 परसेंट रह गया है। हमारी जो मांग है, उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आज अगर मैं सिर्फ 34 हजार किलोमीटर सड़कों के लिए मुझे कम से कम 20,000 करोड़ रुपये सिर्फ मरम्मत करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए चाहिए। हमने एशियन डवलपमेंट बैंक से एक फिजीबिलिटी स्टडी कराई थी, उसमें उन्होंने यह कहा था कि आज 10,000 किलोमीटर सड़कों की जरूरत हिन्दुस्तान में है, उसकी कीमत आज 80,000 करोड़ रुपये है, आज हमें इतनी जरूरत है। इसीलिए डेफीसिएंसी के अन्दर, क्योंकि हमें 4 लेनिंग को भी मजबूत करना है, पेमेंट्स का भी.....(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कृपा करके यह बताइये कि आपने यह भी सोचा है कि यह कब तक पूर्ण हो जायेगी या यह ऐसे ही रह जायेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी बात बोलकर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने जो सवाल उठाये थे, मैं जरा थोड़ा सा..... (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अभी आप जो बात कर रहे हैं, आप यह गिला किससे कर रहे हैं ? आप मंत्री हैं, आपने इस सारे धन के लिए क्या व्यवस्था की ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं यह कहना चाहता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सड़कों की जो बुरी हालत है, उसमें पैसा सैण्ट्रल गवर्नमेंट खर्च नहीं करती, बल्कि हम पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट....(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरी सरकार तो कर रही है। राजस्थान सरकार तो बड़े चाव से काम कर रही है।

श्री जगदीश टाईटलर : आप सुनिये। आपने यह सवाल उठाया है, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो यह नहीं कहा था, मैं तो यह चाहता ही नहीं हूँ कि इसको पोलिटिकलाइज करें। आपने बड़े अच्छे सवाल उठाये हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। क्यों मैं यह प्राइवेटाइजेशन कर रहा हूँ, क्यों मैं बाहर वाले लोगों को, हिन्दुस्तान के लोगों को कह रहा हूँ कि आकर यहां सड़कें बनाइये टोल चार्ज करिये। 2-3 बातें आपके मन में हैं, अगर मेरी बात.....(व्यवधान) आपका सवाल बहुत अच्छा लगता, अगर आप पहले मेरा जवाब सुन लें। बीच में खड़े होने की क्या जरूरत है ? अगर मैं आपको सैटिसफाई नहीं करता तब खड़े होकर कह सकते थे कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

कई माननीय सदस्यों के मन में ऐसे सवाल आये हैं कि हम नेशनल हाइवेज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यह नई एक्सप्रेसवे और फ्रीवे हैं। अगर हम ज्यादा बजट मांगें तो सैण्ट्रल गवर्नमेंट उसे देती रहेगी और हम सड़कें बनाते रहेंगे। जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट और मेम्बर पार्लियामेंट से मांग आयेगी या उनकी मरम्मत करने की बात आयेगी तो उसके लिए हम पैसा मांगते रहेंगे। इसलिये कोई यह न सोचें कि इनके आने से सी०पी०डब्ल्यू०डी० के लोगों को काम नहीं मिलेगा, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। यह सोचना गलत है। इनके आने से करोड़ों हिन्दुस्तानी आदमियों को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी और विकास भी होगा। जो भी पैसा लगायेगा.....(व्यवधान) गोआ में झगड़ा नहीं हो रहा है। वहां सर्वसहस्रकारी काम चल रहा है। अगर कोई झगड़ा करता है तो पुलिस है, देश का कानून है। आप मन से यह गलतफहमी निकाल दें कि ये सड़कें और बाकी सड़कें बनाना हम बंद कर देंगे। यह किसी को कम्पलसरी नहीं है। ये सड़कें बनायेगी और टोल चार्ज करेंगे। जिस ने पैसा देना है, वह जरूर सड़कों पर जायेगा। अगर कोई कहे कि नहीं जाना है तो भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है, ये सड़कें हैं जिसकी मरम्मत भी करेंगे और नई भी बनायेंगे। यह काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये सड़कें सिर्फ नई आयेंगी। बहुत अच्छा प्लान हमने सोचा है। अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, पटना, कलकत्ता, भुवनेश्वर, मद्रास

और कन्याकुमारी जायेगी। दूसरी सड़क दिल्ली से चलते हुए, राजस्थान, गुजरात से होते हुए बम्बई जायेगी। बंगलौर, केरल से होते हुए कन्याकुमारी जायेगी। तीसरी सड़क बीच में दिल्ली से होते हुए सीधी मैसूर से होते हुए मंगलौर को टच करते हुए कन्याकुमारी जायेगी। ऐसे ही बम्बई से डायरेक्ट सड़क कलकत्ता जायेगी।

इसके साथ-साथ गोल्डन ट्रैन्कल की भी बात की गई। उसकी भी हमने प्लानिंग की है। दिल्ली, आगरा और जयपुर तो टूरिस्ट का बहुत अच्छा सेंटर हैं, टूरिस्ट हम से यह शिकायत करते हैं कि हम 5-6 घंटे लग जाते हैं, हम से 50, 100 और 200 रुपये ले लीजिये हम फ्री प्लो चाहते हैं। इसको देखते हुए यह प्लानिंग की है।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : मैं भी आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जिस पर कि बहुत-सी दुर्घटनाएं होती हैं—की विशेष तौर पर देखभाल करनी चाहिये।

[हिन्दी]

यह बात स्पीकर साहब को भी मालूम है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मैं दुखी हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर : शहाबुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात उठायी कि इंडियन कम्पनियों को प्रैफरेंस दी जानी चाहिये। हम इसके बारे में पालिसी बना रहे हैं। यह सवाल तब भी आया था। हमने सोचा नहीं था कि इंडियन कम्पनियों के पास इतना पैसा होगा इसलिए फिजिबल स्टडी के लिये आर्डर किया। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत तादाद में हिन्दुस्तान की कम्पनियां पैसा लगाने के लिये तैयार हैं। मैं तकरीबन बाहर वाली जितनी कम्पनियां थीं, उनके साथ बातचीत की। हमने उनको कहा कि प्रैफरेंस यही हो कि आप हिन्दुस्तान की कम्पनियों के साथ पार्टनरशिप कर लीजिये क्योंकि उसके लिये लेबर और मैटेरियल चाहिये। पैसा तो आप लोगों ने लगाना है। अगर पैसा लगाओगे, तो वह पैसा हिन्दुस्तान की कंपनियों के साथ मिलकर लगाइए। सारी की सारी लेबर यहां से ली जाएगी। सारा का सारा मैटेरियल हिन्दुस्तान से खरीदा जाएगा। मैं सोचता हूँ कि इससे बहुत बड़ा डवलपमेंट होगा और लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हमें इस बात को ध्यान में रखना है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : यह कार्य प्रमुख रूप से भारतीय कंपनियों के नियंत्रण में होना चाहिये। यह बात सुस्पष्ट होनी चाहिये। यह विदेशी नियंत्रित कम्पनी नहीं होनी चाहिये.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : जो पैसा लगाएगा..... (व्यवधान) हमें 80 हजार करोड़ रुपये चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अलग अलग प्रोजेक्ट की बात हो रही है।.. (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : हमें 12 हजार किलोमीटर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये चाहिए। इसकी हम फिजिबल स्टडी करायेंगी। फिजिबल स्टडी के अन्दर हम किसी को रोक नहीं लगायेंगे। जो जैसा पैसा लगाएगा, उसके हिसाब

से इक्विटी होगी। बिजनेस का ऐसा कोई नार्म नहीं होता कि मैं कहूँ 51 परसेंट आप हिन्दुस्तानियों को लगायें और कहें कि मैं पांच परसेंट लगाऊंगा। जैसा पैसा लगाएगा, वैसी इक्विटी होगी। मगर हिन्दुस्तान के कानून के नीचे हर कम्पनी को काम करना होगा, चाहे वह इन्वेस्टमेंट का हिसाब हो या रिटर्न का हिसाब हो।

स्टेट गवर्नमेंट के बारे में माननीय सदस्यों ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं बताना चाहता हूँ, कि कोई भी प्रोजेक्ट राज्य सरकार के कानून और उनकी राय के बिना आगे नहीं चलेगा। उनकी राय लेना जरूरी है, क्योंकि सैंड एक्विजिशन और लॉ एंड-आर्डर का मामला है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : गारन्टी है या नहीं ?

श्री जगदीश टाईटलर : कम्पनी को गारन्टी नहीं दी जाएगी, यह बात हमने शुरू से रखी है। ट्रैफिक के बारे में स्टडी कर रखा है। जो फिजिबल स्टडी करवेंगे, उनसे एक दम उनको पता चल जाएगा कि गारन्टी चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, तो काम करेंगे और अगर चाहिए, तो आप जा सकते हैं। हमारे पास काम है, हमारी सड़कें हैं। हम आपके लिए जमीन दिला देंगे, हम आपके लिए कानून के हिसाब से जितनी भी क्लीयरेंस चाहिए, उसके लिए हमारे पास नेशनल हाइवे एथारिटी हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इससे संबंधित प्रश्न किया, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि एक जनवरी, 1995 से नेशनल हाइवे एथारिटी फुल्ली-ओपरेशनल है। उन्होंने पहला प्रोजेक्ट पहले ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का किया है। सारा का सारा काम एथारिटी के नीचे मोनिटर होगा। ऐसा नहीं कि वे कोई मनमानी करेंगे।

एक बात माननीय सदस्यों ने राज्यों को जो पैसा दिया जाता रहा है, उसके बारे में कही है। मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगहों पर पैसा अच्छा इस्तेमाल हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ कि नेशनल हाइवे एथारिटी आने के बाद पैसा ठीक इस्तेमाल होगा। जो भी माननीय सदस्यों ने कहा है, उस हिसाब से काफी हद तक काम शुरू हो गया है। हम इस काम को करेंगे।

5.43 म०प०

[श्री शरद दिवे पीठसीन हुए]

[अनुवाद]

जैसा कि माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल ने कहा है कि हमें 133 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो इस सभा को मैं यह बताना चाहता हूँ कि अधिकतर मुख्य मंत्रियों, परिवहन मंत्रियों, के० लो० नि० वि० मंत्रियों ने हमें कुल मिलाकर लगभग 70,000 करोड़ रुपये से लेकर 80,000 करोड़ रुपये के अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। ये प्रस्ताव—जहां वे नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, नये मरम्मत कार्य एवं नयी सम्पर्क सड़कें बनवाना चाहते हैं—के बारे में है तथा मैं यह महसूस करता हूँ कि ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि मेरे पास इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि एक बार हम एक्सप्रेस-वेज के बारे में योजना बना लें तो हम संसद-सदस्यों की मांगें पूरी कर देंगे तथा किसी-न-किसी तरीके से हम अधिकतर क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल कर लेंगे। ये एक्सप्रेस-वेज क्षेत्रों में से होकर जायेंगे तथा जो लोग धनराशि अदा करके इनका प्रयोग करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान करके इन क्षेत्रों में जाने में समर्थ होंगे। जो धनराशि अदा नहीं करना चाहते, उनके लिए भारत सरकार के पास वहां जाने के लिए एक अन्य वैकल्पिक रास्ता है। निस्संदेह, इसकी गारन्टी नहीं दी जाएगी। भारतीय सड़क कांग्रेस एक पंजीकृत संस्था है, जिसके सुझाव सिफारिशी-प्रकृति के होते हैं। कई बार हमें उनकी जांच

करनी पड़ती है तथा जहां कहीं सम्भव होता है, हम उन सुझावों को कार्यान्वित कर देते हैं। दूसरी बात जो श्री पासवान जी कह रहे थे—कि सड़कों पर मौते हो रही हैं। सड़कों पर एक भी मौत हो जाने से किसी भी सरकार को कोई खुशी नहीं होती, लेकिन हम अपने स्तर पर इस प्रकार की स्थिति जो भी हो, उसमें सुधार करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर यदि कोई गतिरोधक है तो वह ग्रामीण जनता की कजह से होते हैं। हम सड़क पर एक भी गतिरोधक नहीं रखना चाहते क्योंकि इनसे वाहन को क्षति पहुंचती है तथा इसके फलस्वरूप अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1990 से, दुर्घटनाओं की दर में कमी आ रही है जबकि यातायात बढ़ रहा है। 1991 में, हमारी सड़कों पर दो लाख दुर्घटनाएं हुई थीं तथा 56,000 मौतें हुई थी। 1992 में सड़क दुर्घटनाओं में 49700 तथा 1993 में 40,000 मौतें हुई थी। इसका अर्थ है कि मृत्यु दर घट रही है। ऐसा केवल अधिक संख्या में सड़कें होने के कारण ही हुआ है। इंजीनियर भी जा रहे हैं तथा राज्य सरकारें भी अनुशासन बनाये रखने में—जिस किसी ढंग से भी ऐसा करना सम्भव हो—हमें व्यापक सहायता प्रदान कर रही है। निस्संदेह इस संबंध में पुलिस भी अपनी भूमिका के अनुसार सड़क यातायात नियंत्रित करने तथा शराब के नशे से धुत चालकों और जिन लोगों के पास वैध लाइसेंस नहीं होते उनकी जांच करने का अच्छा कार्य करती रही है। मेरे विचार से एक बार इन एक्सप्रेस-वेज का निर्माण होने तथा सड़कों का विस्तार हो जाने से यातायात फैल जायेगा और मुझे उम्मीद है कि इससे सड़कों पर मृत्यु दर और अधिक कम हो जायेगी। श्री खन्डूरी जी ने जिज्ञासा किया है कि (व्यवधान) यदि आप जर्मनी के विषय में ऐसा कहते हैं तो यह सही है लेकिन मैं हिटलर शब्द का एक नाम अथवा उस किस्म के व्यक्ति के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहता 'जोकि ऐसा नहीं है, जिसका कि नाम इस माननीय सभा में प्रयुक्त किया जाये।' यह सड़कें अच्छी सड़कें होंगी, उतनी ही अच्छी जितनी कि अमेरिका तथा यूरोप में होती हैं।

नरसिंह राव सरकार ने इसी प्रकार के राजमार्गों के निर्माण के बारे में विचार किया है तथा मैं उम्मीद करता हूँ कि हम यह कार्य शुरू करेंगे और एक दिन आपके बच्चे एवं पोते-पोतियां मुझे याद करेंगे तथा कहेंगे कि जब हमारे दादा संसद सदस्य थे, उस समय यह विधेयक पारित हुआ था और इसी कजह से आज हम इस सुविधा को प्राप्त कर पाये हैं।

महोदय, मेरे विचार से मैंने इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि काफी चर्चा हो चुकी है। पूर्ण चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हमें विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव को लेंगे। प्रश्न यह है :

‘कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

खण्ड 2—धारा 8 क और 8 ख का अन्तःस्थापन

सभापति महोदय : खण्ड 2 में श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा संशोधन

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्तुत किए जाने हैं। सरकारी संशोधन भी हैं। मंत्री महोदय क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

“अधिसूचना द्वारा” ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्पूर्ण या उसके भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रवर्तन में अंतर्विलित व्यय, उचित वापसी के रूप में विनिहित पूंजी पर ब्याज, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें।” (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

“(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ऐसे करार की विषय वस्तु के भाग रूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसके उचित प्रबंध के लिए यातायात को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियाँ होंगी।” (2)

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी क्या आप संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि श्री जगदीश टाईटलर द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जो संशोधनों की सूची संख्या 1 में क्रमांक 1 पर मुद्रित है, में—पंक्ति 2 और 3—

“उचित वापसी के रूप में विनिहित पूंजी पर ब्याज,” का शेष किया जाए। (3)

कि श्री जगदीश टाईटलर द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जो संशोधनों की सूची संख्या 1 में क्रमांक 2 पर मुद्रित है, में—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

“परन्तु वह व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य नहीं करेगा और इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।” (4)

महोदय, मैं केवल यह बात पूछना चाहता हूँ कि जो उसका अमाउंट रह गया है, जो उसने वसूल कर लिया है और जो उसने अपनी लापरवाही के कारण वसूल नहीं किया तथा जो उसकी लागत की रकम बाकी रह गई है उस पर आप रेट ऑफ इंटरैस्ट क्या देंगे ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार हम इन लोगों को 16 प्रतिशत लाभ की अनुमति दे रहे हैं और यदि कोई इस में चूक करता है तो हम उसकी देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपने संशोधन को वापस ले रहा हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप दोनों संशोधन वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दूसरा यह है कि केन्द्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, वह रहेगा ही। इसलिए मैं आपकी और सदन की अनुमति से अपने अमेंडमेंट्स वापिस लेता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है?

जनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

संशोधन संख्या 3 और 4 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

श्री रूपचन्द शास्त्र (हृगली) : महोदय, मुझे इस संशोधन के बारे में कुछ कहना है। जब मैं बोल रहा था उस समय मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जब एक राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से ही मौजूद है, और एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है तो क्या सरकार मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को समानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग मानती रहेगी या उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहना बंद कर दिया जाएगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं सोचता हूँ कि अच्छा होता कि माननीय सदस्य उस समय यहाँ पर उपस्थित होते जब मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग ही रहेंगे। यह इस देश के लोगों के प्रति सरकार का कर्तव्य है। हमें उनके लिए सुगम आवागमन की व्यवस्था करनी होगी। ये नए एक्सप्रेस मार्गों या सुपर राजमार्ग आप उन्हें जो भी कहना चाहें, पथकर कर आधारित होंगे। जो भी उनका इस्तेमाल करना चाहेगा उसे पथकर देना होगा।

श्री रूपचन्द शास्त्र : पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव की सरकार की प्रतिबद्धता का क्या हुआ ?

श्री जगदीश टाईटलर : वह रहेगी, रख-रखाव तो होगा ही उनका विस्तार भी हमेशा होता रहेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

“अधिसूचना द्वारा, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्पूर्ण या उसके भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रवर्तन में अंतर्विलित व्यय, उचित वापसी के रूप में विनिहित पूंजी पर ब्याज, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें।” (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

श्री सैयद शहजुद्दीन : महोदय, संशोधन संख्या 2 के बारे में मुझे यह कहना है कि इस संशोधन में “यातायात को नियंत्रित करने के लिए” शब्द आवश्यक रूप से यातायात को विनियमित करने के लिए जोड़े गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक निजी कम्पनी, जिसने सुपर हाइवे का निर्माण किया है, जैसा कि मंत्री जी ने इसे कहा है, या जो इसके लिए पथकर वसूल कर रही है, को यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यह राज्य के अधिकारों में कमी करना है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि मंत्री जी इसे वापस लेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। यह प्रस्ताव है कि एक्सप्रेस मार्गों पर यातायात को और पट्टा और अंतरण के आधार पर निर्मित चार लाइनों की सुविधा उद्यमियों द्वारा स्वयं विनियमित करने दी जाए।

तथापि, सरकार कानून और व्यवस्था, अपराधों की जांच और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में उद्यमियों के यातायात विनियमन कार्यों में अपवाद हो सकती है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

“3 उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ऐसे करार की विषय वस्तु के भाग के रूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसके उचित प्रबंध के लिए यातायात को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियां होगी।” (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जाएं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।”

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।”

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, जैसा कि मैं अपने भाषण में भी कहा था कि रोड्स के संबंध में विदेशी कंपनियों के आने की संभावना है। मंत्री महोदय ने भी बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में प्रार्थना-पत्र आए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों का कोई रेशो निर्धारित किया जाएगा, कोई परसेंटज तय किया जाएगा, ताकि भारतीय कंपनियों का बाहुल्य रहे।

श्री जगदीश टाईटलर : जैसा बिजनेस में इनवेस्टमेंट करेंगे, वैसा पार्टिसिपेशन पाएंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप इंडियन मेजरिटी रखना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं कह चुका हूँ कि हम चाहेंगे और हमने उन्हें परामर्श देना होगा कि उन्हें भारतीयों को अपना साझीदार बनाना चाहिए। मैं उन्हें बहुत अधिक धन निवेश करने और उसके बाद.....के लिए नहीं कह सकता हूँ। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सुनिये एक व्यक्ति बोले।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आपको ऐसे पक्ष के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जिसमें विदेशी अधिक हों। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोट) : माननीय मंत्री जी, आपने अपने भाषण में कहा है कि एन० आर० आई० को निर्देश करें कि वे भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करें। अगर आप इसको कानूनी शेष दे देंगे तो.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.56 म० प०

संविधान (ठियासीवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

सभापति महोदय : अब एक अनुपूरक कार्यसूची है — श्री सीता राम केसरी विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : श्रीमान रावत जी, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा आप इसका विरोध करना चाहते हैं ? आपने विधेयक का विरोध करने का नोटिस दिया है। पहला नोटिस श्री चन्द्रजीत यादव ने दिया है। पहले उन्हें बोलने दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि समाज कल्याण मंत्री को जिस रूप में यह संविधान संशोधन विधेयक पेश करना चाहिए था उन्होंने उस रूप में पेश नहीं किया है। इन्होंने

सब कायदे-कानूनों का उल्लंघन किया है। सदन के नियमों का उल्लंघन किया है। अध्यक्ष जी के जो समय-समय पर निर्देश हुए हैं उन सबका उल्लंघन किया है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा जो इन्होंने विधेयक को पेश करते हुए उद्देश्य बताया है। ये संविधान में संशोधन पेश कर रहे हैं कोई साधारण कानून में संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं। संविधान में संशोधन बहुत गंभीर बात होती है। उसको सरसरी तौर से पेश नहीं किया जा सकता है। अभी पांच मिनट पहले यह विधेयक इस सदन में हमारे हाथ में आया है। इसको अभी क्यों पेश किया गया? क्यों इसकी जरूरत अभी आई। मंत्री जी ने विधेयक पहले क्यों नहीं पेश किया? आप जानते हैं स्पीकर के जो निर्देश हैं किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए।

[अनुवाद]

लोक सभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष के निर्देश के अध्याय पांच के निर्देश 19 क के खण्ड 1 में कहा गया है कि :

“विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा।”

खण्ड 2 में कहा गया है कि :

“इस निर्देश के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष क्रम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।”

अध्यक्ष के इस निर्देश के तहत यह अवधि सात दिन होगी। अल्प सूचना का मतलब पांच मिनट की सूचना नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है।

6.00 म० प०

[हिन्दी]

हमारा जो रूल्स एंड प्रोसीजर है, जिसके मुताबिक हम यहां काम करते हैं उसमें 64 में कहा है :

[अनुवाद]

“अध्यक्ष से प्रार्थना की जाने पर, वह किसी विधेयक (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण, विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी ज्ञापन और उसे संलग्न वितीय ज्ञापन सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा.....”

[हिन्दी]

उसके लिये भी स्पीकर साहब की पहले से अनुमति चाहिए, बिल पेश करने से पहले उसको गजट में पेश करने के लिए अनुमति चाहिए। इसमें आगे कहा गया है :

[अनुवाद]

“.....यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया हो। उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाए तो उसको फिर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।”

सभापति महोदय : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : इसी सदन में और इसी सत्र में संविधान संशोधन के बारे में मौजूदा स्पीकर साहब ने यह डायरेक्शन दी कि बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले तीन दिन चाहिए, जब तक यह नहीं हो जाते इस पर बहस नहीं हो पायेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने अनुरोध किया था कि अध्यक्ष द्वारा निर्देश के तहत खण्ड 19-क की अपेक्षाओं को इस विधेयक के संबंध में शिथिल बनाया जाए ताकि यह विधेयक मौजूदा सत्र में पुरःस्थापित किया जा सके और अध्यक्ष महोदय ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि यह संविधान संशोधन है।

[अनुवाद]

महोदय, प्रश्न उठता है। मुझे पीठासीन अधिकारी से इस पर पुनः विचार करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार है क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है कोई साधारण संशोधन नहीं है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवम्बर, 1992 को इंदिरा साहनी एंड अदर्स बनाम यूनियन आफ इंडिया एंड अदर्स में अपना विचार व्यक्त किया और यह कहा कि :

[अनुवाद]

“संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत पदों या नियुक्तियों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति के मामले में इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता है।”

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा बैठक का समय 6.00 म०प० से आगे बढ़ने पर सहमत हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : इसी धारा के अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण है और इसी धारा के अंदर जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के उनके लिए भी आरक्षण है। धारा एक ही है।

संविधान की धारा 16 (क) में एक ही धारा है, उसके ऊपर मौलिक आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने की है। आप यह संशोधन ला रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रमोशन देने का, हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री सीताराम केसरी : नहीं करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : पहले सुन लीजिए। यह मत कहें कि नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमने उसके लिए आपसे ज्यादा संघर्ष किया है। जब उसी के अंदर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, आप आगे कारण बताते हैं.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अंत में जवाब देंगे ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : चूँकि यह कहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का कोटा पूरा नहीं हुआ इसलिए मुझे संशोधन लाना पड़ रहा है । यह बात सही है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 52 प्रतिशत पिछड़ी हुई जातियों, जिनका आज भी सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत से कम आरक्षण है, उनका कोटा पूरा हो गया, आपको उनकी चिन्ता नहीं है ।

श्री सीताराम केसरी : आपसे ज्यादा है । हमने इम्प्लीमेंट किया है, आपने नहीं किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने मजबूरी में किया है, हमने लड़ाई लड़ी है । आपको 40 साल चिन्ता नहीं रही । आपको 40 साल तक चिन्ता नहीं थी और पं० जवाहर लाल नेहरू ने भारत के संविधान में पहला संशोधन केवल आरक्षण के मुद्दे पर किया और इसलिये हुआ कि इस देश में पिछड़ी जातियों के लिये सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बहुत कम था और इसलिये उसको किया गया । देशभर में आन्दोलन हुये, देशभर में जनमत तैयार किया गया है लेकिन आप सोते रहे और उसकी परवाह नहीं की । जब श्री बी० पी० सिंह की सरकार जनता दल के रूप में यहाँ आयी तो इसको लागू किया गया । इस तथ्य को आपको स्वीकार करना चाहिये । सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया लेकिन आप सोते रहे ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब तक यह सभा की अधिकारिता नहीं प्राप्त कर लेता तब तक इस पर प्रारम्भिक दौर में कोई बहस नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर फुल डिबेट न हो लेकिन मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बिल को वापस लिया जाये और पिछड़े वर्गों को प्रोत्ति देने के लिये इस में संशोधन करके इसमें शामिल किया जाये वरना यह भेदभाव माना जायेगा । इससे देश में यह संदेश जायेगा कि आपको देश की पिछड़े वर्गों के आरक्षण को पूरा करने की दिशा में कोई चिन्ता नहीं है, उनको प्रोत्ति देने की चिन्ता नहीं है । आपने पहले गलती की है, इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप दुबारा इस गलती को न करें । आपने इस सदन में और इस सदन के बाहर कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यकों का भी आरक्षण होना चाहिये । उनको भी सरकारी नौकरियों में पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । आप उनको भी शामिल करिये, उनको भी ले आइये ।

सभापति महोदय, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि क्रीमीलेयर के नाम पर पिछड़े वर्गों के नाम पर यह आरक्षण समाप्त कर दें, उसकी चिन्ता नहीं है । अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद संशोधन ला रहे हैं तो ईमानदारी का तकाज़ा है कि या तो इस संशोधन को इसमें शामिल किया जाये कि पिछड़े वर्ग, जिनकी संख्या 52 प्रतिशत है, उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता है, क्रीमीलेयर समाप्त किया जायेगा.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पर पूर्ण चर्चा नहीं होगी ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मेरा अनुरोध है कि इसमें जो कहा गया है कि यदि यह आवश्यक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में यह आरक्षण दिया जाये क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिये सरकार की कचनबद्धता को दृष्टि में रखना चाहिये तो हमें खुशी है कि आपको इन लोगों के लिये कचनबद्धता है और उसको करना चाहते हैं लेकिन पिछड़े वर्गों के लिये नहीं है और यदि होता तो इसको भी इसमें शामिल करते । इसलिये, सभापति महोदय, इसके लिये सफिशियंट नोटिस नहीं है, बिल अपर्याप्त है, भेदभाव करने वाला है, पिछड़े वर्गों के हितों का विरोधी है इसलिये इस बिल को वापस करिये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्पेशल रिक्रूटमेंट करिये । मैं आपसे मांग करता हूँ कि यह कोटा भरें । पिछले 45 साल से नहीं भरा, क्यों ? इस बात को दृष्टि में रखते हुये मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और दरखास्त करूंगा कि इससे वापस लें ।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इस बिल के अंदर संशोधन जिस भावना को लेकर लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन जिस ढंग से यह यहाँ लाया गया है, उस पर घोर आपत्ति है । अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि कार्य सूची में संशोधन करके और संविधान संशोधन लाया जा रहा है । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण उत्पन्न स्थिति का निराकरण करने के लिये जब यह बिल लाया जा रहा है तो इसके बारे में पूर्व सूचना समयानुसार क्यों नहीं प्रदान की गयी? इसके साथ साथ इस सदन में जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, मात्तूम पड़ता है कि सरकार को इसके बारे में जितनी चिन्ता होनी चाहिये थी, वह नहीं है ।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री यादव जी ने जितना कुछ कहा है, उनकी बातों का समर्थन करते हुए मैं आपसे ये व्यवस्था चाहूंगा कि हमारे सदन के पटल पर रखे जाने वाले जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, उनकी जो प्रक्रिया है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, क्या उस प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो इसके पीछे क्या कारण रहे । सरकार के सामने ऐसी कौन सी विषम और प्रतिकूल परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण समय रहते हुए भी हमें सूचित नहीं किया गया और समय रहते हुए भी कार्य सूची में इस संविधान संशोधन जैसे विषय को सम्मिलित नहीं किया गया । इस बारे में आपके माध्यम से हम स्पष्टीकरण चाहेंगे ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, इस बिल की जो मूल मंशा है, मैं उसके पक्ष में हूँ लेकिन मैं केवल संविधान के आर्टिकल 16(4) का जिक्र करना चाहता हूँ । इस अनुच्छेद में स्पष्ट है :

[अनुवाद]

अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार :

“इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी ।”

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदोन्नति में

आरक्षण का बिल लाए हैं, यह बिल निश्चित तौर पर आना चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन हमारा कहना है कि जिस तरह से डिसक्रिमिनेशन किया गया है; बिल लाने के जो तौर तरीके हैं, मैं केवल उसका विरोध करता हूँ। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान की मूल मंशा को भी खण्डित करने की कोशिश की गई है। उसका बाइफरक्शन करने की कोशिश की गई है। एस०सी०/एस०टी० के लिए रिजर्वेशन 22.5 प्रतिशत और ओ०बी०सी० के लिए 27 प्रतिशत है। सरकार जान-बूझकर इनको अलग करना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, लेकिन आपके तोड़ने से हमारा समाज टूट नहीं सकता है। एस०सी०/एस०टी० और बैकवर्ड क्लासेज एक है और एक रहें। सरकार जान-बूझकर ऐसा कर रही है। सरकार का जनाधार बैकवर्ड क्लासेज में नहीं है और एस०सी०/एस०टी० में भी खत्म हो चुका है। इसलिए जनाधार समाप्त होते देखकर इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको लाइए और जो आप इस 16 (4A) करके ला रहे हैं, हिम्मत है तो इसे 16(4B) करके भी लाइए। इसलिए इसकी जो मूल मंशा है, यह डिफैक्टिव है। मंत्री महोदय की मंशा साफ झलक रही है। इस बिल के उद्देश्य एवं कारणों में भी लिखा है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाए। जो लैमन का रिजर्वेशन पोस्ट में होना चाहिए, वह एस०सी०/एस०टी० को नहीं मिल पा रहा है। यह सही बात है। कई बार इस बारे में घोषणा हो चुकी है। इसमें हमारा कहना है कि एक लेयर तक ओ०बी०सी० को भी लाकर उसके लिए भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन करना चाहिए और इस बिल को एक साथ लाना चाहिए। अलग अलग भी लाना चाहें तो हमें उस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। एस०सी०/एस०टी० को रिजर्वेशन में प्रमोशन देना बिल्कुल मौलिक सवाल है, देश का मौजूदा सवाल है, देश की ऐतिहासिक आवश्यकता है। इसलिए समस्त समाज और क्षमतायुक्त समाज बनाने के लिए यह बिल जरूरी है, लेकिन हमारा इतना ही छोटा सा संशोधन है कि इसे एक साथ लाना चाहिए, विषमतामूलक समाज बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आप पुरःस्थापन स्तर पर ही इसका विरोध करते हैं तो इस पर पूरी बहस नहीं होगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाइडे (विजयवाडा) : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, यद्यपि इस विधेयक की भावना का मैं विरोध नहीं करता हूँ, परन्तु जिस तरीके से इसे सभा में पेश किया गया इसका मैं कड़ा विरोध कर रहा हूँ।

माननीय कल्याण मंत्री, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति से सम्बन्धित आयु में छूट, कालेजों में सीटों के आरक्षण और अन्य मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया।

अब यह विधेयक समाज के कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं का आदर नहीं करता है। वास्तव में यह विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नवम्बर 1997 तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति के संबंध में कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्णय के अनुसार नवम्बर, 1997 के पश्चात् ही स्थिति बदल जाएगी।

अतः विधेयक के एक छोटे भाग के लाने के बजाय माननीय कल्याण मंत्री जी को विस्तृत विधेयक लाना चाहिए था, जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों की पदोन्नति के अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए था।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एकमत होकर अपने विचार व्यक्त किए कि यदि आवश्यक हो तो परिस्थितियों के आधार पर प्रतिशत और बढ़ाया जा सकता है। बहुत से समुदाय जैसे आंध्र प्रदेश में धोबी समाज बहुत लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाये। कुछ राज्यों में यह पहले से ही अनुसूचित जनजाति में हैं। इसी तरह, धोबी समाज जो अति पिछड़े हुए लोग हैं चाहते हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए। अनुसूचित जनजाति के ईसाई भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ दिया जाए।

माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिसमें इन सभी बातों का प्रावधान हो अन्ततः बहुत वर्षों से लोग ऐसे निश्चित संवैधानिक संशोधन के लिए उत्सुकता से प्रतीक्ष कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति ईसाईयों को जनजातियों के समान ही स्तर प्रदान किया जाए, दूसरे समुदाय की जनजातियों में जुड़ना चाहते हैं। सरकार दूसरा विधेयक आगे क्यों नहीं लाती है? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : अभी वाद-विवाद पूरा नहीं हुआ है। जिन्होंने नोटिस दिया है मैं उनको विरोध की अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुझे एक महत्वपूर्ण बिन्दु उद्धृत करना है।

सभापति महोदय : इस तरह से बहस पूरी नहीं हो सकती है। जिन्होंने विरोध की लिखित सूचना दी है मैं उन्हें अनुमति देता हूँ।

श्री चित्त बसु : ठीक मैं भी यही कहना चाहता था। क्या उसके लिए ठीक से नोटिस किया गया था। मैं विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस दे सकता था।

सभापति महोदय : मद प्रचलित किया गया था। फिर भी मैं आपको प्रत्येक में से एक मिनट का समय दूंगा।

[हिन्दी]

डा० जी० एस० कनीजिया (खीरी) : सभापति महोदय, यह बिल जिस तरह से लाया गया है उस पर इनकी नीत व नीयत दोनों ठीक नहीं है। एस० सी०, एस० टी० के प्रमोशन की जो बात चल रही है उस पर अगर इनकी नीत और नीयत ठीक होती तो आज यह दशा नहीं होती। यह बिल ये सिर्फ वोट बैंक के लिए लेकर आए हैं, इसको डिजीन के लिए नहीं लाए हैं। इसको इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है? जब तक कोई डिजीन नहीं हो जाता, पूरी बात पर सहमत नहीं हो जाते तब तक नहीं लाना चाहिए था। अब दो दिन और पार्लियामेंट रह गयी है। इसलिए अंतिम समय में इस तरह से जो बिल लाए हैं इसका मैं अपोज करता हूँ और जब तक कम्प्रेहनसिव विचार न हो जाए और बातों पर विचार न हो जाए, जब तक यह बिल लाना जनहित में नहीं होगा। यह रिफ्लेक्शन करेगा, जैसा अभी तक कग्रेस करती आ रही है।

हमने रिजर्वेशन पर स्टडी की है। 13 मार्च, 1925 से शुरू हुआ है, 1955 में लागू हुआ है। अभी तक आपने एस० सी०, एस० टी, की कितनी सीटें धरी हैं? कितने सेक्रेटरीज बने हैं? मैं आपको याद दिलाता चाहूँगा कि

जो ओ० बी० सी० का रिजर्वेशन था उसको प्रिलिमनरी में नहीं लिया था । हम सबने कहा, कोशिश की है, लिखकर दिया है, तब आपको सप्लीमेंट निकालना पड़ा ।

सभापति महोदय, इसी तरह से एस० सी०, एस० टी० कमीशन के चेयरमैन हैं उनको तो कैबिनेट दर्जा दिया है लेकिन ओ० बी० सी० कमीशन के चेयरमैन को यह दर्जा नहीं दिया है । ओ० बी० सी० को नहीं दिया है तो यह नीयत का मामला है । जब तक आपकी नीयत साफ नहीं है, तब तक जिस तरह का बिल आप लाए हैं यह आपसे मैं विद्रोह के लिए लाया गया है । वोट बैंक के लिए आप इसे लाए हैं और आपने इसको लाकर अपनी खोटी नीयत का परिचय दिया है । इसलिए मैं इसके प्रस्तुतीकरण का घोर विरोध करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको सही तरीके से लाएं ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है । जब उच्चतम न्यायालय यह कह चुका है कि वर्तमान व्यवस्था नवम्बर 1997 तक कायम रहेगी तो इस विधेयक को इतनी जल्दी लाने की क्या आवश्यकता थी । सरकार इस विधेयक को अचानक क्यों लाई ? यह केवल राजनीतिक कारणों से ही लाई । राजनीतिक दलों के बहुत से नेताओं ने भी यह सुझाव दिया कि विधेयक को जल्दबाजी में न लाया जाए । हम चर्चा करते हैं और फिर सर्वसम्मति के बाद विधेयक लाया जाए । मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए और एक व्यापक विधेयक आगे लाया जाए । चर्चा होने के बाद और सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वसम्मति होने के बाद एक नया और व्यापक विधेयक आगे लाया जाए और हम उसका समर्थन करेंगे । सिद्धान्ततः हम विधेयक के विरुद्ध नहीं हैं । किन्तु हम मंत्री महोदय द्वारा जिस तरह से विधेयक पेश किया गया है उसके विरुद्ध हैं । हमारा मतलब यह है कि इस विधेयक को आज इस समय नहीं लाना चाहिए था ।

श्री चित्त बसु : जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण इस संशोधन की आवश्यकता हुई । उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की निरन्तरता और अनिरन्तरता के बारे में ही केवल नहीं कहा बल्कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ और भी समस्याओं का उल्लेख किया है, उदाहरणार्थ, कि क्या आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए । एक यही बात है । एक दूसरा बिन्दु भी है क्या सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये । इस तरह के बहुत से सुझाव हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए । और भी अन्य प्रावधान हैं ।

यह उनकी बड़ी महानता है कि उन्होंने हमसे सलाह-मशविरा किया । हमने अपने विचार दिए । विचारों में अवश्य असमानता हो सकती है । किन्तु स्थायित्व, सामाजिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता है । वह हमारे सुझावों से आंशिक रूप से सहमत हैं । वह पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं । मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो यहां दूसरी पार्टियों के लोग बैठे हैं । उन्होंने हमें बताया कि सभी राजनीतिक दलों से ईमानदारी के साथ सलाह मशविरा किया जाएगा और एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होगा । यह सर्वसम्मति सामाजिक स्थायित्व के बन्दोबस्त के लिए आवश्यक है । सामाजिक संतुलन की अस्थिरता में आप कुछ नहीं कर सकते हैं । अब स्थिति को ठीक करने का प्रयास है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति को सही करने की दिशा में इस प्रयास का समर्थन और स्वागत किया गया होता है । इस विशेष समय में यह इतना आवश्यक नहीं था क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पदोन्नति आरक्षण नवम्बर 1997 तक जारी रहेगा ।

महोदय तब क्या पूर्वानुमान अथवा वर्णन करना मेरे लिए गलत होगा ? इसके अतिरिक्त भी मामले हैं जो विचाराधीन हैं । इस विधेयक पर विचार करना आपके

लिए निर्वाचन लाभ प्राप्त..... **(व्यवधान)** निर्वाचन लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं है..... **(व्यवधान)** किन्तु दूसरों के बारे में क्या..... **(व्यवधान)** आप इसे सार्थक में क्यों ला रहे हैं ?.....**(व्यवधान)** पांच मुद्दे विवादास्पद हैं । एक बिन्दु पर ही सर्वसम्मति है । हम शेष चार बिन्दुओं पर भी सर्वसम्मति देना चाहते हैं । आप को अवसर देना चाहिए और यह अवसर सभी के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए समाज में सामाजिक स्थायित्व के लिए दिया जाता है ।..... **(व्यवधान)** अतः इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करना अविवेकी, विवेकहीन, हानिकारक, पूर्वाग्रहपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है । यदि वह इमानदार हों तो इन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए और बिना सन्देह व पूर्वाग्रह के एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, सरकार जो अमेंडमेंट लाई है, उससे साफ जाहिर है कि यह पोलिटिकली मोटीवेटेड है । इनके मन में शैड्यूल कास्टस और शैल्यूड ट्राइब्स को कोई भी मदद देने की मंशा नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान में एक शम्पू छोड़ने की बात है । इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जो अमेंडमेंट लाये हैं, वह कम्प्रीहेंसिव नहीं है । अगर आप बिल लाना चाहते हैं तो ऐसा बिल लाना चाहिए जिसमें शैड्यूल कास्टस और शैड्यूल ट्राइब्स के लिए जहां 22 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात है, वहीं पर बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट को क्यों नहीं लेकर आये । वह इसलिए कि थोड़े दिन पहले वे अलीगढ़ में सभी मुख्तलिफ़ मंचों के बाहर यह बोलते रहे कि हम मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे । साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपर क्लास के लोगों को 8 परसेंट रिजर्वेशन देने की भी बात कही है । मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो रही है । सियासी तौर पर, हर माली ऐतबार से वे नीचे चले गये हैं । इसके लिए आपको एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए जिसके अंदर यह प्रावधान हो कि हम 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन कर सकते हैं ताकि इस समाज में जो मुसलमान पीछे रह गये हैं, उनका समन्वय भी उसके अंदर हो सके । इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह इस अमेंडमेंट को वापिस लेते हुए एक कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट लाये जिसमें शैड्यूल कास्टस, शैड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास और साथ ही जो 50 प्रतिशत का कोटा है, उसको बढ़ाकर मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन की बात रखी जाये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मुझे खेद है कि जब यह चर्चा आरम्भ हुई तब मैं सदन में नहीं था । अगर प्रातः काल ही पता चल जाता कि समाज कल्याण मंत्री जी इस तरह का विधेयक लाने वाले हैं तो उसके हिसाब से तैयारी की जाती । सदन में उपस्थिति भी उसके अनुसार होनी चाहिए थी क्योंकि यह विधेयक ऐसा है जिस पर कोई मतभेद नहीं है । सुप्रीम कोर्ट को परिगणित जातियों और जन जातियों के लिए पदोन्नति के मामले में सचमुच में कोई फैसला नहीं देना चाहिए था क्योंकि यह विषय उनके विचाराधीन नहीं था । मगर उन्होंने उस पर एक फैसला दे दिया । लेकिन जैसा अभी कहा गया है कि 2 वर्ष तक पदोन्नति की व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आशंका नहीं है । केसरी जी को याद होगा जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो मैंने कहा था कि इस बारे में जल्दी करने की जरूरत नहीं है । आप एक आम राय विकसित करिये । चुनाव के बाद इस पर नई लोक सभा फैसला कर सकती है । लेकिन तब शायद मैं अलग थलग था ।..... **(व्यवधान)**

श्री सीता राम केसरी : ठीक कह रहे हैं, आप अलग-थलग थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन आज आप अलग थलग हैं ।.....**(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : हम पेपर दिखाएंगे । आपने क्या बोला । चंद्रजीत जी हमारे सामने बैठे हुए हैं ।.....(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : वह ठीक है, मैं उस पर बिल्कुल दृढ़ हूँ ।.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, जो यह कहा जा रहा है कि मैं अलग-थलग था तो वह भी मेरी स्थिति को न समझने के कारण भ्रम हुआ था । उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं मेरिट में नहीं जा रहा हूँ । लेकिन यह कह रहा हूँ कि इस बारे में जल्दबाजी की क्या जरूरत है । यदि तत्काल कोई संकट होता कि मामला रुक गया है और कोई गतिरोध पैदा हो गया है तो मैं इस बात की आवश्यकता समझ सकता हूँ कि अविलंब कोई विधेयक लाया जाए । लेकिन ऐसा कोई संकट नहीं है । जैसा कहा गया, इस रिजर्वेशन के साथ और भी बहुत से प्रश्न जुड़ गए हैं । यदि थोड़ी देर हो जाती और मैं नहीं समझता कि आज इस तरह की उपस्थिति है । शाम को छः बजे के बाद जबकि सदन स्थगित होना चाहिए, केसरी जी, आप तो गाजे-बाजे के साथ काम करते हैं ।.....(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : मैं 12 बजे से बैठा हुआ हूँ ।.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक बात पूछना चाहता हूँ । क्या यह सच है कि इस विधेयक को लाने के लिए इसलिए जल्दबाजी की जा रही है कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने सरकार को धमकी दी है कि यदि यह विधेयक तत्काल पारित नहीं किया जाएगा तो वे कश्मीर संबंधी प्रस्ताव पर अपना समर्थन नहीं देंगे ? यह बात साफ कीजिए ।.....(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : यह एकदम गलत है.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ?.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपने समाप्त कर दिया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूँ, मैं विवाद में नहीं फँसना चाहता । लेकिन मैं फिर अपील करूंगा कि आप इसको कल ला सकते हैं, चर्चा करके ला सकते हैं । आप जरा समझाइए कि क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीवर राव वाड्डे : इस विषय पर मतैक्य था और सब इससे सहमत थे । आप व्यापक विधेयक क्यों प्रस्तुत नहीं करते ?

सभापति महोदय : श्री जेना को भी बोलने दीजिए और मंत्री महोदय अन्त में उत्तर देंगे ।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : जहां तक हमारे दल की स्थिति का संबंध है, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं । हम इस विधेयक का केवल समर्थन ही नहीं करते हैं बल्कि हम यह भी चाहते हैं कि इस विधेयक को अविलम्ब पुरःस्थापित किया जाए । इतना ही नहीं, हम इसमें कुछ संशोधन भी चाहते हैं । प्रथमतः यह विधेयक अन्य पिछड़े वर्गों (ओ० बी० सी०) के लिए भी होना चाहिए । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बाद इसमें अन्य पिछड़े वर्गों (ओ० बी० सी०) को भी शामिल किया जाना चाहिए । दूसरे, 50 प्रतिशत आरक्षण के सवाल को भी इसके साथ-साथ उठाना चाहिए । मेरा यही कहना है कि हम विधेयक को पुरःस्थापित कर, आज इस विधेयक को पारित करने वाले नहीं हैं । हम इस विधेयक पर कल और परसों भी चर्चा कर सकते हैं । विधेयक पुरःस्थापित करने की कोई जल्दी नहीं है । संशोधन भी साथ में ही प्रस्तुत किये जाये । हम संशोधनों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं । परन्तु बेहतर होगा यदि संशोधन सरकार प्रस्तुत करे परन्तु इससे यह अन्दाज न लगाया जाये

कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं । इस प्रकार की धारणा को देश के बाहर फैलाने नहीं देना चाहिए कि इस विधेयक का कोई विरोध भी कर रहा है । हम इसका समर्थन करते हैं । हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) को संवैधानिक संरक्षण देने की बात का भी समर्थन करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस विषय पर जो भी जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं हम उनसे भी जल्दी यह काम करना चाहते हैं । परन्तु उनको इसके साथ-साथ अन्य सदस्यों द्वारा सुझाये गये प्रावधानों को भी प्रस्तुत करने दीजिए ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : विधेयक को पुरःस्थापित करते समय.....

सभापति महोदय : विधेयक को पुरःस्थापित करते समय उस पर पूर्ण वाद विवाद नहीं होता है । मैं केवल उन सदस्यों को ही अनुमति दी है जो इसका विरोध करना चाहते हैं । अब मंत्री महोदय इसको स्पष्ट कर सकते हैं ।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने इसका विरोध नहीं किया है ।.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इसे जल्दी लाइए ।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधेयक को पुरःस्थापित करते समय केवल वही लोग बोल सकते हैं जो इसका विरोध करना चाहते हैं । आप कैसे बोल सकते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए । अब संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सुलतानपुरी जी, यह आपके बोलने का समय नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बासनिक) : यह बड़ी अजीब स्थिति हो गई है, कभी तो विरोधी दलों की ओर से यह आरोप लगाने की कोशिश होती है कि बड़ी देर कर दी और आज एक बहुत वरिष्ठ सदस्य, विरोधी दल के नेता की ओर से यह कहा जा रहा है कि इसके लिए जल्दबाजी क्या है । मैं इतना कहना चाहूंगा.....

श्री अनिल बसु : इसको कांफ्रेंसिव कीजिए ।.....(व्यवधान)

श्री मुकुल बासनिक : यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से पैदा होता है और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

श्री सैयद शम्सुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय किस हैसियत से बोल रहे हैं ? क्या वह इस विधेयक का विरोध

कर रहे हैं या मंत्री जी की ओर से उत्तर दे रहे हैं।

श्री मुकुल वासनिक : मैं अंशतः मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहा हूँ।

समापति महोदय : वह संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : वह इस अवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से पैदा होता है, जहां पर कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रमोशन में पांच वर्ष के बाद आरक्षण नहीं रहेगा, वह समाप्त किया जायेगा। इससे जो मानसिकता पैदा हुई, उसके बारे में जानकारी है क्या? जजमेंट की जानकारी तो आपको है, लेकिन अनुसूचित जाति एवम अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मानसिकता पर इसका क्या परिणाम हुआ, अगर इसकी जानकारी होती तो आज इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर इसका विरोध कदापि नहीं किया जाता। आज जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों की मानसिकता पर उसका जो परिणाम हुआ है, उसे देखते हुए यह भी जरूरी होता है कि यह बिल न सिर्फ जल्दी से जल्दी इन्ट्रोड्यूज होना चाहिए, मगर सदन में इसे जल्दी से जल्दी पारित किया जाना चाहिए और रहा सवाल.....(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : यह समाप्त होने जा रहा था, उस समय में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है।.....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह सियासी और सरकारी भाषण है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप पहले तीन साल तक क्या कर रहे थे? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, कोई भी सदस्य सभा की सक्षमता के प्रश्न पर इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा है.....(व्यवधान) यही तो मैं कह रहा हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 1992 में विनिर्णय दिया गया था और आज तीन वर्षों के बाद, वर्ष 1995 में सरकार पूरी तरह से इस विधेयक के साथ है।

समापति महोदय : कृपया, उनकी बात सुनिए।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, जहां तक विधेयक को पुरःस्थापित करने का संबंध है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने संबद्ध मंत्री को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी है। अतः, मैं सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि उन्हें इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अधिकतर सदस्यगण इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की भावना को देखते हुए इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। अतः इस बात पर अड़े रहना कि इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करना चाहिए उचित नहीं है। अतः मेरा आग्रह है कि सदस्यगण इसमें सहयोग करें और मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वर्ष 1992 में विनिर्णय दिया गया था। सरकार गत तीन वर्षों से क्या कर रही थी? क्या सरकार सो रही थी.....(व्यवधान) इस जल्दबाजी में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यदि विधेयक को कल पुरःस्थापित किया जाता है तो कोई आसमान टूट पड़ने वाला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी : मान्यवर, 14 जनवरी को पहली मीटिंग हुई।.....(व्यवधान) मेरी बात सुनिये। उसमें रिलैक्सेशन आफ एज का एक निर्णय हुआ। फिर उसके बाद 24 की जगह 28 अप्रैल को मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग मैंने पांच तारीख को की। चन्द्रजीत जी जो कह रहे हैं कि शीघ्रता क्यों है, चन्द्रजीत जी ने खुद ही कहा है.....(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या कहा है?

श्री सीता राम केसरी : मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप बदल रहा है, हम इस राह के हैं कि इसे इसी सत्र में करना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप आधी बात मत कहिये। हमने यह कहा था कि 50 प्रतिशत की सीमा हटाइये, ओ० बी० सी० को इसमें शामिल कीजिए, सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में इसको कीजिए।.....(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : मुझे कहने दीजिए, मैं कह रहा हूँ।.....(व्यवधान) सुनिये।

यह सत्य है कि अटल जी ने कहा था कि अभी जल्दी नहीं करें, मगर अटल जी ने भी यह कहा है कि.....(व्यवधान) की पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद निर्णय लिया है तो उनकी इज्जत रखते हुए और हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का यह मसला है और वे बहुत बड़ी संख्या में हैं, इसलिये संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है।

मई की 4 और 5 तारीख को जो मीटिंग हुई, उसमें तमाम विपक्ष के नेताओं ने जो कुछ कहा, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है.....(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्बन्ध में यह संविधान संशोधन विधेयक शीघ्रता में नहीं लाया गया है। विपक्ष के साथ एक बार नहीं तीन बार बातचीत करने के बाद ही यह लाया गया है। विपक्ष का यह आरोप गलत है कि चुनाव नजदीक होने के कारण यह लाया गया है। आप मेरी नीयत पर विश्वास कर सकते हैं। बिल के ऊपर जो कहना चाहे कह सकते हैं। आपको पूरी आजादी है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। अटल जी ने यह कहा कि इसको लाने में इतनी शीघ्रता क्यों दिखायी जा रही है। सी० पी० एम० ने इसका समर्थन किया और कहा कि इसे लाइये, हम बाद में बातचीत करेंगे। ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्ड में हैं। मैं सारी बातें सदन के सामने रखूँगा। उससे आप देख लेंगे कि किन-किन दलों ने कहा इसका समर्थन किया। जनता दल ठीक कह रही है, आप ठीक कह रहे हैं मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जनता दल ने अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्बन्ध में यह बात कही है, देवेन्द्र जी ने भी ठीक कहा। मैं स्वयं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आम सहमति की आवश्यकता थी और वह पूर्ण रूप से थी। अटल जी ने सिर्फ कहा कि इसमें शीघ्रता नहीं होनी चाहिये और न उन्होंने कहा कि यह होना चाहिये। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं यह बिल लाया हूँ। यह बिल शीघ्रता में नहीं लाया गया है।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने अच्छी बात कही। एस० सी०, एस० टी० के अलावा ओ० बी० सी० का जो सवाल है, उसमें आम सहमति नहीं है। सभी पार्टियां ओ० बी० सी० के बारे में एकमत हैं, सहमत हैं.....(व्यवधान) इसका कौन विरोध कर रहा है?

श्री सीता राम केसरी : मैं चाहता हूँ कि ओ० बी० सी० का भी हो और इसमें आम सहमति होनी चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप ओ० बी० सी० के बारे में नीति बतायें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप केवल प्रश्न पूछ रहे हैं । आप माननीय मंत्री जी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं । कृपया उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए उसके बाद आप सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए ताकि वे जो भी कहना चाहते हैं, कह सकें ।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी : मुझे कहने दीजिए । अटल जी ने ठीक कहा कि आप अलग-अलग पड़ गये हैं और हम एक साथ हो गये, आप देख लीजिए । मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप सब लोगों की सहमति से पिछड़े वर्गों और ओ० बी० सी० के सम्बन्ध में भी हम वही करने जा रहे हैं और आप लोगों की राय उसी तरह ली जायेगी जैसी अनुसूचित जाति और जन जाति के सम्बन्ध में ली गई है (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : इधर के सारे लोग सहमत हैं तो सरकार बताये कि सरकार इससे सहमत है या नहीं क्योंकि आम सहमति में सरकार के विचार महत्वपूर्ण होते हैं । अगर सरकार सहमत है तो सारे सदन की उस पर सहमति है । अगर सरकार सहमत नहीं है, तो सरकार बताये ।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाइडे : महोदय, यह कोई सामान्य विधेयक नहीं है । यह सविधान (संशोधन) विधेयक है और इसके लिए जरूरी है कि सदन में काफी संख्या में सदस्य उपस्थित हों । मतदान के लिए भी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है । मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस विधेयक पर बोलने वाले किसी भी सदस्य ने विधेयक की भावना का विरोध नहीं किया है । परन्तु ऐसे अनेक पहलू हैं, जिस पर मतैक्य है । आप शायद उस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जिस पर मतैक्य न हो । परन्तु 50 प्रतिशत सीमा को बढ़ाये जाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण एवं पदोन्नति सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराये जाने जैसे कतिपय पहलुओं पर मतैक्य है । हमारा निवेदन है कि आप उन मुद्दों को, जिस पर मतैक्य है, समाविष्ट करते हुए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं । संक्षेप में यही हमारा मुद्दा है । हम इस विधेयक की भावना अथवा इसके पुरःस्थापित किये जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं । परन्तु आप अब जिस संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहते हैं, उसमें केवल एक ही पहलू को लिया गया है । इसलिए हम इसके पुरःस्थापित किये जाने का विरोध कर रहे हैं ।

श्री सैयद शम्सुद्दीन : सभापति महोदय, मैं बहुत सक्षिप्त और मुख्य पहलू पर प्रकाश डालूंगा । महोदय, यह कहना अत्यन्त सही है कि सभा में विधेयक पर कोई मतभेद नहीं है । यहां पर कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं । अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में एक समय सीमा निर्धारित की है । मुझे आश्चर्य है कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए फौरी तौर पर यह विधेयक लाई है जो दो वर्ष बाद आता है, जिस पर पूरा सदन एकमत है और आज भी पिछड़े वर्गों को उपलब्ध नहीं है जिसे विशेष रूप से सरकार द्वारा नकारा गया है क्योंकि यह विधेयक अनुच्छेद 16 (4) में आता है जिसकी भाषा 16 (4) में भी दोहराई जा सकती है । कठिनाई केवल यह है कि क्या नियुक्ति में पदोन्नति भी शामिल है । केवल

यही मुद्दा है । अब अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार :-

“इस अनुच्छेद को किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी ।”

नए खण्ड में, वह मूल शब्द संरचना को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित रखने के स्थान पर ‘पिछड़े वर्ग के नागरिक’ शब्द को रखना चाहते हैं । मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ‘पिछड़े वर्ग के नागरिक’ शब्द में सभी सम्मिलित हैं । वास्तव में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ पिछड़े वर्ग के नागरिक भी हैं । अतः मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार क्यों नहीं हमारा तर्क स्वीकार कर सकती है कि संशोधित विधेयक कल प्रस्तुत करे, केवल एक संशोधन के साथ कि ‘अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में शब्दों के स्थान पर ठीक उन शब्दों का प्रयोग करें जो अनुच्छेद 16(4) में है । अर्थात् किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नए अनुच्छेद 16(4ए) में जोड़ा जाए ।

मैं यह बात केवल एक कारणवश कह रहा हूँ । मैं इस बात पर बल नहीं दे रहा हूँ कि मंत्री महोदय ठीक अभी एक व्यापक विधेयक लाएं । उसके लिए, हमें चर्चा के लिए और अधिक समय चाहिए । किन्तु पदोन्नति में आरक्षण के प्रश्न पर जो एक व्यक्तिगत विषय है, वह क्यों लाभाविन्त होने वाले लोगों को दो वर्गों में विभक्त करेंगे ? यदि हमें इस विधेयक को लाने में कोई आपत्ति नहीं है यदि वह ‘पिछड़े वर्ग के नागरिकों को’ अथवा उसी प्रकार संशोधन स्वीकार करने पर सहमत है । और साधारण शब्दों में अपना विधेयक प्रस्तुत करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया कि वह यह जानते हैं जब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर चर्चा की तब पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए पूरी सहमति थी; जबकि पिछड़े वर्गों के लिए ऐसे आरक्षण पर विभाजन था.....

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह सुनकर बहुत दुःखी हूँ । कोई मत विभाजन नहीं था ।

श्री श्रीकान्त जेना : मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं ।.....(व्यवधान)
[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : इसमें कोई डिवीजन नहीं है । यह आपके मन की उपज है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे मन की उपज नहीं है ।

[अनुवाद]

पहले आप मेरी बात सुनें । कृपया मुझे अपनी बात को पूरा करने दीजिए । माननीय केसरी जी ने यह कहा है और हम सबने इसे सुना है । उन्होंने कहा है कि इसे उन्होंने सर्वदलीय नेताओं की चर्चा वाले रिकार्ड में पाया । उन्होंने यह भी कहा है कि वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं । जहां तक सरकार का प्रश्न है जो मंत्री चार्ज में हैं पहले ही कह चुके हैं कि हम अन्य पिछड़ी जातियों में पदोन्नति के लिए भी आरक्षण के लिए इसी तरह का एक विधेयक लाएंगे । इस बात को स्पष्ट किया गया था । यह केवल इसलिए लाया जा रहा है, क्योंकि इस समय हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर सहमत हैं । जितना भी जल्दी अन्य पिछड़ी जातियों पर भी सहमति होगी.....(व्यवधान) पहले मुझे पूरा करने दो । मैं उसे पूरा करूंगा

और तब मैं आपकी सुनूंगा ।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि जैसे सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वसम्मत हो जाएगी तो सरकार तुरन्त ही विधेयक प्रस्तुत करेगी ।

महोदय, जैसा कि श्री केंटेश्वर राव द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है ।
.....(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाड्डे : अनुसूचित जनजाति इसाईयों के स्तर के बारे में क्या विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह कहना चाहूंगा कि सविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता नहीं है । इसे प्रस्तुत किया जा सकता है और साधारण बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है । इस मुद्दे पर हम सभा को विभाजित नहीं करना चाहते हैं । इस विधेयक पर हम पूरे सदन की सहमति लेंगे । सभी ने विधेयक की भावनाओं को स्वीकारा है । केवल एक ही मुद्दा है : अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि उन्होंने मीटिंग बुलाई थी । विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेता उपस्थित थे और उनके बयान के अनुसार जिसे सरकारी बयान माना जाना चाहिए, वह मीटिंग के मुताबिक था, जैसा कि इस विशेष भाग का प्रश्न था उस पर एकमत था, अन्य पिछड़े वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण पर कोई सर्वसम्मति नहीं थी । अतः इस बहाने इस महत्वपूर्ण विधेयक को नहीं रोका जाना चाहिए ।

चूंकि विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए लाया गया, मैं उपस्थित माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दें जिससे उसे चर्चा के लिए लिया जा सके । मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए भी विधेयक लाया जाएगा ।... (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं स्पष्ट बात कहता हूँ जिससे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रश्न पर सर्वसम्मति के बारे में सन्देह न रह जाए और 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण बढ़ाने के मामले पर सभी राजनीतिक दल इस विषय पर सहमत हैं । सरकार की नीयत इस पर विभाजित है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं, हम इस पर विभाजित नहीं हैं ।

श्री श्रीकान्त जेना : तो आप यह क्यों नहीं कहते कि कौन सी पार्टी इसका विरोध करती है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कृपया उसे मत उठाइये.....(व्यवधान) यह मुद्दा नहीं है । महोदय, मैं माननीय सदस्य श्रीकान्त जेना से अनुरोध करूंगा कि ऐसे विषय व्यर्थ न उठाएँ जिनका कोई औचित्य नहीं है । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसे विधेयक को लाने में कोई समस्या नहीं है । सम्बद्ध मंत्री महोदय के अनुसार जो इस विषय से सम्बद्ध मंत्री है, सर्वसम्मति लाने के लिए कोई

कठिनाई है तो उसे दूर किया जाएगा । जैसे ही कठिनाई दूर हो जाएगी कैसे ही दूसरे विधेयक भी आगे आएँगे ।

श्री श्रीकान्त जेना : हम विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध नहीं करते हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : तब, आप विधेयक की पुरःस्थापना को क्यों अनुमति दे रहे हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति महोदय, सदन की भावना है कि उसमें ओ० बी० सी० को भी शामिल किया जाए.....(व्यवधान) आप इसको आज नहीं, कल लाइए, जिसमें ओ० बी० सी० के लोगों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले ।

सभापति महोदय : अब, कृपया मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देने दीजिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम आप सबके विचार सुन चुके हैं और मंत्री को कुछ कहने दीजिए ।

श्री अनिल बसु : महोदय, यह कहना गलत होगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दूसरे पहलुओं पर सर्वसम्मति नहीं थी । उस विधेयक के माध्यम से वे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गलत संकेत भेज रहे हैं और हमारे समाज के गरीब से गरीब लोगों को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : यह इनका कहना है ।

श्री अनिल बसु : वह देश को गलत संकेत दे रहे हैं ।.....(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : मैं इसे कल प्रस्तुत करूँगा ।.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

‘कि भारत के सविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सीताराम केसरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

सभापति महोदय : सभा कल, 1 जून 1995 को 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्यगित होती है ।

6.56 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 जून, 1995/11 ज्येष्ठ, 1917 (शक्र) के ग्यारह बजे तक के लिए स्यगित हुई ।

● 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।
